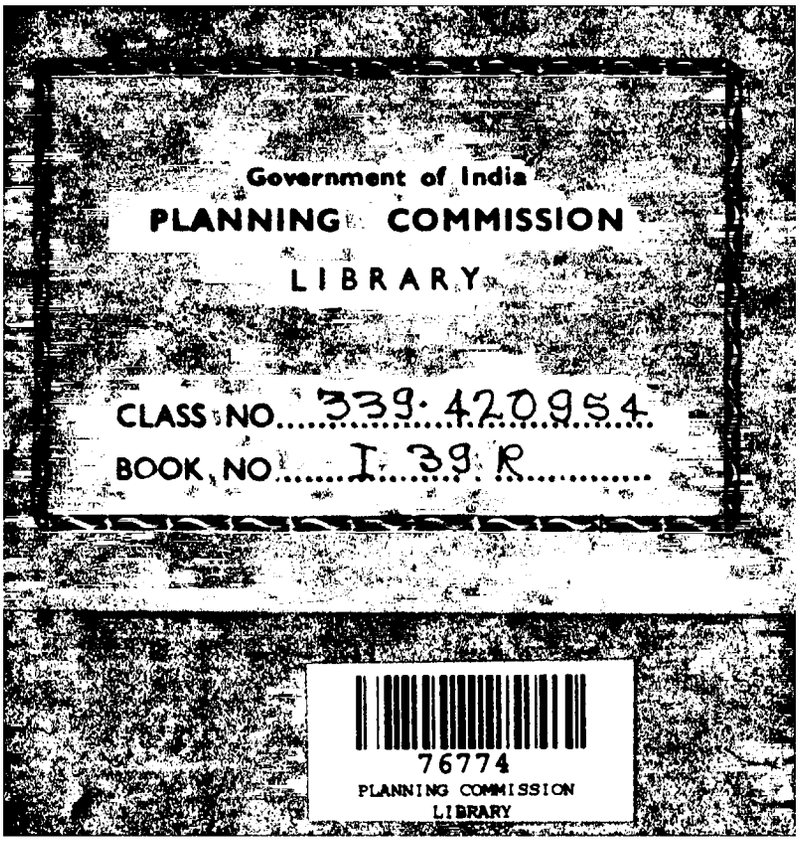
Government of India
PLANNING COMMISSION
LIBRARY
CLASS NO. 339.420954
BOOK NO. I.39.R
76774
PLANNING COMMISSION
LIBRARY

आय-वितरण और जीवन-स्तर

सम्बन्धी

समिति की रिपोर्ट

भाग 2

जीवन-स्तरों में परिवर्तन

PLANNING ... LIBRARY
76774

भारत सरकार

योजना आयोग

जुलाई, 1969

संख्या सी० एस० ओ०(आई० डी० सी० यू०)-5/64
नई दिल्ली
25 जुलाई, 1969

प्रिय प्रधान मंत्री,

आय के वितरण और जीवन स्तरों सम्बन्धी समिति की ओर से मैं रिपोर्ट का दूसरा और अन्तिम भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। समिति को सौंपा गया प्रथम विचारार्थ विषय पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान हुये जीवनस्तरों में परिवर्तनों की समीक्षा करना था। फरवरी 1964 में इस रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत करते समय यह आशा व्यक्त की गई थी कि रिपोर्ट का दूसरा भाग कुछ सप्ताहों में प्रस्तुत कर दिया जायगा। उस समय प्रस्तुत रिपोर्ट का एक मसौदा समिति के विचाराधीन था। परन्तु कुछ ऐसे विवादास्पद विषय उठ खड़े हुए जिनके कारण नई सांख्यिकीय आधार सामग्री के एक बड़े भाग का पुनः सारणीकरण और जांच करना तथा विश्लेषण के क्षेत्र का विकास करना आवश्यक हो गया। बार बार प्रयत्न करने पर भी सभी मतभेदों का समाधान करना सम्भव नहीं हो सका। जिस रूप में रिपोर्ट स्वीकृत की गई थी तथा अब प्रस्तुत की जा रही है उसे दस सदस्यों में से सात सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी है बाद में दो सदस्यों ने असहमति नोट के साथ अपनी सहमति दी है, ये दोनों असहमति नोट और तीसरे सदस्य के पत्र के उद्धरण रिपोर्ट के अन्त में जोड़ दिये गये हैं। समिति ने निर्णय किया है कि समीक्षाधीन विषय पर अध्यक्ष द्वारा वैयक्तिक हैसियत से तैयार किया गया एक वैज्ञानिक प्रलेख (साइन्टीफिक पेपर) संलग्न कर दिया जाये। समिति इस प्रलेख पर अपना कोई विचार व्यक्त नहीं करना चाहती है।

आपका

(पी० सी० महालनोबिस)
अध्यक्ष
आय-वितरण और जीवनस्तर संबंधी समिति

श्रीमती इंदिरा गान्धी,
प्रधान मन्त्री,
नई दिल्ली।

विषय-सूची

पृष्ठ

अध्याय 1

प्रस्तावना 1

अध्याय 2

रहन-सहन के स्तर में परिवर्तन–कुछ संकेतक 5

अध्याय 3

अनाज की खपत के विशेष संदर्भ में कुल खपत के स्तर में परिवर्तन 14

अध्याय 4

अनाज की खपत–अध्यक्ष की टिप्पणी व डा० बी० के० मदान की टिप्पणी 24

अध्याय 5

सांख्यिकीय खामियों के बारे में सिफारिशें 41

अनुबंध

दो सदस्यों की असहमति टिप्पणियां और अन्य सदस्य के पत्र के उद्धरण 47

पिछली दो बैठकों का कार्यवृत्त 50

आंकड़ों की सारणियां और मानचित्र 53

अध्याय 1

प्रस्तावना

समिति की रिपोर्ट का पहला भाग जो समिति को सौंपे गये पहले और दूसरे विचारार्थ विषय से सम्बन्धित था 25 फरवरी, 1964 को प्रस्तुत किया गया था और उस समय यह आशा प्रकट की गई थी कि शेष रिपोर्ट कुछ सप्ताहों में प्रस्तुत कर दी जायेगी । रिपोर्ट के शेष भाग को प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए समिति अत्यन्त खेद प्रकट करती है और देरी के कुछ अंश के कारणों का संक्षेप में संकेत करना चाहती है ।

2. जिन परिस्थितियों में समिति की नियुक्ति की गई थी उनका विवरण रिपोर्ट के पहले भाग की प्रस्तावना में दिया गया था । प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने लोक सभा में 22 अगस्त, 1960 को कहा था :

".....यह कहा जाता है कि पहली और दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय में 42 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उचित ही किया जाता है कि यह आय गई कहां ? यह प्रश्न अत्यन्त न्यायोचित है, और कुछ हद तक आप देख भी सकते हैं कि यह आय कहां गई है । मैं कभी कभी गांवों में विशाल जनसमूहों के सामने जाकर भाषण देता हूं और मैं देख सकता हूं कि लोग अब पहले से बेहतर खाना खा रहे हैं और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वे अब ईंटों के घर बनाने लगे हैं ।.....लेकिन यह बात भारत में हर एक व्यक्ति पर लागू नहीं है । कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद ही कोई लाभ पहुंचा हो । कुछ लोगों को शायद कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है । पर यह तथ्य है कि हमारी राष्ट्रीय आय में और हमारी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो चुकी है और मैं समझता हूं कि यह वांछनीय होगा कि इस बात की गंभीरता से जांच की जाये कि यह आय कहां गई है, और एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाये जो यह ठीक ठीक छानबीन करे कि देश में जो यह आय हुई है या जो प्रति व्यक्ति आय हुई है उसका वितरण किस प्रकार हुआ है ।"[1]

3. तदनुसार योजना आयोग द्वारा दिनांक 13 अक्तूबर, 1960 को एक समिति नियुक्त की गई जिसके विचारार्थ विषय इस प्रकार थे :

(1) पहली और दूसरी योजनाओं के दौरान जीवनस्तरों में हुए परिवर्तन की समीक्षा करना ;

(2) आय और धन के वितरण में हाल में आई प्रवृत्तियों का अध्ययन करना ; और विशेष रूप से

(3) यह निश्चित करना कि अर्थव्यवस्था के संचालन के फलस्वरूप किस सीमा तक धन तथा उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण (कन्सन्ट्रेशन) हुआ है ।

4. समिति की संरचना प्रोफेसर पी० सी० महालनोबिस (अध्यक्ष), प्रोफेसर वी० के० आर० वी० राव, डा० पी० ए० लोकनाथन डा० बी० एन० गांगुली, श्री विष्णु सहाय, श्री डी० एल० मजूमदार, डा० वी० के० मदान और श्री वी० एन० दातार को सदस्य और श्री पी० सी० मैथ्यू को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करके की गई थी । डा० के० आर० नैयर को अप्रैल, 1963 से संयुक्त सचिव, और फिर अक्तूबर, 1963 में सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था । श्री पी० सी० मैथ्यू इस समिति के सदस्य बने रहे । डा० के० आर० नैयर मई, 1968 में सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाने पर समिति के सदस्य सचिव नहीं रहे पर सदस्य बने रहे । केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के श्री सी० एस० पिल्लई को जून, 1968 में सचिव नियुक्त किया गया ।

रिपोर्ट का भाग–1

5. रिपोर्ट के पहले भाग में विचारार्थ विषयों की मद (2) और (3) पर विचार किया गया था । पहले भाग की प्रस्तावना में कहा गया था :

".....हमने अपनी रिपोर्ट की विषय वस्तु पर एक एकीकृत समस्या के रूप में विचार किया है.....परन्तु जैसा हमें बाद में पता चला, हमें अपने पहले विचारार्थ-विषय के ठीक प्रकार से समाधान के लिए कुछ और समय की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इसकी आधार सामग्री बड़ी विस्तृत और जटिल है और अन्तिम विचार विमर्श में उठाये गये प्रश्नों के प्रकाश में इसकी और अधिक छानबीन करनी आवश्यक है । दूसरे और तीसरे विचारार्थ विषय के मसौदे के बारे में हमें इस प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा । ..... हम आशा करते हैं पहले विचारार्थ विषय से सम्बन्धित रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के बाद उसे रिपोर्ट के दूसरे भाग के रूप में प्रस्तुत कर दिया जायेगा । हम यह भी कहना चाहेंगे कि समिति को सौंपे गये प्रश्नों को ठीक पृष्ठ भूमि में समझने के लिए रिपोर्ट के दोनों भागों को एक समझा जाना चाहिए ।"[2]

---

[1]तीसरी पंचवर्षीय योजना के मसौदे की रूपरेखा पर विचार किया जाये यह प्रस्ताव करते हुए प्रधान मंत्री का लोकसभा में दिनांक 22 अगस्त, 1960 को भाषण, रिपोर्ट के भाग 1, पृष्ठ 1 पर उद्धृत ।

[2]रिपोर्ट, भाग 1, पैरा 5, पृष्ठ 2 ।

6. ऊपर उल्लिखित प्रसंग में रिपोर्ट के भाग 1 में आधारभूत मुद्दों पर किये गये विचार विमर्श का पुन: स्मरण करना उचित होगा । अध्याय 2 में भारत के 1950 के संविधान की प्रस्तावना का हवाला दिया गया था जिसमें भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने का निष्ठापूर्वक संकल्प किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 39 में दिये गये राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का और तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों का उल्लेख किया गया था, और मूल उद्देश्यों का इस प्रकार कथन किया गया था ।

"व्यापक सामाजिक लक्ष्य स्पष्ट हैं, अर्थात्, शीघ्रता से आर्थिक वृद्धि करना, विशेषरूप से निर्धन लोगों के जीवनस्तर में सुधार करना अवसरों की समानता और शिक्षा की सुविधायें सुलभ करना, स्वास्थ्य की देखरेख और सांस्कृतिक सुविधायें देना, जीवनस्तर, आय और सम्पत्ति की असमानताओं में कमी लाना, आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण की प्रवृत्ति को रोकना ।"[1]

7. जहां तक पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में (1950–51 से 1960–61 तक) राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि का प्रश्न है यह पता चला है कि 1948–49 के मूल्यों के आधार पर 190 अब्ज (बिलियन) रुपये की कुल अतिरिक्त राशि में से,

"13 प्रतिशत से कुछ अधिक सरकारी खर्च की वृद्धि में और 13 प्रतिशत ही घरेलू बचत की वृद्धि में लगा है । दोनों को जोड़लें तो लगभग 27 प्रतिशत का उपयोग विकास कार्यों में और भावी प्रगति के निर्माण में हुआ है । .....अतिरिक्त आय का लगभग 73 प्रतिशत जनता को निजी उपयोग की वृद्धि के लिए उपलब्ध था पर इस में से 43 प्रतिशत का उपयोग 1950–51 की प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय की दर के हिसाब से जनसंख्या में हुई उस वृद्धि के लिए किया जाना आवश्यक था जो इस दशक के दौरान हुई थी । इस प्रकार इस दशक की अतिरिक्त आय का सबसे बड़ा भाग इन दस वर्षों के दौरान हुई जनसंख्या की वृद्धि की प्रतिपूर्ति में लगाना पड़ा है । ..... अतिरिक्त आय में से शेष बचा 28 प्रतिशत से थोड़ा सा अधिक भाग अथवा एक चौथाई भाग ही प्रतिव्यक्ति खपत में शुद्ध वृद्धि के लिए उपलब्ध था" ।[2]

8. कुल अतिरिक्त आय अर्थात् 190 अब्ज रुपये (19,000 करोड़ रुपये) का 28 प्रतिशत से कुछ अधिक भाग या 53.7 अब्ज रुपये (5370 करोड़ रुपये), की "शुद्ध राशि कुल आबादी के प्रति व्यक्ति औसत उपभोग में वृद्धि के लिए उपलब्ध थी । इस राशि को इस दशक के दौरान व्यक्तियों की औसत संख्या में बांटने से हमें प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय में वृद्धि की राशि 2.5 रुपये प्राप्त होती है । आधार वर्ष 1950–51 में प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय 219 रुपये था, इसे देखते हुए वृद्धि की दर 1.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है"[3]। रिपोर्ट के भाग 1 में यह भी संकेत किया गया था कि :

"दोनों योजनाओं में विभिन्न सामाजिक सेवाओं और सामुदायिक विकास पर खर्च की गई राशि 13.7 अब्ज (बिलियन) रुपये थी । इसका विवरण इस प्रकार था : शिक्षा 4.2 अब्ज (423 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य 3.3 अब्ज (326 करोड़ रुपये), पिछड़े वर्ग 1.1 अब्ज (113 करोड़ रुपये), कल्याण कार्यकलाप 0.4 अब्ज (41 करोड़ रुपये), पुनर्वास 1.6 अब्ज (160 करोड रुपये) और सामुदायिक विकास 3.1 अब्ज (305 करोड़ रुपये) । इनमें से कुछ खर्चों को सामूहिक उपभोग के रूप में माना जा सकता है जिससे जनता के जीवन-स्तर में कुछ सुधार हुआ है । सामान्यतया 13.7 अब्ज (1370 करोड़) रुपये की राशि इस क्षेत्र में किये गये अतिरिक्त प्रयत्नों के रूप में गिनी जा सकती है ।"[4]

9. सरकार द्वारा सामूहिक उपभोग के लिए हस्तान्तरित की गई 13.7 अब्ज या 1370 करोड़ रुपये की यह राशि कुल जनसंख्या को प्रतिव्यक्ति औसत उपभोग में वृद्धि के लिए सीधे उपलब्ध 53.7 अब्ज या 5370 करोड़ रुपये की राशि के लगभग एक चौथाई भाग के बराबर थी । अत: सामूहिक उपभोग में वृद्धि की दर 1.1 प्रतिशत का एक चौथाई, अथवा 0.27 प्रतिशत प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष थी । इस प्रकार कुल उपभोग व्यय में, सरकार द्वारा हस्तांतरित भाग को शामिल करके प्रति व्यक्ति, प्रतिवर्ष वृद्धि की दर 1.37 प्रतिशत, अथवा 1.4 प्रतिशत से थोड़ी सी कम आती है ।[5]

10. उपभोक्ता व्यय में वृद्धि का सामान्य अर्थ है जीवन स्तर में सुधार, इसके धनात्मक मूल्य में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष लगभग 1.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है । समीक्ष्य अवधि के दौरान भारत की कुल आबादी के जीवनस्तर में निश्चित रूप से कुछ सुधार हुआ है । पर उपर्युक्त अनमान प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय में हुई औसत वृद्धि दर को ही प्रकट करते है, इनसे यह पता नहीं चलता है कि धनी और निर्धनों के बीच या विभिन्न परिवारों के बीच जीवनस्तर में सुधार की दर में परस्पर क्या कोई अन्तर था । अत: समिति को सौंपे गये प्रथम विचारार्थ विषय के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि जीवनस्तर की असमानताओं का अध्ययन किया जाये और यह भी पता लगाया जाये कि समीक्षा के अधीन दस वर्षों की अवधि के दौरान इस प्रकार की असमानताओं में कमी आई है अथवा वृद्धि हुई है ।

---

[1] रिपोर्ट, भाग 1, अध्याय 2, पैरा 2 पृष्ठ 4 ।

[2] रिपोर्ट, भाग 1, अध्याय 2, पैरा 13 और 14, पृष्ठ 8 ।

[3] रिपोर्ट, भाग 1, अध्याय 2, पैरा 12, पृष्ठ 7 और 8 । पृष्ठ 8 की पादटिप्पणी में कहा गया है कि अनुमानित प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय 1950–51 में 219 रुपये और 1960–61 में 246 रुपये (दोनों 1948–49 के मूल्यों के अनुसार) रहा है, प्रतिवर्ष वृद्धि की दर 1.2 प्रतिशत रही है (यह दर वृद्धि की गणितीय दर या सरल दर है) ।

[4] रिपोर्ट, भाग 1, अध्याय 2, पैरा 16, पृष्ठ 9 ।

[5] वृद्धि की सामान्य दर 1.2 प्रतिशत प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष लेने से और उसमें एक चौथाई या 0.3 प्रतिशत की जोड़ने से स्पष्ट हो जाता है कि कुल उपभोक्ता व्यय में साधारण वृद्धि की दर 1950–51 से 1960–61 तक के दशक के दौरान लगभग 1.5 प्रतिशत प्रति व्यक्ति रही है ।

11. प्रति व्यक्ति आय के वितरण के सम्बन्ध में इसी प्रकार के एक प्रश्न पर रिपोर्ट के भाग 1 में विचार किया गया था और अध्याय 3 में यह संकेत किया गया था कि :

"समिति की सौंपे गए दूसरे विचारार्थ विषय के लिए आय और सम्पत्ति के वितरण की हाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना आवश्यक है । इस प्रकार के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जांच करना होगा कि हाल के वर्षों में हुई राष्ट्रीय आय में वृद्धि का विभाजन विभिन्न श्रम और व्यवसाय वाले वर्गों में किस प्रकार हुआ है और योजनाबद्ध आर्थिक विकास के प्रथम दस वर्षों में आय की असमानता बढ़ी है या घटी है । .....केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा 1948–49 से भारत की राष्ट्रीय आय और औद्योगिक मूल के आधार पर इसके वितरण के अनुमान प्रकाशित किये गये हैं । .....इन अनुमानों की अत्यन्त वास्तविक सीमाओं (लिमीटेशन्स) के होते हुए भी, राष्ट्रीय आय और उसके उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी के लिये ये ही एकमात्र स्रोत हैं । पर इन आंकड़ों से आय के आकार-वितरण पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है । इस प्रकार समिति को सौंपे गये आय वितरण के प्रश्न के सीधे अध्ययन के लिए आवश्यक आधार सामग्री उपलब्ध नहीं है ।"[1]

एक पाद टिप्पणी (फुटनोट) में यह भी सूचित किया गया था कि "आय वितरण के परिवर्तनों के ठीक प्रकार से अध्ययन के लिए उन देशों में भी पर्याप्त आधार सामग्री उपलब्ध नहीं है जो कि काफी प्रगति कर चुके हैं और जहां भारत की अपेक्षा अच्छी सांख्यिकीय व्यवस्था विद्यमान है ।" आगे यह भी संकेत किया गया था कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े "कुल उपभोक्ता व्यय का कुछ व्यय-कोष्ठकों में वितरण मात्र दिखलाते हैं उनसे स्वयं आय के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती" । [2]

नमूना सर्वेक्षणों पर आधारित सूचना

12. यहां पर तीन आधार भूत तथ्यों का उल्लेख किया जा सकता है । एक तो यह कि आय की मात्रा के आधार पर आय के वितरण के बारे में सूचना अथवा व्यय की मात्रा के आधार पर व्यय के वितरण के बारे में सूचना परिवारों के बजटों के नमूना सर्वेक्षण से ही प्राप्त हो सकती है । दूसरे आय की मात्रा के आधार पर आय के वितरण के बारे में सूचना भारत के सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं है । तीसरे, व्यय की मात्रा के आधार पर उपभोग व्यय के वितरण के बारे में ब्योरेवार सूचना पूरे देश के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के विभिन्न दौरों के सम्बन्ध में उपलब्ध थी । असमानताओं तथा असमानताओं में परिवर्तनों से सम्बन्धित सभी विश्लेषण नमूना सर्वेक्षणों (अधिकतर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किये गये सर्वेक्षणों), पर आधारित थे, ये सर्वेक्षण (आय की नहीं) उपभोक्ता व्यय की मात्रा के वितरण से और भौतिकरूप में जिन्सों की खपत की मात्रा से सम्बन्धित थे, इन जिन्सों में सबसे महत्वपूर्ण मद अनाज थी । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और अन्य सर्वेक्षणों द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुमानों की मान्यता पर समिति ने समय समय पर विचार किया । रिपोर्ट के भाग 1 में निम्नलिखित सामान्य टिप्पणी की गई थी :

"सर्वेक्षण के निष्कर्षों का प्रामाण्य इस बात पर आश्रित है कि नमूना, सर्वेक्षणाधीन जन संख्या का किस सीमा तक प्रतिनिधित्व करता है । भारत जैसे देश में जहां साक्षरता कम है और इतनी अधिक भाषायें, समुदाय और वर्ग हैं, विशेष कठिनाइयां हैं और फिर, सर्वेक्षण परिणाम सूचना देने तथा उत्तर न देने की त्रुटियों के अतिरिक्त नमूने की त्रुटियों की गंभीर सीमाओं (लिमिटेशन्स) के अधीन हैं । इसके सिवाय नमूना लेने में हुई त्रुटियों की मात्रा भी नमूने के आकार पर निर्भर करती है । इसके अतिरिक्त भारत में काफी बड़े पैमाने के नमूना सर्वेक्षणों में भी हो सकता है । बड़ी आय वाले परिवार पर्याप्त मात्रा में शामिल न रहे हों । कुछ बहुत निर्धन लोग भी, जिनका कोई घर नहीं है, साधारणतया नमूने में शामिल नहीं किये जाते हैं । इन कमियों के कारण सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर प्राप्त आय के वितरण का चित्र त्रुटि-पूर्ण हो सकता है ।"[3] समिति उपर्युक्त सीमाओं को समझती थी पर उसका विचार था कि इन सीमाओं के होते हुए भी सर्वेक्षणों के परिणामों से आय-वितरण के परिवर्तनों के बारे में उपयोगी निष्कर्ष निकल सकते हैं ।

13. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के बहुत से दौरों के लिए उपभोग व्यय के आंकड़े प्रतिव्यक्ति मासिक आय की निश्चित सीमाओं या आकार वर्गों के लिए (उदाहरणार्थ, आठ रुपये तक, आठ और ग्यारह रुपये के बीच, आदि के लिए) ही उपलब्ध थे । केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने 1962 में इस प्रकार के आंकड़ों से बहुत से दौरों के लिए उपभोक्ता व्यय के सान्द्रता वक्रों (कन्सैन्ट्रेशन कर्व्स) का अनुमान लगाया था । सान्द्रता वक्रों का अनुमान[4] लगाते समय अप्रत्यक्ष और निकटतम पद्धतियों का उपभोग करना पड़ा था अतः समिति ने निर्णय किया था कि मूलभूत आधार सामग्री का सीधे 10 प्रतिशत भंगुर वर्गों (फ्रेक्टाइल ग्रुप्स) के लिए नये सिरे से सारणीकरण किया जाये । इस सारणी करण से बहुत से दौरों के लिए उपभोक्ता व्यय के सान्द्रता वक्र भी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो गये । ये निष्कर्ष प्रतिवेदन के भाग 1 पर हस्ताक्षर किय जाने के समय ही समिति के सामने प्रस्तुत किये गये एक मसौदा प्रतिवेदन में दिये गये थे । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के प्रत्यक्ष सारणीकरण के आधार पर 1964 का मसौदा उपलब्ध था, इस तथ्य को दृष्टि में रख कर ही समिति ने यह आशावादी दृष्टिकोण अपनाया था कि अन्तिम रिपोर्ट कुछ सप्ताहों में तैयार हो जायेगी । परन्तु इस स्थिति पर पहुंचने के बाद, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों की प्रामाणिकता का प्रश्न उठाया गया, जिसकी ओर समिति ने नमूना सर्वेक्षण के निष्कर्षों की सीमाओं के बारे में सामान्य टिप्पणी करते हुए ध्यान दिया था । ऊपर पैरा 12 में इसका उद्धरण दिया जा चुका है । समिति ने फरवरी 1964 में हुई अपनी बैठक में यह भी निर्णय किया था कि इस बात की जांच करने के लिए कि अत्यन्त निर्धन और अत्यधिक धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व कम होने के कारण कोई गम्भीर त्रुटि तो नहीं हुई है, फिर से नये ढंग से सारणीकरण और परिष्कार किया जाये ।

---

[1] रिपोर्ट, भाग 1, अध्याय 3, पैरा 1 और 2 और पादटिप्पणी 1, पृष्ठ 10।

[2] रिपोर्ट, भाग 1, अध्याय 3, पैरा 6, पृष्ठ 11 ।

[3] रिपोर्ट, भाग 1, अध्याय 3, पैरा 7, पृष्ठ 11 ।

[4] भंगुर प्राक्कलन (फ्रेक्टाइल एस्टीमेट) व्यय के निश्चित आकार वर्गों द्वारा दिये गये आंकड़ों के रैखिक अन्तर्वेशन द्वारा प्राप्त किये गय थे । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के विभिन्न दौरों में समयानुसार कीमतों के परिवर्तनों के लिए समायोजन कुछ मान्यताओं के आधार पर किये गये थे, उदाहरणार्थ अनाजों के मामले में सभी भंगुर वर्गों (फ्रैक्टाइल ग्रुप) में संबंधित मूल्य परिवर्तन एक से ही थे ।

14. निष्कर्षों का विवरण एक अन्य रिपोर्ट के प्रारूप में दिया गया था जो कि अप्रैल 1965 में हुई समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया था । एक ओर तो उन निष्कर्षों के बारे में संदेह व्यक्त किया गया था जो कि अनाजों की खपत की वास्तविक मात्रा में आकार के अनुसार वितरण में हुए परिवर्तनों के बारे में निकाले गये थे और दूसरी ओर उन निष्कर्षों के बारे में जो कि व्यय अथवा खपत किये गये अनाज की रुपयों में कीमत में आकार के अनुसार वितरण की असमानता में हुए परिवर्तनों के बारे में लगाये गये थे । एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठाया गया था कि कुल मिलाकर सभी अनाजों की खपत के आधार पर निकाले गये निष्कर्षों पर क्या कुल खपत में चावल, गेहूं और मोटे अनाजों (ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि) के अंशों में हुए परिवर्तनों का प्रभाव पड़ेगा । जैसा कि समिति ने इच्छा प्रकट की थी भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा चावल के लिए, गेहूं के लिए और मोटे अनाजों के लिए अलग अलग नये सारणीकरण किये गये ।

15. आंकड़ों की विशाल राशि के नये सारणीकरण, परिष्कार और विश्लेषण का काम समयापेक्षी है इसलिये समिति ने अध्यक्ष के परामर्श से समिति के तीन सदस्यों से अनुरोध किया था कि वे इन निष्कर्षों की जांच करें और रिपोर्ट का अन्तिम मसौदा तैयार करें । परन्तु कुछ मतभेद उठखड़े हुए जिनके समाधान के लिए आधार सामग्री की फिर से जांच और विश्लेषण किया गया । अध्यक्ष महोदय इस बात पर सहमत हो गये कि वे अपने निजी दायित्व पर एक स्वयंपूर्ण वैज्ञानिक प्रलेख (साइन्टीफिक पेपर) तैयार करेंगे जिसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की आधार सामग्री के प्रामाण्य की ब्यौरेवार जांच के साथ ही विभिन्न मुद्दों के तकनीकी पक्षों की समीक्षा की जायेगी । यह तय किया गया कि व्यापक सहमति के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर ली जाये और यह बात सदस्यों पर छोड़ दी जाये कि वे इस पर टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर करेंगे या बिना टिप्पणी के । एक अन्य मसौदा मार्च 1968 में परिचालित किया गया था और सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों के प्रकाश में इसे आगे और संशोधित किया गया था । इसके बाद सितम्बर 1968 में एक मसौदा और भी संक्षिप्तरूप में तथा लगभग सभी विवादास्पद मदों को निकाल देने के बाद परिचालित किया गया था । इसके बाद कुछ अन्य परिशोधनों के बाद समिति की 9 और 12 नवम्बर, 1968 की बैठक में सात सदस्यों की सहमति से रिपोर्ट स्वीकृत की गयी थी, इन सात सदस्यों में से डा० बी० के० मदान और डा० के० आर० नायर भारत के बाहर थे पर उन्होंने लिखित रूप में अपने विचार भेज दिये थे । अपनी सहमति देते हुए डा० मदान ने कुछ टिप्पणियां की थी जो कि अध्याय 4 में शामिल कर ली गई थी । यह तय किया गया था कि रिपोर्ट जो कि स्वीकृत की जा चुकी थी उन तीन सदस्यों को भेजी जायेगी जो कि बैठक में उपस्थित नहीं थे और वे उस पर टिप्पणी सहित या बिना टिप्पणी के अपनी स्वीकृति देंगे । यह भी तय किया गया था कि अध्यक्ष का वैज्ञानिक प्रलेख (साइन्टीफिक पेपर) उनके वैयक्तिक अंशदान के रूप में रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया जायेगा । समिति इस प्रलेख के बारे में अपना कोई विचार प्रकट नहीं करना चाहती थी ।

16. रिपोर्ट के भाग 2 में नीचे लिखे खण्ड हैं :

अध्याय 1 : प्रस्तावना ।

अध्याय 2 : जीवन स्तर में परिवर्तन—समस्त सूचक ।

अध्याय 3 : अनाजों की खपत के विशेष संदर्भ में कुल खपत के स्तरों में परिवर्तन ।

अध्याय 4 : अनाजों की खपत के बारे में डा० वी० के० मदान की टिप्पणी के साथ अध्यक्ष का नोट ।

अध्याय 5 : आकड़ों की खामियों के बारे में सिफारिशें ।

सांख्यिकीय सारणियां और अनुबन्ध ।

परिशिष्ट : 1950–51 से लेकर 1960–61 तक के दस वर्षों के दौरान जीवनस्तर में हुए परिवर्तनों का एक अध्ययन–पी० सी० महालनोबिस] द्वारा ।

निष्कर्ष

17. हमें यह ज्ञात है कि यह रिपोर्ट इतनी देर से जा रही है कि इसकी आधार सामग्री जिस अवधि की है वह अवधि काफी पीछे छूट गई है । तो भी हमें विश्वास है कि इनसे कुछ उपयोगी परिणाम निकले हैं जो भविष्य के मार्ग दर्शन के लिए व्यावहारिक रूप में मूल्यवान होंगे । हमें सौंपे गये विचारार्थ विषयों से सम्बन्धित मदों को तय करने के लिए आवश्यक विश्लेषण के लिए अपेक्षित आधार सामग्री बड़ी जटिल थी और इसकी जांच के लिए नये ढंगों से सारणीकरण और विश्लेषण करना आवश्यक था । समिति के कार्य के दौरान जिन पद्धतियों का और संकल्पनाओं का उपयोग किया गया है और उपलब्ध आधार सामग्री की प्रकृति और इसके स्रोतों का जो अनुसंधान किया गया है वह हम समझते हैं जीवन स्तर के परिवर्तनों के अध्ययन को जारी रखने में सहायक होगा । इस प्रकार के अध्ययन लगातार जारी रहने वाले ढंग के होने चाहिए । यह प्रयास करने के बाद हमारे हृदय में यह बात स्पष्ट हो गई है कि घरेलू खपत और उसके विश्लेषण के लिए और अधिक व्यापक व सार्थक आधार सामग्री प्राप्त करने के लिए और अधिक कार्य किया जाना शेष है ।

आभार स्वीकृति

18. समिति अपने कार्यालय द्वारा किये गये मूल्यवान कार्य की हार्दिक सराहना करती है । यह कार्यालय केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में स्थित था और मई 1968 तक सदस्य सचिव डा० के० आर० नैयर के सरकारी सेवा से निवृत्त होने तक उन्हीं की देखरेख में काम कर रहा था । हम केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के श्री सी० एस० पिल्लई द्वारा की गई श्रमसाध्य और निष्ठापूर्ण सेवा के लिए भी विशेष आभार प्रकट करना चाहते हैं । श्री पिल्लई लगभग आरम्भ से ही समिति के कार्य से सम्बद्ध थे और जून, 1968 में उन्होंने सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था । हम केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के श्री एस० एन० गोस्वामी, श्री गिरधर गोपाल और श्री वी० जे० हस्तक के उत्तम कार्य के लिए अपनी सराहना व्यक्त करना चाहते हैं ।

समिति भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा दी गई सहायता के लिए आभार स्वीकार करती है । सांख्यिकीय संस्थान ने विशाल आधार सामग्री के सारणीकरण और जटिल विश्लेषण का कार्य किया था और अपने विशेषज्ञ कर्मचारियों की सेवायें समिति को सुलभ कराई थीं ।

अध्याय 2

रहन-सहन के स्तर में परिवर्तन

कुल संकेतक

रहन-सहन के स्तरों की संकल्पनाएं

रिपोर्ट के इस भाग में हम रहन-सहन के स्तरों में आए परिवर्तनों पर विचार करेंगे अथवा इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पुनरीक्षाधीन दशक में रहन-सहन के स्तर की असमानताओं में कोई कमी हुई है ? इस अवस्था में यह आवश्यक है कि रहन-सहन की संकल्पनाओं पर जरा सावधानतापूर्वक विचार किया जाये । इस पर प्राय: सभी सहमत हैं कि रहन-सहन के स्तर का कोई एक भाग अथवा सूचकांक का होना संभव नहीं । रहन-सहन के स्तर के कई पक्ष हैं; जैसे—भोजन, कपड़ा, आवास, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुविधाएं आदि की उपलब्धता । इनमें से प्रत्येक का अलग से विश्लेषण करने की आवश्यकता है । इधर पिछले वर्षों में इस विषय पर काफी ध्यान दिया गया है । 1954 से 1960 की अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के कई अभिकरणों ने इस प्रश्न पर विचार किया । अन्तर्राष्ट्रीय तुलना के लिए एक सूची तैयार की गई । इस सूची में ये मद सम्मिलित हैं—खाद्य-उपभोग तथा पोषण, कपड़ा, आवास, रोजगार तथा श्रमस्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन तथा मानव-स्वतंत्रता ।[1] उपर्युक्त घटकों में से किसी एक घटक के लिए एक या अधिक संकेतक हो सकते हैं । किसी देश में किसी समय तुलना के लिए समुचित परिवर्तन के साथ उसी सूची का उपयोग किया जा सकता है ।

2. निःसन्देह उपर्युक्त दृष्टिकोण से सभी पक्षों के लिए एक ही संकेतक का उपयोग सम्भव न हो सकेगा । अत: कुछ घटकों में सुधार हो सकता है जब कि कुछ अन्य मामलों में वही स्थिति रही अथवा और बिगड़ गई । उपभोज्य वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाले व्यय के विभिन्न घटकों की विस्तृत तुलना से एक निश्चित अवधि में रहन-सहन में हुए परिवर्तनों के निर्धारण के लिए एक व्यावहारिक पद्धति का पता लग सकता है । परिवर्तित मूल्यों का प्रभाव जानने के लिए यह आवश्यक होगा कि सभी मूल्यों को आधार वर्ष (बेस ईयर) के मूल्यों के रूप में व्यक्त किया जाय अर्थात् स्थिर मूल्यों (कान्सटेंट प्राईसेज) के आधार पर तुलना की जाय । यद्यपि अधिकांश वस्तुएं तथा सेवाएं सामान्यतया स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाती हैं तथापि कई सेवाओं तथा वस्तुओं की सरकार द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की जाती है । यह प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है । अत: व्यापक मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि सिद्धान्त रूप से निजी तथा सामाजिक दोनों उपभोगों पर एक साथ विचार किया जाय ।

3. किसी अवधि के उपभोग की तुलना जनता के लिए उपलब्ध कुल वस्तुओं तथा सेवाओं के सन्दर्भ में की जा सकती है । इसको समग्र रूप में भी लिया जा सकता है अथवा विशेष वस्तुओं तथा सेवाओं के सन्दर्भ में प्रति-व्यक्ति औसत उपभोग के रूप में भी । सर्वप्रथम हम कुल उपभोग में होने वाली वृद्धि पर विचार करेंगे । प्रति व्यक्ति औसत उपभोग में वृद्धि जनसंख्या के अपेक्षाकृत छोटे वर्ग द्वारा उपभोग व्यय में अधिक वृद्धि होने से हो सकती है जब कि जनसंख्या के शेष वर्ग के उपभोग व्यय में वृद्धि होने का कोई अवसर नहीं होता । इतना ही नहीं इस वर्ग के उपभोग-व्यय में कमी भी हो जाती है । हमारी समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न परिवारों के उपभोग की असमानताओं का अध्ययन किया जाय । परिवारों के नमूना सर्वेक्षणों से प्रत्येक परिवार के उपभोग तथा रहन-सहन के स्तर के बारे में सूचना एकत्र की जा सकती है । इस प्रकार की सूचना पर बाद वाले अंश में विचार किया गया है ।

उपभोज्य वस्तुओं की उपलब्धि में वृद्धि

4. इस रिपोर्ट के भाग–1 अध्याय–2 में यह बताया गया है कि निजी पारिवारिक उपभोग स्तर की वृद्धि के लिए 53.7 अब्ज (बिलियन) रुपये की राशि उपलब्ध थी । इस राशि का उपयोग अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने में किया गया । वास्तव में अधिकांशत: इसका उपयोग वस्तुएं खरीदने में किया गया । अत: यह जानना कुछ लाभदायक है कि आलोच्य दशक के दौरान कितनी अतिरिक्त उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध हुई ।

उपभोज्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि

5. उपभोज्य वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि को दो भिन्न तरीकों से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । सर्वप्रथम, 1950–51 की उपभोज्य वस्तुओं की चुनी हुई मदों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि का अनुमान दशक के प्रारम्भ में, 1955–56 के मध्य में तथा 1960–61 के दशक के अन्त में लगाया गया है । विवरण सारणी (क–1) में दिया गया है ।

---

[1] 1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित एक समिति ने मानकों तथा रहन-सहन के स्तरों की अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषा तथा माप के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें बारह घटकों की एक सूची दी गई । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नियुक्त दो समितियों ने 1955 में इस रिपोर्ट पर काफी विस्तार से विचार किया । इन समितियों ने कई परिवर्तनों की सिफारिश की जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अन्तर-अभिकरण कार्यकारी दल (इन्टर एजेन्सी वर्किंग पार्टी) ने विचार किया । इस दल ने घटकों तथा संकेतकों के बारे में फिर से सिफारिशें की । संयुक्त राष्ट्र संघ के सांख्यिकीय आयोग ने 1960 में सामान्यत: इन सिफारिशों का अनुमोदन किया ।

6. इस सारणी में सम्मिलित अधिकांश वस्तुएं 1950–51 की तुलना में 1960–61 में अधिक मात्रा में उपलब्ध थी । उदाहरणार्थ चीनी, सिगरेट तथा चाय की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में 1950–51 से 1960–61 के दौरान क्रमश: 60 प्रतिशत, 34 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई । सूती कपड़े में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई । घरेलू उपयोग के लिए बिजली की वृद्धि 127 प्रतिशत की दर से हुई (इसमें उद्योगों तथा अन्य कार्यों में प्रयुक्त बिजली सम्मिलित नहीं है) तथा मिट्टी के तेल में 68 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई । कुछ वस्तुओं के उत्पादन में काफी ऊंची-नीची दर से वृद्धि हुई । उदाहरणार्थ, साइकिल (300 प्रतिशत), रेडियो-रिसीवर (204 प्रतिशत), औषधि तथा औषधि-निर्माण (280 प्रतिशत) । रबड़ के जूतों की उपलब्धि में बहुत अधिक वृद्धि हुई (100 प्रतिशत) । यद्यपि चमड़े के जूतों में कुछ कम अर्थात् 4 प्रतिशत वृद्धि हुई तथापि दशक के दौरान सभी प्रकार के जूतों में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

उपभोज्य वस्तुओं की उपलब्धि में कुल वृद्धि

7. स्थिति के विश्लेषण का दूसरा तरीका यह है कि वस्तुओं की कुल अतिरिक्त उपलब्धि का पता लगाया जाय । इसमें दस वर्ष की अवधि के प्रत्येक वर्ष की वृद्धि को जोड़ा जाता है । इसके सम्बन्ध में प्रत्येक मद की सूचनासारणी (क-2) में दी गई है । तीन वर्षों की प्रति-व्यक्ति उपलब्ध सारणी (क-1) में दी गई है ।

8. यद्यपि अधिकांश मामलों में वृद्धि अधिक नहीं हुई तथापि दशक के दौरान उपभोज्य वस्तुओं की उपलब्धि में स्पष्टत: महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । कुछ मदों के मामलों में प्रतिशत वृद्धि अधिक थी परन्तु इसका कारण दशक के प्रारम्भ में, 1950–51 में, उपलब्धि के स्तर में कमी थी । उदाहरणार्थ, 1950–51 में प्रति-व्यक्ति बिजली-उपभोग केवल 1.5 किलो वाट घण्टा था जो 1960–61 में बढ़कर 3.4 किलो वाट घण्टा हो गया । साइकलों में वृद्धि 1950–51 में 750 प्रति दस लाख लोगों से बढ़कर 1960–61 में 3000 प्रति दस लाख लोग हो गई । अन्य मामलों में भी ऐसा ही हुआ ।

सामाजिक सेवाओं तथा सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार

9. यहां उल्लेखनीय है कि वस्तुओं की उपलब्धि की वृद्धि के अतिरिक्त सामाजिक सेवाओं में भी काफी वृद्धि हुई है । ऐसा शिक्षा तथा चिकित्सा-सुविधाओं की वृद्धि अथवा सड़क, डाक तथा तार आदि की सामान्य सुविधाओं की वृद्धि से हुआ है । इससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रहन-सहन के स्तर में भी सुधार हुआ है ।

शिक्षा

10. **शिक्षा पर व्यय** : पुनरीक्षाधीन दशक में शिक्षा-सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । विस्तृत सूचना (क-3) से (क-8) तक की सारणियों में दी गई है । इस सुधार का मुख्य कारण शिक्षा पर सरकारी व्यय में वृद्धि होना है जो 1950–51 में 65.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 1960–61 में 234.1 करोड़ रुपये हो गया । पांच वर्षों से कुछ अधिक समय में यह व्यय लगभग दूना हो गया (सारणी क-7) । सरकारी अंश 1950–51 में (शिक्षा के कुल व्यय–114.4 करोड़ रुपये के) 57 प्रतिशत से बढ़कर 1960–61 में (344.4 करोड़ रुपये के) 68 प्रतिशत हो गया । दशक के दौरान शुल्कों से होने वाली आय 23.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 59.0 करोड़ रुपये हो गई । शिक्षा पर सरकारी व्यय की तुलना में यह दर काफी कम थी ।

11. **शिक्षा-संस्थाओं की संख्या**—सरकारी परिव्यय की वृद्धि के माध्यम से शिक्षा संस्थाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई । सारणी (क-3) में विस्तृत सूचना दी गई है । संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण क–1 : भारत में शिक्षा संस्थाओं की संख्या

क्रम संख्या	संस्था का प्रकार	इकाई	1950–51	1955–56	1960–61	प्रतिशत वृद्धि		
						1950–51 की अपेक्षा 1955–56 में	1955–56 की अपेक्षा 1960–61 में	1950–51 की अपेक्षा 1960–61 में
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उच्चतर संस्थाएं[1] . . .	संख्या	550	789	1138	43	44	107
2	कालिज[2]	संख्या	300	458	1060	53	131	253
3	सामान्य विद्यालय[3] . . .	हजार	231	311	399	35	28	73
4	व्यावसायिक विद्यालय . . .	,,	51	49	67	(—)4	37	31

[1]विश्वविद्यालयों तथा कला तथा विज्ञान-कालिजों सहित ।

[2]व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ।

[3]तकनीकी तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए ।

12. दस वर्ष की अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों की संख्या 1950–51 में 27 से 1960–61 में बढ़कर 45, अनुसंधान संस्थाओं की संख्या 18 से 41 तथा कला तथा विज्ञान-कालिजों की संख्या 498 से 1039 हो गई । सबसे अधिक वृद्धि व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के कालिजों की हुई । इनकी संख्या 300 से बढ़कर 1060 हो गई अर्थात् दशक के दौरान इन संस्थाओं की संख्या तिगुनी से अधिक हो गई ।

13. **विद्यार्थियों की संख्या**—सभी स्तरों पर विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई । संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण क–2: शिक्षा-स्तरों तथा शाखाओं के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	शिक्षा का स्तर/शाखा	विद्यार्थी हजार में			प्रतिशत वृद्धि		
		1950–51	1955–56	1960–61	1950–51 की अपेक्षा 1955–56 में	1955–56 की अपेक्षा 1960–61 में	1950–51 की अपेक्षा 1960–61 में
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रारंभिक (कक्षा 1–5)	19150	25167	34994	31	39	83
2	माध्यमिक (कक्षा 6–11)	4340	6171	9577	42	55	121
3	कालिज (सामान्य शिक्षा)	326	575	808	70	41	148
4	अभियांत्रिक तथा प्रौद्योगिक (डिग्री स्तर)	10.1	16.2	34.6	60	114	243
5	औषधि तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	15.3	22.2	32.6	45	47	113
6	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (स्नातकोत्तर)	5.8	7.4	15.9	28	115	174

स्रोत : भारत में शिक्षा 1950–51, 1955–56 तथा 1960–61 ।

14. अभियांत्रिक (इन्जीनियरिंग) तथा प्रौद्योगिकी (टैक्नोलोजी) में डिग्री स्तर के कालिजों में विद्यार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई । सबसे कम वृद्धि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की संख्या में हुई; अर्थात् केवल 83 प्रतिशत । केवल इस एक अपवाद को छोड़कर अन्य सभी स्तरों में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई । इस दशक में जनसंख्या में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा राष्ट्रीय आय में 40 प्रतिशत अथवा इसके लगभग वृद्धि हुई परन्तु प्राथमिक स्तर को छोड़कर अन्य सभी स्तरों में विद्यार्थियों की संख्या में दूने से अधिक वृद्धि हुई । प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की संख्या, सारी जनसंख्या में 6–11 आयु वर्ग के स्कूल-जाने वाले बच्चों के प्रतिशत के रूप में, 1950–51 में 43 प्रतिशत से 1960-61 में 62 प्रतिशत बढ़ी । सार्विक प्राथमिक-शिक्षा (यूनीवर्सल प्राइमरी एज्युकेशन) का लक्ष्य अभी काफी दूर है । यह माना जाता है कि प्राथमिक स्तर पर काफी बरबादी होती है ।

15. **परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या**—विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई । इसका ब्यौरा सारणी (क-4) में दिया गया है । दसवीं कक्षा अथवा इससे कुछ अधिक या कम स्तर की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 241,200 से बढ़कर 623,100 हो गई अर्थात् अढ़ाई गुना से अधिक हो गई । सबसे अधिक वृद्धि इन स्तरों में हुई–स्नातकोत्तर परीक्षाएं, जिनको उत्तीर्ण करने वालों की संख्या 7,100 से बढ़कर 23,700 हो गई तथा व्यावसायिक विद्यार्थियों की 19,400 से बढ़कर 60,200 हो गई तथा कला के स्नातकों की संख्या 21,300 से बढ़कर 65,100 हो गई । वास्तव में प्रत्येक मामले में तिगुनी से अधिक वृद्धि हुई । सबसे कम वृद्धि इन्टरमीडिएट की विज्ञान परीक्षा पास करने वालों की संख्या में हुई । यह संख्या 25,700 से बढ़कर 35,000 हो गई । विज्ञान के विषयों में सामान्यतया कम वृद्धि हुई । इसका आंशिक कारण इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रम को क्रमशः समाप्त करना तथा तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना हो सकता है । नीचे की सारणी (क-3) में तत्संबंधी आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है :

विवरण क–3 : विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा 1950-51 तथा 1960-61 के दौरान प्रतिशत वृद्धि

क्रम संख्या	परीक्षाएं	उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हजार में		1950–51 की अपेक्षा 1960–61 में प्रतिशत वृद्धि
		1950–51	1960–61	1950–51
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	दसवीं (मैट्रिक्यूलेशन) तथा समकक्ष	241.2	623.1	159
2	इन्टरमीडिएट कला	47.0	80.8	72
3	इन्टरमीडिएट विज्ञान	25.7	35.0	36
4	कला-स्नातक	21.3	65.1	206
5	विज्ञान-स्नातक	11.0	27.8	153
6	एम० ए० तथा एम०एस०सी०	7.1	23.7	234
7	व्यावसायिक	19.4	60.2	210

16. **बुनियादी परिवर्तन**—शिक्षा-सुविधाओं के पर्याप्त विस्तार से शिक्षा पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी परिवर्तन आए । इससे संबंधित सूचना सारणियों (क-5) तथा (क-6) में दी गई है । नीचे के विवरण से परिवर्तन का मूल्यांकन किया जा सकता है । इसमें सामान्य जनसंख्या तथा निम्न स्तरों पर विद्यार्थियों की तुलना में उच्चतर शिक्षा-संस्थाओं में विद्यार्थियों का अनुपात दिखाया गया है ।

विवरण क–4 : जनसंख्या तथा निम्नस्तरों पर विद्यार्थियों की प्रति हजार संख्या पर उच्चतर शिक्षा-संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	निम्न के प्रति हजार पर	उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या		
		1950–51	1955–56	1960–61
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	जनसंख्या	0.9	1.5	1.9
2	सभी विद्यार्थी	13.5	18.4	18.2
3	प्राथमिक विद्यार्थी	16.8	23.3	23.6
4	माध्यमिक विद्यार्थी	74.4	94.8	86.1

जनसंख्या के संदर्भ में दशक के दौरान शिक्षा-संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई । इस अवधि में प्रति हजार जनसंख्या पर विद्यार्थियों का अनुपात दूना–0.9 से 1.9 हो गया । परन्तु सभी विद्यार्थियों के सन्दर्भ में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई । यहां तक कि 1955–56 से माध्यमिक विद्यार्थियों की तुलना में यह अनुपात कुछ कम रहा । मांध्यमिक (सेकेण्ड्री) स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई ।

17. निम्न विवरण 1950–51 तथा 1960–61 में विश्वविद्यालयों तथा विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी में विश्वविद्यालय स्तर के उच्चतर शिक्षा-संस्थाओं के नए प्रवेश दिखाये गये हैं :

विवरण क–5 : विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश

क्रम संख्या	विषय	1950–51	1960–61	1950–51 की अपेक्षा 1960–61 में प्रतिशत वृद्धि
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
			(संख्या हजार में)	
1	विज्ञान	51	116	127
2	इन्जीनियरी	4	14	250
3	औषधि	2.5	6	140
4	कृषि	2.0	5	150
5	कुल :	59.5	141	137

समग्र रूप से विचार करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि भारत में वैज्ञानिक तथा तकनीकी जनशक्ति का आयोजन पर्याप्त संतोषजनक रहा । ऐसा आयोजन दूसरी योजना के प्रारम्भ में शुरू किया गया । इन्जीनियरी के क्षेत्र में विशेष रूप से संतोषजनक प्रगति हुई । उदाहरणार्थ, इन्जीनियरी में नए प्रवेश 1950–51 में 4000 प्रति वर्ष से बढ़कर 1960–61 में 14,000 प्रति वर्ष हो गया ।

18. भारत में शिक्षा प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों तथा इन्जीनियरों की 1915 से 1960 तक की संख्या सारणी (क-8) में दिखाई गई है । स्वतंत्रता प्राप्ति से 33 वर्ष पूर्व 1915 से 1947 तक डिग्री स्तर की शिक्षा प्राप्त इन्जीनियरों की संख्या 14,984 थी । पहली योजना (1951–56) की पांच वर्ष की अवधि में शिक्षा प्राप्त इन्जीनियरों की संख्या इतनी ही—15,753 थी । दूसरी योजना (1956–61) की पांच वर्ष की अवधि में शिक्षा प्राप्त इन्जीनियरों की संख्या अधिक तीव्र गति से बढ़ी और 23,312 हो गई । समग्र रूप से प्रत्येक वर्ष शिक्षा प्राप्त इन्जीनियरों की संख्या में काफी तीव्रता से वृद्धि हुई । पहली योजना के कार्यान्वयन के संबंध में तकनीकी कर्मचारियों की भारी वृद्धि की बड़ी आवश्यकता महसूस की गई । इस संबंध में समुचित कार्यवाही 1955 में की गई । इसका प्रभाव 1960 में देखने में आया जब शिक्षा प्राप्त इन्जीनियरों की संख्या पूर्व वर्ष में 4,478 की तुलना में 5,703 हो गई । इस प्रकार एक साल में एक हजार से अधिक वृद्धि हुई ।

19. इन्जीनियरों, वैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों की संख्या[1] की वृद्धि से संबंधित आंकड़े सारणी (क-9) में दिए गए है । डिग्री स्तर के इन्जीनियरों की संख्या 1951 में 26,694 से बढ़कर 1955 में 36,024 तथा 1961 में 58,000 हो गई । इस प्रकार दशक के दौरान 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई । डिप्लोमा स्तर के इन्जीनियरों की संख्या में कुछ कम दर से वृद्धि हुई। इनकी संख्या 1951 में 38,789 से बढ़कर 75,000 हो गई (93 प्रतिशत) तथा दोनों स्तरों के इन्जीनियरों की संख्या 1951 में 65,483 से बढ़कर 1961 में 133,000 हो गई । इस प्रकार इनकी संख्या दस वर्ष में वास्तव में दूनी हो गई । विज्ञान में डिप्लोमा वाले लोगों की संख्या भी वास्तव में दूनी हो गई । अर्थात् 1951 में 17,108 से बढ़कर 1961 में 34,980 हो गई । दूसरी योजना अवधि में प्रत्येक स्तर में अधिक तीव्रता से वृद्धि हुई।

स्वास्थ्य-सेवाएं

20. योग्यता प्राप्त कुल चिकित्सकों की संख्या (स्नातकों तथा लाइसेंस प्राप्त) में बहुत कम वृद्धि हुई । इनकी संख्या 1950–51 में 62,000 से बढ़कर 1960–61 में केवल 70,000 हुई। यह वृद्धि दस वर्षों में, जनसंख्या में 20 प्रतिशत की तुलना में केवल 13 प्रतिशत हुई । इस प्रकार योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की संख्या में वास्तव में जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में कम वृद्धि हुई । इसका कारण स्वतंत्रता के बाद चार वर्षीय जूनियर मेडीकल स्कूलों को बन्द करना तथा इसकी क्षतिपूर्ति के लिए डिग्री स्तर पर चिकित्सा-प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था न होना था । 1951 में प्रति दस हजार लोगों के पीछे भारत में योग्यता प्राप्त चिकित्सक केवल 173 (डिग्री तथा लाइसेंस प्राप्त) थे । यह संख्या काफी कम थी । आलोच्य दशक में यह संख्या घटकर प्रति दस हजार लोगों के पीछे 161 हो गई ।

21. स्वास्थ्य सेवाओं के अन्य पक्षों के बारे में सूचना सारणी (क-10) में दी गई है । हस्पतालों, डिस्पेंसरियों तथा हस्पताल की शय्याओं (हास्पीटल बेड्स) की संख्या में कुछ वृद्धि हुई । जनसंख्या में 20 प्रतिशत की तुलना में यह वृद्धि 45 से 80 प्रतिशत हुई । सहायक स्वास्थ्य कर्मिकों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई । दस वर्ष में स्वास्थ्यचरों (हैल्थ विजीटर) की संख्या में लगभग 150 प्रतिशत तथा नर्स तथा दाइयों की संख्या में लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

22. 1946 में भोरे समिति ने हस्पताल की शय्याओं तथा डाक्टरों की संख्या का अनुमान लगाया । 1946 में इनकी संख्या प्रति दस हजार लोगों के पीछे क्रमश: 240 तथा 167 थी । समिति ने 1961 के लिए प्रति दस हजार लोगों के पीछे शय्याओं तथा डाक्टरों का लक्ष्य क्रमश: 2,000 तथा 500 रखा । परन्तु सारणी (क-10) में दी गई सूचना के अनुसार 1960–61 तक प्रति दस हजार लोगों के पीछे 461 शय्याएं तथा केवल 161 डाक्टर थे । 1960–61 में प्रति दस हजार लोगों के पीछे 161 डाक्टरों की जो संख्या है वह 1946 में अनुमानित प्रति दस हजार के पीछे 167 डाक्टरों से कम है । यद्यपि इस दिशा में कुछ सुधार हो गया तथापि आलोच्य दशक के अन्त तक स्वास्थ्य सेवाओं की काफी कमी रही ।

परिवहन तथा संचार

23. 1950–51 तथा 1960–61 में परिवहन तथा संचार की सुविधाओं की वृद्धि से संबंधित कुछ सूचना सारणी (क-11) में दी गई है । इस सारणी में वास्तविक मात्रा तथा प्रतिशत वृद्धि के आंकड़ों के अतिरिक्त जनसंख्या (प्रति दस हजार) के अनुपात के आधार पर येभी आंकड़े बताए गए हैं । इससे यह बात मालूम की जा सकती है कि किन सुविधाओं की जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक दर से वृद्धि हुई ।

24. योजना अवधि में सामान्यतया सुविधाओं में सुधार हुआ। पक्की सड़कों में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई जो एक उल्लेखनीय बात है । 157,000 किलोमीटर से बढ़कर 236,000 किलो मीटर हो गई । पंजीकृत मोटर वाहनों में 121 प्रतिशत वृद्धि हुई । इनकी संख्या 306,000 से बढ़कर 675,000 हो गई । रेलवे के मार्ग किलोमीटर तथा यात्री-किलोमीटर में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई । जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में इनमें वास्तव में क्रमश: 14 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत कमी आ गई । परन्तु मोटर बसों में प्रति दस हजार लोगों के पीछे लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यद्यपि इस सम्बन्ध में वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि यह पता लगा है कि मोटर-बसों से सवारी यातायात में काफी वृद्धि हुई है । समुद्र-तटीय तथा विदेशी नौपरिवहन के कुल पंजीकृत टनभार में काफी वृद्धि हुई । यात्री किलोमीटर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह 3000 लाख से बढ़कर 5910 लाख हो गया । इस प्रकार भौतिक रूप से 97 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा जनसंख्या के आधार पर 62 प्रतिशत वृद्धि हुई । नागरिक विमानन की किलोमीटर उड़ानों में भी वृद्धि हुई परन्तु जनसंख्या के आधार पर इसमें कमी हुई ।

25. संचार-सेवाओं के मामले में परिवहन से भी अधिक अच्छी प्रगति हुई है । 1960–61 तक डाक-घरों की संख्या बढ़कर 77,000, तार घरों की 12,000 तथा टेलीफोन-संयोजनों (टेलीफोन कनैक्शन्स) की 463,000 हो गई । इस प्रकार इनकी वास्तविक संख्या में क्रमश: 113 प्रतिशत, 43 प्रतिशत तथा 176 प्रतिशत वृद्धि हुई । जनसंख्या की वृद्धि से तुलना करने पर यह वृद्धि क्रमश: 75 प्रतिशत, 17 प्रतिशत तथा 127 प्रतिशत बैठती है । अपंजीकृत पत्रों (अनरजिस्टर्ड लेटर्स) तथा पोस्टकार्डों की वास्तविक संख्या में अत्यधिक-59 प्रतिशत वृद्धि हुई । इसकी तुलना में तारों की संख्या में कम 41 प्रतिशत वृद्धि हुई । इस प्रकार जनसंख्या से क्रमश: लगभग 32 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई । इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जनता द्वारा डाक एवं तार की सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग होता रहा है । निःसन्देह तारों की संख्या में अपेक्षाकृत कम वृद्धि का आंशिक कारण दशक के दौरान टेलीफोनों का बढ़ता हुआ उपयोग था ।

---

[1]संख्या का अनुमान चौथी योजना की प्रारंभिक रूप रेखा में उल्लिखित 1960–61 के अनुमान तथा मृत्यु, बीमारी, सेवानिवृत्ति, व्यवसाय-परिवर्तन अथवा अन्य देशों के प्रवास के कारण प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की कमी (इन्जीनियरों के मामले में 2 प्रतिशत) तथा सारणी क-8 में दर्शाये गए शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों व चिकित्सों की वार्षिक संख्या के आधार पर लगाया गया है ।

26. एक विशेष रूप से संतोषजनक तथ्य यह है कि ग्रामीण जनता को धीरे धीरे परिवहन तथा संचार की सुविधाएं उपलब्ध होने लगीं। इस तथ्य को निम्न विवरण से जाना जा सकता है । इसे ग्राम सांख्यिकीय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्टों से संकलित किया गया है ।

विवरण क–6 : निकटस्थ सड़क तथा डाक एवं तार घरों की दूरी के आधार पर गांवों का प्रतिशत विभाजन

क्रम संख्या	गांव से दूरी मीलों में	डाक-घर		तार घर		पक्की सड़कें	
		10वां दौर	14वां दौर	10वां दौर	14वां दौर	11वां दौर	14वां दौर
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0.5 मील से कम . .	7.5	15.5	0.6	1.6	14.3	17.7
2	0.5 से 5.5 मील तक .	71.8	63.2	32.1	29.1	44.8	44.4
3	5.5 मील से अधिक[1] .	20.7	21.3	67.3	69.3	40.9	37.9
4	समग्र दूरी . .	100	100	100	100	100	100

1955–56 में लगभग 7.5 प्रतिशत गांवों में आधे मील की दूरी पर डाक घर थे । यही सुविधा तीन साल बाद 1958–59 में लगभग 15.5 प्रतिशत गांवों में भी हो गई । अन्य सुविधाओं में भी सुधार हुआ ।

सांस्कृतिक सुविधायें

27. दस वर्ष की अवधि में सांस्कृतिक सुविधाओं के विस्तार पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया । साहित्य के लिए राष्ट्रीय साहित्य अकादमी नाटक तथा संगीत के लिए राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी तथा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना की गई । इनके लिए धन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा लोक नृत्यों, संगीत कार्यक्रमों, मंचों तथा कला प्रदर्शनियों के विकास के लिए भी प्रयत्न किया गया । बहुत से देशों को भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल भेजे गए तथा विदेशी सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डलों के दौरों की व्यवस्था की गई । खेलों तथा तत्संबंधी कार्यकलापों के विकास पर भी ध्यान दिया गया । इससे संबंधित सांख्यिकीय सूचना अपर्याप्त है । यद्यपि सांस्कृतिक प्रयासों का केवल परिणामात्मक आधार पर मूल्यांकन करना संभव नहीं है तथापि सांस्कृतिक कार्यकलापों के विभिन्न पक्षों के संबंध में व्यवस्थित ढंग से सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित करना लाभदायक होगा ।

28. **पुस्तकें तथा समाचार-पत्र**—पहली योजना अवधि में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 12,689 से बढ़कर 15,750 हो गई अथवा 24 प्रतिशत बढ़ी । बाद के वर्षों के संबंध में उपलब्ध सूचना अपूर्ण है । समाचारपत्रों की संख्या 1956 में 6,570 से बढ़कर 1960 में 8,026 हो गई अथवा 22 प्रतिशत बढ़ी । समाचार-पत्रों का वितरण[2] भी 1956 में 10,952,000 से बढ़कर 1960 में 21,046,000 हो गया अर्थात् 92 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1955–56 में 13,482 मुद्रणालय (प्रेस) थे जब कि 1950–51 में 11,966 मुद्रणालय (प्रेस) थे । इस प्रकार मुद्रणालयों में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई । तदनुसार 1960–61 में इनकी संख्या 14,989 हो गई । इस प्रकार 1950–51 की अपेक्षा 25 प्रतिशत वृद्धि हुई । पत्रिकाओं की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई । गांवों के संबंध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा संकलित आंकड़े यह बताते हैं कि 1956–57 में 7.2 प्रतिशत गांवों में पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था हो गई थी । 1958–59 में इन आंकड़ों में लगभग 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हो गई ।

29. **सिनेमा**—1950–51 में 3,200 सिनेमाघर (अथवा प्रति दस लाख जनसंख्या पर 9), 1955–56 में 3,800 (अथवा प्रति दस लाख पर 10) तथा 1960–61 में 4,800 थे (अथवा प्रति दस लाख पर 11) सब मिलाकर भारत में 1951 में 219, 1956 में 296 तथा 1961 में 303 फीचर फिल्में तैयार हुई । इस प्रकार पहली योजना अवधि में इस दिशा में भारी वृद्धि हुई परन्तु दूसरी योजना अवधि में इसका स्तर लगभग वही रहा ।

टिप्पणी.—सर्वेक्षण की अवधि ।

10वां दौर (दिसम्बर, 1955—मई 1956) ।

11वां दौर (अगस्त, 1956—फरवरी 1957) ।

14वां दौर (जुलाई, 1958—जून, 1959) ।

[1]इसमें वे गांव भी सम्मिलित हैं जिनसे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

[2]वितरण से संबंधित आंकड़े केवल उन समाचार-पत्रों के हैं जिनकी सूचना समाचार-पत्र पंजीयक को दी गई। 1956 तथा 1960 के अन्त तक सूचना देने वाले पत्रों की संख्या क्रमशः 3,050 तथा 5,813 थी ।

30. **रेडियो.**[1]—रेडियो सुनना लोकप्रिय होता जा रहा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा यह बात प्रकाश में आई कि 1956–57 तक लगभग 12 प्रतिशत गांवों में रेडियो-व्यवस्था थी। 1958–59 तक 17 प्रतिशत गांवों में रेडियो व्यवस्था हो गई। इसका कारण व्यवस्थित क्षेत्र में रेडियो-रिसीवरों के देसी उत्पादन में भारी वृद्धि होना था। रेडियो-रिसीवरों की संख्या 1950–51 में 54,000 से बढ़कर 1955-56 में 102,000 तथा 1960–61 में 282,000 हो गई। इसके साथ-साथ रेडियो रिसीवरों का आयात भी होता रहा। वर्ष-प्रति वर्ष आयात की दर में भिन्नता रही। 1950–51 में 17,000 सैट का आयात किया गया तथा 1955–56 तथा 1960–61 में क्रमशः 6,000 तथा 11,000 का। 1950–51 में 532,000 घरेलू रिसीवर सैट थे 1955–56 में 1,096,000 तथा 1960–61 में 2,273,000 (27,000 सस्ते रेडियो सहित) थे। इस प्रकार 1950–51 से 1960–61 तक के दशक में तीन गुने से भी अधिक वृद्धि हुई।

रोजगार तथा अल्प रोजगार (अन्डर एम्प्लायमेंट)

31. भारत जैसे देश में रोजगार तथा अर्धरोजगार के प्रश्नों पर विचार विमर्श करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अधिकांश परिवारों के पास अपने ही छोटे छोटे उद्यम हैं। औद्योगीकृत देशों में अपने-रोजगार वाले लोगों को बेरोजगार नहीं माना जाता। परन्तु हो सकता है इनमें से अधिकांश की लाभदायक काम न मिलने के कारण साल अथवा दिन के कुछ भाग में खाली बैठना पड़े। ऐसा विशेषकर देहाती क्षेत्रों में होता है। देहातों में बहुत बड़ी मात्रा में अल्प रोजगारी की स्थिति है। औद्योगीकृत देशों में विकसित देशों की विचार-धारा के अनुसार श्रमिक-शक्ति में दो वर्गों के लोगों को माना जाता है। एक वर्ग में वे लोग आते हैं जिन्हें लाभदायक पद प्राप्त है तथा दूसरे वर्ग में वे लोग हैं जो बेरोजगार हैं तथा काम ढूंढ रहे हैं। भारत में अनेक लोगों को लाभदायक कार्य प्राप्त करने की आकांक्षा होती है परन्तु प्राप्त होने की संभावना न होने के कारण वे इसके लिए प्रयास नहीं करते। पश्चिमी विकसित देशों में ऐसे लोगों को श्रमिक-शक्ति[1] (लेबर फोर्स) में नहीं माना जाता।

32. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग ने श्रमिक-शक्ति का कुछ अध्ययन किया है। कुछ नमूना सर्वेक्षणों से यह जानकारी मिली है कि श्रमिक-शक्ति में जनसंख्या का अनुपात 42 अथवा 43 प्रतिशत था। 1961 की जनगणना में 43 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। इन अनुपातों का सही तात्पर्य कुछ भी हो, भारत में लाभदायक काम में लगे हुए अथवा और अधिक लाभदायक काम चाहने वालों की कुल संख्या लगभग 1900 लाख होगी। इनमें लगभग 200 लाख लोग मजदूरी तथा वेतन पाते होंगे। केवल इन्हीं के मामले में रोजगार अथवा बेकारी का सिद्धांत अपने सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। लगभग 300 लाख खेतीहर मजदूरों को भी कुछ हद तक रोजगार प्राप्त माना जा सकता है परन्तु इनके बारे में भी सैद्धांतिक कठिनाइयां है। इसका कारण यह है कि इनमें से बहुत से लोग कृषक परिवारों के आश्रित के रूप में रहते हैं।

33. शेष लगभग 1400 लाख लोग स्वयं रोजगार करने वाले होंगे अथवा अंश-कालिक कार्य के रूप में घर के काम में हाथ बटाते होंगे। प्रत्येक गांव में लगभग सारे वर्ष में कुछ लोग दिन में आधा समय लाभदायक कार्य करते होंगे तथा आधे समय खाली रहते होंगे। देहाती क्षेत्रों में वर्ष में अधिकांश समय बहुत ही कम लोग बेकार रहते हैं। यह अनुमान किसी भी रूप में लाभदायक कार्य के संदर्भ में लगाया गया है।

34. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग ने लाभदायक कार्य की पद्धति के संबंध में भी सूचना एकत्रित करने का कुछ प्रयत्न किया। पांचवें तथा छठे दौर में (क्रमशः दिसम्बर, 1952 से मार्च, 1953 तथा मई, 1953 से सितम्बर, 1953 तक) यह विदित हुआ कि देहाती क्षेत्रों में वर्ष के दौरान लग-भग 280 लाख लोगों को महीने में 5 दिन से कम लाभदायक काम मिलता था अथवा 500 लाख लोगों को औसतन 15 दिन से कम मिलता था। सातवें दौर में (अक्तूबर, 1953 से मार्च 1954 तक) यह विदित हुआ कि लगभग 450 लाख लोग अंशकालिक कार्य कर रहे थे। नवें दौर (मई-नवम्बर, 1955) में विदित हुआ कि सारे देश में पूरे वर्ष में लगभग 210 लाख लोग प्रति सप्ताह औसतन 7 घण्टे या इससे कम तथा 450 लाख लोग 28 घण्टे या इससे कम काम करते थे। नवें दौर में अनुमानतया बेकारों की कुल संख्या लगभग 20 लाख थी। परन्तु सोलहवें दौर तक यह संख्या लगभग 70 लाख तक पहुंच गई। दूसरी योजना के अन्त तक लगभग इतनी ही संख्या रही।

35. इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि भारत में अतिरिक्त कार्य के लिए लाखों लोग उपलब्ध हो जाते हैं। परन्तु ये लोग देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं। इनके लिए जहां वे रहते हैं वहीं काम की व्यवस्था की जानी चाहिए यानी पांच लाख से अधिक गांवों में से प्रत्येक में तथा सभी ग्राम क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। देश में सब के लिए अंशकालिक कार्य की व्यवस्था करना संभव नहीं है। इस प्रकार पूर्णकालिक रोजगार में लगे हुए लोगों के अनुपात में अल्प रोजगार का हिसाब लगाना पूर्णतया एक सामान्य अनुमान मात्र है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार के स्वरूप व मात्रा के परिवर्तनों के अध्ययन से भी कोई लाभ न होगा। इसके लिए एक सुनिश्चित तरीका यह है कि उत्पादनात्मक कार्य के लिए अवसर बढ़ाए जाएं ताकि उन लोगों की आय बढ़ जाय जो इस समय आधे समय खाली रहते हैं। सुधार का वास्तविक उपाय आय में वृद्धि होना ही होगा। इसका पता परिवारों के नमूना सर्वेक्षणों से लगाया जा सकता है।

36. **रोजगार कार्यालय.**—शहरी क्षेत्रों में मजदूरी तथा वेतन[2] पाने वाले लोगों के सन्दर्भ में रोजगार तथा बेकारी के सिद्धान्त अधिक अर्थपूर्ण होते हैं। शहरी क्षेत्रों के रोजगार कार्यालयों के संबंध में कुछ सूचना सारणी क-12 में दी गई है। श्रमिक कार्यालयों में पंजीकरण एक सामान्य प्रक्रिया नहीं बन पाई है। इस प्रकार के कार्यालयों की संख्या भी अधिक तेजी से बढ़ी है। यह संख्या 1951 में 126 से बढ़कर

---

[1] अर्ध विकसित देशों में श्रम-शक्ति को कुल जनसंख्या के समुचित अनुपात में देखना अधिक लाभदायक होता है (विशेष आयु तथा लिंग के सन्दर्भ में)।

[2] परन्तु शहरी क्षेत्र में भी कई परिवारों तथा लोगों के पास अपना काम है अथवा ये परिवारों के व्यवसायों में सहायता पहुंचाते हैं। इनके संबंध में रोजगार अथवा बेकारी के सिद्धान्त का कोई स्पष्ट महत्व नहीं है।

1961 में 325 हो गई । अत: रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों से बेकारी की स्थिति में आए परिवर्तनों के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना कठिन है । चालू रजिस्टरों में आवेदकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई । यह संख्या 1951 में 3.3 लाख से बढ़कर 1961 में 18.3 लाख हो गई । यह बात भी ठीक है कि शहरी क्षेत्रों में उपर्युक्त अवधि में काफी बेकारी थी । इस बेकारी में वृद्धि होने की भी संभावना है ।

वैज्ञानिक अनुसंधान

37. आलोच्य दशक में वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रगति पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है । फिर भी देश के कुल अनुसंधान परिव्यय तथा अमुक समय में उसके उपयोग के संबंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है । अत: इस परिव्यय के प्रभाव के बारे में निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है । वास्तव में अनुसंधान-परिव्यय का अनुमान लगाना तथा उसका निर्धारण करना भी अनुसंधान का एक नया क्षेत्र है । इस समस्या पर अभी हाल ही में ध्यान दिया गया है ।

38. चार महत्वपूर्ण सरकारी अनुसंधान संगठनों के संबंध में कुछ सूचना उपलब्ध है । ये संगठन हैं—भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा परमाणु ऊर्जा विभाग । 1950–51 तक इन चारों संस्थानों का कुल व्यय लगभग 2 करोड़ रुपये था । 1955–56 में यह बढ़कर 8.6 करोड़ रुपये तथा 1960–61 में 18.8 करोड़ रुपये हो गया । निःसंदेह वृद्धि की दर अधिक थी परन्तु अनुसंधान पर बहुत कम व्यय हुआ । दूसरी योजना अवधि में इन चारों संगठनों तथा अन्य अनुसंधान अभिकरणों[1] का व्यय केवल 72 करोड़ रुपये था; अर्थात् प्रति वर्ष औसतन 14.4 करोड़ रुपये । विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में भी कुछ अनुसंधान कार्य होता है परन्तु इन पर जो व्यय हुआ वह बहुत ही कम था । संभवतया यह सरकारी अभिकरणों के परिव्यय के दस प्रतिशत से भी कम था । दूसरी योजना के अन्त में कुल अनुसंधान परिव्यय 20 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष था । दस वर्ष की अवधि में सरकारी अभिकरणों में अनुसंधान पर होने वाले व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई तथापि राष्ट्रीय आधार पर अनुसंधान के आयोजन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया (अर्थात् कुल साधनों के आवंटन तथा सरकारी तथा गैर-सरकारी अभिकरणों अथवा विभिन्न विषय-क्षेत्रों में इनके वितरण के संबंध में एक नीति तैयार करने में अधिक ध्यान नहीं दिया गया) ।

अनुसूचित जन-जातियां

39. सामान्य अनुमान के अनुसार जन जाति के लोग जनसंख्या के 5 से 7 प्रतिशत तक हैं तथा एक साथ इनकी संख्या काफी अधिक है । हमारे संविधान में इन जातियों के कल्याण पर समुचित ध्यान देने की अपेक्षा की गई है । इस दिशा में क्या किया गया है इसके बारे में बहुत ही कम सूचना प्राप्त हुई है । जन जातियों के कल्याण पर पहली योजना में 20 करोड़ रुपये तथा दूसरी योजना में 43 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं । इस व्यय का अधिकांश भाग संचार-सेवाओं की व्यवस्था करने तथा शिक्षा के विकास में लगा । एक ओर कृषि, उद्योग तथा अन्य धन्धों पर तथा दूसरी ओर चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य एवं आवास सुविधाओं पर भी काफी राशि व्यय हुई । दसवीं से आगे की कक्षाओं में भी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था के माध्यम से इन जन जातियों की सहायता की जाती थी । जब कि पहली योजना में इस प्रकार की केवल 8,700 छात्रवृत्तियां दी गई वहां दूसरी योजना में 25,500 छात्रवृत्तियां दी गई । इन छात्रवृत्तियों पर पहली तथा दूसरी योजनाओं में क्रमश: 42 लाख रुपये तथा 110 लाख रुपये व्यय हुए । जन जाति के लोगों के लिए रोजगार कार्यालयों के माध्यम से समुचित पदों की व्यवस्था भी की जा रही थी परन्तु इसके उत्साहवर्धक परिणाम नहीं निकले ।

ग्रामीण जनसंख्या

40. पुनरीक्षाधीन दशक में ग्रामीण जनता की स्थिति को सुधारने के लिए काफी प्रयत्न किया गया है । 1950–51 में जहां केवल 3446 अथवा 0.6 प्रतिशत गांवों का बिजलीकरण किया गया वहां 1960–61 में काफी अधिक अर्थात् 26,708 अथवा 4.7 प्रतिशत गांवों का बिजलीकरण किया गया । प्रतीक्षाधीन दशक में सिंचाई कार्यों में बिजली की खपत में भी काफी वृद्धि हुई है । 1950–51 से 1960–61 तक समग्र देश में शिक्षा पर होने वाले व्यय में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई । ग्राम शिक्षा में होने वाले व्यय में भी इसी अनुपात में अर्थात् लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1950–51 से 1960–61 तक की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर होने वाले प्रति-व्यक्ति व्यय में लगभग 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में शहरी क्षेत्रों में इस व्यय में कुछ कम वृद्धि (139 प्रतिशत) हुई । परन्तु आलोच्य दशक में सभी ग्राम संस्थाओं तथा सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियों के अनुपात में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । 50 प्रतिशत से अधिक गांवों में आधे मील की दूरी पर विद्यालय थे । माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्रमश: 7.3 प्रतिशत तथा 3.5 प्रतिशत थी । जहां तक संचार सेवाओं का संबंध है 1951 से 1961 तक की अवधि में ग्राम डाकघरों की संख्या 126 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है । इसकी तुलना में शहरी क्षेत्रों में केवल 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 1956–57 तक केवल 11.6 प्रतिशत गांवों में रेडियो रिसीवर तथा 7.2 प्रतिशत गांवों में सार्वजनिक पुस्तकालय होने की सूचना मिली परन्तु 1958–59 में 17.1 प्रतिशत गांवों में रेडियो रिसीवर तथा 9.2 प्रतिशत गांवों में सार्वजनिक पुस्तकालय होने की सूचना मिली । ग्रामीण जनता को कुछ सीमा तक चिकित्सालयों तथा औषधालयों जैसी चिकित्सा सेवाओं की सुविधाएं भी उपलब्ध होने लगी हैं ।

41. कई मामलों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार कुछ अधिक गति से हुआ । साथ ही यह भी सही है कि विभिन्न सुविधाओं के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में रहन-सहन का सामान्य स्तर बहुत पिछड़ा हुआ था और अब भी है ।

---

[1]इस संबंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है ।

आवास–स्थिति

42. आवास की स्थिति के बारे में बहुत ही कम सूचना उपलब्ध हुई है । 1961 की जनगणना मे आवास के संबंध में कुछ सूचना एकत्र की गई । यह सूचना प्रकाशित भी की जा चुकी है । जनगणना के समय तैयार की गई 20 प्रतिशत नमूना मकानों की विस्तृत सारणी भी उपलब्ध है । निम्न विवरण परिवारों का प्रतिशत वितरण बताता है । यह जनगणना के समय तैयार किए गए 20 प्रतिशत नमूना मकानों के विवरण के आधार पर यह बताता है कि ग्राम तथा शहरी क्षेत्रों में एक परिवार के पास कितने कमरे हैं तथा एक कमरे में कितने लोग रहते हैं ।

विवरण क–7 : अधिकृत कमरों की संख्या के आधार पर परिवारों का प्रतिशत विवरण तथा प्रत्येक वर्ग के परिवार में प्रति कमरे के पीछे लोगों की संख्या

क्रम संख्या	कमरों की संख्या	शहरी		ग्रामीण		अखिल भारत	
		परिवारों का अनुपात	प्रति कमरे के पीछे लोगों की संख्या	परिवारों का अनुपात	प्रति कमरे के पीछे लोगों की संख्या	परिवारों का अनुपात	प्रति कमरे के पीछे लोगों की संख्या
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कोई नियमित कमरा नहीं है .	1	—	1	—	1	—
2	एक कमरा . .	48	4.40	53	4.17	49	4.35
3	दो कमरे . .	27	2.62	25	2.69	27	2.63
4	तीन कमरे . .	12	2.01	10	2.06	11	2.01
5	चार कमरे . .	6	1.68	5	1.70	6	1.69
6	पांच और अधिक कमरे .	6	1.30	6	1.28	6	1.30
	कुल .	100	2·58	100	2·61	100	2·58

स्रोत : भारत की 1961 की जनगणना, भाग 1 खण्ड-4(ख)—आवास तथा संस्थापन की सारणियां : सारणी-ई०वी० तथा ई०वी०-2.

43. आवास की स्थिति निश्चय ही बहुत असंतोषजनक थी । 1961 में देश में लगभग 80 प्रतिशत परिवारों के पास दो या दो से कम कमरे थे जब कि एक प्रतिशत के पास कोई नियमित कमरा न था । शहरी तथा ग्रामीणी क्षेत्रों में लगभग यही स्थिति थी । एक कमरे में रहने वालों की औसत संख्या लगभग पांच थी तथा दो कमरों में रहने वालों की लगभग तीन । प्रत्येक कमरे में रहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई जब कि परिवारों के पास कमरों की संख्या घट कई जैसे कि सामान्यतया आशा भी की जा सकती थी । इससे यह बात भी स्पष्ट हुई है कि एक या दो कमरों वाले परिवारों के लिए स्थान की बहुत कमी हो गई । साथ ही जनगणना के आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि लगभग 58 प्रतिशत परिवार मुख्य रूप से मिट्टी अथवा कच्चे ईटों की दीवालों वाले घरों में रहते थे । इसका अनुपात देहाती क्षेत्र में 64 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 26 प्रतिशत है (भारत की जनगणना : 1961-भाग-4(ख)-सारणी-ई०-4)। 1951 की जनगणना के तद्सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं अतः दो जनगणनाओं के बीच की अवधि का किसी प्रकार की तुलना करना सम्भव नहीं है ।

अध्याय 3

अनाज की खपत के विशेष संदर्भ में कुल खपत के स्तर में परिवर्तन

भूमिका

सपूर्ण जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग परिवारों के माल की विभिन्न वस्तुओं और सेवा पर होने वाले कुल खर्च पर विचार करके रहन-सहन के स्तर में असमानता के अध्ययन का प्रयत्न किया जा सकता है । इस कार्य के लिए आवश्यक आंकड़े आमतौर पर नमूना सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं । हमारे देश में पारिवारिक खपत व्यय की काफी सूचना इकट्ठी कर ली गई हैं यह सूचना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन०एम०एस०) द्वारा बार बार तुलनात्मक ढ़ग से एकत्रित की गई है जो कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बहुउद्देशीय निरन्तर की जाने वाली जाच है । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की प्रत्येक जांच में कुल प्रति व्यक्ति खपत व्यय के अनुसार परिवारों की आरोही क्रम (एसेन्डिग आर्डर) मे रख सकना सभव है, चूकि प्रति व्यक्ति एक परिवार की खपत की कुल लागत का परिवार के रहन सहन के स्तर के लगभग सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है अत: इस प्रकार तैयार किया गया क्रम रहन-सहन के बढ़ते हुए स्तर से लगभग सम्बद्ध होगा । तब नमूना परिवारों को नीचे से बराबर आकार[1] वाले वर्गों की उपयुक्त संख्या के अनुसार विभाजित किया जा सकता है । यदि हर दस प्रतिशत के दस समान वर्गों (यानि दस दशमक वर्गों) का उपयोग किया जाय तो नीचे के दस प्रतिशत जनसंख्या के अत्यन्त निर्धन वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे और ऊपर के दस प्रतिशत सर्वोच्च धनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंग । दस विभिन्न भंगुर वर्गों (फैक्टाइल ग्रुप्स) की कोई एक खास वस्तु या माल की सभी वस्तुओं या सेवाओं की खपत (या व्यय) की तुलना उन वर्गों के रहन-सहन के स्तरों की असमानताओं पर प्रकाश डालेगी । आगे अनेक सर्वेक्षणों की तुलना से यह पता चलेगा कि प्रत्यक भंगुर वर्ग ने समय के साथ कहां तक न्याय किया था ।

2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग करने के प्रश्न पर समिति द्वारा बार-बार विचार विमर्श किया गया था । क्षेत्र नमूना डिजाइन, नमूना आकार, मूल की गुजाइश आदि अनेक महत्वपूर्ण बातें भी उठाई गई थीं । घरेलू खपत के ढेर सारे आंकड़े भंगुर वर्गों द्वारा सारणीबद्ध किये गये थे । समिति ने सोचा था कि मूल राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों, विशेषरूप से सर्वाधिक भंगुर वर्गों के खपत के भंगुर सारणीकरण के कुछ परिणामों की आगे जांच की जानी चाहिए । तदनुसार समूचे प्राथमिक आंकड़ों का इलेक्ट्रानिक संगणक द्वारा जाच एवं परीक्षण किया जाना था ।

3. यह देखा गया कि जांच एवं पुनर्सारणीकरण से मूल सामग्री के आधार पर तैयार किये गये अनुमानों या निष्कर्षों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नही पड़ा । फिर भी रिपोर्ट में पुनरीक्षित आंकड़ों का प्रयोग करने का निर्णय किया गया ।

समय के संदर्भ में तुलना

4. प्रस्तुत रिपोर्ट खपत की विस्तृत सूचना पर आधारित है जैसे कुल उपभोक्ता व्यय और जनसंख्या के भंगुर वर्गों द्वारा उपभोग की गई अनाज की मात्रा और मूल्य जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 12वें, 13वें, 15वें, और 16वें दौर में किये गये थे । इन सर्वेक्षण दौरों की अवधी अप्रैल 1952 से जून 1961 के बीच है जो मोटे रूप से पुनरीक्षाधीन दशाब्दि से संबंधित था, लेकिन इसके बीच कुछ अंतराल है । यद्यपि बाद के सर्वेक्षण दौरों की अवधि 12 माह थी परन्तु प्रारम्भ के दौरों में ऐसी कोई एकरूपता नहीं थी । विशेषरूप से चौथे और पांचवें दौर कम अवधि के थे और रिपोर्ट के लिए अनेक अवसरों पर उन्हें मिला दिया गया है । मूल्य वैभिन्य के कारण अनाज की खपत के स्तर में परिवर्तन की विस्तृत जांच करते समय इन दो सर्वेक्षण के दौरों को छोड़ दिया गया है क्योंकि इसमें कुछ कठिनाइयां थी विशेषरूप से संदर्भित समय के बारे में यानि वह समय जो इन दौरों में पारिवारिक बजटों का था ।

कुल प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय अखिल भारतीय ग्रामीण और अखिल भारतीय शहरी अंतिम मूल्य (टर्मिनल वेल्यूज) ग्रामीण जनसंख्या

5. प्रारम्भ में ही इस बात को समझा जा सकता है कि कुल उपभोक्ता व्यय में केवल खरीद के लिए किया गया नकद खर्च ही शामिल नही है अपितु खपत की सभी वस्तुओं पर थोपे गए मूल्य तथा विनिमय या घर में उत्पादित एवं खपत की जाने की सेवा भी शामिल है ।

6. सारणी स.1 से यह देखा जा सकता है कि संयुक्त 4के 5वें दौर में 30 दिन का प्रति व्यक्ति व्यय 2.59 था और 16वें दौर मे 2.87 रुपया था, दूर के इन दौरों में यह अंतर कुछ अव्यवस्थित हैं । ये आंकड़े ग्रामीण परिवारों के सबसे गरीब लोगों में खपत का बहुत ही थोड़ा स्तर बताते हैं—दूसरे शब्दों में ये हमारी अर्थ व्यवस्था के "कमजोर पक्ष" (वोल्फ-पाइंट) है । उच्च सीमान्त मूल्य यानि सर्वाधिक व्यय 8.07 रुपया देखा गया । यह आंकड़ा संयुक्त चौथे और पांचवें दौरों में ग्रामीण जनसंख्या के सर्वाधिक गरीब दस प्रतिशत लोगों का है जो लगभग अप्रल 1952 से मार्च 1953 की अवधि का है । नौवें दौर (मई-नवम्बर, 1955) में यह धीरे धीरे कम होता गया फिर 16वें दौर में यह 9.09 रुपये तक तेजी से बढ़ना शुरू हुआ । सभी दशमक वर्गों में समय का परिवर्तन आमतौर पर मूल्यों की घटबढ़ के अनुसार था ।

---

[1] अर्थात् अनुमानित जनसंख्या में से समान संख्या में व्यक्ति हो, समान आकार के ऐसे वर्ग 'भंगुर वर्ग' (फैक्टाइल ग्रुप) कहलाते हैं ।

7. ऊपर दी गई सूचना के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि 1960-61 में ग्रामीण भारत की दरिद्रतम 10 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् लगभग 350 लाख लोगों को प्रतिदिन 30 पैसे से भी कम में जीवन यापन करना पड़ता था । इसके अलावा लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या अर्थात् करीब 2800 लाख लोगों का प्रतिव्यक्ति कुल खपत व्यय 27.96 रुपया प्रतिमाह या प्रतिदिन एक रुपया से कम था। केवल अन्तिम शिखर पर उच्च मूल्य सीमा प्रति व्यक्ति प्रति माह 390 रुपये से ज्यादा था जिसे भारत में सम्पन्नता का स्तर माना जा सकता था ।

शहरी जनसंख्या

8. शहरी जनसंख्या के बारे में इसी प्रकार की सूचना सारणी ख-2 में दिखायी गयी है। शहरी क्षेत्र में किसी भी भंगुर वर्ग का सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति व्यय आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के इसी प्रकार के वर्ग से अधिक था। चौथे और पांचवें दौर (अप्रैल, 1952-मार्च, 1953) में नीचे के दशमक (डेसाइल) का उच्च सीमान्त स्तर 10 रुपया प्रति माह के आस पास था, धीरे धीरे यह घटकर लगभग 8 रुपया हो गया था। आठवें दौर में जब कीमतें कम थी तब शहरी जनसंख्या के नीचे के दश प्रतिशत का हर 30 दिन में 8.47 रुपये या 28 पैसे प्रतिदिन से कम में गुजर करना पड़ता था और 16 वें दौर में जब कीमतें ज्यादा थीं तब उन्हें हर तीस दिन में 11.60 रुपये या 39 पैसे प्रतिदिन में गुजर करना पड़ता था।

औसत प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय

9. उपभोक्ता व्यय का रुख मोटेतौर पर सामान्य मूल्य सूचकांक (सारणी बी-3,4,6 और 7) का अनुमान करते देखा गया था। आठवें और नौवें दौर (जुलाई, 1954-नवम्बर, 1955) तक व्यय तेजी से घट रहा था जब मूल्य स्तर बहुत कम थे इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ सोलहवें दौर में उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था जब मूल्य भी उच्चतम स्तर पर थे। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में एक ही ढांचा था। प्रत्येक भंगुर वर्ग (फ्रैक्टाइल ग्रुप) में औसत प्रति व्यक्ति व्यय ग्रामीण क्षेत्र में कम था (सारणी ख-5)। उदाहरण के लिए सोलहवें दौर (1960-61) में ग्रामीण जनसंख्या में नीचे के दस प्रतिशत लोगों का औसत प्रति व्यक्ति व्यय 7.31 रुपया प्रति माह था जब कि शहरी जनसंख्या का व्यय 9.37 रुपया था; सबसे ऊपर के दशक वर्ग (90-100 प्रतिशत) में ग्रामीण क्षेत्र में हर 30 दिन का प्रति व्यक्ति व्यय 56.55 रुपया था, जब कि शहरी जनसंख्या का व्यय 83.86 रुपया था। समस्त ग्रामीण जनसंख्या का लगभग सभी नौ दौरों में औसत प्रति व्यक्ति व्यय करीब 18 रुपया था ऐसा ही औसत व्यय शहरी जनसंख्या का लगभग 26 रुपया था। ये आंकड़े शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या की कुल खपत में अंतर का राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे ।

भंगुर वर्गों फ्रैक्टाइल ग्रुप्स का कुल उपभोक्ता व्यय में अंश

10. सारणी ख-8 व 9 में सभी 9 दौरों का अलग अलग, प्रत्येक दौरे में (100 मान कर) जनसंख्या के कुल उपभोक्ता व्यय में प्रत्येक भंगुर वर्ग के कुल उपभोक्ता व्यय के अंश के प्रतिशत के रूप में दिखाया है। यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक भंगुर वर्ग के खर्च के अंश में एक दौरे से दूसरे दौरे में बहुत अन्तर नहीं है, जनसंख्या के निचले 10 प्रतिशत का अंश शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में 3 प्रतिशत के आसपास था जब कि ऊपर के 10 प्रतिशत का अंश कुल व्यय का 25 से 30 प्रतिशत था। फिर भी, नीचे के दशमक के अंश की सामान्य प्रवृत्ति मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ ऊपर उठने की रही। 16 वें तक के (1960-61) पिछले कुछ नये दौरों के आंकड़े इस रुख को स्पष्ट करते हैं (सारणी 8, 10 व 11)। 7 वें, 8 वें व 9 वें दौर के औसत आंकड़ों की, जब मूल्य आमतौर पर कम थे, 12 वें, 13 वें, 15 वें, व 16 वें, दौरों के वैसे ही आंकड़ों से, जब मूल्य बहुत अधिक थे, तुलना करने पर देखा जा सकता है कि ग्रामीण जनसंख्या के नीचे के दशमक वर्ग के व्यय का अंश लगभग 12 प्रतिशत बढा था (3.4 से 3.42 प्रतिशत) जब कि सबसे ऊपर के दशमक वर्ग के आंकड़े लगभग 4 प्रतिशत गिरे थे (26.96 से 25.90)। सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे के दशमक वर्ग के औसत व्यय का अनुपात, जो प्रारम्भ के दौरों में 8.86 से गिरकर बाद के दौरों में 7.59 हो गया था। शहरी जनसंख्या में अन्तर का स्वरूप ऐसा ही था परन्तु उसकी मात्रा काफी कम थी, सबसे गरीब दशमक वर्ग का अंश लगभग 9 प्रतिशत ज्यादा था (2.84 से बढ़कर 3.11 प्रतिशत हो गया था) और सर्वोच्च वर्ग का अंश लगभग 2 प्रतिशत गिर गया था (29.29 से 28.73 प्रतिशत)। इस स्थिति में भी सर्वोच्च तथा निम्नतम के औसत व्यय के अनुपात में गिरावट देखी गई थी। इस प्रकार कुल उपभोक्ता व्यय में समय के अनुसार असमानता कम होती देखी गई थी।

अन्न की खपत

11. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण बहुत सी मदों या वस्तुओं और सेवाओं की खपत की सूचना अनेक दौरों में एकत्रित करता रहा है। रहन-सहन के स्तर के दृष्टिकोण से विशेष रुचि के अनेक मदों के परिणाम उपलब्ध हैं परन्तु अधिकांश मामलों में सूचना केवल दौरों तक ही सीमित है। फिर भी, अन्न की खपत के आंकड़े जिन्हें हम अधिकांश लोगों के रहन सहन के स्तर के महत्वपूर्ण सूचक मानते हैं वे सभी नौ दौरों में उपलब्ध हैं। उस सामग्री का नीचे के पैराग्राफों में विश्लेषण किया गया है।

प्रतिव्यक्ति अन्न की खपत—सामान्य पर्यवेक्षण

12. पहले से अध्ययनाधीन (सारणी ख-12, 13 और 14 तथा ग्राफ टी-2.1 और टी-2.2 में) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों में भंगुर वर्गों (फ्रैक्टाइल ग्रुप्स) के औसत प्रति व्यक्ति अन्न की खपत के आंकड़े उपलब्ध हैं। ऐसा देखा गया है कि सामान्य जनसंख्या के अन्न की खपत की औसत मात्रा हर दौरे में अलग अलग थी और समय के साथ परिवर्तन का कोई नियमित ढांचा नहीं था। सभी नौ दौरों को साथ मिला का औसत खपत यानी मोटे रूप से 1952-68 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों मे 18.40 सेर था और शहरी क्षेत्रों में काफी कम यानी प्रति व्यक्ति हर 30 दिनों में 13.56 सेर था।

ग्रामीण क्षेत्र में अन्न की प्रति व्यक्ति खपत (सारणी ख. 12)

13. ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के नीचे के दस प्रतिशत की खपत सभी नौ दौरों में औसतन प्रति व्यक्ति 10.51 सेर थी, सर्वोच्च दशमक वर्ग का ऐसा ही औसत 26.03 सेर था। इसके अलावा, अन्न की खपत का स्तर आमतौर पर रहन-सहन के स्तरों के बढ़ने के साथ बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ है। औसतन, निम्नतम दशमक वर्ग की खपत 10.51 सेर से दूसरे दशमक वर्ग (10-20 प्रतिशत) में आगे बढ़कर 13.77 सेर हो गई थी, तीसरे दशमक वर्ग (20-30 प्रतिशत) में 15.28 सेर हो गई, चौथे दशमक वर्ग (30-40 प्रतिशत) में 17.14 सेर हो गई इसी प्रकार क्रमशः बढ़ते हुए सर्वोच्च दशमक वर्ग (90-100 प्रतिशत) में यह प्रशंसनीय उच्चस्तर यानी 26.03 सेर तक पहुंच गई थी (ग्राफ टी-2.1)।

शहरी क्षेत्र में अन्न की प्रतिव्यक्ति खपत (सारणी ख-13)

14. शहरी जनसंख्या में भी बढ़ते हुए रहन सहन के स्तर के साथ खपत में अन्तर को न्यूनाधिक रूप में वैसा ही पाया गया है। नीचे के दशमक वर्ग में अन्न की खपत की औसत मात्रा लगभग वही थी जैसी कि ग्रामीण क्षेत्रों में (10.47 सेर) प्रति 30 दिन की थी यहां पर अन्न की औसत खपत पांचवे दशमक वर्ग (40-50 प्रतिशत) में क्रमशः बढ़कर 13.99 सेर थी इसके बाद नौवें दशमक में बहुत धीमी गति से बढ़कर 14.63 सेर हुई थी नौवें दशमक (80-90 प्रतिशत) में तेजी से बढ़कर 15.95 सेर हो गई थी और जनसंख्या के सर्वोच्च 10 प्रतिशत में तेजी से बढ़कर 15.95 सेर हो गई थी (ग्राफ टी-2.2)। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के खपत के ढांचे में काफी अन्तर था।

समय के अनुसार भंगुर वर्गों (फ्रंकटाइल ग्रुप्स) के प्रतिव्यक्ति अन्न की खपत में अन्तर

15. अब हम अन्न की खपत में अन्तर की जांच, उसी अवधि में मूल्यों के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, करने का प्रस्ताव करते हैं। प्रारम्भ में ही यह देखा जा सकता है कि अन्न के मूल्य 7 वें, 8 वें व 9 वें दौरों में काफी कम थे जो 12,13,15 और 16 वें दौरों में काफी बढ़ गए थे। खपत के स्तर में अन्तर के ठीक ठीक मूल्यांकन में इस बात को सदैव ध्यान में रखना उपयोगी होगा।

ग्रामीण जनसंख्या (सारणी ख-12)

16. ग्रामीण जनसंख्या में कुल मिलाकर यह देखा जा सकता है कि नौवें दौर में प्रति व्यक्ति खपत की मात्रा 19.05 सेर थी और 12 वें दौर में यह मात्रा 17.31 सेर थी जबकि सभी नौ दौरों को मिलाकर सामान्य औसत 18.40 सेर था। (यदि चौथे और पांचवे दौर को शामिल कर लिया जाय तो दिसम्बर 1952 और मार्च 1953 के बीच पांचवे दौर में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति खपत 19.35 सेर देखी जा सकती है जब फसल-कटाई का मौसम था, मंहगाई काफी थी और मूल्यों का गिरना आरम्भ हो गया था।) नौवें दौर (मई-नवम्बर, 1955) में पहुंचे उच्चस्तर से अर्थात् 19.05 सेर प्रति व्यक्ति से 12 वें दौर में (मार्च-अगस्त, 1957) बहुत तेजी से गिरावट आकर 17.31 सेर प्रति व्यक्ति खपत हो गई थी जब मूल्य बहुत ज्यादा ऊंचे थे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि अन्न की खपत सभी दौरों में कम ज्यादा होती रही थी फिर भी यह दौर 7, 8 और 9 में अपेक्षाकृत अधिक रहीं थी और 12 वें दौर में काफी कम हो गई थी इसके बाद के दौरों में ग्रामीण जनसंख्या में कुछ थोड़ी सी बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी थी।

17. यह ग्रामीण जनसंख्या की कुल मिलाकर एक सामान्य तस्वीर है। फिर भी जनता के अत्यन्त गरीब और अत्यन्त अमीर वर्गों में एक भारी अन्तर था। जनसंख्या के नीचे के दस प्रतिशत लोगों में 7 वें, 8 वें और 9 वें दौरों में खपत क्रमशः 11.90 सेर, और 11.11 सेर और 12.19 सेर थी जो पूरी अवधि में 10.51 सेर की सामान्य औसत खपत से काफी अच्छी थी। यह मात्रा 12 वें दौर में (मार्च-अगस्त 1957) 9.03 सेर तक निम्नतम स्थिति में पहुंच गई थी जो बाद में थोड़ी सी बढ़ी फिर भी 1960-61 के सामान्य औसत से कम रही थी।

18. ग्रामीण जनसंख्या के ऊपर के 10 प्रतिशत धनिक वर्ग की स्थिति बिलकुल भिन्न थी। इस की खपत की मात्रा 8 वें दौर में प्रति व्यक्ति 23.15 सेर से बढ़ कर 16 वें दौर में 28.01 सेर तक पहुंच गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि धनिक वर्ग के अनाज की खपत में क्रमशः वृद्धि हुई थी जो बाद के दौरों में (लगभग नौ दौरों में) सामान्य औसत से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस संदर्भ में यह बात ध्यान देने योग्य है कि अनाज के मूल्यों में वृद्धि का उनकी खपत पर कोई असर नहीं पड़ा और इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी स्थिति में निरन्तर प्रगति हुई। यह स्थिति गरीब लोगों की स्थिति से विपरीत थी। क्योंकि गरीबों की खपत का स्तर मूल्य परिवर्तन से प्रभावित होता था। नौवें दौर (मई से नवम्बर 1955) और बारहवें दौर (मार्च से नवम्बर, 1955) में अपनी खपत में 25 प्रतिशत तक कमी करके समंजन करना पड़ा था जब कि धनी लोग 8 दौर से दौर 16 के बीच खपत में सामान्य एवं निरन्तर वृद्धि कर रहे थे।

19. अनाज के मूल्यों में वृद्धि का खपत पर प्रतिकूल प्रभाव रहन-सहन के स्तर में वृद्धि होने पर कम होगा ऐसी आशा की जाती है। यह बात महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण जनसंख्या के केवल चोटी के 10 प्रतिशत लोगों में मूल्य वृद्धि के साथ अनाज की खपत में गिरावट नहीं थी। आठवें व सोलहवें दौर के बीच उनकी खपत में वास्तविक वृद्धि प्रति व्यक्ति हर 30 दिन 4.86 सेर थी जो नीचे के दशमक वर्ग की सामान्य औसत खपत 10.51 सेर के लगभग आधी थी।

20. विचाराधीन अवधि को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया कि नीचे के 10 प्रतिशत लोगों की प्रति व्यक्ति अनाज की खपत कम थी वह ग्रामीण एवं शहरी दोनों जनसंख्या में केवल 10.5 सेर प्रति 30 दिन थी। निर्धनतम वर्ग में भी अनाज की खपत का ऐसा निम्न-स्तर होना करीब करीब निश्चित ही क्रय क्षमता के अभाव के कारण था। इस बात की और भी पुष्टि होती है क्योंकि 1954 और 1955 में जब अनाज के भावों में काफी कमी हो गई थी उस समय अनाज की खपत में वृद्धि हो गई थी। मूल्यों में गिरावट के साथ खपत में देखी गई वृद्धि इस विचार को सुदृढ़ करती है कि समाज का सबसे गरीब वर्ग जीवन-निर्वाह के स्तर से भी कम में गुजर कर रहा था। इन लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था और सर्वेक्षणाधीन अवधि के उत्तरार्ध में उनके खपत का स्तर औसत से कम था। दूसरी तरफ, ग्रामीण जनसंख्या के चोटी के 10 प्रतिशत लोगों की स्थिति, जो पहले ही समृद्ध थे, लगभग 1954-55 से सुधरी थी।

शहरी जनसंख्या (सारणी ख-13)

21. शहरी क्षेत्र की सामान्य जनसंख्या में प्रतिव्यक्ति खपत की मात्रा 7 वें, 8 वें 9 वें और दौर में क्रमशः 14, 24 सेर, 13.93 सेर और 15.06 सेर थी जब कि पूरी अवधि में औसत खपत 13.56 सेर थी। 12 वें दौर में काफी गिरावट 13.98 सेर तक देखी गई इसके बाद की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। कोई दृष्टव्य आम रुझान नहीं था। पुनरीक्षाधीन अवधि में अनाज की प्रति व्यक्ति खपत न्यूनाधिक रूप से एक ही थी यद्यपि मूल्यों की घट-बढ़ तथा अन्य बदलती परिस्थितियों के कारण अनेक महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव आए थे। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि दूसरी योजना अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी परन्तु निरन्तर प्रगति हुई थी परन्तु शहरी क्षेत्र में ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी।

22. जनसंख्या के सबसे गरीब वर्ग की स्थिति बहुत कुछ इसके प्रतिरूप ग्रामीण क्षेत्र जैसी ही थी। 7 वें, 8 वें, और 9 वें दौर में अनाज के मूल्यों में गिरावट का प्रभाव शहरी क्षेत्र में कुछ अधिक देखा गया था। नौवें दौर में (मई-नवम्बर, 1955) जब मूल्य निम्नतम स्तर तक पहुंच गये थे उस समय खपत की मात्रा प्रति व्यक्ति 13.27 सेर बढ़ गई थी जो पूरी अवधि के लिए सम्पूर्ण शहरी जनसंख्या के प्रति व्यक्ति खपत के सामान्य औसत 13.56 सेर के लगभग बराबर था। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि नीचे की 10 प्रतिशत शहरी जनसंख्या यदि वह पैसा खर्च कर सकेगी तो जनसंख्या के कुल औसत के बराबर मात्रा के ही अनाज की खपत करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल्य में वृद्धि के कारण 12 वें दौर में उनकी खपत 9.74 सेर तक गिर गई थी, तब से खपत की मात्रा मोटे रूप में 10.0 और 10.4 सेर के बीच रही थी यानी पूरे समय में पूरे वर्ग के सामान्य औसत लगभग 10.5 सेर से कुछ ही कम थी। इस प्रकार अब यह स्पष्ट हो गया है कि शहरी जनसंख्या का सबसे गरीब वर्ग अनाज के मूल्यों में वृद्धि से प्रभावित हो जाता था और 1953-54 और 1954-55 की दो फसली मौसमों के सिवाय उन्हें अपनी गरीबी के कारण निर्वाह स्तर से कम में गुजर करना पड़ता था।

23. शहरी क्षेत्र के चोटी के दशमक वर्ग ने सभी दौरों के सामान्य औसत 15.95 सेर के मुकाबिले में अनाज की कुछ अधिक मात्रा की खपत की थी यानी 16.81 सेर नौवें दौर में जब मूल्य कम था और 16.92 सेर 12 वें दौर में जब मूल्य बढ़ गए थे। इसके अलावा एक दौरे में दूसरे दौरे में घटना-बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं था। इस प्रकार शहरी क्षेत्र के धनिक लोगों में मूल्य परिवर्तन का अनाज की खपत पर कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया था। ग्रामीण क्षेत्र में भी यही बात थी परन्तु उसमें एक महत्वपूर्ण और विशेष अन्तर था जैसे शहरी क्षेत्र के धनिक वर्ग में अनाज की खपत का स्तर पूरी अवधि में न्यूनाधिक रूप से एक सा रहा था परन्तु धनिक ग्रामीण जनता के अनाज की खपत में मूल्यों में वृद्धि के बावजूद लगभग 1955 से निरन्तर वृद्धि हुई है।

24. शहरी क्षेत्र के बिचले वर्ग में अनाज के खपत के स्तर के बारे में कोई स्पष्ट परिवर्तन का स्वरूप नहीं था। सामान्य तौर पर मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ खपत में गिरावट आई थी यद्यपि यह कमी कुछ अनियमित सी थी। जनसंख्या के 80 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले नीचे के सभी दशमकों में, इस अवधि के प्रारम्भ में जब मूल्य कम थे उस समय के औसत खपत स्तर (अनाज) के मुकाबले में मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप कम खपत हुई थी।

भंगुर वर्गों (फ्रेक्टाइल ग्रुप्स) द्वारा खपत की गई अनाज की मात्रा का प्रतिशत शेयर
ग्रामीण जनसंख्या (सारणी ख-15 और 17 तथा ग्राफ टी. 2-3)

25. पूरी जनसंख्या एवं कुल खपत की मात्रा में प्रत्येक वर्ग द्वारा खपत की गई मात्रा के वैभिन्य के प्रतिशत का अध्ययन करना रोचक होगा। नीचे के दस प्रतिशत वर्ग का शेयर बहुत कम था और इस अवधि में औसतन केवल 5.71 प्रतिशत था। चौथे और पांचवें दौरों में संयुक्त रूप में यह औसत 5.26 प्रतिशत था और 7 वें दौर में यह बढ़ कर 6.58 प्रतिशत तक हो गया था यानी मोटे रूप में फसल काटने के मौसम अक्तूबर 1953 से मार्च 1954 तक जब मूल्य बहुत गिर गए थे। यह अंश आठवें दौर (जुलाई, 1954 से मार्च 1955 तक) में कुछ कम (6.17 प्रतिशत) था जिसमें अधिकांशतः फसल कटाई से पूर्व का मौसम था और 9 वें दौर में (मई से नवम्बर 1955) फसल कटाई का मौसम (6.40 प्रतिशत) पुनः सबसे अधिक था ये अधिकांशतः फसल कटाई से पूर्व के महीने थे परन्तु पुनरीक्षाधीन अवधि में इन दिनों में अनाज के मूल्य सबसे कम थे। बारहवें दौर में फसल कटाई से पूर्व के महीनों में (मार्च से अगस्त 1957) यह शेयर तेजी से कम होकर 5.22 प्रतिशत आ गया था जब मूल्य काफी अधिक हो गए थे और सामान्य औसत से कम रहे थे। दौर 13, 15 और 16 में अनाज के मूल्य निरन्तर अधिक बने रहे थे। 7 वें, 8 वें और 9 वें दौर में, जब अनाज के मूल्य आम तौर पर कम थे, आंकड़ों का औसत 12 वें, 13 वें 15 वें और 16 वें दौर में जब मूल्य अधिक थे के मूल्यों के वैसे ही औसतों से तुलना करने पर, यह देखा गया कि नीचे के दशमक का औसत अंश इस अवधि में 14 प्रतिशत गिर गया था (6.38 प्रतिशत से गिरकर 5.46 प्रतिशत हो गया था)। साथ ही साथ अनाज के व्यय के अंश में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी (4.66 से बढ़कर 4.81 प्रतिशत हुई थी)। वास्तविक मात्रा में गिरावट 16 प्रतिशत हुई थी (11.73 से 9.90 सेर)। इससे गरीबों की खपत (अनाज) की मात्रा में अपेक्षाकृत गिरावट का संकेत मिलता है यद्यपि पिछले दौरों में वे अनाज पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च कर रहे थे।

26. ग्रामीण जनसंख्या के चोटी के 10 प्रतिशत लोगों की स्थिति पूर्णतया अलग थी। खपत की मात्रा का सापेक्षित अंश तुलनात्मक दृष्टि से कम था और 7 वें, 8 वें और 9 वें दौरों में 13.33 प्रतिशत के बराबर या इससे कम था जब अनाज के दाम नीचे थे परन्तु 12 वें दौर (मार्च में अगस्त, 1957) तक का सामान्य औसत अधिक था यद्यपि मूल्य काफी बढ़ गए थे और वे 1960-61 तक ऊंचे ही रहे। पहले के समान बाद के दौरों के औसत दामों को ध्यान में रखते हुए यह देखा जा सकता है कि उच्चतम दशमक वर्ग की पूर्णतया अलग स्थिति रही थी, इस अवधि में उनके प्रति व्यक्ति खपत के स्तर में औसतन 12 प्रतिशत वृद्धि देखी गई थी (24.14 से 27.06 सेर)। उन की मात्रा के अंश में संबंधित वृद्धि लगभग 14 प्रतिशत थी (13.12 से 14.92 प्रतिशत)।

शहरी जनसंख्या (सारणी ख-16 और 18 तथा ग्राफ टी-2.4)

27. शहरी जनसंख्या के नीचे के 10 प्रतिशत का अंश 7 वें, 8 वें और 9 वें दौरों में क्रमशः 8.27 प्रतिशत, 7.17 प्रतिशत और 8.81 प्रतिशत रहा था यानी 1954 एवं 1955 में जब अनाज के दाम कम थे, इसकी तुलना में स्थूलरूप से 1952 में 1961 तक की अवधि में औसतन 7.71 प्रतिशत था। यह अंश 12 वें दौर में एकदम गिरकर 6.97 प्रतिशत आ गया जब कि अनाज के मूल्य काफी ऊंचे बढ़ गए थे परन्तु बाद में इस अवधि की समाप्ति तक शेष तीन 13, 15 और 16 वें दौरों में बढ़कर 7.68 प्रतिशत हो गया यद्यपि इस अवधि में मूल्य ऊंचे उठते ही रहे थे। इस प्रकार शहरी जनसंख्या के नीचे के 10 प्रतिशत की स्थिति न्यूनाधिक रूप में वैसी ही थी जैसी कि ग्रामीण क्षेत्र में उस जैसे वर्ग की थी।

28. सर्वोच्च दशमक वर्ग के अंश की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। यद्यपि नौ दौरों में इसका औसत अंश 11.81 प्रतिशत था यह औसत से कम था यानी 7 वें, 8 वें और 9 वें दौरों में क्रमशः 10.30 प्रतिशत, 11.30 प्रतिशत और 11.16 प्रतिशत था। यह अंश 12 वें दौर में 12.11 प्रतिशत तक बढ़ गया था जब दाम बढ़ गये थे परन्तु इसके बाद शेष तीन दौरों में यह अंश आमतौर पर औसत से कम ही रहा था इस प्रकार यह जाहिर होता है कि धनिकों के खपत स्तर पर मूल्य का प्रभाव बिल्कुल नहीं हुआ था। यह पहले ही देखा गया है कि यह स्थिति ग्रामीण जनसंख्या के धनिक वर्ग के साथ भी थी।

उपभोक्ता के अनाज की खपत (सीरियल बास्केट) का स्वरूप

29. अब यह जांच करने का प्रस्ताव है कि क्या प्रारम्भ में वर्णित खपत के स्तर की विभिन्नता गरीब उपभोक्ता के अनाज की खपत के स्वरूप में परिवर्तन से सम्बद्ध थी। इससे सम्बद्ध आंकड़े यानी चावल, गेहूं और मोटे अनाज के आंकड़ों का ब्यौरा केवल कुछ थोड़े से दौरों-ग्रामीण जनसंख्या के लिए 8, 9, 13 और 15 वें दौर के तथा शहरी जनसंख्या के लिए 8 वें व 15 वें दौर का प्राप्त हो सका था[1]।

चूंकि ये आंकड़े अखिल भारतीय स्तर के हैं अतः क्षेत्रीय विभिन्नता के प्रभाव से खपत के स्वरूप में आंका जा सकना सम्भव नहीं था। यहां प्रस्तुत किया गया चित्र मुख्यरूप से अखिल भारतीय उपभोक्ता अनाज की खपत का है जिसका किसी खास क्षेत्र या देश के किसी भाग की खपत के स्वरूप जैसा होना आवश्यक नहीं है।

अखिल-भारतीय—ग्रामीण

ग्रामीण जनसंख्या (सारणी ख-19, 20 और 21)

30. 8 वें, 9 वें, 13 वें और 15 वें दौरों की अवधि में यानी स्थूलरूप से 1955 से 1961 के बीच यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य जनसंख्या में चावल और मोटे अनाज का अंश अनाज की टोकरी के 40 और 50 प्रतिशत के बीच था, गेहूं का अंश कम था, यह लगभग सभी दौरों में 15 प्रतिशत के करीब था, सिवाय 8 वें दौर के जिसमें यह और भी कम था। मोटे अनाज का अंश जो शुरू के दौरों में 43 प्रतिशत के करीब रहा था वह 15 वें दौर में घटकर मीमान्त पर 41 प्रतिशत आ गया यानी लगभग 1960 तक. (देखिये सारणी ख-20) जब उनका मूल्य सूचकांक सर्वाधिक था (देखिये सारणी ख-21) कुल जनसंख्या में, उपभोक्ता के अनाज की खपत में मोटे अनाज का अंश सबसे गरीब 10 प्रतिशत में सर्वाधिक था और रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठने के साथ साथ यह तेजी से घटता गया। इस कमी के साथ अच्छे अनाज के अंश में वृद्धि हुई थी। यह प्रवृत्ति सभी दौरों में रही।

31. आठवें दौर में नीचे के दशमक वर्ग में चावल का अंश 25 प्रतिशत, गेहूं लगभग 2 प्रतिशत और अनाज का अंश 70 प्रतिशत से कुछ ज्यादा था। नौवें दौर में यह ढांचा नहीं बदला यद्यपि चावल के अंश में कुछ कमी आई थी जो गेहूं के अंश में वृद्धि होने से बहुत कुछ संतुलित हो गई थी। परन्तु 13 वें दौर से आगे सबसे गरीब वर्ग के खपत के ढांचे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया है इसमें अच्छे अनाज (चावल तथा गेहूं) की मात्रा में अच्छी वृद्धि हुई और साथ ही साथ मोटे अनाज की मात्रा में गिरावट आई। 15 वें दौर में, यानी 1960 तक, अच्छे अनाज के पक्ष में यह परिवर्तन और भी स्पष्ट हो गया, मोटे अनाज का अंश 70 प्रतिशत से गिरकर 55 प्रतिशत हो गया, जो 8 वें और 9 वें दौर जैसा था।

---

[1] उपभोक्ता के अनाज की खपत के स्वरूप से संबंधित अनुमान 8 वें, 9 वें और 13 वें दौर के कुछ विभिन्न नमूनों पर आधारित हैं। अंतर वर्ग तथा सामान्य अनुच्छेद में उपयोग हुआ है वे हैं अब तक प्राप्त हुई जोड़ों से कुछ थोड़े से अलग होंगे। यह अन्तर नगण्य मात्रा है तथा शुरू में निकाले गए निष्कर्षों को प्रभावित नहीं करता।

32. इन परिवर्तनों पर खपत के शुद्ध स्तरों (देखिये सारणी ख-19 और ग्राफ टी 3.1) की पृष्ठ भूमि में भी विचार किया जा सकता है। सबसे गरीब 10 प्रतिशत का कुल खपत का स्तर 8 वें एवं 9 वें दौर में 10.38 और 12.07 सेर था जब अनाज के सामान्य दाम सबसे कम थे। बाद के दौरों में मूल्य वृद्धि के साथ खपत के स्तर में गिरावट आई 13 वें दौर में खपत 9.83 सेर थी। बाद के दौरों में मामूली सी वृद्धि हुई परन्तु स्तर सामान्य औसत (नौ दौरों में) से कम ही बना रहा। 8 वें, 9 वें, 13 वें और 15 वें इन चार दौरों में खपत हुए तीन किस्म के अनाज की मात्रा में इस परिवर्तन का प्रभाव नीचे दिये गए संक्षिप्त विवरण में देखा जा सकता है :

विवरण (1) : अखिल भारतीय ग्रामीण (संयुक्त अनुमान) अनाज के खपत की पद्धति : नीचे की इस प्रतिशत जनसंख्या

खपत की मात्रा (सेर)

क्रम संख्या	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर	अनाज				
		चावल	गेहूं	चावल+गेहूं	मोटा अनाज	कुल
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	8	2.60	0.21	2.81	7.57	10.38
2	9	2.81	0.46	3.27	8.80	12.07
3	8 और 9 का औसत . . .	2.70	0.34	3.04	8.18	11.22
4	13	3.23	0.41	3.64	6.19	9.83
5	15	4.18	0.51	4.69	5.69	10.38
6	13 एवं 15 का औसत . . .	3.70	0.46	4.16	5.94	10.10

विवरण (2) : अखिल भारतीय ग्रामीण (संयुक्त अनुमान) नीचे की इस प्रतिशत जनसंख्या द्वारा खपत किये गए अनाज का मूल्य

वास्तविक मूल्य रुपयों में और 8 वें दौर सहित सूची संख्या = 100

क्रम संख्या	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर	चावल		गेहूं		मोटा अनाज		सभी अनाज	
		वास्तविक	सूची	वास्तविक	सूची	वास्तविक	सूची	वास्तविक	सूची
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	8	0.33	100	0.37	100	0.17	100	0.22	100
2	9	0.33	100	0.29	78	0.17	100	0.21	95
3	13	0.44	133	0.50	108	0.28	165	0.34	115
4	15	0.49	148	0.43	116	0.34	200	0.40	182

33. 8 वें तथा 9 वें दौर में इस वर्ग के लिए चावल या मोटे अनाज के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था अपितु गेहूं के मूल्य में गिरावट प्रशंसनीय थी–20 प्रतिशत से कुछ अधिक। जहां तक खपत के स्तर का प्रश्न है, खपत हुए चावल की मात्रा कुछ थोड़ी सी लगभग 0.2 सेर बढ़ गई थी, मोटे अनाज की मात्रा में 1 सेर से कुछ अधिक वृद्धि देखी गई (7.6 से 8.8 सेर) और गेहूं की मात्रा दुगुनी से अधिक हो गई थी। 13 वें दौर में मोटे अनाज के भाव बहुत ऊँचे बढ़ गए थे लगभग 65 प्रतिशत (यानी 8 वें तथा 9 वें दौर में 17 पैसे से 13 वें दौर में 28 पैसे हो गया था)। इसके साथ साथ खपत के स्तर में 6.2 सेर तक गिरावट आई यानी 8 वें एवं 9 वें दौर के औसत स्तर से लगभग 2 सेर कम था। यह कमी चावल और गेहूं की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि से पूरी नहीं हुई थी इस अवधि में इनके मूल्य में भी वृद्धि देखी गई यद्यपि वह इतनी नहीं थी जितनी मोटे अनाज में हुई थी। 15 वें दौर में सभी अनाज के मूल्यों में और भी वृद्धि हुई परन्तु मोटे अनाज के मूल्य अपेक्षाकृत अधिक बढ़े तथा इनकी खपत 5.7 सेर तक घट गई थी यानी 8 वें एवं 9 वें दौर के औसत स्तर से लगभग 2.5 से कम हो गई थी। साथ ही साथ चावल के खपत स्तर में अच्छी वृद्धि हुई (जब कि गेहूं की मात्रा में केवल सीमान्त वृद्धि हुई) यद्यपि यह वृद्धि मोटे अनाज की खपत में गिरावट को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जो 8 वें एवं 9 वें दौर के औसत खपत स्तर के कम थी यद्यपि 15 वें दौर में कुल खपत 8 वें दौर के स्तर से ज्यादा पहुंच गई थी।

34. यह सम्भावना है कि जब मोटे अनाज के दामों में अच्छे अनाज के मूल्यों की तुलना में बहुत तेजी से वृद्धि हुई और इन दोनों मूल्यों में अंतर बहुत कम रह गया तो इस स्थिति में ग्रामीण जनसंख्या के सबसे गरीब वर्ग ने भी मोटे अनाज की खपत को घटाकर अच्छे अनाज की मात्रा में कुछ वृद्धि करना पसंद किया। वैकल्पिक स्थिति यह हो सकती थी कि मोटे अनाज की उपलब्धता में गिरावट आने से जनसंख्या का गरीब वर्ग अच्छे अनाज की ओर बढ़ना क्योंकि इसका मिलना अपेक्षाकृत आसान था। परन्तु अनाज के इन दो वर्गों के मूल्य में अंतर अब भी बहुत ज्यादा था इसलिए लोग मोटे अनाज के स्थान पर अच्छे अनाज का इस्तेमाल, अपनी कुल खपत को प्रभावित किये बिना, ज्यादा नहीं कर सके जो वास्तव में 13 वें एवं 15 वें दौर में नौ दौरों के सामान्य औसत से कम रही थी। यद्यपि अनाज की खपत के स्वरूप में परिवर्तन कुल खपत की मात्रा में कुछ गिरावट को नहीं रोक पाया था (यह भी कुल उपलब्धि का कार्य है जो कम ज्यादा होता देखा गया है) फिर भी अच्छे अनाज का उपयोग करने से अनाज के व्यय में वृद्धि हुई जो मूल्यों में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ रहे थे।

35. जैसी आशा थी अनाज की खपत के स्वरूप के प्रतिशत में रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठने के साथ साथ उच्च भंगुर वर्ग में अच्छे अनाज का अंश दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। यह बात सभी दौरों में सही थी (देखिये ग्राफ टी 3.2) अच्छे अनाज की तरफ झुकने वालों में नीचे से दो तीन भंगुर वर्गों को लिया जा सकता है। चोटी के भंगुर वर्गों में, अनेक दौरों में खपत के स्वरूप में परिवर्तन आमतौर पर विपरीत दिशा में पाया गया था। 90-100 वर्ग (ग्रुप) से सभी अनाजों की कुल खपत 9 दौरों के औसत स्तर से ऊपर रही थी यद्यपि 13 वें एवं 15 वें दौर में अनाज का सामान्य मूल्य स्तर बहुत अधिक था। इस वर्ग द्वारा खपत किये गए चावल की लागत भी 13 वें एवं 15 वें दौर की लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच गई थी परन्तु गेहूं का मूल्य ऊपर-नीचे होता रहा था और अधिकांशतः 8 वें दौर के स्तर से नीचा ही रहा था सिर्फ 15 वें दौर में उससे आगे बढ़ा था। इस वर्ग द्वारा खपत किये गए चावल और गेहूं की मिश्रित मात्रा न्यूनाधिक रूप से स्थायी सी रही जो 8 वें एवं 9 वें दौर के औसत स्तर पर थी यानी 18 सेर से अधिक थी (देखिये विवरण 3 एवं 4) परन्तु इस वर्ग द्वारा चावल की खपत में गिरावट देखी गई जो गेहूं की खपत में वृद्धि द्वारा पूरी हुई। चावल और गेहूं की मात्रा में यह समंजन चावल और गेहूं के मूल्यों के अवकल उतार-चढ़ाव से सम्बद्ध था।

36. उच्चतम भंगुर वर्ग (फैक्टाइल ग्रुप) द्वारा खपत किये गए मोटे अनाज का मूल्य 13 वें दर में बहुत अधिक बढ़ गया प्रतीत होता है और 15 वें दौर में यह और भी बढ़ गया था। इस वर्ग का खपत स्तर बाद के दो दौरों में 8.12 सेर और 8.40 सेर तक पहुंच गया था यानी पिछले 8 वें एवं 9 वें दौर के औसत से 2.5 सेर के लगभग अधिक था। वास्तव में सभी भंगुर वर्गों के लिए 8 वें तथा 9 वें दौरों की तुलना में बाद के दौर का मूल्य अधिक था। यद्यपि इसका गरीब वर्ग के खपत स्तर पर सम्भवतया बुरा प्रभाव हो सकता था परन्तु इससे धनिक वर्ग द्वारा खपत की गई मात्रा (मोटे अनाज) पर अहितकर प्रभाव नहीं पड़ा, बाद के दौर में (देखिए ग्राफ टी 3.3) कीमतें बढ़ने के बावजूद उनके अपक्रय की मात्रा वास्तव में बढ़ी थी। यही चित्र ग्राफ टी 3.3 से ग्रहण किया जा सकता है जिसमें एक तरफ 8 वें एवं 9 वें दौर में तथा दूसरी तरफ 13 वें एवं 15 वें दौर में भंगुर वर्ग (फैक्टाइल ग्रुप) के अनाज की खपत में चावल तथा गेहूं के अंश का औसत प्रतिशत दिखाया गया है।

विवरण (3) : अखिल भारतीय—ग्रामीण (संयुक्त अनुमान) अनाज के खपत की पद्धति

(सबसे ऊपर की दस प्रतिशत जनसंख्या)

खपत की मात्रा (सेर)

क्रम संख्या	अनाज	चावल	गेहूं	चावल + गेहूं	मोटा अनाज	कुल
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर					
1	8 . . .	14.42	3.96	18.38	4.77	23.15
2	9 . . .	12.86	5.86	18.72	6.68	25.40
3	8 और 9 का औसत . . .	13.64	4.91	18.55	5.73	24.28
4	13 . . .	12.04	7.69	19.73	8.12	27.85
5	15 . . .	11.41	7.06	18.47	8.40	26.87
6	13 और 15 का औसत . . .	11.72	7.38	19.10	8.26	27.36

विवरण (4) : अखिल भारतीय ग्रामीण (संयुक्त अनुमान) : सबसे ऊपर की दस प्रतिशत जनसंख्या द्वारा खपत किये गए अनाज का मूल्य

वास्तविक मूल्य रुपयों में और 8 वें दौर सहित सूची संख्या –100

क्रम संख्या	अनाज	चावल		गेहूं		मोटा अनाज		सभी अनाज	
		वास्तविक	सूची	वास्तविक	सूची	वास्तविक	सूची	वास्तविक	सूची
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर								
1	8 . .	0.41	100	0.43	100	0.26	100	0.38	100
2	9 . .	0.42	102	0.33	77	0.20	77	0.34	89
3	13 . .	0.56	137	0.39	91	0.31	119	0.44	116
4	15 . .	0.58	141	0.45	105	0.37	142	0.48	126

8 वें एवं 9 वें दौर का औसत अधिकांशत: 13 वें एवं 15 वें दौर से कम है इससे पता चलता है कि खपत के स्वरूप में अच्छे अनाज का स्थान रहा है या दूसरे शब्दों में केवल ऊपर के एक दो भंगुर वर्गों के अलावा लगभग सभी भंगुर वर्गों की अनाज की खपत के स्वरूप में मोटे अनाज के अनुपात में गिरावट रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिरे के दशमक वर्ग द्वारा कुल अनाज के खपत स्तर में हुई वृद्धि, बाद के दौरों को अपेक्षा—जो शुरू में देखी गई थी, को उनकी खपत के सभी किस्म के अनाज की मात्रा में सर्वांगीण वृद्धि नहीं समझा जाय अपितु उसे केवल मोटे अनाज की मात्रा में वृद्धि समझा जाय।

37. धनिकों की सम्पूर्ण अनाज की खपत के आकार में वृद्धि को उनकी स्थिति और भी अच्छी होने का सूचक समझा गया है परन्तु, समय के साथ उनकी अनाज की खपत में मोटे अनाज की मात्रा में अच्छी प्रगति को स्पष्ट किया जा सके ऐसी सूचना हमारे पास नहीं थी।

अखिल-भारतीय—शहरी क्षेत्र

शहरी जनसंख्या (सारणी ख-22, 23 और 24)

38. शहरी उपभोक्ता के अनाज की खपत के स्वरूप तथा समय के अनुसार उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए केवल 8 वें एवं 9 वें दौर के आंकड़े[1] उपलब्ध थे। जैसी आशा की जाती थी सामान्य शहरी जनसंख्या की अनाज की खपत में ग्रामीण क्षेत्र (सारणी ख-23 और ग्राफ टी 3.5) की तुलना में चावल तथा गेहूं का अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक था। अत: मोटे अनाज का अंशदान ग्रामीण उपभोक्ता खपत की तुलना में बहुत कम था। स्थिति बहुत कुछ दोनों दौर में एक जैसी ही थी। जनसंख्या में सबसे गरीब 10 प्रतिशत लोगों की अनाज की खपत में मोटे अनाज का अंश सर्वाधिक था। सामान्यरूप से रहन सहन के स्तर में वृद्धि के साथ साथ यह अंश तेजी से कम होता गया। यही स्थिति दोनों दौरों में थी। भंगुर वर्ग (फ्रैक्टाइल ग्रुप) का परिवर्तन का ढांचा अनिवार्यरूप से ग्रामीण जनसंख्या जैसा ही था।

39. 8 वें दौर में सबसे नीचे के दशमक वर्ग के अनाज की खपत में चावल और गेहूं का अंश क्रमश: लगभग 36 और 13 प्रतिशत था, ऊंचे भंगुर वर्गों (फ्रैक्टाइल ग्रुप्स) में यह अंश समान्य तौर से बढ़ता गया। मोटे अनाज का अनुपात जो 8 वें दौर में लगभग 50 प्रतिशत था वह 15 वें दौर में गिरकर 37 प्रतिशत आ गया था परन्तु शेष भंगुर वर्गों में अनुपात की यह घट-बढ़ बहुत कम देखी गई और इससे किसी स्पष्ट रुख का संकेत नहीं मिलता।

40. स्पष्ट शब्दों में, सबसे नीचे के दशमक वर्ग की कुल खपत का स्तर जो 8 वें दौर में 10.48 सेर था उसमें 9 वें दौर में बढ़कर 13.27 सेर हो गया, जब कीमतें सबसे कम थी और 12 वें दौर में वह गिरकर 9.74 सेर हो गया जब कीमतें बढ़ गई थी इसके बाद कीमतें लगभग एक सी रहीं। 8 वें दौर की तुलना में 15 वें दौर में खपत से अच्छे अनाज की मात्रा में गिरावट देखी गई ऐसा लगभग सभी भंगुर वर्गों में हुआ केवल सबसे नीचे के वर्ग में प्रशंसनीय वृद्धि हुई, वह 5.14 सेर से बढ़कर 6.24 सेर हो गई, देखिये सारणी ख-22 और ग्राफ टी 3.4। सर्वोच्च दशमक वर्ग में भी कुछ वृद्धि हुई परन्तु वह केवल सीमान्त थी, 14.18 से 14.54 सेर हो गई

[1] उपभोक्ता के अनाज की खपत के स्वरूप के अनुमान कुछ अधिक नमूनों-8 वें दौर पर आधारित था। इसलिए, टिप्पणी 2 में जो कहा गया है वह सम्बद्ध शहरी जनसंख्या के अनुमानों पर भी लागू होता है।

थी। सबसे गरीब वर्ग में अच्छे अनाज की खपत के स्तर में वृद्धि गेहूं की भारी आवक से आंकी जा सकती है जो इस अवधि में मोटे अनाज या चावल जितनी मात्रा में नहीं थी, देखिये विवरण 5.1। वास्तव में सामान्य जनसंख्या में भी चावल के खपत स्तर में कमी आई थी साथ ही गेहूं की मात्रा में वृद्धि हुई जो सभी भंगुर वर्गों में अलग अलग मात्रा में थी। इस वैभिन्य का शुद्ध प्रभाव लगभग सभी भंगुर वर्गों (फ्रैक्टाइल ग्रुप्स) पर बुरा रहा। खपत में अच्छे अनाज की मात्रा कर जहां तक सम्बन्ध है केवल सबसे नीचे का वर्ग ही इसका अपवाद था।

विवरण (5) : अखिल भारतीय शहरी (संयुक्त अनुमान) जनसंख्या के सबसे ऊपर और नीचे के 10 प्रतिशत लोगों द्वारा खपत किये गए अनाज का मूल्य

वास्तविक मूल्य रुपयों में और 8 वें दौर सहित सूची संख्या-100

क्रम संख्या	अनाज	चावल		गेहूं		मोटा अनाज		सभी अनाज	
		वास्तविक	सूची	वास्तविक	सूची	वास्तविक	सूची	वास्तविक	सूची
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर					नीचे के दस प्रतिशत			
1	8 . .	0.39	100	0.36	100	0.23	100	0.30	100
2	15 . .	0.55	141	0.42	117	0.37	161	0.44	147
	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर					सबसे ऊपर के दस प्रतिशत			
3	8 . .	0.50	100	0.45	100	0.29	100	0.46	100
4	15 . .	0.67	134	0.49	109	0.62	214	0.58	126

41. मोटे अनाज की खपत के बारे में केवल दो दौरों के आंकड़ों के आधार पर सुनिश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन था। नीचे की एक या दो दशमकों की खपत के वास्तविक स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई। शेष भंगुर (फ्रैक्टाइल ग्रुप) में परिवर्तन कुछ अनिश्चित था। फिर भी यह सच हो सकता है कि शहरी जनसंख्या का सबसे गरीब वर्ग अपने ही वर्ग के ग्रामीण लोगों की तरह बड़ी मात्रा में अपने मोटे अनाज की खपत की मात्रा में कटौती करता और गेहूं का प्रयोग ज्यादा करता जिस समय मोटे अनाज की कीमतों में वृद्धि अपेक्षाकृत काफी ज्यादा थी। इससे उनके कुल खपत में के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई थी।

सामान्य पर्यवेक्षण : औसत अनाज की खपत

42. जैसा कि शुरू में पैरा 28 में कहा गया है औसत अनाज की खपत के स्वरूप की सीमाओं की, जो हमारे विश्लेषण की आधार है, हम उपेक्षा नहीं कर सकते। संभवतया कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां खाद्यान्न की उपलब्धता की स्थिति बहुत लचीली नहीं है जहां तक जनसंख्या के गरीब वर्गों का सम्बन्ध है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों में ऐसे बहुत से जिले हैं जहां के खाद्यान्न उत्पादन में मोटे अनाज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए खाद्यान्न के मामले में विकल्प रखना वस्तुतः संभव नहीं था। उन्हें जो भी उपलब्ध होता उसी पर निर्भर करना पड़ता था, प्रायः मूल्य का भी कोई प्रश्न नहीं था जिस मूल्य में मिलता उन्हें खरीदना पड़ता था। इसलिए गरीबों की औसत अनाज के खपत के स्वरूप में अच्छे अनाज के पक्ष में किसी परिवर्तन को सपूर्ण देश की ग्रामीण जनसंख्या द्वारा परिवर्तन का सूचक मानना आवश्यक नहीं है। वास्तव में, गरीबों को कुछ क्षेत्रों में जहां मोटे अनाज के अलावा कुछ और सहज उपलब्ध नहीं था वहां एक अनाज को छोड़कर दूसरे को अपनाने का प्रश्न नहीं था और यह यह सम्भव है कि उनको खपत का ढांचा न्यूनाधिक रूप से स्थायी ही रहा हो, परन्तु ऐसा अखिल भारतीय औसत में देखा जाना संभव नहीं था, देश के कुछ हिस्सों में अच्छा अनाज मिलने के कारण बदलने के अवसर सीमित थे, देश के अन्य भागों में अच्छे के स्थान पर मोटे अनाज का उपयोग दिखाये गए औसतों की अपेक्षा अधिक होता था।

वास्तव में, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा दिये गए राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति खपत के अनुमार के आधार पर देश की क्षेत्रीय विषमताओं को ध्यान में रखते हुए खपत के ढांचे में परिवर्तनों का अध्ययन करना आसान नहीं है। अखिल भारतीय औसत अनाज की खपत पर विचार करते समय इस सीमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो जाहिराना तौर पर खपत के ढांचे में क्षेत्रीय वैभिन्य को प्रभावित नहीं करती। चावल और गेहूं को मिला देने से जो अलग अलग या संयुक्त रूप से, लगभग सारे देश में, अच्छे अनाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और मोटे तौर पर खपत को दो भागों में बांटने पर यानी अच्छे अनाज और मोटे अनाज के रूप में वर्गीकरण करने से बहुत कुछ इस कठिनाई को जीता जा सकता है, अखिल भारतीय औसत की अनेक कठिनाइयों को बड़े पैमाने पर दूर किया जा सकता है ताकि कुल परिवर्तन का यह काफी विश्वसनीय मापदण्ड हो सके।

परिशिष्ट 1

धनिकों के रहन-सहन का स्तर

हमने जन संख्या के गरीब वर्ग के लोगों के रहन-सहन के स्तर के प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है। धनिकों के रहन-सहन के स्तर के लिए कुछ आवश्यक माल की खपत के आंकड़े इसके ठीक ठीक सूचक नहीं हो सकते हैं। यह बात अधिक धनी लोगों पर ज्यादा प्रमाणिकता से लागू होती है जो आम तौर पर नमूना सर्वेक्षण में शामिल नही होंगे। इस सम्बन्ध में समिति ने मात्र धनिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली या खरीदी जाने वाली मंहगी विलास की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कहा तक हुई है इस बात की जांच की आवश्यकता समझी। परन्तु इस विषय की कोई सांख्यकीय सूचना प्राप्त करना सम्भव नहीं था। फिर भी, हम अपने ही पर्यवेक्षणों से यह अनुभव करते हैं कि मंहगी चीनी के एवं कांच के बर्तन, घरेलू सजावट के सामान, स्नान, लेपन के सामान तथा अनेक प्रकार के अन्य उपभोक्ता सामान जिन्हे केवल बहुत धनिक लोग ही खरीद सकते थे इनकी आपूर्ति में काफी वृद्धि हुई। विशेषरूप से बड़े शहरों में विलासितापूर्ण फ्लैटों और मकानों के निर्माण तथा अनेक खर्चीले रेस्तरां और मनोरंजन स्थलों के निर्माण में भी काफी वृद्धि हुई। यद्यपि इस विलास सामग्री और सेवाओं का कुल मूल्य बहुत ज्यादा नहीं होगा परन्तु इसकी आपूर्ति में अगली वृद्धि अवश्य ही रहन-सहन की असमानता में वृद्धि करेगी। हम यह जरूरी समझते हैं कि महंगी विलासता की वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि पर नजर रखी जाय और इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करने के लिए समुचित तरीके ईजाद किये जांय।

परिशिष्ट 2

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मूल्य सम्बन्धी आंकड़े और सरकारी थोक बिक्री की सूची

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की अनुसूची में अभिलेख किया गया अनाज की खपत पर व्यय में मुद्रा से की गई खरीद, घर में उगाया गया भण्डार, भेट और अनुदान आदि विभिन्न स्रोतों से खपत के मूल्य की कुल राशि शामिल है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के खपत के आंकड़े परिवार के गैर-उत्पादक घरेलू खपत तक ही सीमित हैं इसमें घरेलू जानवर शामिल हैं जब कि उत्पादन में काम आने वाले घरेलू पशु या जानवरों तथा घरेल पालतू पशुओं को खपत को शामिल नही किया गया। इस प्रकार रिकार्ड की गई कुल घरेलू खपत में ये शामिल हैं (1) मुद्रा से की गई खरीद (2) सामान एवं सेवा के विनिमय से प्राप्त वस्तुएं (3) घर में पैदा की गई वस्तुओं का भंडार (4) ऋण या निःमुल्क संग्रह से भेट, दान, लवाजमात तथा अन्य भेंट जैसे हस्तांतरणीय प्राप्तियां। (2), (3) तथा (4) में से खपत की गयी मात्रा का मूल्यांकन संदर्भित अवधि के आठवें दौर तक स्थानीय प्रचलित औसत परचून मूल्य पर किया गया था। 9वें दौर से आगे तीसरे मद में खपत की गई मात्रा खेत के मूल्य पर आरोपित की गई है। विभिन्न स्रोतों से खपत हुए अनाज का ऐसा अवकल मूल्यांकन व्यक्तिगत परिवारों के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों में तुलना नहीं किये जाने की बात पैदा कर सकता है परन्तु यह कोई गम्भीर बात होने की आशा है।

रिपोर्ट में उपयोग किये गए अनाज के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मूल्य के आंकड़े उस मद के उपभोक्ता व्यय में खपत की मात्रा से भाग देकर निकाले गए हैं। नीचे के विवरण में तुलना के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की मूल्य सूचियां और सरकारी थोक मूल्य सूची साथ साथ दी गई हैं। यद्यपि 8 वें दौर को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के लिए आधार अवधि के रूप में चुना गया है, बाद में आधार को उसी अवधि के रूप में परिवर्तित कर लिया गया है और उस अवधि के सरकारी मासिक सूचियों का औसत लिया गया है जिसे 100 माना गया है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के विभिन्न दौरों में अनाज के अनुमानित मूल्य की सूची संख्या तथा उसी काल में सरकारी थोक मूल्य सूची

आधार 8वां दौर = 100

क्रम संख्या	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर	सरकारी थोक मूल्य सूची	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अनुमानित मूल्य सूची	
			शहरी	ग्रामीण
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	7 वां दौर	119.9	116	123
2	8 वां दौर	100.0	100	100
3	9 वां दौर	94.7	92	97
4	12 वां दौर	133.1	126	135
5	13 वां दौर	127.5	124	132
6	15 वां दौर	136.4	134	142
7	16 वां दौर	133.3	137	145

ऊपर के आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी सूची और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की मूल्य सूचियों के आंकड़ों का रुख लगभग एक सा रहा है।

अध्याय 4

अनाज की खपत

अध्यक्ष की टिप्पणी

भूमिका

इस रिपोर्ट के अध्याय-3 में जो सामान्य विश्लेषण दिया गया है, वह कुल अनाज की प्रतिव्यक्ति खपत के ढांचे के बारे में, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा कई दौरों में संग्रहीत सूचना पर आधारित है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के इन दौरों में से कुछ अमीर और गरीब परिवारों के मध्य इस प्रकार की खपत की विषमताओं के बारे में भी सूचना एकत्रित की गई। इस प्रकार, कुल अन्नों के बारे में किए गये इस विश्लेषण से प्रतीत हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में अमीर परिवारों में प्रतिव्यक्ति अनाज की खपत में काफी वृद्धि हुई, जबकि सम्भवतः गरीब परिवारों की खपत में कुछ कमी आई। शहरी क्षेत्रों में अमीर परिवारों के हक में कुछ सीमा तक विशिष्ट परिवर्तन हुए हैं।

1.1. चावल और गेहूं को एक साथ लेकर (जिन्हें उत्तम अनाज कहा गया है इनके प्रति व्यक्ति खपत के बारे में जो परिवर्तन हुए उन पर भी कई दौरों पर विचार किया गया। विश्लेषण से विदित हुआ कि सबसे निर्धन परिवारों में कुल खाद्यान्नों के उपभोग में कमी आई। परन्तु पहले की अपेक्षा उत्तम अन्नों की खपत अधिक हो गई।

1.2. इस बात के प्रमाण हैं कि विचाराधीन दशक के दौरान प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ साथ अच्छे किस्म के अनाजों को (और सामान को भी) दी जाने वाली तरजीह में वृद्धि हुई, यदि वे आकर्षक मूल्यों पर उपलब्ध हों। सम्भरण स्थिति की भी जांच करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम स्थिति यह है कि चावल और गेहूं (न कि मोटे अन्न) दशक के अधिकांश समय के अन्तर्गत सरकारी वसूली और व्यावहारिक राशनिंग के अन्तर्गत थे। दूसरे, देश के अन्दर चावल के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई और पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमेरिका से काफी ज्यादा मात्रा में गेहूं का आयात किया गया और यह सब राशनिंग के कार्यों के लिए काफी ज्यादा मात्रा में सरकारी भण्डारों से जारी किया गया। बहरहाल, मोटे अनाजों के उत्पादन में न कोई वृद्धि हुई और न ही सरकारी भण्डार से वस्तुतः व्यावहारिक राशनिंग के लिए कोई वसूली की गई।

1.3. इस प्रकार मोटे अनाजों का संभरण तथा मांग वास्तव में मूल्य नियंत्रण व व्यवहारिक राशनिंग से वस्तुतः अलग रहे जबकि चावल और गेहूं अधिकांश समय नियंत्रण में रहे। तीसरे, चावल और गेहूं, सामान्यतया विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के स्थायी खाद्यान्न हैं। अतएव संक्षेप में ऊपर बताये गये कारणों को ध्यान में रखते हुए चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का पृथक पृथक विस्तृत विश्लेषण किया गया।

1.4. **उत्पादन और मूल्यों में सामान्य परिवर्तन.**—[1] और [2] यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा 8 वां दौर जुलाई-1954—मार्च 1955 और 9 वां दौर पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष मई-नवम्बर, 1955 में पूरा किया गया। 1951-52 और 1953-54 के दो वर्षों के दौरान, अनाज के उत्पादन स्तर में 35.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और फिर उच्चतर स्तर पर स्थिर हो गये। जुलाई 1954 और नवम्बर 1955 के मध्य या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आठवें तथा नवें दौर के अन्तर्गत समाहित अवधि के दौरान अनाज के उत्पादन में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन दशक के दौरान सामान्यतया मूल्य और खास तौर पर अनाज के मूल्य निम्नतम स्तर पर आ गये। परन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भिक वर्षों के दौरान मूल्य फिर बढ़ने लगे और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तेहरवें (सितम्बर 1957 मई 1958) दौर के दौरान जब कि अनाज के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी आई, मूल्य बहुत ही ऊंचे थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यानी 15 वें दौर (जुलाई 1959 से जून 1960) और 16 वें दौर (जुलाई 1960 से जून 1961) में अनाज की कीमतों में और भी वृद्धि हुई थी यद्यपि अनाज का उत्पादन 1958–59 में फिर से स्थिर स्तर तक आ चुका था जो 1953-54 के अधिकतम उत्पादन से 8-10 प्रतिशत अधिक था। अनाज की कीमतों में वृद्धि इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि से मांग में वृद्धि होने के कारण तथा देश में प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के कारण हुई थी (विवरण 2)।

[1] राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों में प्रत्येक भगुर वर्ग और आम जनसंख्या की कीमतों का अनुमान अनाज के व्यय में (यानी अनाज के फुटकर मूल्य में) खपत की गई मात्रा का भाग देकर निकाले गये थे। कीमतों के ये अनुमान उपभोक्ताओं के अनाज की खपत में विभिन्न अनाजों के फुटकर कीमतों के भारित औसतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। औसतों को इस्तेमाल करने की वैधता का प्रश्न कभी कभी उठाया जाता है। यह एक ज्वलंत समस्या है, मुख्य रूप से संकल्पनाओं के स्तर पर पूर्ण सादृश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि सभी वस्तुएं भी एक जैसी हों। किसी एक नमूने में या किसी एक जनसंख्या में विभिन्नता होने का अर्थ है कि विषमता होगी ही। सांख्यिकी में सदैव वर्ग या नमूने या जनसंख्या ली जाती है जिसमें कुछ भिन्नता होती है इससे विषमता आना अनिवार्य है। विश्लेषण करने के संदर्भ में विभिन्नता की स्वीकृत मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए। फुटकर मूल्यों के भारित औसत विश्लेषण के उपयोग के लिए ठीक अनुमान है।

[2] जैसा पहले कहा जा चुका है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों में फुटकर कीमतें दी गई हैं। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय से जारी किये गये "थोक मूल्यों के सूचकांक" जैसा नाम से स्पष्ट है, ये आंकड़े थोक मूल्यों पर आधारित हैं। अस्तु, इस रिपोर्ट में उपयोग किये गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संबद्ध आंकड़ों में दोनों ही स्थिति में परिवर्तन का ढांचा एक जैसा रहा था, इसे उपर्युक्त सारणी में देखा जा सकता है।

सारणी : अनाज के मूल्यों के सूचकांक : आधार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 8 वां दौर (जुलाई 54–मार्च 55)

क्रम संख्या	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर	सरकारी थोक मूल्य सूचकांक	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अनुमानित मूल्य सूचकांक	
			शहरी	ग्रामीण
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	7	119·9	116	123
2	8	100·0	100	100
3	9	94·7	92	97
4	12	133·1	126	135
5	13	127·5	124	132
6	15	136·4	134	142
7	16	133·3	137	145

1.5. **उत्पादन में परिवर्तन.**—विभिन्न अनाजों की आपूर्ति में परिवर्तन अलग अलग थे। 1954-55 को आधार वर्ष मानकर 1957-58 में चावल उत्पादन का सूचकांक 10.2, 1959-60 में 125.8 और 1960-61 में 137.3 था इसी आधार पर गेहूं के सूचकांक 1957-58 में 88.9, 1959-60 में 114.4 और 1960-61 में 122.2 थे और मोटे अनाज का सूचकांक 1957-58 में 93.0, 1959-60 में 100.4 और 1960-61 में केवल 82.0 था। इस प्रकार चावल और गेहूं का उत्पादन काफी बढ़ा है जब कि मोटे अनाज का उत्पादन औसतन उसी स्तर पर रहा या थोड़ा सा कम हुआ। गेहूं के देशीय उत्पादन में बहुत कुछ भारी आयात और सरकार द्वारा अपने गेहूं के कोटे से माल जारी किये जाने से सहायता मिली है। सरकारी भंडारों से मोटे अनाज की निकासी बहुत कम थी सभी वर्षों में एक लाख मीट्रिक टन या इससे कम थी, गेहूं की निकासी 1954-55 में 3 लाख मिलियन टन से बढ़कर 1960-61 तक 30 लाख मिलियन टन यानी दस गुनी बढ़ गई थी। चावल की निकासी बहुत कम थी मोटे तौर पर प्रति वर्ष 10 लाख मिलियन टन थी, वास्तविक आंकड़े 1954-55, 1957-58, 1959-60 और 1960-61 में क्रमशः 12 लाख मिलियन टन, 9 लाख मिलियन टन, 12 लाख मिलियन टन और 10 लाख मिलियन टन थे (विवरण 6)।

1.6. **मूल्यों में परिवर्तन.**—आपूर्ति में ऐसे विभिन्न परिवर्तन होने के कारण अलग अलग अनाजों के मूल्यों के परिवर्तन में भी भिन्नता थी। 8 वें दौर (जुलाई 1954—मार्च 1955) और 15 वें दौर (जुलाई 1959—जून 1960) के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में चावल, गेहूं और मोटे अनाज के मूल्य में वृद्धि क्रमशः 41 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और 64 प्रतिशत हुई जब कि शहरी क्षेत्रों में चावल, गेहूं और मोटे अनाज के मूल्य में वृद्धि 44 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 52 प्रतिशत हुई[1]। शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मूल्यों में वृद्धि सबसे ज्यादा मोटे अनाज में और सबसे कम गेहूं में हुई। चावल के मूल्य में वृद्धि गेहूं की अपेक्षा बहुत अधिक हुई इसकी कीमत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम अन्तर रहा। गेहूं की कीमतों में वृद्धि बहुत कम हुई परन्तु वह ग्रामीण क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक हुई (विवरण 5)।

1954 का आधार 100 मानकर सम्बन्धित सूचकांक पृष्ट 26 पर दी गई सारणी में दिये गए हैं। साथ मिलाये गए मोटे अनाजों का एक संश्लिष्ट भारि सूचकांक अंतिम कालम में शामिल किया गया है इसमें उन्ही भारों का उपयोग किया गया है जो सरकारी सूचकांकों में इस्तेमाल हुए थे।

[1] राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 8 वें तथा 16 वें दौर में या मोटे तौर पर 1954 और 1960 या मार्च 1961 के बीच राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के फुटकर मूल्यों की वृद्धि दर की सरकारी "थोक मूल्यों के सूचकांक" से तुलना करना उचित होगा। सरकारी सूचकांक प्रत्येक अनाज की बहुत सी किस्मों जैसे चावल की 25, गेहूं की 17, ज्वार की 14, बाजरे की 6, मक्का की 7 और रागी की 4 किस्मों के सापेक्षित मूल्यों पर आधारित है।

सारणी : थोक मूल्यों का सूचकांक 1954-100 को आधार मानकर परिवर्तित किये गए

वर्ष	चावल	गेहूं	ज्वार	बाजरा	मक्का	रागी	मोटे अनाज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1954 . .	100	100	100	100	100	100	100
1955 . .	88.3	88.4	68.0	93.1	79.5	74.6	77.1
1956 . .	107.7	108.5	134.1	133.9	114.9	93.2	126.0
1957 . .	120.4	114.3	138.5	155.5	131.5	123.7	139.6
1958 . .	124.7	121.9	117.3	143.3	132.6	121.2	127.2
1959 . .	118.3	129.6	134.5	151.7	140.7	130.5	139.5
1960 . .	126.6	115.4	143.2	153.6	121.1	141.0	140.7
1961 . .	121.2	113.0	128.3	158.0	126.6	141.9	136.3

(यह देखा जा सकता है कि सभी अनाजों के मूल्य 1955 में गिरे इसके बाद सामान्य तौर पर मोटे अनाजों के मूल्य चावल और गेहूं की अपेक्षा तेज गति से बढ़े थे। थोक मूल्यों के सरकारी सूचकांकों के ये रुख राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के फुटकर मूल्यों के सूचकांकों के रुख के अनुकूल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचकांकों की दोनों सीरीज सरकारी सीरीज और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की सीरीज प्रत्येक अनाज की बहुत सी किस्मों पर आधारित हैं। यदि कोई एक किस्म चुन ली जाती है या तुलना के लिए किसी दूसरी अवधि का प्रयोग किया जाता है तो सूचकांक निम्न रुख दिखा सकते हैं परन्तु ऐसे परिणाम उन वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे जो तुलना की जाने वाली अवधि में हुए थे)

1.7. उपर्युक्त विश्लेषण से यह पता चला है कि मोटे अनाज के लिए अपेक्षाकृत खुला बाजार था जहां के मूल्य परिवर्तन पर्याप्त परिवहन सुविधाओं वाले स्थानीय क्षेत्रों के बाजार से लिये गए थे परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि ये पूरे भारत के हों। गेहूं और चावल के मामले में मूल्य नियन्त्रण, वास्तविक वसूली और राशन से बाजार कार्यों में बहुत अधिक बाधा पड़ती थी, इसका प्रभाव चावल की अपेक्षा गेहूं पर बहुत ज्यादा था। चावल की मांग अंशत: असंतुष्ट रही, आयात अपेक्षाकृत कम हुआ और सरकारी भंडार से निकासी अपर्याप्त थी। गेहूं का आयात और सरकारी भण्डार से निकासी बहुत अधिक हुई।

1.8. **मूल्यों में अलग अलग वृद्धि**.—सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि मूल्यों में वृद्धि आमतौर पर जनसंख्या के गरीब वर्ग में हुई (विवरण 5) मूल्यों के ऐसे विभिन्न परिवर्तनों से कुल अनाजों की खपत के स्वरूप में परिवर्तन आना स्वाभाविक था यह जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा विभिन्न अवधियों में समाप्त की जाती थी। उदाहरण के लिए, 8 वें दौर में पूरी ग्रामीण जनसंख्या में चावल, गेहूं और मोटे अनाज का सापेक्षित अनुपात लगभग 49 : 8 : 43 था जो 15 वें दौर में परिवर्तित होकर 44 : 15 : 41 हो गया। इसी प्रकार शहरी जनसंख्या में 8 वें दौर में 54 : 24 : 22 का अनुपात 15 वें दौर में परिवर्तित होकर 45 : 32 : 23 हो गया था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोटे अनाज शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मोटे अनाज का अंश बहुत कुछ वही रहा, चावल का अंश बहुत कम हुआ था और गेहूं के अंश में क्षतिपूर्ति पूरक वृद्धि देखी गई थी। जनसंख्या के विभिन्न व्यय वर्गों के लिए चावल और गेहूं का अंश भी अलग अलग था (विवरण 4)।

कुल अनाजों की खपत

2.1. किसी भी सर्वेक्षण दौर में प्रति माह प्रति व्यक्ति अनाज की खपत की (सेरों में) वास्तविक मात्रा सबसे नीचे के दशमक परिवार वर्ग में सबसे कम थी और वह धीरे धीरे उच्च दशमक परिवार वर्गों में सबसे उच्चस्तर तक पहुंची। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल अनाजों की प्रति व्यक्ति खपत नीचे के दस प्रतिशत परिवारों में 10.7 सेर से ऊपर के 10 प्रतिशत परिवारों में 25.8 सेर थी जब कि संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या की औसत खपत 18.25 सेर थी[1]। शहरी क्षेत्रों में यह अन्तर नीचे के दशमक में 10.8 सेर से चोटी के दशमक वर्ग की खपत 15.9 सेर थी तथा शहरी परिवारों का सामान्य औसत 14 सेर था। विभिन्न दशमक वर्गों में खपत स्तर में परिवर्तन का ढांचा अनेक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण वर्गों में बहुत कुछ एक जैसा ही था। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्र का ढांचा शहरी क्षेत्र के ढांचे से बिल्कुल भिन्न था।

[1] ऊपर के आंकड़े 7, 8, 9, 12, 13, 15 और 16 वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौरों के औसत अनुमानों के हैं इनसे सम्बद्ध आंकड़े विवरण (1) में दिए गए हैं।

2.2. 7 वें दौर (अक्तूबर 1953—मार्च 1954) की तुलना में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 8 वें व 9 वें दौरों (जुलाई 1954, नवम्बर 1955) के मूल्यों में काफी गिरावट आने से नीचे के दस प्रतिशत परिवारों के अनाज की खपत में बहुत वृद्धि हुई जो ग्रामीण क्षेत्रों में (9 वें दौर) प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 12.2 सेर थी और शहरी क्षेत्र में (9वें दौर) 13.3 सेर की, यह 10.7 या 10.8 सेर के स्तर से अधिक थी जो विचाराधीन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के साथ दौरों की औसत खपत थी। 12 वें दौर में (मार्च से अगस्त 1957) मूल्यों में बहुत वृद्धि होने से अनाज की प्रति व्यक्ति खपत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 9 सेर तक और शहरी क्षेत्रों में 9.7 सेर तक घट गई थी इस प्रकार यह मात्रा सात राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौरों की औसत खपत 10 प्रतिशत या 10.8 सेर कम थी। 13 वें दौर से कुछ वृद्धि हुई परन्तु 16 वें दौर (जुलाई 1960—जून 1961) में खपत का स्तर लगभग 10.3 सेर या इसके आस-पास था जो ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में सात दौरों के प्रति व्यक्ति खपत के सामान्य औसत से कम था। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में चोटी के 10 प्रतिशत परिवारों की प्रति व्यक्ति खपत 8 वें दौर में लगभग 23.2 सेर थी 16 वें दौर में 28 सेर थी, और 8 वें दौर में 15.7 सेर से 12 वें दौर में लगभग 16.9 सेर थी और इसके बाद के दौरों में शहरी क्षेत्र में 15-16 सेर के बीच के स्तर तक रही थी।

2.3. जैसा ऊपर देखा गया है अनाज की खपत के स्तर में परिवर्तन मूल्य-परिवर्तन से बहुत सम्बद्ध था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीब परिवारों में अनाज के मूल्य में वृद्धि धनिक परिवारों में मूल्य वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक थी। उदाहरण के लिए, 8 वें से 15 वें दौर के बीच यानी जुलाई 1954 से मार्च 1955 तक और जुलाई 1959 से जून 1960 तक ग्रामीण भारत की जनसंख्या के सब से नीचे के दशमक में 82 प्रतिशत तक बढ़ गई थी इसके मुकाबिले में चोटी के दशमक में केवल 26 प्रतिशत वृद्धि हुई, तदनुरूप शहरी जनसंख्या में सबसे नीचे का दशमक 47 प्रतिशत और चोटी के दशमक में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई (विवरण 5)

2.4. अनाज के मूल्यों में ऐसी विभेदक वृद्धि से गरीब परिवारों को अधिक नुकसान रहा जब कि वास्तविक मात्रा में प्रति व्यक्ति अनाज की खपत के वितरण में महत्वपूर्ण सापेक्षित परिवर्तन हुए तथा द्रव्यमूल्य के रूप में भी परिवर्तन हुए। ऊंची कीमतों की अवधि में सबसे अधिक और एवं सबसे अधिक अमीर परिवारों के बीच असमानता अनाज के व्यय के सम्बन्ध में घटी (तथा कुछ खपत व्यय में भी घटी) परन्तु अनाज की खपत की मात्रा की दृष्टि से असमानता बढ़ी (इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तव में कुल खपत बढ़ी) ऐसे परिवर्तन शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखे गये।

2.5. अनाज के व्यय के वितरण में अधिक समानता के साथ साथ खपत हुए अनाज की मात्रा के वितरण में अधिक समानता का उलटा सम्बन्ध मूल्यों में अधिक वृद्धि के कारण हुआ जो गरीब लोगों से प्रतिकूल हुआ। गरीब और अमीर परिवारों के बीच अनाज के मूल्यों में वृद्धि के ऐसे अन्तर मात्रा की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र में बहुत कम थे। तदनुसार, खपत हुई अनाज की मात्रा के वितरण की समानता में कमी अनाज पर व्यय के आधार में वितरण की समानता से वृद्धि से सम्बद्ध विपरीत सम्बन्द्ध शहरी क्षेत्रों में देखा गया था। सामान्य निष्कर्ष यह है कि जब अनाज की कीमतें बढ़ गई थीं तब अनाज पर व्यय के वितरण में अधिक समानता थी इसके साथ ही वास्तविक रूप में अनाज की खपत के वितरण में ज्यादा असमानता थी। इसके अलावा मूल्यों में जितनी ज्यादा विभेदक मूल्य वृद्धि थी वह जनसंख्या के गरीब वर्गों के विरुद्ध थी, उनके अनाज की खपत की वास्तविक मात्रा अपेक्षाकृत अधिक कम थी और अमीर तथा गरीब परिवारों में खपत हुई अनाज की मात्रा में असमानता ज्यादा बढ़ी थी।

खाद्यान्न की उपलब्धि

3.1. जैसा ऊपर कहा गया है समीक्षाधीन अवधि में खाद्यान्न नियंत्रण के अनेक तरीके विद्यमान थे। 1953 से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने से धीरे धीरे कन्ट्रोल कम होता गया परन्तु यह कमी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। 1957-58 में जब कीमतें बढ़ने लगीं तब कन्ट्रोल फिर से चालू हुआ या इसे सुदृढ़ बनाया गया तथा आलोच्याधीन अवधि में इसकी अवधि काफी मजबूत थी।

3.2. खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय के अनुमानों के अनुसार (देखिये विवरण 6) खाद्यान्न की कुल उपज बहुत कम थी 1951 फसली वर्ष (जुलाई 1951 जून 1952) में 436 लाख मिलियन टन हुई और 1952 के फसली वर्ष में और भी कम 500 लाख मिलियन टन हुई। 1952 और 1953 के पंचाग वर्षों में बाजार में खाद्यान्न की कमी सरकार के भण्डार से क्रमशः 68 लाख मी० टन और 46 लाख मी० टन माल से पूरी की गई। 1953 और 1954 के अगले दो फसली वर्षों में क्रमशः 592 लाख मिलियन टन और 570 लाख मी० टन की अच्छी फसलें हुई इससे 1954 एवं 1955 में भंडार से निकासी की मात्रा में क्रमशः 21 लाख मी० टन और 16 लाख मी० टन की गिरावट आई। 1955 और 1956 के दो फसली-वर्षों में फसल अच्छी होती रही इन वर्षों में कुल फसल क्रमशः 559 लाख और 583 लाख हुई साथ ही सरकारी भंडार से 20 लाख मी० टन और 30 लाख मी० टन माल दिया गया।

3.3. कुल मिलाकर, खाद्यान्न की मात्रा बराबर कम होती रही इससे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के शुरू के दौरों की अवधि में सरकारी भण्डार से अधिक मात्रा में माल दिया गया। 1952-53 से कीमतें गिरने लगीं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 8 वें दौर में (जुलाई 1954—मार्च 1955) कीमतें बहुत गिर गई थीं भंडारों से माल-निकासी घट गई और प्रति व्यक्ति खपत काफी बढ़ गई थी फिर भी वह विचाराधीन नौ राष्ट्रीय सर्वेक्षण दौरों के औसत स्तर से कम थी। कीमतों में और भी गिरावट से प्रति व्यक्ति खपत उच्चतम स्तर पर पहुंच गई इसके साथ ही नौवें दौर (मई-नवम्बर 1955) में भंडार से माल दिये जाने मे और भी कमी हुई। 13 वें दौर में (सितम्बर 1957—मई 1958) उत्पादन घट गया, साथ ही कीमतों में भारी वृद्धि

हुई, भंडारों से काफी माल दिये जाने के बावजूद प्रति व्यक्ति खपत कम हो गई थी जो लगभग 8वें दौर के स्तर पर पहुंच चुकी थी। 15 वें दौर में (जुलाई 1959-जून 1960) कीमतों में मामूली सी वृद्धि हुई तथा भंडारों से भारी मात्रा में माल दिया गया। इससे प्रति व्यक्ति खपत पूरी ग्रामीण जनसंख्या में लगभग 9 वें दौर के स्तर पर आ गई, परन्तु यह चोटी के 10 प्रतिशत (धनी) परिवारों के लिए बहुत अधिक थी और सबसे नीचे के 10 प्रतिशत (गरीब) परिवारों के लिए काफी कम थी।

3.4. प्रत्येक राष्ट्रीय सर्वेक्षण दौर की अवधि में खाद्यान्न सप्लाई और प्रतिव्यक्ति खपत के बीच विस्तृत तुलना करना अनेक कारणों से बहुत कठिन है। फसलों के आंकड़े फसली वर्ष के जुलाई से जून तक के होते हैं जबकि सरकारी भंडार में माल सप्लाई पंचांग (कलेन्डर) वर्ष के अनुसार की जाती है। कम उत्पादन के वर्षों में भी विशेषरूप में ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई, फसल कटाई के बाद आमतौर पर काफी रहती है यह एक ही अन्न की भी भिन्न भिन्न रहती है न केवल विभिन्न क्षेत्रों में अपितु उसी राज्य के एक हिस्से से दूसरे में भी अलग अलग होती है। बाजार आपूर्ति में हर महीने में कम-ज्यादा होती रहती है परन्तु यह आमतौर पर गर्मी और वर्षा के दिनों में घट जाती है। सरकारी भण्डार से माल-निकासी भी अनिवार्य रूप से हर महीने में अलग अलग थी तथा देश के विभिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न थी। फिर भी, प्रस्तुत विश्लेषण से पता चलता है कि समय समय पर खाद्यान्न पर अनेक तरीकों से मूल्य नियन्त्रण तथा राशन होने के बावजूद कीमत में तथा कुल अनाज की प्रति व्यक्ति खपत में परिवर्तन सामान्यतौर पर एक मौसम से दूसरे मौसम में खाद्यान्न की घटती बढ़ती उपलब्धि से सम्बद्ध था।

3.5. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनाज की खपत के आंकड़ों में 8 वें व 13 वें दौरों में खाद्यान्न की उपलब्धि के अनुमान लगाना सम्भव है। खपत हुए कुल अनाज की मात्रा विवरण (3) में दिखाई गई है। इस विवरण से यह देखा जा सकता कि ग्रामीण और शहरी क्षत्रों को मिलाकर यानी पूरे भारत में कुल अनाज की प्रति व्यक्ति औसत खपत में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, जो 8 वें दौर में प्रति माह 17.22 सेर थी और 13 वें दौर में 17.08 सेर थी। शहरी क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति मासिक खपत में मामूली सी गिरावट आई, वह 8 वें दौर में 13.90 सेर से घटकर 13 वें दौर में 13.46 सेर हो गई थी, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र की खपत इन दोनों दौरों में लगभग एक सी रही।

3.6. मोट अनाज के प्रति व्यक्ति खपत में बहुत कम अन्तर था यह खपत 8 वें दौर में 6.93 सेर प्रति माह थी और 13 वें दौर में 7.03 सेर प्रति माह थी। यह अन्तर सांख्यकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। खपत का स्तर ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लगभग वही था। मोट अनाज की प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह खपत पूरे भारत में (यानी ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में) लगभग स्थायी रही थी, यानी जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में, कुछ थोड़ी सी बढ़ी है।

3.7. चावल की खपत मे कमी आई थी, 8 वें दौर में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 8.49 सेर से 13 वें दौर में 7.38 सेर हो गई थी यानी प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 1.11 सेर की कमी हुई या पूरे देश में 13 प्रतिशत कमी आई थी। यह कमी ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षत्रों में लगभग एक जैसी थी जो क्रमशः 13 एवं 15 प्रतिशत थी।

3.8. गेहूं की खपत में वृद्धि हुई, वह प्रति व्यक्ति प्रतिमाह खपत 1.80 सेर से बढ़कर 2.67 हो गई थी यानी 0.87 सेर की वृद्धि हुई या सारे भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षत्रों को मिलाकर लगभग 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। शहरी क्षेत्रों में गेहूं की खपत बहुत अधिक थी वहां 3.35 सेर प्रति व्यक्ति प्रति माह खपत थी जब कि ग्रामीण क्षेत्र में यह खपत 1.51 सेर प्रति व्यक्ति प्रति माह थी यह आंकड़ 8 वें राष्ट्रीय सर्वेक्षण दौर के हैं। इसमें भी वृद्धि, तुलनात्मक दृष्टि से, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक थी वहां खपत 1.51 सेर बढ़ कर 2.43 सेर हो गई थी यानी 0.92 सेर की वृद्धि हुई या इसे लगभग 61 प्रतिशत वृद्धि कहा जा सकता है इसके मुकाबले में शहरी क्षत्र में बहुत कम वद्धि हुई थी जो 3.35 सेर से बढ़कर 3.91 सेर हो गई थी यानी प्रति व्यक्ति प्रति माह 0.56 सेर की वृद्धि हुई या लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं की प्रति व्यक्ति खपत में वास्तविक वृद्धि बहुत कम यानी केवल 0.92 सेर हुई और शहरी क्षत्र में 0.56 सेर हुई जब कि पूरे भारत में औसत वृद्धि 0.87 सेर हुई। गेहूं की खपत में 0.87 सेर की वृद्धि तथा, मोटे अनाज की खपत में 0.10 सेर की मामूली सी वृद्धि चावल की खपत में 1.11 सेर की गिरावट की क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त नही थी इसका परिणाम यह हुआ कि देश में कुल अनाज की प्रति व्यक्ति प्रति माह खपत में 0.14 सेर की गिरावट आई ये आंकड़ राष्ट्रीय सर्वेक्षण दौर 8 वें तथा 13 वें के हैं लगभग 1954-55 और 1957-58 की अवधि के हैं।

परिवर्तन में प्राथमिकता का प्रश्न

4.1. परिवक्षणाधीन अवाध में यह देखा गया कि अच्छे अनाज की वास्तविक खपत में प्रतिशत अंश की वृद्धि जनसंख्या के गरीब वर्ग में हुई, जबकि धनिक वर्ग के खपत में गिरावट आई। इस प्रकार 8 वें दौर में (जुलाई 1954 से मार्च 1955) कुल का केवल 2.75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के नीचे के 10 प्रतिशत ने समाप्त कर लिया था। यह अंश 15 वें दौर में (जुलाई 1959—जून 1960) 4.26 प्रतिशत तक बढ़ गया था। ग्रामीण जनसंख्या के ऊपर के 10 प्रतिशत लोगों के ऐसे ही आंकड़े 8 वें एवं 15 वें दौर में क्रमशः 18.01 प्रतिशत और 16.80 प्रतिशत थे। शहरी क्षेत्र में स्थिति और भी अनिश्चित थी। उदारहण के लिए गरीबतम दशमक का अपना अंश 4.77 से बढ़ कर 6.09 प्रतिशत हो गया जब कि अगले उच्च दशमक वर्ग का अंश 8.16 प्रतिशत से घटकर 7.36 प्रतिशत हो गया था। दूसरी तरफ ऊपर के दशमक वर्ग ने दो दौरों में अपना अंश 13.13 से बढ़ाकर 14.19 प्रतिशत कर लिया था। परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर शहरी क्षत्र का अंश बहुत कम था इसलिए अच्छे अनाज की वास्तविक खपत का

अंश जनसंख्या के गरीबतम वर्ग में बढ़ा था और धनिक वग में घटा था। जनसंख्या के गरीब वर्ग की अनाज की खपत में अच्छे अनाज के अंश में वृद्धि हुई यद्यपि उनके कुछ अनाज की खपत में गिरावट आई। यह बात तर्कसंगत है कि गरीबतम परिवारों की अच्छ अनाज के प्रति स्वभावत: पहली पसन्द है या एसी पमन्द विकसित की जा सकती है। इस पसन्द की क्रियान्विति राशन की स्थिति में सम्भव हुई जब उन्हें नियंत्रित मूल्य पर मोटे अनाज की अपेक्षा अच्छा अनाज अधिक मात्रा में उपलब्ध हुआ।

4.2. मोटे अनाज की उपलब्धि उसी स्तर पर रही या जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में कुछ कम हो गई और मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये। मोटे अनाज का खुला बाजार होने से गरीबों की अपने मोटे अनाज की खपत का अंश घटाना पड़ा। फिर भी, यह बात सच है कि वास्तविक राशन होने से, विशषरूप से गेहूं का, गरीब लोगों की उचित मूल्य पर गेहूं उपलब्ध हो सका था। चावल पर मूल्य नियंत्रण और राशन होने से चावल भी गरीब लोगों को कुछ आसानी से उपलब्ध हो सका था। परन्तु उसकी मात्रा गेहूं से कम थी। इसके विपरीत, गेहूं और चावल के राशन ने अनिवार्य रूप से अच्छे अनाज का अंश कम हो गया था। इन्होंने स्थानीय या खुले बाजार से खरीद करके अपने मोटे अनाज की मात्रा में वृद्धि करके कुल अनाज की खपत बढ़ा ली थी।

4.3. जनसंख्या के गरीब वर्ग में चावल की खपत बढ़ी जब कि ग्रामीण क्षेत्रों में धनिक परिवारों में इनकी खपत कम हुई थी। इस दशाब्दि में काफी लम्बे अरसे तक चावल के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध था कहीं कही एक ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने पर रोक थी, चावल की सरकारी वसूली के कारण भी काश्तकारों के लिए आकर्षिक मूल्य पर चावल बेचना कठिन था। इस स्थिति में, विशेषरूप से गुजरे वाले फार्मों में कुछ अधिक उत्पादन से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों में स्वयं पैदा किये गए चावल या गांव या स्थानीय बाजार से खरीदे गए चावल की अधिक खपत हो सकती है।

4.4. शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों में चावल की खपत कम हो गई थी। चूंकि चावल की औसत पूर्ति घट गई थी और राशनिंग शहरी क्षेत्र में ही अधिक था इसलिए चावल की शहरी खपत की कमी के लिए चावल के पूर्ण या आंशिक राशनिंग के माध्यम से लगाये गए प्रतिबन्धों पर आरोप लगाया जा सकता है।

4.5. केवल गेहूं ही ऐसा अनाज था जो गरीब, अमीर या ग्रामीण एवं शहरी सभी परिवारों की आम पसन्द थी। इस पसन्द से गहूं की खपत से वृद्धि से खर्च में कुछ थोड़ी सी वृद्धि हुई, खास तौर से 10 प्रतिशत गरीबतम परिवारों के खर्च में।

4.6. वर्तमान संदर्भ में दूसरी उल्लेखनीय महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सम्पूर्ण शहरी जनसंख्या की खपत में मोटे अनाज का खपत-स्तर लगभग वही रहा जसे 8 वें, 13 वें और 15 वें, दौर में क्रमश: 3.10 सेर, 3.21 सेर और 3.12 सेर (विवरण 4) था। खपत का ऐसा स्थिर स्तर फसल उत्पादन में न्यूनाधिक रूप से वही स्तर होने का कारण था। शहरी जन संख्या के नीचे के 10 प्रतिशत और सिरे की दस प्रतिशत लोगों में चावल की खपत में कम गिरावट का कारण घरेलू उत्पादन में कमी होना था जिसे आयात पूरा नहीं कर सका था। गेहूं की खपत में वृद्धि चावल की खपत में कमी को पूरा करने के लिए की गई थी जो खाद्यान्न पर राशनिंग करके तथा पी० एल० 480 के अधीन बड़े पैमाने पर गेहूं के आयात से किया गया था।

असमानता के अन्य सूचक

5.1. गरीब एवं अमीर के बीच असमानता तथा रहन सहन के स्तर में परिवर्तन के महत्वपूर्ण सूचक के रूप में अनाज की खपत का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। खपत के कुछ अन्य अंगों की जांच करना बड़ा ही रुचिकर है, जिनका रहन सहन के स्तर पर प्रभाव रहा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अपने अनेक दौरों में अनेक वस्तुओं की खपत की सूचना एकत्रित करता रहा है, यद्यपि कुछ वस्तुओं की सूचना तो केवल कुछ दौरों में ही उपलब्ध हुई है। अनाज, नमक, दवाइयां, चिकित्सा सेवा और शिक्षा जसी कुछ चुनीदा मदों की संक्षिप्त तुलना यहां नीचे दी गई है, इनकी सूचना 7वें, 12वें और 16वें दौरों में प्राप्त हुई थी जिनकी अवधि 1953-54 और 1960-61 के बीच थी। जमीन की जोतों के आंकड़ों के बारे में भी विश्लेषण दिया गया है जो 8वें और 16वें दौरों में एकत्रित किये गए थे।

5.2. समय के वितरण में परिवर्तन के अध्ययन का कोई प्रयत्न नहीं किया गया क्योंकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक गरीब परिवारों ने दवाई, चिकित्सा सेवा और शिक्षा जैसी मदों पर कुछ खर्च नहीं किया था या बहुत कम खर्च किया था जिसके कारण नमूने का प्रभावकारी आकार बहुत छोटा था। फिर भी उपलब्ध आंकड़ों वितरण के ढांचे का स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हैं। नमक और अनाज इन दो आवश्यक वस्तुओं का खपत के आकार के अनुसार वितरण बहुत समान है। कुल खपत व्यय के आकार के अनुसार वितरण अनिवार्य रूप से अधिक संकेन्द्रित हैं और उसे तुलना के मानक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दवाई, चिकित्सा सेवा और शिक्षा के लिए आकार के अनुसार वितरण बहुत ही असमान है या केन्द्रण बहुत अधिक है। केवल भूमि जोतों के आकार के अनुसार वितरण ही बहुत असमान है। बुनियादी सूचना नीचे विवरण (10) में दी गई है। देश की अत्यन्त दरिद्रता इस तथ्य से सामने आती है कि दवाइयों चिकित्सा सेवा और शिक्षा या भूमि कैसी अत्यन्त महत्वपूर्ण आस्ति का जोतों का व्यय के आकार के अनुसार वितरण यह बतलाता है कि अत्यन्त संकेन्द्रण सर्वोच्च विलासिता की सामग्री जैसी चीजों पर था। भमि की जोतों के आकार के अनुसार वितरण में भी 8वें दौर (जुलाई 1954—मार्च 1955) और 16वें दौर (जुलाई 1960—जून 1961) के बीच वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ

विवरण (10) : 7 वें, 12 वें और 16 वें दौर के औसत मूल्यों सहित चुनींदा वस्तुओं का और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 8 वें और 16 वें दौर के औसत मूल्यों के खपत का पुंजीभूत प्रतिशत अंश

अखिल भारतीय ग्रामीण और अखिल भारतीय शहरी

क्रम संख्या	जनसंख्या का प्रतिशत	वास्तविक खपत		कुल उपभोक्ता व्यय	व्यय			भूमि जोत (क्षेत्रफल)
		नमक	अनाज		दवाई	चिकित्सा सेवा	शिक्षा	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ग्रामीण				
1	नीचे के 10 .	8	6	3	..	0.5	0.4	0.0
2	„ 50 .	46	40	28	11	7	7	2.4
3	„ 80 .	76	74	59	34	29	31	24
4	ऊपर के 20 .	24	26	41	66	71	69	76
5	„ 10 .	13	14	26	40	56	51	57
6	ऊपर के 10 प्रतिशत में नीचे के 10 प्रतिशत का अनुपात 1.00	1.62	2.33	8.67	बहुत अधिक	112.00	127.50	बहुत अधिक
				शहरी				
7	नीचे के 10 .	8	8	3	0.9	0.4	0.6	..
8	„ 50 .	45	46	25	13	12	10	..
9	„ 80 .	77	78	55	42	32	30	..
10	ऊपर के 20 .	23	22	45	58	68	70	..
11	„ 10 .	12	11	29	38	50	51	..
12	ऊपर के 10 प्रतिशत में नीचे के प्रतिशत का अनुपात 1.0	1.50	1.38	9.67	42.22	125.00	85.00	..

सारांश

इस पूरी दशाब्दि में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या में नीचे के 10 या 15 प्रतिशत लोगों की प्रति व्यक्ति अनाज की खपत सामान्य तौर पर बहुत कम थी, जब अनाज की कीमतें बहुत कम थी केवल उस समय गरीब वर्ग की औसत खपत काफी बढ़ गई थी । जनसंख्या का सबसे गरीब वर्ग, केवल बहुत कम कीमतें होने की अवधि के अलावा, अपनी आवश्यकतानुसार अनाज की खपत नहीं कर सकता था । परन्तु ग्रामीण क्षेत्र के सबसे अधिक धनी परिवारों में प्रति व्यक्ति खपत बड़ी थी इससे अनाज की खपत के बारे में गरीब और अमीर की खाई और भी बड़ी थी । शहरी क्षेत्र में यह असमानता बहुत कम थी ।

2. ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबतम परिवारों में चावल और गेहूं (जो अच्छा अनाज कहलाता है) के सम्मिलित अंश में वृद्धि हुई, जब कि धनिकतम परिवारों में मोटे अनाज का अंश बढ़ा था । शहरी क्षेत्रों में विभिन्न अनाजों के अंश में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ ।

3. 1952 और 1954 की अधिक खाद्यान्न उत्पादन और कम मूल्य की अवधि समाप्त होने पर मोटे अनाज का उत्पादन लगभग उसी स्तर पर रहा जब कि चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ा था । खाद्यान्न की मांग बहुत तेजी से बढ़ी इसका आंशिक कारण जनसंख्या में वृद्धि तथा प्रतिव्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि होना था । खाद्यान्न मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई और राशनिंग पद्धति को फिर से चालू करना या उसे दृढ़ करना पड़ा । मोटे अनाज की कोई वसूली या आयात या राशनिंग नहीं था । जब कि चावल और गेहूं दोनों का राशनिंग, वसूली और आयात भी था, गेहूं का आयात तो बहुत ज्यादा था ।

4. अतः मोटे अनाज का बाजार न्यूनाधिक रूप से, स्थानीय क्षेत्रों में खुला था (परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि पूरे भारत में हो) । मूल्य नियंत्रण और राशनिंग का चावल और गेहूं के बाजार पर प्रभाव पड़ा तथा गेहूं के मामले में यह प्रभाव बहुत अधिक था । मूल्य-वृद्धि मोटे अनाज में सबसे ज्यादा हुई, चावल में सामान्य रही और गेहूं में सबसे कम हुई इससे पता चलता है कि सापेक्षित मांग भी लगभग उतनी ही रही । यह निष्कर्ष निकालना बहुत उपयुक्त है कि गरीबतम परिवारों में गेहूं और चावल में वृद्धि तथा धनिकतम परिवारों में मोटे अनाज की मात्रा में वृद्धि का कारण गरीबों को राशन से गेहूं और चावल प्राप्त हो जाना है । तथा धनिकों में ऊंची कीमत पर मोटे अनाज की अधिक मात्रा खरीद सकने की क्षमता होना है ।

5. गरीब लोगों के लिए खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि अपेक्षतया बहुत ज्यादा थी । इस मूल्य वृद्धि का परिणाम गरीब लोगों पर बहुत बुरा पड़ा, अनाज पर व्यय के आकार के अनुसार वितरण में अधिक समानता आई । तथा अनाज की खपत की मात्रा के रूप में वितरण में अधिक असमानता आई ।

6. जन संख्या का गरीब वर्ग धनिक वर्ग की तुलना में आमतौर पर घटिया किस्म का माल और सेवा का प्रयोग करता है तथा कम खर्च करता है । किसी खास वस्तु की खपत के बढ़ते हुए मूल्यों की अवधि में मूल्य के विभेदक परिवर्तनों से जन संख्या के गरीब वर्ग पर बुरा प्रभाव पडने की सम्भावना है इससे खपत के वास्तविक आकार में वितरण तथा मूल्य के आकार में वितरण में इसी प्रकार के विपरीत सम्बन्ध स्थापित होंगे जैसा कि अनाज के मामले में देखा गया था ।

7. पुनरीक्षाधीन दशाब्दि के उत्तरार्ध में उपभोक्ता व्यय के वितरण में समानता बढ़ी थी इसलिए इसे इसी अवधि में जनसंख्या के गरीब एवं अमीर वर्गों के बीच वास्तविक अर्थों में रहन-सहन के स्तर में असमानता वृद्धि करने का सूचक समझा जा सकता है ।

8. फिर भी, यह बात कही जा सकती है कि रहन-सहन के स्तर में असमानता में यह वृद्धि कम-मूल्य वाले दिनों से संबंधित थी इसलिए इसे रहन-सहन के वास्तविक स्तर में गिरावट नहीं माना जा सकता है । प्राप्त प्रमाणों से यह पता चलता है कि यद्यपि अधिकांश लोगों के राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि हुई फिर भी वास्तव में धनिकों एवं गरीबों के खपत स्तर में असमानता में वृद्धि हुई थी ।

9. मुझे यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि एक तरफ खपत व्यय में संकेन्द्रीकरण के परिवर्तनों के बीच विपरीत सम्बन्ध और दूसरी तरफ वास्तव में खपत में संकेन्द्री तभी हो सकेगा जब गरीब वर्गों के लिए सापेक्षित मूल्य-वृद्धि अधिक हो, अन्यथा यह नहीं हो सकेगा । वास्तव में रिपोर्ट में संलग्न प्रलेख में मैंने ऐसे मामलों का उद्धरण दिया है जिन में विपरीत सम्बन्ध गायब था क्योंकि मूल्य गरीब वर्गों के खिलाफ बुरी तरह नहीं बढ़े थे । इस अध्ययन में दिये गए विश्लेषण के परिणाम अध्ययनाधीन अवधि लगभग 1954 से 1960 के संदर्भ में है, जिस अवधि में मूल्य बहुत अधिक बढ़ थे । इस बात का दावा नहीं है कि ये परिणाम सभी जगह ठीक बैठेंगे ।

10. मैं डा० सी० के० मदान का आभारी हूं, उनकी टीका और रचनात्मक सुझाव मेरे अपने विश्लेषण का स्पष्टीकरण करने में तथा कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने में बड़े मूल्यवान थे । मैं, समिति के अपने साथियों विशेष रूप से डा० पी० एस० लोकनाथन, डा० बी० एन० गांगुली और श्री विष्णु सहाय की भी अत्यन्त प्रशंसा करना चाहूंगा जिनका मुझे इस कार्य को करने में सहयोग मिला ।

विवरण (1) : प्रति 30 दिन में कुल अनाज की प्रतिव्यक्ति खपत, सेरों में : अखिल भारतीय ग्रामीण एवं शहरी : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर 7,8,9,12,13,15 और 16

* प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार क्रमबद्ध

क्रम संख्या	राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण दौर	भंगुर वर्ग (फ्रैक्टाइल ग्रुप) के लिए माध्य सेरों में (0.00)		
		0-100	0-10	90-100
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
			ग्रामीण	
1	7	18.09	11.90	23.87
2	8	18.01	11.11	23.15
3	9	19.05	12.19	25.39
4	12	17.31	9.03	25.86
5	13	17.84	9.91	27.49
6	15	18.71	10.38	26.87
7	16	18.71	10.30	28.01
8	औसत	18.25	10.69	25.81
			शहरी	
9	7	14.24	11.77	14.66
10	8	13.93	10.72	15.74
11	9	15.06	13.27	16.81
12	12	13.97	9.74	16.92
13	13	13.63	10.06	15.28
14	15	13.37	9.98	16.02
15	16	13.49	10.35	15.83
16	औसत	13.96	10.84	15.89

विवरण (2) : अनाजों के मूल्य प्रतिसेर पैसों में अखिल भारतीय ग्रामीण एवं शहरी राष्ट्रीय सर्वेक्षण दौर 7,8,9,12,13,15 और 16

प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार क्रमबद्ध

क्रम संख्या	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर	भंगुर वर्ग (फैक्टाइल ग्रुप) के लिए प्रति सेर का मूल्य		
		0-100	0-10	90-100
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
			ग्रामीण	
1	7	38	29	42
2	8	31	22	38
3	9	30	21	34
4	12	42	38	45
5	13	41	34	44
6	15	44	40	48
7	16	45	41	48
8	औसत	39	32	43
			शहरी	
9	7	44	32	54
10	8	38	30	46
11	9	35	27	42
12	12	48	41	54
13	13	47	40	54
14	15	51	44	58
15	16	52	45	59
16	औसत	45	37	52

विवरण (3) : अनाज की खपत ग्रामीण, शहरी एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर 8 एवं 13

क्षेत्र	प्रति 30 दिन प्रति व्यक्ति खपत सेर में			
	चावल	गेहूं	मोटा अनाज	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर 8 (जुलाई 1954—मार्च 1955, मध्यस्थल : नवम्बर 1954)				
ग्रामीण	8.69	1.51	7.66	17.86
शहरी	7.45	3.35	3.10	13.90
अखिल भारतीय	8.49	1.80	6.93	17.22
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर 13 (सितम्बर 1957—मई 1958, मध्यस्थल : जनवरी 1958)				
ग्रामीण	7.58	2.43	7.75	17.76
शहरी	6.34	3.91	3.21	13.46
अखिल भारतीय	7.38	2.67	7.03	17.08
प्रति व्यक्ति खपत में अन्तर (8 वां दौर 13 वां दौर)				
अखिल भारतीय — संयुक्त	+1.11	−0.87	−0.10	+0.14
अखिल भारतीय — उपनमूना−1	+1.04	−0.69	−0.76	−0.41
अखिल भारतीय — उपनमूना−2	+1.17	−1.03	+0.56	+0.71

विवरण (4) : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौरों में विभिन्न अनाजों की प्रतिव्यक्ति खपत : अखिल भारतीय, ग्रामीण एवं शहरी

क्रम संख्या	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर	भंगुर वर्ग											
		0-100				0-10				90-100			
		चावल	गेहूं	मोटा अनाज	कुल	चावल	गेहूं	मोटा अनाज	कुल	चावल	गेहूं	मोटा अनाज	कुल
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(4-1) : हर 30 दिन में औसत प्रतिव्यक्ति खपत सेर में (0.00)											
		ग्रामीण											
1	8 . .	8.69	1.51	7.66	17.86	2.60	0.21	7.57	10.38	14.42	3.96	4.77	23.15
2	9 . .	7.94	2.73	8.19	18.86	2.81	0.46	8.80	12.07	12.86	5.86	6.68	25.40
3	13 . .	7.58	2.43	7.75	17.76	3.23	0.41	6.19	9.83	12.04	7.69	8.12	27.85
4	15 . .	8.22	2.78	7.71	18.71	4.18	0.51	5.69	10.38	11.41	7.06	8.40	26.87
		शहरी											
5	8 . .	7.45	3.35	3.10	13.90	3.82	1.32	5.34	10.48	8.97	5.21	1.52	15.70
6	13 . .	6.34	3.91	3.21	13.46	3.41	1.65	4.16	9.22	8.27	6.27	1.76	16.30
7	15 . .	5.98	4.27	3.12	13.37	3.26	2.98	3.74	9.98	7.48	7.06	1.48	16.02

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(4-2) : प्रति व्यक्ति खपत का सूचकांक (8वां दौर = 100)												
	ग्रामीण												
8	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	9	91	181	107	106	108	219	116	116	89	148	140	110
10	13	87	161	101	99	124	195	82	95	83	194	170	120
11	15	95	184	101	109	161	243	75	100	79	178	176	116
	शहरी												
12	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	13	85	117	104	97	89	125	78	88	92	120	116	104
14	15	80	127	101	96	85	226	70	95	83	136	97	102
	(4-3) : प्रतिशत संरचना (कुल अनाज = 100)												
	ग्रामीण												
15	8	48.7	8.4	42.9	100	25.0	2.0	73.0	100	62.3	17.1	20.6	100
16	9	42.1	14.5	43.4	100	23.2	3.8	73.0	100	50.6	23.1	26.3	100
17	13	42.7	13.7	43.6	100	32.9	4.2	62.9	100	43.2	27.6	29.2	100
18	15	43.9	14.9	41.2	100	40.3	4.9	54.8	100	42.5	26.3	31.2	100
	शहरी												
19	8	53.6	24.1	22.3	100	36.5	12.6	50.9	100	57.1	32.2	9.7	100
20	13	47.1	29.1	23.8	100	37.0	17.9	45.1	100	50.7	38.5	10.8	100
21	15	44.7	31.9	23.4	100	32.7	20.9	37.4	100	46.7	44.1	9.2	100

विवरण (5) : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौरों में विभिन्न अनाजों के मूल्य : अखिल भारतीय, ग्रामीण एवं शहरी

क्रम संख्या	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर	भंगुर वर्ग											
		0-100				0-10				90-100			
		चावल	गेहूं	मोटा अनाज	कुल	चावल	गेहूं	मोटा अनाज	कुल	चावल	गेहूं	मोटा अनाज	कुल
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						(5-1): अनुमानित मूल्य (पैसों में प्रति सेर)							
						ग्रामीण							
1	8	37	37	22	31	33	37	17	22	41	43	26	38
2	9	39	32	20	30	33	29	17	21	42	33	20	34
3	13	52	41	31	41	44	40	28	34	56	39	31	44
4	15	52	44	36	44	49	43	34	40	58	45	37	48
						शहरी							
5	8	43	40	25	38	39	36	23	30	50	45	29	46
6	13	56	43	32	47	50	41	31	40	65	46	33	54
7	15	62	45	38	51	55	42	37	44	67	49	62	58
						(5-2) : अनुमानित मूल्य का सूचकांक (8वां दौर = 100)							
						ग्रामीण							
8	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	9	105	86	91	97	100	78	100	95	102	77	77	89
10	13	141	111	141	132	133	108	165	155	137	91	119	116
11	15	141	119	164	142	148	116	200	182	141	105	142	126
						शहरी							
12	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	13	130	108	128	124	128	114	135	133	130	102	114	117
14	15	144	112	152	134	141	117	161	147	134	109	214	126

विवरण (6) : आयात, वसूली, सरकारी भंडार से दिया गया माल, उत्पादन, कुल आपूर्ति एवं विभिन्न अनाजों का इतिशेष माल

(दस लाख मी० टन)

फसल का वर्ष	जारी वर्ष	चावल					गेहूं					
		आयात	वसूली	जारी	उत्पादन	उपलब्धता (कालम 5+6—4)	इति-शेष माल	आयात	वसूली	जारी	उत्पादन	उपलब्धता (कालम 11+12—10)	इति-शेष माल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
जलाई–जून													
1951–52 . . .	1952	0.7	2.0	2.5	21.3	21.8	0.6	2.6	0.8	3.0	6.2	8.4	1.0
1952–53 . . .	1953	0.2	1.7	2.0	22.3	22.6	0.5	1.7	0.2	2.1	7.5	9.4	0.8
1953–54 . . .	1954	0.7	1.4	1.0	28.2	27.8	1.6	0.2	—	1.0	8.0	9.0	नगण्य
1954–55 . . .	1955	0.3	नगण्य	1.2	25.2	26.4	0.7	0.4	0.1	0.3	9.0	9.2	0.2
1955–56 . . .	1956	0.3	नगण्य	0.9	27.6	28.5	0.1	1.1	—	1.1	8.8	9.9	0.2
1956–57 . . .	1957	0.8	0.2	0.8	29.0	29.6	0.3	2.8	—	2.2	9.4	11.6	0.8
1957–58 . . .	1958	0.4	0.5	0.9	25.5	25.9	0.3	2.7	—	3.0	8.0	11.0	0.5
1958–59 . . .	1959	0.3	1.5	1.4	30.8	30.7	0.7	3.5	0.3	3.6	10.0	13.3	0.7
1959–60 . . .	1960	0.7	0.8	1.2	31.7	32.1	1.0	4.3	0.4	3.7	10.3	13.6	1.7
1960–61 . . .	1961	0.4	0.5	1.0	34.6	35.1	0.9	3.0	नगण्य	3.0	11.0	14.0	1.7
1961–62 . . .	1962	0.4	0.5	1.2	35.7	36.4	0.6	3.2	नगण्य	3.2	12.1	15.3	1.7
1962–63 . . .	1963	0.5	0.7	1.4	31.9	32.6	0.4	4.0	नगण्य	3.8	10.8	14.6	1.9
1963–64 . . .	1964	0.6	1.3	1.9	36.8	37.5	0.4	5.6	नगण्य	6.8	9.9	16.7	0.6
1964–65 . . .	1965	0.8	2.9	3.6	39.0	39.7	0.5	6.3	0.4	5.9	12.3	17.8	1.4

विवरण (6) : आयात वसूली, सरकारी भंडार से दिया गया माल, उत्पादन, कुल आपूर्ति एवं विभिन्न अनाजों का इतिशेष माल (जारी)

(दस लाख मी०टन)

फसल वर्ष	जारी वर्ष	अन्य अनाज						सभी अनाज					
		आयात	वसूली	जारी	उत्पादन	उपलब्धता (कालम 17+18 —16)	इति-शेष माल	आयात	वसूली	जारी	उत्पादन	उपलब्धता (कालम 23+24 —22)	इति-शेष माल
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
जुलाई–जून													
1951–52 . . .	1952	0.6	0.7	1.3	16.1	16.7	0.3	3.9	3.5	6.8	43.6	46.9	1.9
1952–53 . . .	1953	0.2	0.2	0.5	20.2	20.5	0.2	2.1	2.1	4.6	50.0	52.5	1.5
1953–54 . . .	1954	नगण्य	नगण्य	0.1	23.0	23.1	0.1	0.9	1.4	2.1	59.2	59.9	1.7
1954–55 . . .	1955	—	नगण्य	0.1	22.8	22.9	नगण्य	0.7	0.1	1.6	57.0	58.5	0.9
1955–56 . . .	1956	—	—	नगण्य	19.5	19.5	—	1.4	नगण्य	2.0	55.9	57.9	0.3
1956–57 . . .	1957	—	0.1	नगण्य	19.9	19.8	0.1	3.6	0.3	3.0	58.3	61.0	1.2
1957–58 . . .	1958	0.1	नगण्य	0.1	21.2	21.3	0.1	3.2	0.5	4.0	54.7	58.2	0.9
1958–59 . . .	1959	नगण्य	नगण्य	0.1	23.2	23.3	नगण्य	3.8	1.8	5.1	64.0	67.3	1.4
1959–60 . . .	1960	0.1	नगण्य	0.1	22.9	23.0	नगण्य	5.1	1.2	5.0	64.9	68.7	2.7
1960–61 . . .	1961	नगण्य	नगण्य	नगण्य	18.7	18.7	नगण्य	3.4	0.5	4.0	64.3	67.8	2.6
1961–62 . . .	1962	—	नगण्य	नगण्य	23.2	23.2	नगण्य	3.6	0.5	4.5	70.9	74.9	2.3
1962–63 . . .	1963	—	नगण्य	नगण्य	24.3	24.3	नगण्य	4.5	0.7	5.2	67.0	71.5	2.3
1963–64 . . .	1964	—	नगण्य	नगण्य	23.4	23.4	नगण्य	6.2	1.4	8.7	70.2	77.5	1.0
1964–65 . . .	1965	—	0.7	0.6	25.2	25.1	0.1	7.1	4.0	10.1	76.5	82.6	2.0

'नगण्य' का अर्थ है 0.5 लाख मी० टन से कम ।

40

डा० बी० के० मदान

की

टिप्पणी

हमारे कार्य के कुछ निष्कर्षों पर मुझे संक्षिप्त टिप्पणी देनी है, इस पर प्रकाश डालना आवश्यक भी है ताकि अध्याय 3 और विशेष रूप से अध्याय 4 (अध्यक्ष की टिप्पणी) के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के रुखों के बारे में गलतफहमी से बचा जा सके। विभिन्न आय-वर्ग के लोगों में जिनमें विशेष रूप से निम्नतम तथा उच्चतम आय-वर्ग के हैं, अनाज की खपत के रुख का विश्लेषण जिन आंकड़ों पर आधारित है "उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर मोटे निष्कर्ष निकालने के लिए ठीक ठीक माना गया था" ये आंकड़े दो या तीन बातों से संबंधित हैं जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 8 वें और 15 वें दौर की अल्पावधि में आते हैं। 8वां दौर जुलाई 1954 से मार्च 1955 तक चला और 15 वां दौर जुलाई 1959 से जून 1960 तक था दूसरा दौर, जिसके निष्कर्ष तुलना के लिए निकाले गए थे, 13 वां या जो सितम्बर 1957 से मई 1958 तक था। हमने अपने पर्यवेक्षण गरीबतम एवं धनिकतम भंगुर वर्गों के अनाज की कुल खपत तथा खपत के स्वरुप तथा विशेषरूप से अध्याय 4 (अध्यक्ष की टिप्पणी) के बारे में किय हैं। इन दो या तीन विभिन्न अवसरों पर पर्यवेक्षणों से निकाले गए अनेक निष्कर्षों पर बल दिया गया है। इन सभी तुलना में से रेखांकन करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई मैं अनुभव करता हूं वह यह है कि ये तीन वर्ष की अवधि (8 वें एवं 13 वें दौर के बीच) या 5 वर्ष की अवधि (8 वें एवं 15 वें दौर के बीच) के अलावा है और जिस दशाब्दि के रुखों का हमें अध्ययन करना था उससे बहुत थोड़े समय के लिए संबंधित थीं। कृषिक्रम में तेजी से मोड़ के कारण खाद्यान्न उपलब्धि में विशेष परिवर्तन आए इससे आर्थिक स्थिति में स्पष्ट अन्तर आया है इनसे ये तुलनाएं यदि विकृत नहीं हुई है फिर भी इनका प्रभावित होना तो अनिवार्य ही है। इनकी भी कोई निर्धारित या निश्चित ढांचा नहीं है। परन्तु खाद्यान्न खपत की मात्रा और संरचना से संबद्ध रुखों के सामान्य वातावरण में हुए लगभग नाटकीय परिवर्तन को खास विशेषता जो हमारे उद्देश्य से संबद्ध है यह है कि शुरु में उत्पादन अधिक था और मूल्य कम थे इसके बाद बहुत अच्छी फसलें हुई और कृषि मौसमों में प्रतिकूल परिवर्तन होने पर बाद की अवधि में उत्पादन बहुत अधिक था एवं मूल्य कम थे। उत्पादन और मूल्यों में ये अल्पावधि परिवर्तन तथा विभिन्न आय-वर्गों के खपत के आंकड़े जो कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन शीलता की घटना के परिणाम हैं, लम्बी अवधि के रुखों के दृढ़ सूचक नहीं है। उच्च तथा निम्न आय वर्गों के बीच खाद्यान्न खपत की महत्वपूर्ण तुलना के लिए वितरण के रुखों के विशेष संदर्भ सहित उत्पादन की बुनियादी परिस्थिति में उचित समानता, खाद्यान्न के मूल्य और सामान्य उपलब्धि एवं बाजार कार्यप्रणाली में स्वतन्त्रता की आवश्यकता है। पूरी दशाब्दि की अवधि में अध्ययन के लिए यह बहुत लम्बा समय समझा गया था, रुखों की तुलना के लिए हमारे पास पर्याप्त एवं संतोषजनक आकड़े नहीं थे। विभिन्न आय-वर्गों के खपत की मात्रा और संरचना पर प्रकाश डालने वाले आंकड़े केवल उसे 5 वर्ष की अवधि के उपलब्ध थे। इसलिए इस अल्पावधि के जो रुख सामने आए हैं वे तुलना के लिए ली गई इस अल्पावधि के अंतिमक्षण में उपलब्ध खाद्यान्न तथा सामान्य कृषि की स्थिति में होने वाले भयंकर परिवर्तनों की कमी के कारण हैं। इस सम्बन्ध में यद्यपि अध्याय 4 (अध्यक्ष की टिप्पणी) में कुछ अग्रिम विश्लेषण किया गया है, अध्याय 3 में उत्पादन एवं मूल्यों में परिवर्तन एवं समय समय पर नियंत्रण की मात्रा से विश्लेषण अन्त में आलोच्य बन गया है, इसमें बुनियादी कृषि के दृष्टिकोण के परिवर्तनों की उपेक्षा की गई है जो उनके कुछ रुखों को स्पष्ट करते है और उनके महत्व को समाप्त करते हैं।

अध्याय 5

सांख्यिकीय खामियों के बारे में सिफारिशें

प्रस्तुत अध्ययन जैसे ही अन्य अध्ययनों के लिए आवश्यक सांख्यिकीय सूचनाओं के बारे में हमने अपनी सिफारिशें इस अध्याय में दी हैं। हम से कहा गया था कि "इस समय जो सांख्यिकीय और आर्थिक आंकड़े इकट्ठे किये जा सकते हैं उनका निर्धारण किया जाय और वर्तमान सूचनाओं में जो खामियां हैं उनका पता लगाया जाये तथा भविष्य में इन खामियों को दूर करने के उपाय सुझाये जायें"। पहले के अध्यायों में हम वह सब आंकड़े प्रस्तुत कर चुके हैं जो हमें उपयोग योग्य लगे हैं और हमारे निष्कर्ष इन्हीं आंकड़ों पर आधारित हैं। निष्कर्ष निकालते समय हमने बहुधा उन खामियों का उल्लेख कर दिया है जो काम में लायी गयी सांख्यिकीय सामग्री में हो सकती थीं। हमने यह बताने का भी प्रयत्न किया है कि इन खामियों के कारण हमारे निष्कर्ष कहां तक प्रभावित हो सकते हैं। इस अध्याय में हम उन आंकड़ों का संक्षिप्त लेखा देना चाहते हैं जिनका उपयोग हमने "वर्तमान सूचनाओं में विद्यमान खामियों का पता लगाने के लिए और भविष्य में इन खामियों को दूर करने के उपाय सुझाने में किया है"।

2. कुल मिलाकर देखा जाये तो जिस सांख्यिकीय सामग्री का हमने उपयोग किया है उसका वर्गीकरण नीचे लिखी श्रेणियों में किया जा सकता है :

(1) घरेलू खपत के बारे में नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े;

(2) राष्ट्रीय आय और विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन के सरकारी आंकड़े;

(3) औद्योगिक उत्पादन के सरकारी आंकड़े;

(4) वेतन, आय और उपभोक्ता वस्तुओं के आंकड़े;

(5) स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, संचार, आवास, आदि सामाजिक व तत्संबंधी सेवाओं के आंकड़े;

(6) आय कर के आंकड़ें;

(7) कम्पनी संबंधी आंकड़े ;

(8) गैर सरकारी अनुसन्धान पत्र ।

3. गैर सरकारी अनुसन्धान पत्रों से ली गई आधारसामग्री की गुणवत्ता के मूल्यांकन की कसौटी निर्धारित कर पाना कठिन है। पर अन्य स्रोतों से ली जाने वाली मान्य आधार सामग्री के परीक्षण और चुनाव की जो आधारभूत कसौटी हमने अपनायी है उस पर आरम्भ में संक्षेप में विचार किया जा सकता है। कोई भी सांख्यिकीय सूचना तभी संतोषजनक हो सकती है जब कि वह किसी विशिष्ट समयबिन्दु पर किसी विशेष लक्षण के बारे में मान्य प्राक्कलन के रूप में हो। परिवर्तन को मापने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के दो स्वतंत्र प्राक्कलन दो विभिन्न समय बिन्दुओं पर किये गये हों। एक बार जब यह सुनिश्चित कर लिया जाये तो यह देखना भी आवश्यक है कि उद्दिष्ट प्रयोजन को देखते हुए ये प्राक्कलन पर्याप्त परिशुद्ध हों। इस प्रकार आंकड़ों की खामियों पर नीचे लिखे शीर्षकों के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है ;

(क) जहां किसी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं,

(ख) जहां उपलब्ध आंकड़े मान्य प्राक्कलन के रूप में नहीं माने जा सकते हैं, और

(ग) जहां उपलब्ध आंकड़े मान्य प्राक्कलन के रूप में तो हैं पर हमारे प्रयोजन के लिए पर्याप्त शुद्ध नहीं हैं।

जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां नये आंकड़े इकट्ठे करने के लिए उपायों और साधनों की सिफारिश करनी आवश्यक है, अन्य मामलों में माप पद्धति की मान्यता को सुनिश्चित करने के लिए हमें माप पद्धति में सुधार करने के लिए सुझाव देने पड़े हैं और प्राक्कलनों की परिशुद्धता को बढ़ाने के लिए सर्वेक्षित एककों की संख्या को बढ़ाने के सुझाव दिये गये हैं।

4.1. हमारे द्वारा काम में लाये गये घरेलू खपत से संबंधित नमूना सर्वेक्षण आंकड़ों का अधिकांश भाग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से लिया गया है। हमने प्रतिव्यक्ति कुल उपभोक्ता व्यय के भंगुर वर्गों (फैक्टाइल ग्रुप्स) के अनुसार औसत प्रतिव्यक्ति "कुल उपभोक्ता व्यय" कुछ चुने हुए मदों की मात्रा और/अथवा मूल्य के अनुसार प्रति व्यक्ति वास्तविक उपभोग के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। भंगुर वर्गों का वितरण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक भंगुरवर्ग की अनुमानित जनसंख्या बराबर रहे। इसके अतिरिक्त हमने जमीन की जोतों, आवास स्थितियों, ग्राम सांख्यिकी आदि से संबंधित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों का भी उपयोग किया है। राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ अनुसन्धान परिषद् (नेशनल काउंसिल आफ ऐप्लाइड इकोनामिक रिसर्च) द्वारा किये गये सर्वेक्षणों पर आधारित आंकड़ों का भी हमने उपयोग किया है। यह आंकड़े आय, बचत और प्रत्याशियों की कुछ अन्य विशिष्टिताओं से संबंधित हैं।

4.2. नमूना सर्वेक्षण के जिन आंकड़ों का हमने उपयोग किया है वे विशिष्ट समय बिन्दुओं पर जनसंख्या के कुछ विशिष्ट लक्षणों की ठीक ठीक मात्रा को व्यक्त करते हैं और इस प्रकार वे उनपर निर्धारित हमारी आधारभूत कसौटी को पूरा करते हैं। पर हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि होने वाले परिवर्तन की माप करने के लिए यह भी आवश्यक है कि जिनमें तुलना की जानी है उन समय बिन्दुओं पर काम में लाई गई संकल्पनाएं और परिभाषाएं एक समान हों। दूसरी ओर आंकड़ों के संग्रह लगातार सुधार करते रहने के लिए हमारा यह भी विचार है कि संकल्पनाओं और परिभाषाओं में लगातार परिवर्तन होते रहना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था के बदलते हुए ढांचे को ध्यान में रखा जा सके। हम समझते हैं कि इन विभिन्न आवश्यकताओं के बीच परस्पर उचित संतुलन रखा जाना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब कि नमूना सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त किये गये आंकड़ों का बड़ा भाग लगातार संग्रह किया जाता रहे जिससे संकल्पनाओं और परिभाषाओं का स्वतः समंजन होता रहे और उत्तरोत्तर अवधियों में तुलनीयता में एकाएक उत्कट अन्तर न आने पाय।

4.3. हमारे द्वारा काम में लाये गये नमूना सर्वेक्षणों के आंकड़े अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक अनुमान निकालने के लिए सामान्यतया "पर्याप्त परिशुद्ध" माने गये हैं। पर ये सर्वेक्षण क्षेत्रीय स्तर पर अनुमान निकालने के लिए अथवा परिवारों द्वारा बहुत विरले काम लाने जाने वाली वस्तुओं की खपत के बारे में या आबादी के अध्ययनाधीन छोटे और सार्थक उप-वर्गों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अनुमान निकालने के लिए पर्याप्त विशाल नहीं हैं।

4.4. नमूना सर्वेक्षणों के बारे में हमारी सिफारिशें इस प्रकार हैं।

(क) जीवन स्तर में होने वाले परिवर्तनों और असमानताओं के अध्ययन का काम घरेलू बजटों के नमूना सर्वेक्षण किये बिना नहीं चल सकता। घरेलू खपत के क्षेत्र के बारे में मुख्यतया राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा इकट्ठे किये गये आंकड़ों की विशाल राशि पहले से ही उपलब्ध है। इसलिए आंकड़ों के पूर्ण अभाव की कोई समस्या नहीं है यद्यपि जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है उपलब्ध आधार सामग्री की कुछ अपनी सीमाएं हैं। इसलिए हमारी सिफारिश यह है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किये जाने वाले पारिवारिक खपत के सर्वेक्षण लगातार उपयुक्त अवधियोंपर चलते रहने चाहिए। समय समय पर ये सर्वेक्षण काफी बड़े पैमाने पर भी किये जाने चाहिये जिससे न केवल अखिल भारतीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सामान्य जनता द्वारा की जाने वाली खपत से संबंधित प्रामाणिक सूचना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके अपितु विभिन्न आर्थिक-सामाजिक वर्गों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ख) उत्तरोत्तर गठित वित्त आयोगों ने कुछ जिनसों की खपत के आंकड़ों की आवश्यकता को अनुभव किया है यद्यपि उनका प्रयोजन भिन्न रहा है जीवन स्तरों के परिवर्तनों का अध्ययन नहीं। द्वितीय वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि जिन पर उत्पादन कर लगता है ऐसी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की खपत के आंकड़ें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जैसी संस्थाओं के माध्यम से इकट्ठे किये जायें। हम इस विचार की पुष्टि करते हैं और हमारा सुझाव यह भी है कि इस मामले में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सामान्य दौर पर्याप्त नहीं होंगे, इसके लिए विशेष पूछताछ करनी आवश्यक होगी। अच्छा होगा कि इसके लिए नमूने का ऐसा आधार स्वीकार किया जाये जो बहुप्रयोजनीय स्तरीकरण पर आधारित हो और जिस में खपत की प्रादेशिक विभिन्नताओं के साथ ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाये।

(ग) आय के बारे में पर्याप्त आंकड़ों की आवश्यकता पर हमने काफी जोर दिया है, इन आंकड़ों के अभाव के कारण हम आय के वितरण के परिवर्तनों का पूर्ण अध्ययन नहीं कर पाये। हमारे देश में आय-संबंधी आंकड़ों का नियमित स्रोत अखिल भारतीय आयकर राजस्व के आंकड़े हैं। उनकी अन्य सीमाओं के साथ ही एक कमी यह भी है कि ये आय के वितरण के बारे में जानकारी देने में असमर्थ हैं क्योंकि ये आंकड़े आय कर देने वालों की आय को ही सूचित कर सकते हैं और आयकर देने वाले हमारे देश की जनसंख्या का एक अत्यन्त अल्प अंश मात्र हैं। हमने बाद में इस खंड में उन आंकड़ों पर विस्तार से विचार किया है। यहां हम केवल नमूना सर्वेक्षणों द्वारा किये जाने वाले आय के आंकड़ों के संग्रह पर ही विचार करेंगे। आय के आंकड़ों की आवश्यकता को देखते हुए परिवारों की, वैयक्तिक आय के बारे में लगातार जानकारी एकत्रित की जानी चाहिए। हमें पता चला है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने 19 वें दौर से एक विशेष अनुसूची, समेकित परिवार अनुसूची के रूप में जारी की है। इस अनुसूची में अन्य बातों के साथ साथ पारिवारिक आय और व्यय के बारे में व्यापक आंकड़े लगातार इकट्ठे किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। आशा है इस प्रकार इकट्ठी की गई सूचना से पारिवारिक आय और व्यय के आंकड़ों की खामियां काफी हद तक दूर हो जायेंगी।

(घ) आय और धन के वितरण से संबंधित कोई प्रत्यक्ष सामग्री उपलब्ध नहीं है इसलिए हमें विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सांख्यिकीय सामग्री का आधार लेना पड़ा है। हमारे देश में अभी तक जनगणना से आय संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। यद्यपि बहुत से देशों में जनगणना में आय संबंधी प्रश्न शामिल किये जाते हैं पर आय वितरण के बारे में सूचना के संबंध में जनगणना का योगदान महत्वपूर्ण नहीं रहा है। प्रत्यर्थियों की बहुत बड़ी संख्या, प्रश्नावली का विस्तृत क्षेत्र और आय संप्रत्यय का अर्थ लगाने में सामने आने वाली कठिनाइयां आदि कुछ बाधाएं हैं जो कि जनगणना के साथ संलग्न हैं और परिणामस्वरूप इसमें आय का सामान्यतया स्थूल अनुमान ही लगाया जा सकता है। पर जनगणना की सर्वव्यापकता और आय प्राप्त करने वालों के बारे में इससे प्राप्त होने वाली जनांकिकीय सूचनाओं की बहुलता इन अनुमानों की निम्नकोटि की क्षतिपूर्ति कर सकती है। कुछ देशों में प्राप्त की जाने वाली सूचना की कोटि को सुधारने के लिए जनगणना के साथ साथ नमूना लेने की पद्धति जारी की गई है। संयुक्तराज अमरीका में दशवार्षिक जनगणना के समय आय संबंधी सूचना संग्रहीत करने के लिए पांच में से एक परिवार को एक विशेष अनुसूची वितरित की जाती है। लंका और दक्षिण अफ्रीका में भी एक ऐसी ही पद्धति काम में लाई जा रही है जिसमें दस प्रतिशत नमूना परिवार शामिल किये जाते हैं। भारत में भी दशवार्षिक जनगणना के एक अंग के रूप में इसी पद्धति पर एक सीमित अन्वेषण उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

(ङ) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् (एन० सी० ए० ई० आर०) द्वारा किये गये आय और बचत संबंधी सर्वेक्षण जैसे आवधिक सर्वेक्षणों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, परन्तु ऐसे मामलों में सर्वेक्षण की योजनाएं इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए जिससे सुनिश्चित रूप से ऐसे दो समय बिन्दुओं पर आंकड़े संग्रह किये जा सके जिनमें परस्पर कुछ वर्षों का अन्तर हो।

(च) जो बात ऊपर (ङ) में आय संबंधी नमूना सर्वेक्षणों के लिए कही गई है उसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के भूमि जोतों के सर्वेक्षण पर भी लागू किया जा सकता है क्योंकि ये जोतें विशेषत: रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति के रूप में हैं।

5.1. विभिन्न अध्यायों की सारणियों में हमने राष्ट्रीय आय के सरकारी आंकड़ों का उपयोग किया है। राष्ट्रीय आय के सरकारी आंकड़े अत्यन्त असमान ढंग की आधार सामग्री पर आधारित हैं, इसी प्रकार उत्पादन के कुछ सरकारी अनुमान पर्याप्त ठीक प्रतीत होते हैं और अन्य ऐसे प्रतीत नहीं होते। अन्य वैकल्पिक आंकड़ों के अभाव में हमने अध्ययनाधीन दशक के दौरान कुल मिलाकर प्रति-व्यक्ति राष्ट्रीय आय और खपत की वृद्धि दर के प्राक्कलन के लिए राष्ट्रीय आय के सरकारी आंकड़ों का ही उपयोग किया है।

5.2. राष्ट्रीय आय के आंकड़े कुल मिलाकर ऐसी आधार सामग्री से व्युत्पादित तथा आधारित हैं जिसे किसी समयविशेष कर किसी विशिष्ट लक्षण की माप प्रक्रिया का परिणाम नहीं माना जा सकता। इस समय उपलब्ध आंकड़ों की अपर्याप्तता के कारण कई महत्व-पूर्ण क्षेत्रों के उत्पादन स्तर को निश्चत करने के लिए आत्मनिष्ठ निर्णय करने पड़े हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि नियमित उपलब्ध सरकारी आंकड़ों पर आश्रित है और कुछ अर्थों में ये आंकड़े भी सीमित हो सकते हैं। कुछ मिलाकर देखें तो किसी भी वर्ष विशेष के कुल राष्ट्रीय आय के वर्तमान अनुमान स्पष्टतया किसी भी माप पद्धति के परिणाम नहीं होने जा सकते। इस प्रकार की स्थिति पूर्णतया असन्तोषजनक है और हमारी सिफारिश यह है कि राष्ट्रीय आय के सरकारी आंकड़ों को सुधारने के लिए लगातार ध्यान दिया जाना चाहिए। परन्तु हम यह आवश्यक नहीं समझते हैं कि इस विषय ने हमें अधिक ब्यौरा देना चाहिए क्योंकि इस कार्य के लिए उपयुक्त अभिकरण विद्यमान हैं। यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को इकट्ठा करने से संबंधित सलाहकार समिति, जिसको यह काम पहले से ही सौंपा जा चुका है, अपने कार्यक्रम को इस प्रकार नया रूप दे जिससे राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के सुधार के लिए न्यूनतम आधार सामग्री शीघ्र इकट्ठी की जा सके। इस संबंध में यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि इस समिति के अन्तर्गत छोटे छोटे दल बनाये जायें और इनमें से प्रत्येक दल को कुछ महत्वपूर्ण समुच्चयों की विशिष्ट समस्याएं सौंपी जायें। इस प्रकार की व्यवस्था से समिति का कार्य अधिक कारगर ढंग से और शीघ्रता से सम्पन्न हो सकता है।

5.3. असंगठित सेवा क्षेत्र और कारखानों के बाहर के माल निर्माण कार्यों से संबंधित राष्ट्रीय आय के अनुमान श्रमिक शक्ति के व्यापक अनुमानों और उन क्षेत्रों में लाभकारी ढंग से रोजगार में लगे व्यक्तियों की प्रतिव्यक्ति औसत आय के अनुमानों पर आधारित हैं। यह सुझाव है कि उन विशेषताओं के लिए इन्टर-सेंनसल अनुमानों को प्राप्त करने के हेतु समुचित पद्धति निकाली जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक योजना के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के सभी आंकड़े राज्य स्तर पर प्राप्त किये जायें।

5.4. कृषि, उद्योग और तत्सम्बन्धी क्षेत्रों के उत्पादन के सरकारी आंकड़ों के संबंध में हम अनुभव करते हैं कि राष्ट्रीय आय संबंधी सलाहकार समिति को इस कार्य में महत्वपूर्ण भाग अदा करना चाहिए। परन्तु हमारा सुझाव है कि महत्वपूर्ण जिन्सों के उत्पादन के अनुमानों के बारे में जब तक विचारों में मतैक्य न हो जाये, संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब कि सभी मामलों में यत्नपूर्वक माप की वैज्ञानिक पद्धतियां तब तक अपनाई जायें जब तक सभी प्रकार के सन्देह दूर न हो जायें और विषय की सत्यता क्रमश: स्पष्ट न हो जाये।

6. औद्योगिक उत्पादन के बारे में इस समय उपलब्ध आंकड़ों के संबंध में हम एक विशेष बात कहना चाहते हैं। "भारत के चुने हुए उद्योगों के उत्पादन के मासिक आंकड़े" जैसे नियमित सरकारी प्रकाशनों में आई हुई जिन्सों के अतिरिक्त अन्य ऐसी जिन्सों की उपलब्धता के बारे में जो अपरिहार्य नहीं है, नियमित आधार पर आंकड़े संग्रहीत और संकलित करना उपयोगी होगा। इस प्रकार की कुछ थोड़ी सी वस्तुओं के बारे में हमने आंकड़े एकत्रित किये हैं और राष्ट्रीय समष्टि संबंधी खंड में प्रस्तुत किये हैं पर विकासशील अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की सूची कभी पूर्ण या पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने वाली नहीं मानी जा सकती। "भारत के चुने हुए उद्योगों के उत्पादन के मासिक आंकड़ें" के अन्तर्गत लगभग 200 जिन्सों के आंकड़े रहते हैं जिनमें से कुछ थोड़ी सी जिनसें गैर-अपरिहार्य श्रेणी की मानी जा सकती हैं। हमारा सुझाव है कि इनमें कुछ और वस्तुएं भी शामिल की जायें और उदाहरण के रूप में हम कुछ का उल्लेख नीचे कर रहे हैं :

1. दुग्धखाद्य
2. मक्का और गेहूं के चिउड़े
3. परिशोधित और वेल्लित जई और जई का चिउड़ा
4. काजू की गिरी (कारखाने का उत्पादन)
5. डिब्बाबन्द फल
6. मिठाइयां
7. विदेशी शराबें (भारत में बनी)
8. चुरुट और सिगार
9. मुख पर लगाने की क्रीम और स्नो

10. शेविंग क्रीम और आफ्टर शेव लोशन

11. मुख पर लगाने का पाउडर

12. शरीर पर लगाने का पाउडर

13. टूथ पेस्ट

14. दंत मंजन

15. शेम्पू और अन्य केश प्रसाधन सामग्री

16. टेरीलिन और कृत्रिम रेशे

17. प्रेशर कुकर, गैस कुकर

18. कपड़े धोने की मशीनें

19. बाक्स कैमरा

20. सिगरेट लाइटर

7.1. एक सारणी में हमने विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के वेतन और आय के आंकड़ों का उपयोग किया है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से मिलान करके उन्हें अपसंगीत किया है और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में हुए वास्तविक सुधार और प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय से उनकी तुलना की है। ये कुल मिलाकर लगभग एक दर्जन व्यवसाय वर्ग थे। इन आंकड़ों से यद्यपि निश्चायक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते पर हम समझते हैं कि इस प्रकार की सामग्री विशेष स्तर पर उपयोगी ही सकती है। अतः हमारा सुझाव है कि इस विषय में उपलब्ध वर्तमान सूचना में सुधार किया जाये और मजदूरी व वेतन पाने वालों की अधिकाधिक श्रेणियों को इसमें शामिल किया जाये जिससे उस स्थिति तक पहुंचा जा सके जहां सभी कर्मचारियों के बारे में वार्षिक आंकड़े उपलब्ध हो सकें। अधिक विशिष्ट रूप में कहें तो हम यह सिफारिश करेंगे कि अध्यापकों व बैंकों, दुकानों, निगम संस्थाओं आदि के कर्मचारियों जैसे व्यवसाय वर्गों की आय और वेतन के आंकड़े नियमित रूप से इकट्ठे किये जाने चाहिए।

7.2. वेतन या आय को घटाकर स्थिर मूल्य स्तर तक लाने के लिए प्रयुक्त अपस्फीतिकारक अध्ययनाधीन वर्ग से संबंधित होना चाहिए। मजदूरी और वेतन प्राप्त करने वाले विभिन्न वर्गों पर लागू होने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के उपलब्ध न होने के कारण बहुधा सरकारी श्रमिक वर्ग उपभोक्ता सूचकांकों का ही उपयोग आय की अवस्फीति करने के लिए कर लिया जाता है पर ये सूचकांक मुख्यतया कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों से संबंधित हैं। उद्योगों में काम करने वालों, ग्रामीण श्रमिकों और गैर-शारीरिक काम करने वाले कर्मचारियों जैसे विभिन्न वर्गों के बारे में अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करके प्रकाशित करना उपयोगी होगा। हमने देखा है कि इस प्रकार के सूचकांक तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। यह जान कर सन्तोष होता है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने इस दिशा में काम आरम्भ कर दिया है और 1960=100 के आधार पर शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों के लिए 45 केन्द्रों के, जिनमें 16 महानगर शामिल हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार कराये हैं।

8.1. शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन व संचार सुविधाओं तथा आवास स्थितियों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हमने सामाजिक सेवाओं की उपलब्धि में सुधारों पर विचार किया है। इसके लिए हमने अधिकतर नियमित सरकारी आंकड़ों का सहारा लिया है।

8.2. शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और संचार सुविधाओं संबंधी आधार सामग्री प्रशासन द्वारा गौण रूप में संग्रहीत व्यावहारिक आंकड़ों से प्राप्त की गई है। इन आंकड़ों में सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल करने का प्रयत्न किया गया है पर बहुत से मामलों में उत्तर प्राप्त न होने के कारण ये पूर्ण नहीं है। उदाहरणार्थ शिक्षा सुविधा संबंधी आंकड़े केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं से लिये गये हैं इनमें वे शिक्षा संस्थाएं शामिल नहीं की गई हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। चिकित्सा संबंधी आंकड़ों सरकारी व स्थानीय निकायों के अस्पतालों व दवाखानों को शामिल किया गया है, निजी चिकित्सालयों और दवाखानों को नहीं। चिकित्सकों की संख्या के आंकड़ों में केवल रजिस्टर्ड एलोपैथिक चिकित्सक शामिल हैं चाहे वे सरकारी सेवा में हों या निजी सेवा में या स्वयं अपना व्यवसाय चला रहे हों। इनके आंकड़े मेडिकल काउंसिलों से प्राप्त किये गये हैं, जहां ये काउंसिलें नहीं हैं वहां के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा के आनुषंगिक कर्मचारियों संबंधी आंकड़ों में भी इसी प्रकार की कमियां हैं। इसलिए डाक्टरों की संख्या निकालने के लिए हमने अनुमान की कुछ पद्धतियों का आश्रय लिया है।

8.3. हम अनुभव करते हैं कि डाक्टरों, अध्यापकों और स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्रों के अन्य प्रमुख कर्मचारियों की संख्या के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करने के लिए उपयुक्त अभिकरणों द्वारा लगातार कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए गणना पद्धति का अर्थात् नेमी प्रशासनिक पद्धति का जिसमें सर्वेक्षणों से भी सहायता ली जायेगी और दूसरे उत्पादन ऋण घर्षण पद्धति का जिसका कि हमने प्रयोग किया है, सहारा लिया जा सकता है। जहां तक निजी संस्थाओं और व्यक्तियों का सम्बन्ध है, आवश्यक आंकड़ों के संग्रह के लिए उपयुक्त अभिकरण और पद्धतियां अपनानी आवश्यक होंगी और यह काम सरल नहीं है। पर हम इस बात पर जोर देंगे कि यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें आवश्यक आंकड़ों का संकलन पर्याप्त लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरे हमारी सिफारिश यह है कि इस प्रकार के आंकड़ों के शीघ्र संकलन और प्रकाशन की व्यवस्था की जाये। हमारी दृष्टि से यह कार्य वर्तमान अभिकरणों को पुनरुज्जीवित करके किया जा सकता है।

8.4. रेल और संचार सेवाओं सम्बन्धी आंकड़े सरकारी अभिकरणों से निःसृत होते हैं जिनके ऊपर उनके संचालन का पूरा भार है अतः इन आंकड़ों में यदि कोई कमियां हैं भी तो अत्यन्त महत्वहीन ढंग की हैं अतः इनके बारे में हम यहां कोई सिफारिश नहीं करते। सड़क परिवहन और गैर समुद्रजल परिवहन का एक बड़ा भाग अब भी निजी प्रबन्ध के अधीन है, इसके बारे में ऐसी सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यही बात असंगठित परम्परागत परिवहन पर भी लागू है जिसका महत्व हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार भी कम नहीं है। अतः हम सिफारिश करेंगे कि निजी प्रबन्ध के अधीन परिवहन के बारे में नियत अवधियों के अन्तर पर और परम्परागत परिवहन के बारे में विशेषरूप से नमूना सर्वेक्षणों द्वारा व्यवस्थित रूप से आंकड़े इकट्ठे किये जायें।

8.5. आवास जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्ष 1961 की जनगणना में आवास स्थितियों के बारे में कुछ आंकड़े इकट्ठे किये गये थे, ये आंकड़े जनगणना के 20 प्रतिशत मकानों के नमूने पर आश्रित हैं। परन्तु 1951 की जनगणना में इस संबंध में कोई सूचना संग्रहीत नहीं की गई थी इसलिए जनगणना के अन्तर्वर्ती दशक की अवधि में क्या परिवर्तन हुए, इसका अध्ययन नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने कुछ दौरों में अन्वेषणात्मक आधार पर आवास सुविधाओं संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए हैं, ये आंकड़े मकानों की दीवालों, छतों आदि के प्रकार, प्रत्येक कमरे में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या, प्रतिव्यक्ति औसत फर्श-क्षेत्रफल आदि पर आधारित हैं। हमारी सिफारिश है कि एक ओर तो जनगणना द्वारा और भी अधिक व्यौरे के साथ इस प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठे करने का काम जारी रखा जाये और दूसरी ओर जनगणनाओं के बीच की अवधि में नियमित अन्तरालों के बाद नमूना सर्वेक्षणों द्वारा इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किये जाएं।

8.6. कारखानों, बागानों और खानों के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिये किये गये उपायों के बारे में नियमित आधार पर आंकड़े उपलब्ध हैं। अलग अलग समयों पर विभिन्न वर्ग के श्रमिकों को भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ पहुंचाये जाते हैं अतः ये आंकड़े सदैव पूर्णरूप से परस्पर तुलनीय नहीं हो सकते। तो भी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं की मात्रा की वृद्धि से श्रमिकों की स्थिति में सामान्य सुधार हुआ है यह व्यक्त हो जाता है। समाज के सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना सरकारी नीतियों का एक चरम लक्ष्य है, इसलिये अधिक व्यापक क्षेत्र को लेकर सभी वर्गों के लिए और क्षेत्रीय विवरण के साथ सामाजिक सुरक्षा के आंकड़ों का संकलन करना श्रमिक कल्याण के लिए किये गये उपायों के उचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक होगा।

9.1. हमने मुख्य रूप से इस रिपोर्ट के (भाग 1 के) तीसरे अध्याय में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का उपयोग किया है। ये आंकड़े करदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई आय कर विवरणियों से लिये गये हैं और उस वर्ष के दौरान पूर्ण हुए कर निर्धारण से संबंधित हैं। व्यक्तिगत आय के निर्धारण के अधिकांश मामले सामान्यतया जिस वर्ष की आय होती है उसके अगले वर्ष में पूरे कर लिये जाते हैं। पर फर्मों की आय के निर्धारण के मामलों में कुछ देर लगती है। यह स्पष्ट ज्ञात नहीं है कि इस देरी के कारण समयान्तर पर निर्धारण शृंखला की तुलनीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह भी असंभावित नहीं है कि वर्ष के दौरान किसी करदाता के सम्बन्ध में पूरे किये गये कर निर्धारण एक से अधिक वर्षों की आय के हों पर ऐसे मामलों में एक ही करदाता की गणना एक से अधिक बार की जाती है। हम आर्थिक विश्लेषणों में परिवार और व्यक्ति इन संधारणाओं का उपयोग करते हैं, पर साधारणतया करदाता की संधारणा में इन्हें संबद्ध करना कठिन है। रिपोर्ट के अन्तर्गत हमने यथास्थान आय कर की प्रमुख सीमितताओं की चर्चा की है।

9.2. कुछ देशों में आय कर के आंकड़ों पर आधारित अध्ययनों से पता चलता है कि दीर्घकालावधि में आय की असमानता में प्रतीयमान कमी आई है। इस विषय के बहुत से सूक्ष्मदर्शी अध्येता इसे वास्तविक परिवर्तन नहीं मानते हैं। वे अनुभव करते हैं कि समाज में लगातार रूपान्तर चल रहा है जिसके कारण जो सत्ताएं आय का उपयोग करती रही हैं वे नाममात्र की निम्न आय स्वीकार करने के लिए तैयार हैं पर इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी मात्रा में सुरक्षा, विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों पर अधिकार, आर्थिक शक्ति और पूरे जीवन भर के लिए जीवन स्तर में सुधार भी प्राप्त करना चाहती हैं——और यह सब केवल वर्तमान आय में थोड़ा सा त्याग करके। इस प्रकार हाल में नामिक आय में जो समानता दिखाई दी है वह आय का उपयोग करने वाले आय से वास्तव में जो खरीद सकते हैं उसमें सम्भवतः बढ़ी हुई असमानता से संगत बैठती है।

9.3. कुल मिलाकर देखें तो आय कर के आंकड़ों से हम बहुत उपयोगी और विश्वसनीय जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यद्यपि बाध्य होकर हमें इन आंकड़ों का उपयोग करना पड़ा है। इसीलिए हम इस क्षेत्र में कोई व्यौरेवार सिफारिशें नहीं करेंगे। पर, हम अनुभव करते हैं कि नीचे दी गई कार्य की तीन दिशाएं उपयोगी होंगी :

(1) व्यक्ति और परिवार जैसी आर्थिक संकल्पनाओं और करदाता की कर संकल्पना में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस कार्य को अनुसन्धान स्तर पर आरम्भ किया जा सकता है परन्तु इस कार्य में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का सहयोग लिया जाना चाहिये।

(2) न्यून-सूचना देने और करावबंचन के बारे में भी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के सहयोग से व्यवस्थित अध्ययन किया जाना चाहिये।

(3) अन्त में हम अनुभव करते हैं कि अन्तिम पैराग्राफ में हमने जिस समस्या पर विचार किया है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि भारतीय पृष्ठभूमि में उस पर लगातार अध्ययन किया जाये। वस्तुतः यह वांछनीय होगा कि इसके लिए एक अध्ययन दल गठित किया जाये।

10.1. अध्याय 4(भाग 1) में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण का अध्ययन करते समय हमने इन आंकड़ों का व्यापक उपयोग किया है : निर्माता उद्योगों की जनगणना और नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े, कम्पनी ला एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रकाशित निगम क्षेत्र के आंकड़े, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित जवाइंट स्टाक कम्पनियों के तुलनपत्रों का विश्लेषण और औद्योगिक उत्पादन व रोजगार संबंधी आंकड़ों पर आधारित विधि अनुसन्धानात्मक अध्ययन तथा कंपनियों के लेखा विवरणों में दी गई सूचनाएं। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों पर पुनः चर्चा करने का हमारा विचार नहीं है। हम पहले संक्षेप में इसकी समीक्षा कर चुके हैं और वहां हमने यह भी बताया है कि इन आंकड़ों के सुधार के लिए लगातार प्रयत्न किये जाने चाहिए।

10.2. ज्वाइंट स्टाक कंपनियों के आंकड़ों में सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की कंपनियां शामिल हैं (जिन्हें आगे चलकर सरकारी और गैर सरकारी, दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है), ये कंपनियां कंपनी अधिनियम द्वारा शासित है, ये आंकड़े राज्यों के ज्वाइंट स्टाक कंपनियों के रजिस्ट्रारों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों पर आधारित हैं। वर्तमान कंपनियों के आंकड़े जो नई कंपनियों की रजिस्ट्री और पुरानी कंपनियों के बन्द होने पर आधारित हैं सामान्यतया संशोधित होते रहते हैं क्योंकि जैसे ही उपलब्ध होते हैं नये अस्थायी आंकड़े प्रकाशित कर दिये जाते हैं। प्रदत्त पूंजी और उसमें होने वाले परिवर्तनों की सूचना कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों पर आधारित है। कंपनी की साधारण सभा को वार्षिक बैठक के बाद छह सप्ताह के अन्दर वार्षिक विवरणी पेश करनी होती है। अतः प्रदत्त पूंजी के आंकड़े सामान्यतया एक वर्ष से अधिक समय व्यवधान से प्राप्त होते हैं। इस बीच ज्ञापन पत्र और संस्था की अन्तर्नियमावली पर हस्ताक्षर करने वालों द्वारा किये गये शेयरों पर अदा की गई राशि के आधार पर अस्थायी आंकड़े प्रकाशित कर दिये जाते हैं। नई रजिस्ट्री होने वाली कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी के आंकड़े सामान्यतया अपूर्ण होते हैं। परिसम्पत्ति में परिवर्तन की स्थिति में नहीं परन्तु परिसमापन के संबंध से प्रकाशित आंकड़े साधारणतया अपूर्ण और अस्थायी होते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले वर्षों के आंकड़ों अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय माने जा सकते हैं पर सबसे बाद के वर्ष के आंकड़े साधारणतया अपूर्ण और पुनर्विचाराधीन होते हैं। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि पहले के किसी वर्ष और अन्तिम वर्ष की तुलना में भी यही कठिनाई सामने आती है।

10.3. भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष ज्वाइंट स्टाक कंपनियों के तुलनापत्रों और लाभ-हानि लेखों का विश्लेषण करता है। इस समय इस विश्लेषण में गैर सरकारी क्षेत्र की 1333 बड़ी और माध्यम आकार की सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं जिसकी प्रदत्त पूंजी कुल मिलाकर इस प्रकार की कंपनियों की पूंजी का 69 प्रतिशत है। यह प्रतिशत कोयला कंपनियों में 63 से लेकर इस्पात में 100 प्रतिशत तक है। यद्यपि प्रति वर्ष इस अध्ययन में शामिल की जाने वाली कंपनियों की संख्या समान रहती है पर सभी वर्षों में वे ही कंपनियां शामिल नहीं रहती हैं, कुछ कंपनियां जिनके संतुलन पत्र प्राप्त नहीं हो पाते हैं उनके स्थान पर दूसरी कंपनियां ले ली जाती हैं। पर इस प्रकार स्थानापन्न कंपनियों के लेने से निष्कर्षों की तुलनीयता में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। पर दूसरी ओर इस विश्लेषण के निष्कर्ष पूर्ण आदर्श इसलिये नहीं हो पाये क्योंकि नमूनों का चुनाव जानबूझ कर बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियों से किया गया। कर उपबन्ध, कर निकाल देने के लाभ, लाभांश आदि के बारे में प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आंकड़े, बताया जाता है, इसलिये तुलनीय नहीं है क्योंकि कंपनियों के कराधान की व्यवस्था में परिवर्तन होते रहते हैं।

11. कुछ अनुसन्धानात्मक अध्ययनों में, जिनका हमने उपयोग किया है, यह दिखाया गया है कि निगम क्षेत्र के कुछ गुट कई कई कंपनियों पर नियन्त्रण रखते हैं। इन गुटों का सीमा निर्धारण अंशतः विषयीगत विवेचन पर आश्रित है और संभवतः बहुत अधिक शुद्ध नहीं हो सकता; अर्थात इस विषय में हमें पूर्ण निश्चय नहीं हो सकता है कि क्या कोई विशेष कंपनी किसी गुट विशेष के नियन्त्रण में है। इसका कारण यह है कि जो कसौटी अनुसन्धानकर्ता ने अपनाई है वह युक्ति संगत होते हुए भी पूर्ण नहीं मानी जा सकती। इसके अतिरिक्त ठीक प्रकार से तैयार किया गया तुलनपत्र और लाभ-हानि का लेखा कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहे पूर्ण रूप से कर रहा हो पर आन्तरिक आर्थिक दशा को किस सीमा तक व्यक्त कर रहा है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता की अपेक्षा लागत को बढ़ाकर दिखाने के और लाभ को कम करके दिखाने के उपाय और तरीके ढूंढ निकालना संभव है। हम अनुभव करते हैं कि यह मान लेने पर भी कि कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों से उपयोगी सूचना प्राप्त होती है पर इन आंकड़ों को इनके प्रत्यक्ष मूल्य में स्वीकार करने में काफी सावधानी बरती जानी चाहिए। पर इस विषय में हम कोई अन्य सिफारिश न करके केवल यह बताना चाहते हैं कि कंपनियों के आंकड़े अन्तर्निहित वास्तविकता को प्रकट करते हैं इस विषय में धैर्यपूर्वक अनुसन्धान करने के लिए पर्याप्त अवकाश है।

12. अन्त में, विशेष रूप से आर्थिक शक्ति के क्षेत्र में हमारे सामने जो समस्याएं प्रस्तुत की गई, उदाहरणार्थ विभिन्न कंपनियों में संचालकों की पारस्परिकता आदि, उनके बारे में कोई सिफारिश करने का हमारा विचार नहीं है क्योंकि यह विषय एकाधिकार की समस्या का एक अंग है जिस पर एकाधिकार आयोग ने विस्तार से विचार किया है।

पी० सी० महालनोबिस, अध्यक्ष
वी० के० आर० वी० राव[1], सदस्य
पी० एस० लोकनाथन, सदस्य (असहमति टिप्पणी संख्या 1 के अधीन)
बी० एन० गांगूली, सदस्य
विष्णु सहाय, सदस्य
डी० एल० मजूमदार, सदस्य
वी० के० मदान, सदस्य
बी० एन० दातार, सदस्य
पी० सी० मैथ्यू, सदस्य (असहमति टिप्पणी संख्या 2 के अधीन)
के० आर० नायर, सदस्य

---

†प्रोफेसर वी० के० आर० वी० राव के पत्र दिनांक 23 जुलाई, 1969 के उद्धरण पृष्ठ 110 पर।

डाक्टर पी० एस० लोकनाथन की टिप्पणी

मैं इस मसौदा रिपोर्ट का दो अपवादों के साथ अनुमोदन करता हूं।

(क) भाग-I को प्रस्तुत करने में हुई असाधारण देर को ध्यान में रखते हुए भी मेरा विचार है कि नीति की दृष्टि से यह बहुत ही कम उपयोगी है ; तथा

(ख) अध्याय 3, के पैरा 20 में दिया गया निष्कर्ष, जिसमें कहा गया है कि जनसंख्या को निचले स्तर को 10 प्रतिशत जनता निर्वाह स्तर से कम में गुजारा कर रही है तथा उसकी स्थिति नहीं सुधरी है, पर्याप्त अथवा विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित नहीं है।

ह० पी० एस० लोकनाथन

8 जनवरी, 1969.

प्रो-पी-सी० मैथ्यू की टिप्पणी

1. इस रिपोर्ट के भाग 2 पर हस्ताक्षर करते हुए मैं इसमें सुझाए गए कुछ निष्कर्षों पर अपनी असहमति प्रकट कर देना चाहता हूं। मैं असहमति के कारण भी दर्शाऊंगा ।

2. सर्वप्रथम रिपोर्ट के अध्याय 3 में कई ऐसी सारणियां हैं जिनमें यह माना गया है कि उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के वार्षिक दौरों के परिणामों से अंतिम दशमकों (अर्थात् कम से कम 10 प्रतिशत और अधिक से अधिक 10 प्रतिशत) से पुष्ट निष्कर्ष निकालना संभव है । उदाहरणार्थ, अध्याय 3 के पैरा 7 की सारणी के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों को प्रामाणिक माना गया है । इसमें पाठक को बताया गया है कि भारत में 1960–61 में 350 लाख लोगों को प्रतिदिन 30 पैसे से कम पर गुजारा करना पड़ता था तथा दूसरी ओर अधिक समृद्ध लोग प्रति माह 390 रुपये से अधिक व्यय करते थे। इस प्रकार इन दोनों में 1300[1] गुना अंतर था। इन अनुमानों की शुद्धता का अंकगणित की दृष्टि से कोई विरोध नहीं किया गया है। अतः इसके परिणामस्वरूप गलतफहमी पैदा हो जाती है क्योंकि इन आंकड़ों में छोटे क्षेत्रों के बारे में इस प्रकार की गणना नहीं की गई है । विशेषकर मानकों के चरम बिन्दु अर्थात् पूर्ण मूल्यों अथवा उनके परिवर्तन के बारे में ऐसा नहीं किया गया है । पूर्ण मूल्यों के लिए उसी अध्याय (अध्याय-3) के पैरा 13 का ही संदर्भ देना होता है । इसमें दिखाया गया है कि अनाज का प्रति व्यक्ति उपभोग उच्च दशमक में एक महीने में 26.03 सेर था अथवा प्रतिदिन 28 औंस। यदि हम कम उपभोग के कारण शिशुओं तथा बच्चों के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ें तो प्रतिदिन प्रति वयस्क व्यक्ति का उपभोग 30 औंस होता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के उपभोग संबंधी सर्वेक्षणों के 8वें (54–55) तथा 15 वें (59–60) दौरों के अनुसार दो वर्षों में समस्त जनता का अनाज का कुल उपभोग क्रमशः केवल 575.8 लाख टन तथा 676.2 लाख टन के उपलब्ध भंडार की तुलना में 715.9 लाख टन तथा 624.3 लाख टन था । परिवर्तन के माप के सम्बन्ध में बार-बार केवल अंतिम दशमकों के परिणाम ही दर्शाने पड़ते हैं । इसी से परिवर्तन की विशिष्ट पद्धति का पता लगाया जाता है अथवा इसके लिए अध्याय 3 के पैरा 6 का विवरण उद्धृत करना पड़ता है । ये अंतर "कुछ अव्यवस्थित" रूप में हैं। वास्तव में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अव्यवस्थित स्वरूप के कारण अकसर असंगत अनुमान लगाए जाते हैं। इस प्रकार अध्याय 4 के पैरा 2.2 में कहा गया है कि 9वें (1955) तथा 16वें (1960–61) दौरों में निम्न स्तर के लोगों का अनाज का उपभोग प्रति माह प्रति व्यक्ति 12.2 सेर से घट कर 10.3 सेर हो गया। परन्तु यदि हम 9वें दौर को आधार न मानकर 8वें (1954–55) दौर को आधार मानें तो यह बात सामने आती है कि दोनों अवसरों पर (सारणी ख-2)[2] अनाज का उपभोग अपरिवर्तित रहा–अर्थात् 10.38 सेर। फिर भी 16वें दौर में अनाज की कीमत में भारी वृद्धि हुई। यह वृद्धि केवल 9वें दौर से ही अधिक न थी अपितु 8वें दौर से भी अधिक थी (अध्याय 4 के पैरा 1.4 के अनुसार)। यह विश्वास करना कि ये अव्यवस्थित परिवर्तन उपभोग के बारे में सही प्रतिनिधित्व करते है पाठक की प्रतीति पर भारी बोझ डालना है ।

3. दूसरे उपर्युक्त पैरा में उठाए गए विश्वसनीयता के प्रश्न को छोड़ भी दें तो भी आंकड़ों के सीधे सादे विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष ही मिलेगा। इसका उल्लेख मैंने मसौदा रिपोर्ट में किया था जिसे मैंने सदस्य-सचिव के रूप में जून, 1962 में समिति को प्रस्तुत किया था। "अत्यधिक गरीब जनता में से 10 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत के उपभोग व्यय में कुछ वृद्धि दिखाई देती है । निम्न स्तर की 10 प्रतिशत जनता के खाद्यान्न कुल खाद्य तथा सभी उपभोग मदों के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को मूल्य परिवर्तन के संबंध में समंजित करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि जनता के अन्य वर्गों की अपेक्षा इनके उपभोग व्यय में 1953 से 1960 तक की अवधि में अधिक वृद्धि हुई । विशेषकर देहाती क्षेत्रों में ऐसा हुआ। पुनरीक्षाधीन अवधि में चुनीदा उपभोग वस्तुओं को प्रति व्यक्ति उपलब्धि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई । इन निष्कर्षों का सामान्यतया समय समय पर किए गए कई स्थानीय सर्वेक्षणों द्वारा भी समर्थन किया गया है"। इन्हीं आंकड़ों का 1962 तथा 1968 के मध्य अध्यक्ष द्वारा किए गए और विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट का यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि आर्थिक रूप में असमता में कमी हुई परन्तु यथार्थ में मूल्यों के विशिष्ट परिवर्तनों के कारण असमता बढ़ी है क्योंकि वस्तुओं पर अमीर की अपेक्षा गरीब के व्यय में अधिक तेजी से वृद्धि हुई। विशेषतया आर्थिक रूप में असमता में कमी होने पर भी "अनाज के उपभोग में अमीर तथा गरीब की असमता बढ़ी है" (अध्याय 4 के अंत के सार का पैरा 1)

---

[1] 30 दिन का महीना मानने पर तीस पैसे प्रतिदिन के हिसाब से प्रति माह व्यय 9 रु० बनता है। इस प्रकार अंतर 1300 गुना न होकर 390/9 अथवा लगभग 43 गुना होगा । अतः अंकगणित की त्रुटि पर आधारित कोई अनुमान महत्वपूर्ण न होगा।

[2] रिपोर्ट में ख-19 में फिर से आंकड़े प्रस्तुत किये गए हैं ।

4. गरीब वर्गों से सम्बन्धित आधारभूत विवरण उपभोग व्यय तथा विभिन्न प्रकार के उपभुक्त अनाज की मात्रा के बारे में उपलब्ध है। मूल्य का पता व्यय को कुल मात्रा से विभक्त करने पर लगाया जाता है । पहली उल्लेखनीय बात यह है कि यदि कुल अनाज उपभोग में कुछ परिवर्तन होने पर किसी अवधि में गरीब वर्ग के सम्बन्ध में मूल्य परिवर्तन का जो अनुमान लगाया जायगा वह उपयोगी न होगा क्योंकि मोटे अनाज की कीमत को तुलना में बढ़िया अनाज की कीमत साधारणतया 150 गुना से अधिक होती है । यह देखा गया है कि 8वें तथा 15वें दौरों के मध्य अखिल भारतीय ग्रामीण जनता के निम्नतम दशमक का मोटे अनाज का प्रति व्यक्ति उपभोग प्रति माह 7.57 सेर से घटकर 5.69 सेर हो गया । इसी वर्ग के चावल के उपभोग में वृद्धि हुई है । यह उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति माह 2.60 सेर से बढ़कर 4.18 सेर हो गया। गेहूं का उपभोग प्रति व्यक्ति 0.21 सेर से बढ़कर 0.51 सेर प्रति माह हो गया (सारणी ख-2)[1]। इस उल्लेखनीय परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मुख्य उदाहरण लेने पर भी दोनों तारीखों में मिश्रित अनाज को प्रति सेर कीमतों की तुलना करना दो मूलत: भिन्न वस्तुओं की तुलना करने के समान होगा । अखिल भारतीय शहरी जनता से सम्बन्धित आंकड़ों से भी यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है (सारणी यू-1)[2]। अत: सारी जनता के संबंध में यही निष्कर्ष निकलेगा ।

5. इस बात को सभी स्वीकार करते हैं निम्न दशमकों के अनाज में अधिक मात्रा मोटे अनाज की होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गरीब लोगों को मजबूरन अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है । इस बात को पुष्टि अध्याय 3 के पैरा 33 में भी होती है जिसमें कहा गया है कि "बढ़िया अनाज की कीमत की तुलना में मोटे अनाज की कीमत अधिक तेजी से बढ़ी है।" निम्न सारणी बढ़िया तथा मोटे अनाज की कीमतों की प्रवृत्तियां दर्शाती हैं। यह इस बात को नहीं दर्शाती है कि बढ़िया अनाज की तुलना में मोटे अनाज के संबंध में प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूप से अवरोही रही है।

अनाज की कीमतों की प्रवृत्तियां

(थोक की कीमतें)

वर्ष	चावल (कुम्बकन)		गेहूं (हापुड़)		ज्वार (अकोला)		मक्का (चंदौसी)		जौ (हापुड़)	
	कीमत	सूचकांक	कीमत	सूचकांक	कीमत	सूचकांक	कीमत	सूचकांक	कीमत	सूचकांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1954	44.26	100	35.87	100	22.77	100	24.27	100	21.78	100
1955	38.39	87	31.72	88	17.01	75	18.54	76	17.49	80
1956	48.49	110	39.17	109	37.16	163	30.89	127	29.74	137
1957	48.89	110	41.92	117	31.48	138	30.97	128	29.79	137
1958	53.58	121	52.13	145	26.73	117	34.05	140	35.39	162
1959	46.99	106	53.93	150	33.14	146	36.75	151	34.61	159
1960	57.04	129	47.31	132	38.50	169	30.43	125	32.28	148
1961	61.09	138	41.86	117	30.11	132	34.52	142	30.56	140

स्रोत : अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय, स्वास्थ्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "भारत में कृषि वस्तुओं की कीमतें-1958 तथा 1961 तथा 1962"

[1]रिपोर्ट में ख-19 में पुन: प्रस्तुत आंकड़े ।

[2]रिपोर्ट में ख-22 में पुन: प्रस्तुत आंकड़े ।

6. मैंने रिपोर्ट के अध्याय 1, पैरा 16 में बताई गई अध्यक्ष महोदय की टिप्पणी को नहीं देखा है। अत: इस संबंध में मैं अपनी टिप्पणी देने में असमर्थ हूं।

ह० पी० सी० मैथ्यू
18-1-69

प्रो० वी० के० आर० वी० राव के दिनांक 23 जुलाई, 1969 के पत्र से उद्धरण

"रिपोर्ट के प्रथम भाग के सम्बन्ध में जो विचार विमर्श हुए उनमें मैंने पूर्ण रूप से भाग लिया तथा इसको तैयार करने में निश्चित रूप से मेरा भी कुछ हाथ रहा। यह रिपोर्ट अब प्रकाशित हो चुकी है और इसपर मेरे हस्ताक्षर भी हैं।

रिपोर्ट के भाग 2, जिसका अब आप जिक्र कर रहे है, के सम्बन्ध में समिति की बैठकों में, जैसाकि आपको विदित ही है मैं विभिन्न कारणों से पिछले तीन वर्ष अथवा इससे अधिक समय से भाग नहीं ले सका। ऐसी स्थिति में मैं रिपोर्ट के दूसरे भाग में अपने हस्ताक्षर करना उचित नहीं समझता।

कृपया इस बात से समिति के अध्यक्ष को भी अवगत कर दिया जाय तथा इसका उल्लेख पाद टिप्पणी के रूप में उस पृष्ठ के नीचे किया जाय जिसमें रिपोर्ट के भाग 2 पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों।

संख्या-सी० एस० ओ० (आई० डी० सी० यू०) -5/64

आय वितरण तथा रहन सहन के स्तरों से सम्बन्धित समिति की 9 नवंबर, 1968 को हुई चौदहवीं बैठक का कार्यवृत्त

आय वितरण तथा रहन-सहन के स्तरों से सम्बन्धित समिति की चौदहवीं बैठक कमरा नं० 131, योजना भवन, नई दिल्ली में शनिवार 9 नवंबर, 1968 को दिन के 11-10 बजे हुई।

इसमें निम्नांकित लोग उपस्थित थे :

1.	प्रो० पी० सी० महालनोबिस	अध्यक्ष
2.	डा० बी० एन० गांगुली	सदस्य
3.	श्री विष्णु सहाय	सदस्य
4.	श्री डी० एल० मजूमदार	सदस्य
5.	श्री बी० एन० दातार	सदस्य
6.	श्री सी० एस० पिल्लई	सचिव

प्रो० बी० के० आर० वी० राव, डॉ० पी० एस० लोकनाथन तथा श्री पी० सी० मैथ्यू ने सचिव को सूचित कर दिया था कि वे उपस्थित होने में असमर्थ हैं प्रचारित मसौदे पर वाशिंगटन डी० सी० से डा० बी० के० मदान की तथा तेहरान, ईरान से डा० के० आर० नायर की टिप्पणियां प्राप्त हो गई थी

1. अध्यक्ष ने स्मरण दिलाया कि समिति की इच्छानुसार विभिन्न बातें स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों को फिर से सारणीबद्ध करने तथा उनका विश्लेषण करने की दिशा में बहुत प्रयत्न किया गया है। अंतिम मसौदा रिपोर्ट तैयार करने के लिए समिति द्वारा मसौदा तैयार करने वाले एक अनौपचारिक दल (जिसमें, डा० पी० एस० लोकनाथन, डा० बी० एन० गांगुली, श्री विष्णु सहाय तथा अध्यक्ष थे) से भी अनुरोध किया गया। इस संबंध में मतैक्य के लिए काफी प्रयत्न किया गया। परन्तु कुछ प्रश्नों पर पूर्ण रूप से मतैक्य संभव न हो सका। अतः यह निश्चय किया गया कि समिति की एक बैठक में सुझाये गये मत के अनुसार रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में प्रो० पी० सी० महालनोबिस के तकनीकी विचार संलग्न किए जाएंगे। अध्यक्ष ने मार्च, 1968 में मसौदा रिपोर्ट के प्रचारित होने के पश्चात् उठाए गए कदमों का संक्षिप्त विवेचन किया। इस मसौदा रिपोर्ट में मूल अध्याय 4 (अध्यक्ष की टिप्पणी) में अध्यक्ष ने अपने विचार को संक्षेप में व्यक्त कर रखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि तकनीकी विचारों को विस्तार से उनके नाम से परिशिष्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए मसौदा रिपोर्ट का अध्याय 4 (जिसकी दुबारा लगाई गई क्रम संख्या 3 थी) सहित पुनरीक्षण किया गया तथा इसे संक्षिप्त रूप में सितम्बर, 1968 में फिर से प्रचारित किया गया। इन पर डा० बी० के० मदान की टिप्पणी अक्तूबर के अंत में प्राप्त हुई। डा० बी० के० मदान के सुझावों को ध्यान में रखते हुए अध्याय 3 (अध्यक्ष की टिप्पणी) को फिर से संशोधित किया गया। संशोधित अध्याय 3 (अध्यक्ष की टिप्पणी) की एक प्रति 1 नवम्बर, 1968 को डा० मदान के पास वाशिंगटन, डी० सी० भेजी गई तथा अन्य प्रतियां समिति के सदस्यों को प्रचारित की गई।

2. श्री सी० एस० पिल्लई ने बताया कि तेहरान से डा० नायर ने मसौदा रिपोर्ट का लिखकर अनुमोदन किया है तथा डा० मदान अपनी कुछ टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने को सहमत हो गए हैं। डा० मदान ने अपनी टिप्पणियां वाशिंगटन से तार द्वारा भेजी जो 7 नवंबर, 1968 को प्राप्त हुई। यह तार बैठक में प्रस्तुत किया गया। श्री पी० सी० मैथ्यू ने भी अपने 18 नवंबर, 1968 के पत्र में कुछ टिप्पणियां भेजी थीं। उन्होंने अपने पत्र की प्रतियां समिति के सभी सदस्यों को भेज दी थी। श्री पी० सी० मैथ्यू की टिप्पणियों पर प्रो० पी० सी० महालनोबिस के विचार भी प्रचारित किए गए।

3. श्री विष्णु सहाय तथा श्री डी० एल० मजूमदार ने पूछा कि क्या श्री बी० एन० दातार द्वारा पहले की गई टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था। इस पर श्री दातार ने कहा कि सितंबर, 1968 के मसौदे में उनकी विशेष बातें सम्मिलित कर ली गई हैं तथा वे इसमें अब और परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं समझते।

4. अध्यक्ष ने कहा कि वे डा० बी० के० मदान से तार द्वारा प्राप्त टिप्पणियों को शामिल करने में पूर्ण रूप से सहमत हैं। अध्यक्ष ने कहा कि वे अपने एक तकनीकी लेख में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे तथा अपने विचार रखेंगे। यह लेख परिशिष्ट के रूप में रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। अतः उन्होंने कहा कि वे रिपोर्ट पर बिना किसी टिप्पणी अथवा अपवाद के हस्ताक्षर कर सकते हैं। डा० बी० एन० गांगुली ने पूछा कि क्या प्रो० पी० सी० महालनोबिस के तकनीकी लेख की तरह डा० बी० के० मदान की टिप्पणी को भी परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया जाय। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि डा० बी० के० मदान के सम्बन्ध में स्थिति दूसरी है क्योंकि उन्होंने तार में कहा है कि वे रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी के शामिल होने पर ही इस पर हस्ताक्षर करेंगे। अध्यक्ष का मत था डा० मदान की टिप्पणी को मुख्य रिपोर्ट का अंग बना रहने दिया जाय ताकि यह बात स्पष्ट रहे कि वे अपनी टिप्पणी शामिल किए जाने पर ही रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने को तैयार थे। इससे सदस्य सहमत हुए।

5. डा० बी० एन० गांगुली ने कहा कि उन्होंने अध्यक्ष के कुछ तकनीकी विश्लेषणों का अवलोकन किया है। उनका विचार था कि अध्यक्ष के तकनीकी लेख को रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित करना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने उन बातों का संकेत किया जिनके संबंध में रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में इसमें बहुत ही उपयोगी तथ्य दिए गए हैं। श्री विष्णु सहाय ने पूछा कि क्या प्रो० पी० सी० महालनोबिस का तकनीकी लेख कोई विवाद तो खड़ा नहीं करेगा। अध्यक्ष ने कहा कि वे इस लेख में तकनीकी प्रश्नों पर

विचार करेंगे परन्तु सभी वैज्ञानिक लेखों की भांति इस विश्लेषण के संबंध में भी मतवैभिन्य हो सकता है तथा भिन्न भिन्न अनुमान लगाए जा सकते हैं । श्री विष्णु सहाय तथा अन्य सदस्यों ने यह बात स्वीकार की कि यह परिशिष्ट प्रो० पी० सी० महालनोबिस का एक व्यक्तिगत अंशदान माना जाएगा, अत: पूरी समिति को इस बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

6. श्री विष्णु सहाय ने सिफारिशों से सम्बन्धित अध्याय के संबंध में पूछा । एक सामान्य विचार-विमर्श के पश्चात् यह स्वीकार किया गया कि इस रिपोर्ट को इसके वर्तमान रूप में ही स्वीकार कर लिया जाय । हां, इसमें समुचित स्थान पर एक टिप्पणी लगा दी जाय । साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि रहन-सहन के स्तरों के परिवर्ततों तथा असमानताओं के अध्ययन के लिए घरेलू बजटों का नमूना सर्वेक्षण करना अनिवार्य है ।

7. रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में काफी देर हो गई थी, अत: यह स्वीकार किया गया कि रिपोर्ट की देरी के लिए खेद प्रकट करने हेतु इसके साथ एक प्रस्तावना जोड़ी जाय । साथ ही इसमें देरी के विभिन्न कारणों का भी उल्लेख कर दिया जाय । उदाहरणार्थ देरी के कुछ कारण ये थे—जिन समस्याओं का अध्ययन करना था उनका उलझनपूर्ण होना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के असंख्य आंकड़ों को सारणी बद्ध करने तथा उन्हें फिर से प्रस्तुत करने तथा उनके विश्लेषण के लिए समय की आवश्यकता होना, ऐसी महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में सर्वसम्मति के लिए प्रयास करना आदि । यह बात भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि सामयिकता के अभाव में इस रिपोर्ट का महत्व कुछ कम हो जाय परन्तु इसमें तकनीकी दृष्टि से बहुत काम किया गया है जो भविष्य में इसी प्रकार के अध्ययनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । अत: प्रस्तावना में यह उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि रिपोर्ट में व्यक्तिगत अंशदान के रूप में प्रो० पी० सी० महालनोबिस के नाम से परिशिष्ट के रूप में एक तकनीकी लेख जोड़ा जा रहा है तथा इस पर समिति की कोई विचार प्रगट नहीं करता है ।

8. यह बात भी स्वीकार की गई कि रिपोर्ट के अंत में प्रचलित पद्धति के अनुसार आभार प्रकट किया जाय ।

9. श्री विष्णु सहाय का विचार था कि संभावित आपत्तियों की संतुष्टि के लिए यदि अध्याय 3 (अध्यक्ष की टिप्पणी) की कुछ बातों को स्पष्ट कर दिया जाय तो यह बात सहायक सिद्ध होगी । इस संबंध में उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए । डा० बी० एन० गांगूली ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया तथा अन्य सदस्य भी इससे सहमत हुए । अध्यक्ष ने कहा कि वे सदस्यों के कथनानुसार अध्याय 3 (अध्यक्ष की टिप्पणी) में कुछ परिवर्तन कर देंगे । इन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि इस बैठक में उपस्थित प्रत्येक सदस्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित भाग देख सकें । सदस्य इस बात पर सहमत हुए ।

10. समिति ने श्री पी० सी० मैथ्यू के दिनांक 18 अक्तूबर, 1968 के पत्र, जिससे प्रचारित भी किया गया था, पर तथा उसके संबंध में अध्यक्ष की टिप्पणी पर विचार किया । समिति की एकमत राय थी कि अपनी टिप्पणियों अथवा असहमति की टिप्पणियों के साथ प्रयेक सदस्य को अधिकार है कि वह रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सके । इस पर अध्यक्ष ने कहा कि यदि श्री पी० सी० मैथ्यू अपने दि० 18 अक्तूबर, 1968 के पत्र की टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना चाहे तो इस प्रकार की टिप्पणियों के संबंध में भी उनके विचारों को सम्मिलित करना आवश्यक है । इस प्रकार की टिप्पणियां समिति को इस बैठक से पूर्व प्रचारित कर दी गई थी । इस प्रश्न पर आगे विचार नहीं किया गया क्योंकि बी श्री पी० सी० मैथ्यू बैठक में उपस्थित नहीं थे ।

11. मुख्य रिपोर्ट के अंतिम रूप के संबंध में समिति के इन निर्णयों को संक्षेप में निम्न प्रकार रिकार्ड किया गया :

11.1. उपर्युक्त पैरा 7 में उल्लिखित बातों के आधार पर एक प्रस्तावना सम्मिलित की जायेगी ।

11.2. अध्यय I का अनुमोदन किया गया ।

11.3. सितम्बर, 1968 में प्रचारित संशोधित अध्याय 2 का अनुमोदन किया गया ।

11.4. संशोधित अध्याय 3 (अध्यक्ष की टिप्पणी) का अनुमोदन इस शर्त पर किया गया कि इसमें अध्यक्ष द्वारा कुछ परिवर्तन किए जायेंगे तथा वे बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदित कराये जाएंगें । इस बात का उल्लेख पैरा 9 में किया गया है ।

11.5. 7 नवंबर, 1968 को डा० बी० के० मदान की तार द्वारा प्राप्त टिप्पणी मुख्य रिपोर्ट में सम्मिलित की जायेगी ।

11.6. सिफारिशों से सम्बंधित अध्याय 4 का अनुमोदन इस शर्त पर किया गया कि उपर्युक्त पैरा 6 में—कही गई बातों के आधार पर इसमें एक टिप्पणी जोड़ी जायगी ।

11.7. प्रचलित पद्धति के अनुसार रिपोर्ट में आभार प्रकट किया जाएगा ।

11.8. उपर्युक्त रूप में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो सात सदस्यों के हस्ताक्षरों के पश्चात् उसे प्रचारित किया जायेगा तथा अन्य सस्दयों से भी उस पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जायेगा । यदि कोई टिप्पणी होगी तो उसे भी सम्मिलित किया जायेगा ।

11.9. रिपोर्ट में एक परिशिष्ट के रूप में रहन-सहन के स्तर के संबंध में प्रो० पी० सी० महालनोबिस का तकनीकी लेख शामिल किया जायगा जिस पर समिति के सदस्यों का कुछ न कहना होगा ।

12. समिति ने यह निर्णय किया कि प्रस्तावना संशोधित अध्याय 3 (अध्यक्ष की टिप्पणी) तथा आभार के मसौदे शीघ्र तैयार किए जाएं तथा सदस्यों द्वारा यथाशीघ्र देखे जाएं तथा समिति की एक बैठक मंगलवार 12 नवंबर, 1968 को दिन के 5 बजे से योजना भवन में बुलाई जाए ।

दोपहर बाद 12.45 बजे बैठक समाप्त हुई ।

सी० एस० ओ० (आई० डी० सी० यू०)-5/64

आय वितरण तथा रहन-सहन के स्तरों से सम्बन्धित समिति की 12 नवंबर, 1968 को हुई अंतिम बैठक (15 वीं) का कार्यवृत्त

आय वितरण तथा रहन-सहन के स्तरों से सम्बन्धित समिति की अंतिम बैठक 12 नवंबर, 1968 को दिन के 5 बजे कमरा नं० 131, योजना भवन, नई दिल्ली में हुई।

इसमें निम्नांकित लोग उपस्थित थे :

1. प्रो० पी० सी० माहलनोबिस . . . . . अध्यक्ष
2. डा० बी० एन० गांगूली . . . . . सदस्य
3. श्री विष्णु सहाय . . . . . सदस्य
4. श्री डी० एस० मजूमदार . . . . . सदस्य
5. श्री बी० एन० दातार . . . . . सदस्य
6. श्री सी० एस० पिल्लई . . . . . सचिव

भारत से बाहर होने के कारण प्रो० वी० के० आर० वी० राव, डा० पी० एम० लोकनाथन, श्री० पी० सी० मैथ्यू, डा० बी० के० मदान तथा डा० के० आर० नायर अंतिम दो बैठकों में भाग न ले सके।

1. समिति ने 9 नवंबर, 1968 की प्रचारित कार्यवाही का अनुमोदन किया।

2. पूर्व बैठक में व्यक्त विचारों के अनुसार अध्यक्ष ने रिपोर्ट की प्रस्तावना का मसौदा प्रचारित किया। सदस्यों द्वारा मसौदे में सुझाए गए कुछ परिवर्तनों के साथ प्रस्तावना का अनुमोदन किया।

3. अध्यक्ष ने 9 नवंबर, 1968 की बैठक के कार्यवृत्त के पैरा 9 में दर्शायी गई बातों के आधार पर "अध्यक्ष की टिप्पणी" (अध्याय 3) में शामिल किए जाने वाले स्पष्टीकरण के मसौदे भी प्रचारित किए कुछ परिवर्तनों के साथ इन मसौदों का अनुमोदन किया गया।

4. 1950-51 से 1960-61 तक के दशक में रहन-सहन के स्तर में आए परिवर्तनों के संबंध में तकनीकी परिशिष्ट के रूप में लगाये जाने वाले अध्यक्ष के वैज्ञानिक लेख के स्तर के संबंध में पूर्ण विचार-विमर्श हुआ। इस पर यह निर्णय किया गया कि इस वैज्ञानिक लेख को अध्यक्ष के नाम से उनका व्यक्तिगत अंशदान माना जाएगा।

5. समिति ने निर्णय किया कि रिपोर्ट में निम्न अध्याय होंगे :

अध्याय—1 : प्रस्तावना।

अध्याय—2 : रहन सहन के स्तरों में परिवर्तन-कुल संकेतक।

अध्याय—3 : अनाज की खपत के विशेष संदर्भ में कुल खपत स्तर में परिवर्तन।

अध्याय—4 : डा० वी० के० मदान की टिप्पणी सहित अनाज की खपत के संबंध में अध्यक्ष की टिप्पणी।

अध्याय—5 : आंकड़ों की खामियों के बारे में सिफारिशें।

परिशिष्ट : प्रो० पी० सी० माहलनोबिस द्वारा 1950-51 से 1960-61 के दौरान रहन-सहन के स्तर के परिवर्तनों का अध्ययन

यह निर्णय किया गया कि रिपोर्ट में प्रो० पी० सी० महालनोबिस का वैज्ञानिक लेख शामिल किया जाएगा। आगे यह निर्णय किया गया कि प्रस्तावना में तथा स्वयं वैज्ञानिक लेख में भी यह उल्लेख कर दिया जाएगा कि इस लेख के संबंध में समिति ने कुछ भी कहना नहीं चाहा।

6. समिति ने निर्णय किया कि बैठक में सात सदस्यों की सम्मति से पारित रिपोर्ट को उन सदस्यों के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा जो बैठक में उपस्थित नहीं थे। इसके लिए इस बात को कोई महत्व नहीं दिया गया कि अनुपस्थित सदस्यों में से किसने अपनी टिप्पणी भेजी थी तथा किसने नहीं भेजी थी। अनुपस्थित सदस्यों को रिपोर्ट की प्राप्ति के एक महीने के अंदर अपनी टिप्पणी भेजनी थी। रिपोर्ट की प्रतियां बैठक में उपस्थित सदस्यों को भी भेजी जाएंगी।

7. समिति ने अध्यक्ष को अधिकार दिया कि वे बैठक में अनुपस्थित सदस्यों के उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् रिपोर्ट को अंतिम रूप से तैयार करवाएं तथा उसे समुचित जिल्द में योजना आयोग के अध्यक्ष को पेश कर दें।

8. अध्यक्ष ने सदस्यों के प्रति उनकी सहायता एवं सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक 7.15 बजे समाप्त हो गई।

आंकड़ों की सारणियां

अध्याय–2

विवरण

सारणी सं०

क. 1 कुछ चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि : 1950-51, 1955-56 और 1960-61

क. 2 1950-51 से लेकर 1960-61 तक की अवधि के दौरान कुछ चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि

क. 3 मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं की संख्या, प्रकार के अनुसार

क. 4 विभिन्न परीक्षाओं में बैठे और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 1950-51, 1955-56 और 1960-61

क. 5 भारत में सामान्य शिक्षा का ढांचा

क. 6 वर्ष 1950-51 से लेकर 1960-61 तक की अवधि में शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन

क. 7 शिक्षा पर व्यय : 1950-51 से 1960-61 तक

क. 8 भारत में वैज्ञानिकों और इंजिनियरों की निकासी

क. 9 भारत में इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और डाक्टरों की संख्या

क. 10 भारत में चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि : 1950-51 से 1960-61 तक

क. 11 परिवहन और संचार सुविधाओं में वृद्धि : 1950-51, 1955-56 और 1960-61

क. 12 रोजगार कार्यालय : रोजगार कार्यालयों की तुलना, चालू रजिस्टरों पर रोजगार चाहने वाले प्रार्थियों की संख्या, और प्रार्थियों की संख्या जिन्हें रोजगार दिलाया गया।

क. 13 ग्रामों में हुए विकास के सूचक कुछ चुने हुए आंकड़े

सारणी क 1 : कुछ चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि 1950-51, 1955-56 और 1960-61

क्रम संख्या	मद	इकाई	उपलब्धता			प्रतिशत वृद्धि		
			1950-51	1955-56	1960-61	1950-51 की अपेक्षा 1955-56 में	1955-56 की अपेक्षा 1960-61 में	1960-61 की अपेक्षा 1960-61 में
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	अनाज आदि	किलोग्राम प्रति व्यक्ति						
1	अनाज	,,	122	131	145	7	11	19
2	दालें	,,	21	25	25	19	0	19
3	चीनी	,,	3.0	5.0	4.8	67	(−) 4	60
4	गुड़	,,	13.1	11.6	15.4	(−) 11	33	18
5	वनस्पति तेल (खाने योग्य)	,,	2.4	2.1	2.8	(−) 12	33	17
6	वनस्पति	,,	0.44	0.68	0.77	55	18	75
7	चाय	,,	0.22	0.28	0.28	27	0	27
8	दूध	,,	49	51	51	4	0	4
9	मछली	,,	1.9	2.3	2.0	21	(−) 13	5
10	सिगरेट	संख्या प्रति व्यक्ति	65	60	87	(−) 8	45	34
	कपड़ा							
11	सूती	मीटर प्रति व्यक्ति	8.5	14.3	13.9	68	(−) 3	64
	ईंधन और प्रकाश							
12	मिट्टी तेल	लिटर प्रति व्यक्ति	3.1	4.2	5.2	35	24	68
13	बिजली	किलोवाट घंटे प्रति व्यक्ति	1.5	2.2	3.4	47	54	127
	अन्य मदें							
14	अल्यूमिनियम के बर्तन	मी० टन प्रति 10 लाख	23	16	25	(−) 25	49	12
15	रेडियो रिसीवर	संख्या प्रति 10 लाख	241	353	732	46	107	204
16	बिजली के पंखे	,,	556	693	2230	25	222	301
17	रेफ्रीजरेटर	,,	10	17	30	69	80	204
18	कमरों के लिए वातानुकूलन यंत्र	,,	n.a.	5	29	..	428	..
19	मोटर कार	,,	46	66	72	43	9	57
20	स्कूटर	,,	6.1	18.0	89.4	195	397	1366
21	साइकिलें	,,	750	1650	3000	120	82	300
22	सिलाई मशीनें	,,	145	364	742	151	104	412
23	बिजली के लैम्प	संख्या प्रति हजार	46	81	103	76	27	124
24	साबुन	ग्राम प्रति व्यक्ति	308	511	875	66	71	184
25	औषधियां	रुपये प्रति व्यक्ति	0.42	0.77	1.60	83	108	280
26	जूते—चमड़े के	संख्या प्रति व्यक्ति	0.24	0.22	0.23	(−) 8	5	(−) 4
27	जूते—रबड़ के	,,	0.05	0.09	0.10	80	11	100
28	जूते—कुल	,,	0.29	0.31	0.33	7	6	14

टिप्पणी-1: सारणी क. 1 में कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि में से नये उत्पादन से हुई वृद्धि दिखलाई गई है। आंकड़े जनसंख्या के आधार पर दिये गये हैं। परन्तु व्यक्तियों की संख्या को हजारों, लाखों या दस लाखों में भाजक रूप में लिया गया है जिससे भजन फल छोटों संख्या में प्राप्त हो सके। इन आंकड़ों को निकालने में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के शेष माल को गणना में शामिल नहीं किया गया है।

2. खाना (1) में चुनी हुई मदें दी गई है; खाना (2) में मदों की इकाई दी गई है; खाना (3) से (5) तक के अंतर्गत 1950-51, 1955-56 और 1960-61 की उपलब्धता दी गई है; खाना (6) के अंतर्गत 1950-51 की अपेक्षा 1955-56 (पहली योजना अवधि में) हुई वृद्धि, खाना (7) में 1955-56 को अपेक्षा 1960-61 (तीसरी योजना अवधि) में हुई वृद्धि और खाना (8) में 1950-51 की अपेक्षा 1960-61 तक (पहली और दूसरी योजना की 10 वर्षों की अवधि में) हुई वृद्धि दर्शायी गई है।

स्त्रोत: (1) भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत आंकड़े 1950-51 से 1961-62 (अक्तूबर 1962)। सांख्यिकी और सर्वेक्षण प्रभाग योजना आयोग।

(2) औद्योगिक विकास कार्यक्रम, 1951-56, 1956-61 और 1961-66; योजना आयोग।

(3) भारतीय विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े; डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता।

(4) खाद्य सांख्यिकी बुलेटिन (फरवरी, 1963), आर्थिक व सांख्यिकीय निदेशालय, खाद्य व कृषि मंत्रालय।

(5) भारतीय वस्त्र बुलेटिन (फरवरी, 1963), टेक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई।

सारणी क्र 2 : 1950-51 से लेकर 1960-61 तक की अवधि के दौरान कुछ चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि

क्रम संख्या	मद	इकाई	1950-51	1951-61	खाना (4)– 10 खाना (3)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	खाद्य आदि				
1	अनाज	10 लाख मी० टन	44.2	544.9	102.9
2	दालें	,,	8.0	99.0	19.0
3	चीनी	,,	1.1	18.8	7.8
4	गुड़	,,	4.7	49.7	2.7
5	वनस्पति तेल (खाद्य)	,,	0.9	10.5	1.5
6	वनस्पति	,,	0.2	2.6	0.6
7	दूध	,,	17.7	202.0	25.0
8	मछली	,,	0.7	8.4	1.4
9	चाय	10 लाख किलोग्राम	78.0	963.7	183.7
10	सिगरेट	बिलियन	23.2	259.5	27.5
	कपड़ा				
11	सूती	बिलियन मीटर	3.0	54.1	24.1
	ईंधन और प्रकाश				
12	मिट्टी का तेल	बिलियन लिटर	1.1	18.4	7.4
13	बिजली (घरेलू उपयोग)	बिलियन किलोवाट घंटे	0.53	9.7	4.4
	अन्य मदें				
14	एल्यूमिनियम के बर्तन	..	..	..	..
15	रेडियो रिसीवर	हजार	86.1	1847.0	986.0
16	बिजली के पंखे	दस लाख	0.20	4.36	2.36
17	रेफ्रीजरेटर	हजार	3.5	66.5	31.5
18	कमरों के लिए वातानुकूलन यंत्र	,,	..	..	..
19	मोटर कार	हजार	16.3	221.6	58.6
20	स्कूटर	,,	2.2	121.8	99.8
21	बाइसिकल	10 लाख	0.27	7.9	5.2
22	सिलाई की मशीनें	हजार	52	1711	1191
23	बिजली के लैम्प	दस लाख	16.4	316.0	152.0
24	साबुन	दस लाख टन	0.11	2.28	1.18
25	औषधियां	रुपये दस लाख	150	3530	2030
26	जूते—चमड़े के	दस लाख जोड़े	84.3	901.2	58.2
27	जूते—रबड़ के	,,	18.5	333.1	148.1
28	जूते—कुल	,,	102.8	1234.3	206.3

टिप्पणी : 1. सारणी क-2 में कुछ चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं के वास्तविक उपभोग में हुई वृद्धि दिखलाई गई है। खाना (1) में चुनी हुई वस्तुएं दी गई हैं, खाना (2) में तत्सम्बन्धित भौतिक इकाई दी गई है। खाना (3) में 1950-51 की खपत की मात्रा या परिमाण दिया गया है। पहली और दूसरी योजना अवधि में, अर्थात् 1951-52 से लेकर 1960-61 तक की 10 वर्ष की अवधि में कुल वास्तविक उपभोग की मात्रा दी गई है। यदि किसी वस्तु की वास्तविक खपत 1950-51 की दर पर ही चलती रहती तो 10 वर्ष में कुल खपत 1950-51 की दर की दस गुनी हो गई होती और यह खाना (3) में प्रत्येक वस्तु के सामने दी गई राशि के 10 गुने के बराबर होती। 1950-51 के स्तर की इस खपत को खाना (4) के वास्तविक कुल योग में से घटाने पर खाना (5) की राशि प्राप्त होती है खाना (4)—10×खाना (3) 1 यह राशि आधार वर्ष (1950-51) के स्तर की अपेक्षा 10 वर्ष की पूरी अवधि के दौरान हुई उपलब्धता में शुद्ध वृद्धि को प्रकट करती है।

स्रोत : जैसा कि सारणी क-1 में

सारणी क्र. 3 : मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं की संख्या, प्रकार के अनुसार

क्रम संख्या	संख्या का प्रकार	इकाई	संस्थाओं की संख्या			प्रतिशत वृद्धि		
			1950-51	1955-56	1960-61	1950-51 की अपेक्षा 1955-56 में	1955-56 की अपेक्षा 1960-61 में	1950-51 की अपेक्षा 1960-61 में
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उच्च संस्थाएं . . .	संख्या	550	789	1138	43	44	107
2	विश्वविद्यालय . . .	,,	27	32	45	19	41	67
3	शिक्षा बोर्ड . . .	,,	7	11	13	57	18	86
4	अनुसंधान संस्थान . . .	,,	18	34	41	89	21	128
5	कला और विज्ञान कालेज . .	,,	498	712	1039	43	46	109
6	व्यावसायिक और विशेष शिक्षा के कालेज	,,	300	458	1060	53	131	253
7	कृषि	,,	16	24	36	50	50	125
8	वन	,,	4	3	3	(-) 25	0	(-) 25
9	इंजीनियरी . . .	,,	27	40	66	48	65	144
10	टेक्नालाजी . . .	,,	6	7	12	17	71	100
11	चिकित्सा . . .	,,	39	88	133	126	51	241
12	पशु चिकित्सा . . .	,,	10	15	18	50	20	80
13	शिक्षा-प्रशिक्षण . . .	,,	53	107	478	102	347	802
14	शारीरिक शिक्षा . . .	,,	7	8	20	14	150	186
15	वाणिज्य . . .	,,	26	26	42	0	62	62
16	कानून	,,	19	25	38	32	52	100
17	संगीत, ललित कला . .	,,	14	23	54	64	135	286
18	प्राच्य विद्या . . .	,,	73	79	111	8	41	52
19	समाज विज्ञान . . .	,,	3	6	8	100	33	167
20	अन्य	,,	3	7	41	133	486	1267
21	सामान्य शिक्षा शालायें . .	हजार	231	311	399	35	28	73
22	उच्च/उच्चस्तर माध्यमिक विद्यालय .	,,	7.3	10.8	17.3	48	60	137
23	माध्यमिक (मिडिल) . .	,,	13.6	21.7	49.7	60	129	265
24	प्राथमिक . . .	,,	209.7	278.1	330.4	33	19	58
25	पूर्व प्राथमिक . . .	,,	0.3	0.6	1.9	100	217	533
26	व्यावसायिक, तकनीकी और शिक्षा के विद्यालय .	,,	51	49	67	(-) 4	37	31
27	कृषि	संख्या	35	77	102	120	32	191
28	वन-विज्ञान . . .	,,	1	3	4	200	33	300
29	इंजीनियरी . . .	,,	31	61	279	97	357	800
30	चिकित्सा और पशु चिकित्सा विज्ञान .	,,	39	84	170	115	102	336
31	अध्यापक प्रशिक्षण . .	,,	782	930	1138	19	22	46
32	शारीरिक शिक्षा . . .	,,	na	17	41	na.	141	na.
33	वाणिज्य . . .	,,	549	898	1189	64	32	117
34	कला और शिल्प तकनीकी व औद्योगिक शिल्प सहित	. ,,	719	1000	1202	39	20	67
35	संगीत, ललित कला . .	,,	90	161	238	79	48	164
36	प्रौढ़ शिक्षा . . .	हजार	49	46	63	(-) 6	37	29

नोट: 1. शिक्षा संस्था का प्रकार खाना (1) में दिखाया गया; माप की इकाई (वास्तविक संख्या या हजार) खाना (2) में दी गई है; और 1950-51, 1955-56 और 1960-61 की वास्तविक संख्यायें क्रमश: खाना (3), (4) व (5) में दी गई है।

2. खाना (6) से (8) तक क्रमश: 1950-51 और 1955-56 (पहली योजना) के बीच, 1955-56 और 1960-61 (दूसरी योजना) (6) के बीच और 1950-51 और 1960-61 (पहली और दूसरी योजना अवधियों) के बीच हुए प्रतिशत परिवर्तन दिये गये हैं।

स्रोत: "एजूकेशन इन इंडिया" 1950-51, 1955-56 और 1960-61।

सारणी क. 4 : विभिन्न परीक्षाओं में बैठे और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या : 1950-51, 1955-56, और 1960-61

क्रम संख्या	परीक्षा	परीक्षा में बैठे हजार संख्या			उत्तीर्ण हजार संख्या			उत्तीर्ण प्रतिशत			उत्तीर्ण संख्या प्रतिशत वृद्धि		
		1950–51	1955–56	1960–61	1950–51	1955–56	1960–61	1950–51	1955–56	1960–61	1950–51 की अपेक्षा 1955–56 में	1955–56 की अपेक्षा 1960–61 में	1950–51 की अपेक्षा 1960–61 से
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक और इसके समान	492.5	920.0	1386.7	241.2	429.5	623.1	48.9	46.7	44.9	78	45	159
2	इंटरमीडिएट .	113.8	207.1	201.3	47.0	90.2	80.8	41.3	43.6	40.1	92	—10	72
3	इंटरमीडिएट विज्ञान .	56.2	93.4	84.4	25.7	41.6	35.0	45.7	44.5	41.5	62	— 16	36
4	बी०ए० (उत्तीर्ण और आनर्स)	41.7	79.9	142.3	21.3	38.0	65.1	50.9	47.5	45.7	78	71	206
5	बी०एससी० (उत्तीर्ण और आनर्स)	21.2	32.7	61.7	11.0	16.0	27.8	51.8	49.0	45.1	45	73	153
6	एम०ए० और एम०एससी०	9.4	16.3	29.6	7.1	11.8	23.7	75.5	72.4	80.1	66	101	234
7	व्यावसायिक .	33.0	48.5	93.4	19.4	35.8	60.2	58.9	73.8	64.5	85	68	210

नोट : 1. खाना (1) में पहली से सातवीं पंक्ति तक परीक्षाओं के नाम दिये गये हैं। वर्ष 1950–51 में इन परीक्षाओं में बैठे और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या क्रमश: खाना (2) और (5) में, 1955–56 में बैठे व उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या खाना (3) और (6) में तथा 1960–61 में बैठे व उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या (4) और (7) में दी गई है।

2. इन तीन वर्षों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्रमश: खाना (8), (9) व (10) में दिया गया है।

3. वर्ष 1950–51 से लेकर 1955–56 तक, 1955-56 से 1960–61 तक और 1950–51 से 1960–61 तक की अवधि में इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या में हुई वृद्धि का प्रतिशत क्रमश: खाना (11), (12) व (13) में दिया गया है।

स्रोत : एजूकेशन इन इंडिया, 1950–51, 1955–56 और 1960–61।

सारणी क्र. 5 : भारत में सामान्य शिक्षा का ढांचा

क्रम संख्या	जनसंख्या अथवा छात्रों का प्रकार	संख्या दस लाख में			प्रति हज़ार											
					जनसंख्या (पंक्ति-1)			कुल छात्र (पंक्ति-2)			प्राथमिक छात्र (पंक्ति-3)			माध्यमिक छात्र (पंक्ति-4)		
		1950–51	1955–56	1960–61	1950–51	1955–56	1960–61	1950–51	1955–56	1960–61	1950–51	1955–56	1960–61	1950–51	1955–56	1960–61
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	जनसंख्या .	357.6	391.4	434.1	1000	1000	1000	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	छात्र : कुल	23.820	31.913	45.379	66.6	81.5	104.4	1000	1000	1000	..	..	..	..	..	..
3	प्राथमिक छात्र	19.150	25.167	34.994	53.6	64.3	80.6	804.8	789.0	771.3	1000	1000	1000	..	..	..
4	माध्यमिक छात्र	4.340	6.171	9.577	12.1	15.8	22.1	181.7	193.9	211.5	225.8	245.8	274.2	1000	1000	1000
5	उच्चतर छात्र	0.326	0.575	0.808	0.9	1.5	1.9	13.5	18.4	18.2	16.8	23.3	23.6	74.4	94.8	86.1

नोट : 1. सारणी क.5 में शिक्षा का ढांचा दर्शाया गया है। इसमें जन संख्या और छात्रों के चार प्रकारों को खाना (1) में पंक्ति 1 से 5 तक को पांच मदों में लिया गया है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी की संख्या में (दस लाख में) वर्ष 1950–51 के लिए खाना (2) में, वर्ष 1955–56 के लिए खाना (3) में और वर्ष 1960–61 के लिए खाना (4) में दी गई है।

2. प्रति एक हज़ार जनसंख्या में पंक्ति (2) से (5) तक उल्लिखित प्रत्येक वर्ग के छात्रों का अनुपात पूर्वोक्त तीन वर्षों के लिए क्रमश: खाना (5), (6) व (7) में दिया गया है। पहली पंक्ति खाना (5) से (7) तक 1000 की संख्या केवल यह सूचित करने के लिए दी गई है कि इन खानों के अंतर्गत सभी पंक्तियों में दिए गए आंकड़े "प्रति हज़ार जनसंख्या" के अनुसार है।

3. इसी प्रकार इन विचाराधीन तीन वर्षों के दौरान प्रति हज़ार कुल (योग) छात्रों में पंक्ति 3 से लेकर 5 तक के तीन वर्षों के छात्रों का अनुपात खाना 3 से 5 तक क्रमश: दिखाया गया है।

4. प्रति 1000 प्राथमिक छात्रों में माध्यमिक व उच्चतर छात्रों का अनुपात खाना (11) से (13) तक दिया गया है। अंत में प्रति हज़ार माध्यमिक छात्रों में उच्चतर छात्रों का अनुपात तीनों वर्षों के लिए क्रमश: खाना (14), (15) व (16) में दिया गया है।

5. प्राथमिक श्रेणी में कक्षा 1 से 5 तक और माध्यमिक श्रेणी में कक्षा 6 से 11/12 तक शामिल मानी गई है।

स्रोत : भारत में शिक्षा, 1950–51, 1955–56 और 1960–61।

सारणी क. 6 : वर्ष 1950-51 से लेकर 1960-61 तक की अवधि में शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन

क्रम संख्या	जनसंख्या या छात्रों का प्रकार	प्रतिशत परिवर्तन (धन या ऋण)														
		संख्या में			आपेक्षिक अनुपात											
					जनसंख्या (पंक्ति-1)			छात्र : योग (पंक्ति-2)			प्राथमिक छात्र (पंक्ति-3)			माध्यमिक छात्र (पंक्ति-4)		
		1950-51 की अपेक्षा 1955-56 में	1955-56 की अपेक्षा 1960-61	1950-51 की अपेक्षा 1960-61 में	1950-51 की अपेक्षा 1955-56 में	1955-56 की अपेक्षा 1960-61 में	1950-51 की अपेक्षा 1960-61 में	1950-51 की अपेक्षा 1955-56 में	1955-56 की अपेक्षा 1960-61 में	1950-51 की अपेक्षा 1960-61 में	1950-51 की अपेक्षा 1955-56 में	1955-56 की अपेक्षा 1960-61 में	1950-51 की अपेक्षा 1960-61 में	1950-51 की अपेक्षा 1955-56 में	1955-56 की अपेक्षा 1960-61 में	1950-51 की अपेक्षा 1960-61 में
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	जनसंख्या . .	9.4	10.9	21.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	छात्र : कुल . .	34.0	42.2	90.5	22.4	28.2	56.9	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	प्राथमिक . .	31.4	39.0	82.7	20.0	25.3	50.4	−2.0	−2.2	−4.2	..	..	..	..	..	..
4	माध्यमिक . .	42.2	55.2	120.7	30.6	39.9	89.6	6.7	9.1	16.4	8.9	11.6	21.4	..	..	..
5	उच्चतर . .	76.4	40.5	147.9	66.7	26.7	111.1	36.3	−1.1	34.8	38.7	1.3	40.5	27.4	−9.2	15.7

नोट : 1. सारणी (क.5) में दिये गये आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1950-51 से लेकर 1960-61 तक की अवधि में शिक्षा के ढांचे में हुए परिवर्तन सारणी (क6) में दिखाये गये हैं। ऐसा करते समय सारणी (क-5) के खाना (1) की पंक्ति 1 से 5 तक दी गई छात्रों की श्रेणियों को छात्रों की जनसंख्या के परिणाम की आधार बनाया गया है।

2. चारों श्रेणियों के छात्रों की जनसंख्या के परिमाण में हुए परिवर्तन पहली योजना अवधि (1950-51 की अपेक्षा 1955-56) के लिए खाना (2) में, दूसरी योजना अवधि (1955-56 की अपेक्षा 1960-61) के लिए खाना (3) में और पहली व दूसरी योजना की 10 वर्ष की कुल अवधि (1950-51 की अपेक्षा 1960-61) के लिए खाना 4 में दर्शायी गये हैं। उदाहरणार्थ खाना (4) पंक्ति-1 में देखा जा सकता है कि जनसंख्या 21.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है, छात्रों की कुल संख्या में 90.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है (पंक्ति-2); प्राथमिक छात्रों की संख्या में 82.7 प्रतिशत (पंक्ति-3), माध्यमिक छात्रों की संख्या में 120.7 प्रतिशत (पंक्ति-4); और उच्चतर छात्रों की संख्या में 147.9 प्रतिशत (पंक्ति 5) वृद्धि हुई है।

3. अगले 3 खानों में, अर्थात् खाना (5), (6) और (7) में क्रमशः उक्त तीन अवधियों के दौरान प्रति हजार जनसंख्या में इन चार श्रेणियों के छात्रों के अनुपात में हुआ प्रतिशत परिवर्तन पंक्ति 2 से लेकर 5 तक छात्रों की प्रत्येक श्रेणी के सामने दिखाया गया है। उदाहरणार्थ खाना (7) की पंक्ति 2 में दिया आंकड़ा 56.9 यह सूचित करता है कि (1950-51 से लेकर 1960-61 तक की) कुल 10 वर्ष की अवधि में प्रति हजार जनसंख्या में कुल छात्रों का अनुपात 56.9 प्रतिशत बढ़ा है; यह प्रतिशत सारणी (क.5) के खाना (5) और (7) की पंक्ति 2 में दिए गए आंकड़े 66.6 और 104.5 से निकाला गया है।

4. इसी प्रकार, प्रति हजार सभी प्रकार के छात्रों में तीनों प्रकार के (प्रायमिक, माध्यमिक व उच्चतर) छात्रों के अनुपात का प्रतिशत परिवर्तन उक्त अवधियों के लिए क्रमशः खाना (8), (9) व (10) की पंक्ति 3, 4 और 5 में दिया गया है। उदाहरणार्थ खाना 10 की पंक्ति 3 से स्पष्ट है कि प्रति हजार सभी प्रकार के छात्रों प्राथमिक छात्रों का अनुपात (1950 से लेकर 1960-61 की) दस वर्ष की अवधि में 4.2 प्रतिशत घट गया है। आगे खाना (8) और (9) से यह भी देखा जा सकता है कि सभी छात्रों में प्राथमिक छात्रों का अनुपात अलग अलग दोनों योजनाओं की अवधियों के दौरान भी घटा है।

5. इसी प्रकार विचाराधीन तीनों अवधियों के दौरान प्रति हजार प्रायमिक छात्रों में माध्यमिक तथा उच्चतर छात्रों के अनुपात का परिवर्तन क्रमशः पंक्ति 4 और 5 में पंक्ति 4 और 5 में खाना (11), (12) व (13) के अंतर्गत दिखाया गया है।

6. अंत में प्रति हजार माध्यमिक छात्रों में उच्चतर छात्रों के अनुपात का परिवर्तन इन तीनों अवधियों के लिए क्रमशः खाना (14), (15) और (16) के अंतर्गत पंक्ति 5 में दिखाया गया है।

सारणी क्र. 7 : शिक्षा पर व्यय : 1950-51 से 1960-61 तक

क्रम संख्या	मद	व्यय लाखों रुपयों में			कुल व्यय का प्रतिशत			प्रतिशत वृद्धि		
		1950–51	1955–56	1960–61	1950–51	1955–56	1960–61	1950–51 की अपेक्षा 1955–56 में	1955–56 की अपेक्षा 1960–61 में	1950–51 की अपेक्षा 1960–61 तक
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(क) शिक्षा पर व्यय खर्च की मद के अनुसार									
	खर्च की मद									
1	विश्वविद्यालय .	491	798	1,414	4.3	4.2	4.1	63	77	188
2	माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड	53	132	241	0.5	0.7	0.7	149	83	355
3	अनुसंधान संस्थान	63	139	270	0.6	0.7	0.8	121	94	329
4	कला और विज्ञान कालेज	717	1,165	2,092	6.3	6.2	6.1	62	80	192
5	व्यावसायिक और तकनीकी कालेज	422	700	1,580	3.7	3.7	4.6	66	126	274
6	विशेष शैक्षणिक कालेज .	22	36	91	0.2	0.2	0.3	64	153	314
7	हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूल .	2,305	3,762	6,891	20.1	19.9	20.0	63	83	199
8	मिडिल स्कूल .	770	1,541	4,292	6.7	8.1	12.4	100	179	457
9	प्राथमिक स्कूल	3,648	5,373	7,345	31.9	28.3	21.3	47	37	101
10	पूर्व प्राथमिक स्कूल	12	25	59	0.1	0.1	0.2	108	136	392
11	व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल	369	545	1,141	3.2	2.9	3.3	48	109	209
12	सामाजिक और विशेष स्कूल .	233	265	320	2.0	1.4	0.9	14	21	37
13	मध्यवर्ती जोड़ (प्रत्यक्ष) .	9,105	14,481	25,736	79.6	76.4	74.7	59	78	183
14	दिशा निर्देश/निरीक्षण	274	400	701	2.4	2.1	2.0	46	75	156
15	भवन . .	993	1,963	4,282	8.7	10.3	12.4	98	118	331
16	छात्रवृत्तियां .	344	822	2,002	3.0	4.3	5.9	139	144	482
17	छात्रावास का खर्च	183	266	431	1.6	1.4	1.3	45	62	136
18	विविध .	539	1,034	1,286	4.7	5.5	3.7	92	24	139
19	मध्यवर्ती जोड़ (अप्रत्यक्ष) .	2,333	4,485	8,702	20.4	23.6	25.3	92	94	273
20	कुल योग .	11,438	18,966	34,438	100.0	100.0	100.0	66	82	201
	(ख) निधि के स्रोतों के अनुसार शिक्षा पर व्यय									
	निधि के स्रोत									
21	सरकार .	6,527	11,720	23,409	57.0	61.8	68.0	80	100	259
22	जिला बोर्ड .	786	900	1,183	6.9	5.2	3.4	26	19	51
23	नगरपालिका .	464	646	1,066	4.1	3.4	3.1	39	65	130
24	फीस . .	2,333	3,790	5,903	20.4	20.0	17.2	62	56	153
25	धर्मस्व .	246	569	981	2.1	3.0	2.8	131	72	299
26	अन्य स्रोत .	1,082	1,251	1,896	9.5	6.6	5.5	16	52	75
27	कुल योग .	11,438	18,966	34,438	100.0	100.0	100.0	66	82	201

स्रोत : एजूकेशन इन इंडिया 1950–51, 1955–56 और 1960–61 ।

नोट : 1. सारणी (क.7) में वर्ष 1950–51, 1955–56 और 1960–61 के दौरान शिक्षा पर हुआ व्यय दो भागों में दिया गया है । दोनों भागों की मदें खाना (1) में दी गई हैं और 1950–51, 1955–56 और 1960–61 में हुआ खर्च क्रमश: खाना (2), (3) व (4) में दिया गया है । कुल खर्च में प्रत्येक मद पर हुए खर्च का प्रतिशत इन तीनों वर्षों के लिए क्रमश: खाना (5), (6) और (7) में दिखाया गया है।

2. पहली योजना अवधि (1950–51 से 1955–56 तक), दूसरी योजना अवधि (1955–56 से 1960–61 तक) और कुल मिलाकर दोनों योजनाओं की अवधि (1950–51 से 1960–61 तक) शिक्षा व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत क्रमश: खाना (8), (9) व (10) में दिया गया है।

3. सारणी (क.7) के पूर्वार्ध में पंक्ति 1 से 13 तक संस्थाओं की श्रेणियों के अनुसार व्यय दिया गया है और पंक्ति 14 से 19 तक खर्च की मदों के अनुसार 1 पंक्ति (13) में प्रत्यक्ष व्यय का योग दिया गया है और पंक्ति 13 में अप्रत्यक्ष व्यय का कुल योग पंक्ति 20 में दिखाया गया है ।

4. सारणी (क.7) के नीचे के भाग (ख) की पंक्ति 21 से 26 तक निधि के स्रोतों के अनुसार शिक्षा पर व्यय दिया गया है और पंक्ति (27) में फिर से कुल योग दिया गया है।

5. प्रत्यक्ष सूचना के अभाव में खाना (2) की पंक्ति 16 से 18 तक का ब्यौरा 1955–56 के अनुपातों का उपयोग करके प्राप्त किया गया है ।

सारणी क्र 8 : भारत में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की निकासी

क्रम संख्या	वर्ष	योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या					
		प्राकृतिक विज्ञानों में मास्टर की डिग्री				इंजीनियरी	
		योग	औसत प्रति वर्ष	डिग्री	डिप्लोमा	योग	औसत प्रति वर्ष
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1915–19 . .	832	166	568	1,703	2,271	454
2	1920–24 . .	917	183	771	1,902	2,673	535
3	1925–29 . .	1,923	385	1,619	4,322	5,941	1,188
4	1930–34 . .	2,784	557	2,190	5,397	7,587	1,517
5	1935–39 . .	2,938	588	2,901	5,331	8,232	1,646
6	1940–44 . .	3,378	676	3,765	6,280	10,045	2,009
7	1945–47 . .	2,511	837	3,170	4,538	7,708	2,569
8	1915–47 . .	15,283	463	14,984	29,473	44,457	1,347
9	1948–50 . .	2,947	982	4,993	5,344	10,337	3,446
10	1951–55 पहली योजना। .	9,062	1,812	15,753	15,924	31,677	6,335
11	1956–60 दूसरी योजना। .	15,799	3,160	23,312	30,399	53,711	10,742
12	1951 . .	1,409	1,409	2,693	2,626	5,319	5,319
13	1952 . . .	1,680	1,680	2,956	2,655	5,611	5,611
14	1953 . . .	1,694	1,694	2,880	2,747	5,627	5,627
15	1954 . . .	2,068	2,068	3,207	3,397	6,604	6,604
16	1955 . . .	2,211	2,211	4,017	4,499	8,516	8,516
17	1956 . . .	2,456	2,456	4,337	4.103	8,440	8,440
18	1957 . . .	2,832	2,832	4,223	5,084	9,307	9,307
19	1958 . . .	2,982	2,982	4,571	6,021	10,592	10,592
20	1959 . . .	3,558	3,558	4,478	7,222	11,700	11,700
21	1960 . . .	3,971	3,971	5,703	7,969	13,672	13,672
22	1961 . . .	4,737	4,737	7,026	10,349	17,375	17,375

स्रोत : खाना 2 और 3

(1) 'रिसेन्ट डेवल्पमेंट्स इन दि आर्गनाईजेशन आफ साइंस इन इंडिया' : –प्रो० पी० सी० महालनोबिस : वर्ष 1915-1950 के लिए

(2) 'एजूकेशन इन इंडिया'–शिक्षा मंत्रालय, 1950–51 से 1960–61 तक के लिए

(3) आल इंडिया एजूकेशन स्टैटिस्टिक्स (1950–51 से 1965–66) । सप्लीमेंटरी वाल्यूम नं० 11 एजूकेशन कमीशन, 1966

खाना 4 से 7

(1) 'इंजीनियर्स इन इंडिया, नम्बर ऐंड डिस्ट्रीब्यूशन, 1955' वैज्ञानिक और तकनीकी जन शक्ति प्रभाग, योजना आयोग अक्तूबर 1957, वर्ष 1915–1949 के लिए

(2) 'रिव्यू आफ इंजीनियरिंग एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स इन इंडिया'–इंस्टीट्यूट आफ ऐप्लाइड मैन पावर रिसर्च, सितम्बर 1964. 1950 और बाद की अवधि के लिए ।

सारणी क 9 : भारत में इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और डाक्टरों की संख्या

क्रम संख्या	वर्ष	वर्ष के आरम्भ में संख्या										सूचकांक (1951 = 100)				
		इंजीनियर			विज्ञान में मास्टर की डिग्री	डाक्टर			इंजीनियर			विज्ञान में मास्टर की डिग्री	डाक्टर			
		डिग्री	डिप्लोमा	योग		ग्रेज्युएट और अन्य	लाइसेंस धारी और अन्य	योग	डिग्री	डिप्लोमा	योग		ग्रेज्युएट	लाइसेंस धारी और अन्य	योग
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	1951	26694	38789	65483	17108	24004	38031	62035	100	100	100	100	100	100	100
2	1952	28853	40639	69492	18004	24979			108	105	106	105	104		
3	1953	31232	42481	73713	19144	36394			117	110	113	112	110		
4	1954	33487	44378	77875	20264	27901			125	114	119	118	116		
5	1955	36024	46887	82911	21724	29646			135	121	127	127	123		
6	1956	39321	50448	89769	23283	31500	33600	65100	147	130	137	136	121	88	105
7	1957	42872	53542	96414	25040	33287			161	138	147	146	139		
8	1958	46238	57555	103793	27121	35090			173	148	158	159	146		
9	1959	49884	62425	112309	29289	36896			187	161	172	171	154		
10	1960	53364	68399	121763	31968	38872			120	176	186	187	162		
11	1961	58000	75000	133000	34980	41093	29042	70135	217	193	203	204	171	76	113

नोट : 1. वार्षिक संख्याओं का अनुमान सारणी क. 8 में दी गई निकासी और प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की दर से कमी के आधार पर निकाला गया है, केवल इंजीनियरों के मामले में वार्षिक कमी 2 प्रतिशत मानी गई है (नीचे व्याख्यात्मक नोट देखिये)।

2. खाना (2) से (8) तक संख्याओं के अनुमान दिये गये हैं और 1951 = 100 के आधार पर उन्हें खाना (9) से (15) तक व्यक्त किया गया है।

स्रोत : (1) डिमांड एण्ड सप्लाई आफ इंजीनियरिंग मैनपावर 1961–75, आई०ए०एम०आर०

(2) साधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रभाग, योजना आयोग

(3) एजूकेशन इन इंडिया

(4) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं

सारणी क.9 : भारत में इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और डाक्टरों की संख्या

व्याख्यात्मक नोट

इंजिनियरों की संख्या :

चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे की रूपरेखा (पृ० 116) के अनुसार वर्ष 1961 के आरम्भ में इंजीनियरों की अनुमानित संख्या 1,33,000 है जिसमें 58,000 डिग्री धारी और 75,000 डिप्लोमाधारी है। ये आंकड़े इंस्टीट्यूट आफ ऐप्लाइड मैनपावर रिसर्च द्वारा किये गये 'डिमान्ड ऐन्ड सर्वे आफ इंजीनियरिंग मैनपावर, 1961–75' शीर्षक सर्वेक्षण (पृष्ठ 11–22) पर आधारित हैं। वर्ष 1961 में सक्रिय इंजीनियरों की अनुमानित संख्या इंस्टीट्यूट द्वारा 1961 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कुछ समायोजन करके निकाली गई थी। इंस्टीट्यूट के अनुभव के आधार पर भी यह प्रतीत होता है कि 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष घर्षण की दर 1961 के पहले की संख्या के आंकड़े निकालने के लिए उपयुक्त है। इसलिए इस सारणी में यही दर ली गई है और पिछले वर्षों की संख्या का अनुमान लगाते समय संबंधित वर्ष में हुई निकासी को ध्यान में रखकर और 1961 के अनुमानों को लेकर पीछे की ओर गणना की गई है।

डाक्टरों की संख्या :

वर्ष 1955–56 के दौरान भारत में काम कर रहे डाक्टरों की संख्या के अनुमान भावी-योजना प्रभाग (योजना आयोग) के प्रलेख "मैनपावर स्टडीज 15; डाक्टर्स इन इंडिया 1959" में पहले से ही उपलब्ध थे। इस प्रलेख के अनुसार 1956 में सक्रिय डाक्टरों की संख्या 68,900 थी पर इसमें 61 वर्ष से कम आयु के सभी डाक्टर और 61 वर्ष से अधिक आयु के आधे डाक्टर शामिल थे। योजना आयोग के एक अन्य प्रलेख अर्थात् "रिपोर्ट आफ दि मीटिंग आफ दि पैनेल आन हैल्थ––1960" में वर्ष 1956 के लिए स्वीकृत संख्या कुछ भिन्न अर्थात् 65,100 है। यह संख्या भावी योजना प्रभाग के द्वारा अनुमान की गई संख्या में से 61–70 आयु वर्ग के डाक्टरों की संख्या का आधा भाग घटा कर और 70 वर्ष से ऊपर वालों को पूरी तरह हटा कर निकाली गई है इस बात का सत्यापन आसानी से किया जा सकता है। पैनल ने इस संख्या में लेकर अनुमान लगाया है कि दूसरी योजना के अन्त में काम कर रहे डाक्टरों की संख्या 70,185 थी (रिपोर्ट, पृष्ठ 305)।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 'योजना की रूपरेखा' में 1955–56 और 1960–61 के लिए जो अनुमान दिये गये हैं वे स्वास्थ्य-पैनल के अनुमानों के बराबर के ही हैं। स्वास्थ्य पैनल के अनुमानों का भी मूल आधार भावी योजना प्रभाग का प्रलेख है। वर्ष 1956 के आरम्भ में डाक्टरों की संख्या 65,100 मानकर इस सारणी में बाद वर्षों के आंकड़े निकाले गये। इसके लिए प्रति वर्ष नये तैयार हुए डाक्टरों की संख्या जोड़ी गई है और कार्यविरत होने वालों के लिए यथोचित समायोजन किया गया है। प्रति वर्ष कार्यविरत होने वालों के लिए 3 प्रतिशत की दर से कमी कर देने पर 1961 के लिए 70,135 की संख्या प्राप्त होती है, यह संख्या लगभग वही है जो योजना आयोग के अनुमान की (70,185) है। इसलिए यही प्रक्रिया और कार्यविरत होने वालों की यही दर 1956 के पहले के वर्षों में डाक्टरों की संख्या निकालने के लिए अपनायी गयी है।

सारणी क 10 : भारत में चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि :1950–51 से 1960-61 तक

क्रम संख्या	मद	इकाई	उपलब्ध			प्रतिशत वृद्धि		
			1950–51	1955–56	1960–61	1950–51 की अपेक्षा 1955–56 में	1955–56 की अपेक्षा 1960–61 में	1950–51 की अपेक्षा 1960–61 में
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	संस्थाएं							
1	अस्पताल	संख्या	2641[1]	2966	4011	12	35	52
2	डिस्पेंसरियां	संख्या	6803[1]	6539	9874	—4	51	45
3	अस्पतालों में शय्याएं	हजार	112[1]	139	200	24	44	79
	रोगियों का उपचार							
4	अस्पताल में भर्ती	दस लाख	3.2[1]	8.6	12.2	169	42	281
5	गैर भर्ती किये हुए	,,	79.2[1]	125.7	178.6	59	42	126
6	कुल	,,	82.4[1]	134.3	190.8	63	42	132
	पंजीकृत चिकित्सक							
7	स्नातक और विशेषज्ञ	हजार	24.0	31.5	41.1	31	30	71
8	लाइसेंस प्राप्त	,,	38.0	33.6	29.0	—12	—14	—24
9	कुल	,,	62.0	65.1	70.1	5	8	13
	पंजीकृत सहायक							
10	हेल्थ विजिटर	संख्या	596	811	1481	36	83	148
11	नर्सें	हजार	17	22	33	30	50	94
12	दाइयां	हजार	18	27	38	50	41	111

[1]जम्मू और काश्मीर को छोड़कर ।

नोट : 1. खाना (1) की पंक्ति 1 से 12 तक विभिन्न सुविधाओं के शीर्षक दिये गये हैं । खाना (2) में माप की इकाई दी गई है । खाना (3) से (5) तक क्रमश: 1950–51, 1955–56 और 1960–61 के आंकड़े दिये गये हैं ।

2. खाना (6) में 1950–51 और 1955–56 के बीच (पहली योजना की अवधि में) हुई प्रतिशत वृद्धि, खाना (7) में 1955–56 और 1960–61 के बीच (दूसरी योजना की अवधि में) हुई प्रतिशत वृद्धि और खाना (8) में दूसरी और तीसरी योजना की 10 वर्ष की अवधि में हुई प्रतिशत वृद्धि दी गई है ।

3. डाक्टरों की संख्या का (जिनमें ग्रेज्युएट और लाइसेंशियेट शामिल हैं) अनुमान लगाते समय (मृत्यु, सेवानिवृत्ति, तथा अन्य कारणों से कार्यविरत होने वालों को ध्यान में रखकर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कमी की गई है तथा व्यावसायिक कार्य-कलाप की अवधि 33 वर्ष से कुछ अधिक मानी गई है), आरम्भ में 1955–56 में ग्रुज्युएट डाक्टरों की संख्या 31,500 और लाइसेंशिएट डाक्टरों की संख्या 33,600 मानी गई है और 1950 से 1960 तक प्रतिवर्ष तैयार होकर निकलने वाले ग्रुज्युएट डाक्टरों की संख्या का उपयोग किया गया है । प्रशिक्षण की लाइसेंशिएट पद्धति 1948 के बाद शीघ्र ही समाप्त कर दी गई थी अत: 1951 के बाद नये लाइसेंशियेट बहुत कम बने, इनकी अनुमानित संख्या 1950–51 से 1955–56 तक (पहली योजना) की अवधि के दौरान 1000 थी और 1955–56 से 1960–61 तक (दूसरी योजना) की अवधि के दौरान 200 थी ।

स्रोत : (1) "बैसिक स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टु इंडियन इकानामी" (आंकड़ा और सर्वेक्षण प्रभाग), योजना आयोग, 1962।

(2) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य मंत्रालय ।

सारणी क 11 : परिवहन और संचार सुविधाओं में वृद्धि : 1950-51, 1955-56 और 1960-61

क्रम संख्या	मद	इकाई	वास्तविक			प्रतिशत वृद्धि			वास्तविक			प्रतिशत वृद्धि		
			1950-51	1955-56	1960-61	1950-51 की अपेक्षा 1955-56 में	1955-56 की अपेक्षा 1960-61 में	1950-51 की अपेक्षा 1960-61 में	1950-51	1955-56	1960-61	1950-51 की अपेक्षा 1955-56 में	1955-56 की अपेक्षा 1960-61 में	1950-51 की अपेक्षा 1960-61 में
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	रेलवे		(वास्तविक हजारों में)						(क) प्रति 10 लाख आबादी					
1	रूट	किलोमिटर	55	56	57	2	2	4	153	143	131	(−)6	(−)8	(−)14
2	पसेंजर किलोमिटर	10 लाख	67	63	78	(−)6	24	16	188	161	180	(−)14	12	(−)4
	सड़क और परिवहन													
3	पक्की सड़कें	किलोमीटर	157	183	236	17	29	50	439	468	544	7	16	24
4	कच्ची (मोटर जाने योग्य) सड़कें	,,	243	256	269	5	5	11	679	645	620	(−)4	(−)5	(−)9
5	रजिस्टर्ड मोटर गाड़ियां	संख्या	306	426	678	39	58	121	857	1088	1555	27	43	81
6	सवारी-कारें और जीपें	संख्या	148	188	288	27	53	95	414	480	663	16	38	60
7	बसें	संख्या	34	47	57	38	21	68	96	119	131	24	10	36
	सिविल विमान : आन्तरिक सेवा													
8	किलोमीटर उड़ान	हजार	27.13	26.74	29.09	(−)1	9	7	76	68	67	(−)11	(−)1	(−)12
9	समुद्रपार	हजार	300	285	591	(−)5	107	97	839	728	1361	(−)13	87	62
	जहाजरानी													
10	अन्तर्देशीय	जी०आर०टी०	217	240	292	11	22	35	607	613	673	1	10	111
11	समुद्रपार	,,	174	240	613	38	155	252	487	613	1412	26	130	190

सारणी क 11—जारी

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	डाक और तार													
12	डाकखाने . .	संख्या	36	55	77	52	40	113	101	141	177	40	26	75
13	तार घर . .	संख्या	8	10	12	21	19	43	23	25	27	9	8	17
14	टेलीफोन कनेक्शन .	संख्या	168	278	463	65	67	176	470	710	1067	51	50	127
15	पत्र और पोस्टकार्ड (बिना रजिस्ट्री के)	10 लाख	1.80	2.23	2.86	24	28	59	5.0	5.7	6.6	14	16	32
16	तार . .	हजार	27.0	35.5	38.1	31	7	41	76	91	88	20	(−)3	16
									(प्रति हजार वर्ग किलोमीटर)					
17	रेलवे मार्ग . .	किलोमीटर	..	..	..	..	..	..	16.8	17.1	17.4	2	2	4
	सड़के और परिवहन													
18	पक्की सड़कें . .	किलोमीटर	..	..	..	..	..	..	48	56	72	17	29	50
19	कच्ची (मोटर जाने योग्य) सड़कें	,,	..	..	..	..	..	..	74	78	82	5	5	11

नोट : 1. सारणी (क.11) के खाना (1) में परिवहन और संचार सुविधाओं की मदवार सूची दी गई है और खाना (2) में वह इकाई दी गई है जिसके द्वारा इन सुविधाओं की माप की गई है।

2. वर्ष 1950-51, 1955-56 और 1960-61 (पंक्ति 8 और 9 के लिए कैलेन्डर वर्ष) में उपलब्ध परिवहन और संचार सुविधाओं के वास्तविक आंकड़े क्रमश: खाना (3), (4) और (5) के अंतर्गत पंक्ति 1 से 16 तक दिए गये हैं। इन आंकड़ों में 1950-51 से लेकर 1955-56 के बीच, 1955-56 से लेकर 1960-61 के बीच और 1950-51 से लेकर 1960-61 तक के बीच हुए प्रतिशत परिवर्तन के आंकड़े खाना (6) से (8) तक दिये गये हैं।

3. प्रति दस लाख जनसंख्या के लिए वर्ष 1950-51, 1955-56 और 1960-61 के (खाना 8 और 9 के लिए कैलेन्डर वर्ष के आंकड़े) खाना (9), 10 और (11) के अन्तर्गत पंक्ति 1 से 16 तक दिये गये हैं। इन आंकड़ों में हुए प्रतिशत परिवर्तन 1950-51, 1955-56, 1960-61 और 1950-51, 1960-61 की अवधि के लिए क्रमश: खाना (12), (13) और (14) में दिये गये हैं।

4. खाना (9), (10) और (11) की पंक्ति 17 से 19 तक प्रति हजार वर्ग किलोमीटर के अनुसार आंकड़े दिये गये हैं और खाना (12) से (14) तक तदनुरूप प्रतिशत परिवर्तन दिये गये हैं।

स्रोत : (1) बेसिक स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टु इंडियन इकानामी 1950-51 टु 1961-62; आंकड़ा और सर्वेक्षण प्रभाग, योजना आयोग

(2) स्टैटिस्टिकल पाकेट बुक आफ इंडियन यूनियन 1965; केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

(3) इंडिया, पाकेट बुक आफ इकानामिक इनफार्मेशन 1966 : वित्त मन्त्रालय, नई दिल्ली

तालिका क 12 : रोजगार कार्यालय : रोजगार कार्यालयों की सूचना चालू रजिस्टरों पर रोजगार चाहने वाले प्रार्थियों की संख्या और प्रार्थियों की संख्या जिन्हें रोजगार दिलाया गया ।

क्रम संख्या	वर्ष	रोजगार कार्यालयों की संख्या	संख्या लाखों में		संख्या लाखों में			
			पंजीकृत	चालू रजिस्टरों में प्रार्थियों की संख्या	प्रार्थियों की संख्या रोजगार कार्यालय के अनुसार	अधिसूचित रिक्त स्थान	जिन्हें रोजगार दिलाया गया	नियोजक जो रोजगार कार्यालयों का उपयोग करते हैं
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1951 . .	126	13.8	3.3	2.6	487	417	6.4
2	1955 . .	136	15.8	6.9	5.1	281	170	4.9
3	1956 . .	143	16.7	7.6	5.3	297	190	5.4
4	1957 . .	181	17.8	9.2	5.1	297	193	5.6
5	1958 . .	212	22.0	11.8	5.6	365	233	6.5
6	1959 . .	244	24.7	14.2	5.8	424	271	7.5
7	1960 . .	296	27.3	16.4	5.4	520	306	8.8
8	1961 . .	325	32.3	18.3	5.6	708	404	10.4

नोट : खाना 2 में वर्ष के अन्त में रोजगार कार्यालयों की संख्या दी गई है; खाना 3 में उन व्यक्तियों की संख्या (लाखों में) दी गई है जिन्होंने वर्ष के दौरान अपना पंजीकरण रोजगार कार्यालयों में कराया है; खाना 4 में वर्ष के अन्त में भी रोजगार सहायता चाहने वालों की संख्या (लाखों में) दी गई है । खाना (5) में ऐसे व्यक्तियों की संख्या प्रति रोजगार कार्यालय के हिसाब से दी गई है, यह संख्या खाना (4) के आंकड़ों को खाना (2) के आंकड़ों से भाग देकर निकाली गई है ।

(क) खाना (2), (4) और (5) में वर्ष के अन्त के आंकड़े दिये गये हैं ।

(ख) खाना (3), (6), (7) और (8) में वर्षभर के आंकड़े दिये गये हैं ।

स्रोत : इंडियन लेबर जनरल और श्रम व रोजगार मन्त्रालय ।

सारणी क 13 : ग्रामों में हुए विकास के सूचक कुछ चुने हुए आंकड़े

क्रम संख्या	मद	इकाई	वर्ष		
			1950–51	1955–56	1960–61
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	गांव	संख्या हजार	558	563	567
2	गांवों में जनसंख्या	संख्या दस लाख	295.7	322.1	356.0
	डाक सेवाएं				
3	गांवों में डाकखाने	संख्या/हजार गांव	55	86	123
4	ग्रामीण : सभी डाकखानों का प्रतिशत	प्रतिशत	85.4	88.1	90.5
5	गांवों में लेटरबाक्स	संख्या/हजार गांव	111	139	189
6	ग्रामीण : कुल लेटरबक्सों का प्रतिशत	प्रतिशत	72.6	70.6	74.7
7	गांवों में डाकिये	संख्या/हजार गांव	32	41	58
	गांवों में बिजली पहुंचाना				
8	गांवों की संख्या जिसमें बिजली पहुंचाई गई	संख्या हजार	3.4	9.4	26.7
9	कुल गांवों का प्रतिशत जिनमें बिजली पहुंचाई गई	प्रतिशत	0.60	1.67	4.72
10	बिजलीकरण वाले गांवों का बिजलीकरण वाले नगरों की अपेक्षा अनुपात	संख्या	4.98	9.28	20.50
	सिंचाई के लिए बिजली की खपत				
11	सिंचाई के कामों में बिजली की खपत	दस लाख किलोवाट घंटे	162	255	833
12	कुल खपत की अपेक्षा सिंचाई में हुई बिजली की खपत का प्रतिशत	प्रतिशत	2.46	2.37	4.14
	शिक्षा				
13	गांवों में साक्षरता की दर प्रतिशत	प्रतिशत	12		22
14	नगरों में साक्षरता की अपेक्षा गांवों में साक्षरता-दर का अनुपात	संख्या	0.34		0.41
15	ग्रामीण शिक्षा पर व्यय	करोड़ रुपये	38.25	67.44	114.79
16	शिक्षा पर हुए कुल व्यय में ग्रामीण शिक्षा पर हुए व्यय का प्रतिशत	प्रतिशत	33.4	35.6	33.3
17	गांवों में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय	रुपये	1.20	2.9	3.22
18	नगरों में शिक्षा पर प्रतिव्यक्ति व्यय की अपेक्षा गांवों में प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय का अनुपात	संख्या	0.106	0.118	0.110
19	ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं में छात्र	संख्या दस लाख	18.23	22.68	34.34
20	सभी शिक्षा संस्थाओं के छात्रों में ग्रामीण संस्थाओं के छात्रों का प्रतिशत	प्रतिशत	71.4	66.9	71.6
	सड़कें				
21	गांवों में सड़कें (किलोमीटर)	हजार किलो-मीटर	166	242	389
22	कुल सड़क किलोमीटरों में गांव की सड़कों का प्रतिशत	प्रतिशत	41.6	48.6	54.8
23	गांव सड़क किलोमीटर प्रति दस लाख ग्रामीण जनसंख्या	किलोमीटर दस लाख संख्या	561	751	1093

नोट : 1. मद 8, 9 और 10 में 10,000 तक जनसंख्या वाले कस्बे शामिल हैं।

2. मद 15 और 16 केवल मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं से संबंधित हैं।

3. खाना 5 की पंक्ति 15 से 20 तक के आंकड़े वर्ष 1959–60 के हैं।

स्रोत : 1. इंडिया 1962, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

2. स्टैटिस्टिकल ऐस्ट्रैक्ट्स आफ दि इंडियन यूनियन

3. सेलेक्टेड प्लान स्टैटिस्टिक्स, योजना आयोग, फरवरी, 1963

4. भारतीय जनगणना, 1951, 1961

5. स्टैटिस्टिकल पाकेट बुक आफ इंडियन यूनियन, 1965

6. बेसिक स्टैटिस्टिक रिलेटिंग टु इंडियन इकोनोमी, 1950–51 टु 1964–65

अध्याय 3

विवरण

सारणी संख्या

सारणी ख. 1 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार, प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिवस कुल उपभोक्ता व्यय को उच्चतर चरम राशि रुपयों में—अखिल भारतीय ग्रामीण

ख. 2 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार, प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिवस कुल उपभोक्ता व्यय की उच्चतर चरम राशि रुपयों में—अखिल भारतीय शहरी

ख. 3 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार, प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिवस औसत कुल उपभोक्ता व्यय रुपयों में—अखिल भारतीय ग्रामीण

ख. 4 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिवस औसत कुल उपभोक्ता व्यय रुपयों में—अखिल भारतीय शहरी

ख. 5 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कुल उपभोक्ता व्यय, शहरी क्षेत्रों के इसी प्रकार के व्यय के प्रतिशत के रूप में

ख. 6 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रति व्यक्ति (आधार—नौ दौरों का औसत) औसत कुल उपभोक्ता व्यय का सूचकांक—अखिल भारतीय ग्रामीण

ख. 7 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रतिशत (आधार—नौ दौरों का औसत) औसत कुल उपभोक्ता व्यय का सूचकांक—अखिल भारतीय शहरी

ख. 8 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार कुल उपभोक्ता व्यय का प्रतिशत भाग—अखिल भारतीय ग्रामीण

ख. 9 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार कुल उपभोक्ता व्यय का प्रतिशत भाग—अखिल भारतीय शहरी

ख.10 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार कुल उपभोक्ता व्यय के (आधार—नौ दौरों का औसत) भाग का सूचकांक—अखिल भारतीय ग्रामीण

ख.11 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार कुल उपभोक्ता व्यय के (आधार—नौ दौरों का औसत) भाग का सूचकांक अखिल भारतीय शहरी

ख.12 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिवस अन्न की औसत खपत—सेरों में—अखिल भारतीय ग्रामीण

ख.13 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिवस अन्न की औसत खपत—सेरों में—अखिल भारतीय शहरी

ख.14 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति अन्न की औसत खपत शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति अन्न की खपत के प्रतिशत के रूप में—अखिल भारतीय

ख.15 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार अन्न की खपत की मात्रा का प्रतिशत भाग—अखिल भारतीय ग्रामीण

ख.16 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार अन्न की खपत की मात्रा का प्रतिशत भाग—अखिल भारतीय शहरी

ख.17 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार अन्न की खपत की मात्रा (आधार—नौ दौरों का औसत) के भाग का सूचकांक—अखिल भारतीय ग्रामीण

विवरण—जारी

सारणी संख्या

ख.18 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार अन्न की खपत की मात्रा (आधार—नौ दौरों का औसत) के भाग का सूचकांक—अखिल भारतीय शहरी

ख.19 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के चार दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिन विभिन्न अनाजों की खपत—सेरों में—अखिल भारतीय ग्रामीण

ख.20 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के चार दौरों के अनुसार विभिन्न भंगुर वर्गों के अनाज की खपत में चावल, गेहूं, चावल+गेहू और मोटे अनाजों का प्रतिशत अनुपात—अखिल भारतीय ग्रामीण

ख.21 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के चार दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के अनुमानित मूल्यों के सूचकांक (आठवें दौर के अनुमानित मूल्य-100 —अखिल भारतीय ग्रामीण

ख.22 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दो दौरों के अनुसार भंगुर वर्ग वार प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिन विभिन्न अनाजों की खपत सेरों में (अखिल भारतीय शहरी)

ख.23 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दो दौरों के अनुसार विभिन्न भंगुर वर्गों की अनाज की खपत में चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का अनुपात—अखिल भारतीय शहरी

ख.24 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दौरों के अनुसार भंगुर वर्ग वार चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के अनुमानित मूल्यों के सूचकांक (आठवें दौर के अनुमानित मूल्य-100) अखिल भारतीय शहरी

सारणी ख 1 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार, प्रतिव्यक्ति प्रति 30 दिवस कुल उपभोक्त। व्यय की उच्चतर चरम राशि रुपयों में

अखिल-भारतीय ग्रामीण

क्रम संख्या	भंगुर वर्ग प्रतिशत	नमूना	दौर 4 अप्रैल–सितम्बर 1952	दौर 5 दिसम्बर 1952-मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953–मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954–मार्च 1955	दौर 9 मई–नवम्बर 1955	दौर 12 मार्च–अगस्त 1957	दौर 13 सितम्बर 1957–मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959–जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960–जून 1961
नमूने के लिए परिवारों की संख्या			2,345	1,339	3,684	1,381	1,833	1,600	7,171	6,663	7,144	3,703
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	जनसंख्या का	न०स०–1	2.72	3.31	2.72	2.60	2.75	2.75	4.14	2.75	2.67	2.87
2	निम्न सीमान्त	संयुक्त	2.59	2.65	2.59	2.60	2.58	2.53	4.14	2.51	2.50	2.87
3		न०स०–2	2.59	2.65	2.59	2.75	2.58	2.53	4.56	2.51	2.50	3.48
4		न०स०–1	6.31	6.22	6.22	6.00	4.55	4.78	5.72	6.32	7.12	7.73
5	0—5	संयुक्त	6.38	6.32	6.32	5.75	4.70	4.78	5.93	6.20	7.17	7.63
6		न०स०–2	6.57	6.32	6.39	5.60	4.85	4.79	6.02	6.04	7.38	7.55
7		न०स०–1	8.24	7.43	7.95	7.29	5.62	5.55	7.14	7.76	8.64	9.41
8	5—10	संयुक्त	8.21	7.95	8.07	7.15	5.86	5.69	7.08	7.64	8.69	9.09
9		न०स०–2	8.00	8.26	8.18	7.00	5.93	5.77	6.98	7.54	8.75	8.86
10		न०स०–1	11.12	10.28	10.63	9.29	7.18	7.40	9.17	9.80	10.59	11.54
11	10—20	संयुक्त	10.75	10.20	10.53	9.25	7.29	7.52	9.01	9.57	10.56	11.45
12		न०स०–2	10.57	10.16	10.37	9.25	7.45	7.78	8.86	9.29	10.54	11.35
13		न०स०–1	13.48	12.33	13.10	10.21	8.46	9.02	10.73	11.60	12.43	13.56
14	20—30	संयुक्त	13.26	12.33	12.86	10.60	8.84	9.16	10.57	11.29	12.28	13.44
15		न०स०–2	12.86	12.31	12.71	10.55	8.98	9.36	10.45	11.15	12.11	13.32
16		न०स०–1	15.88	15.06	15.52	12.83	10.28	10.72	12.50	13.25	14.07	15.53
17	30—40	संयुक्त	15.64	14.65	15.25	12.29	10.24	10.72	12.16	13.18	14.00	15.39
18		न०स०–2	15.42	14.72	15.06	11.75	10.24	10.73	11.86	12.97	13.98	15.36

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19		न०स०–1 . .	17.73	17.37	17.49	14.20	11.89	12.56	14.32	15.10	15.92	17.58
20	40—50	संयुक्त . .	17.64	17.02	17.30	14.00	11.89	12.50	13.96	15.10	15.63	17.47
21		न०स०–2 . .	17.45	16.78	16.97	13.40	11.90	12.45	13.68	15.10	15.15	17.44
22		न०स०–1 . .	19.87	19.09	19.51	16.67	13.83	14.45	16.25	17.65	17.91	20.01
23	50—60	संयुक्त . .	19.98	18.97	19.47	16.11	13.83	14.49	15.90	17.33	17.55	20.07
24		न०स०–2 . .	20.17	18.97	19.42	15.63	14.04	14.52	15.58	17.17	17.14	20.21
25		न०स०–1 . .	24.13	22.45	23.31	19.33	16.30	17.45	18.67	20.27	21.00	23.11
26	60—70	संयुक्त . .	23.91	22.43	23.19	18.80	16.68	17.69	18.55	20.12	20.00	23.10
27		न०स०–2 . .	23.47	22.14	22.81	18.57	16.88	17.86	18.45	19.93	20.00	23.08
28		न०स०–1 . .	29.33	26.03	27.89	23.17	19.86	21.05	22.00	24.13	25.22	27.24
29	70—80	संयुक्त . .	28.68	26.69	27.97	23.00	20.55	21.19	22.23	24.20	24.44	27.96
30		न०स०–2 . .	28.02	27.35	28.01	23.00	20.98	21.38	22.31	24.28	23.27	28.34
31		न०स०–1 . .	37.94	35.25	36.95	30.43	26.85	27.88	27.87	31.24	31.83	35.07
32	80—90	संयुक्त . .	37.71	33.87	36.54	30.00	27.92	26.81	28.06	31.61	30.82	36.45
33		न०स०–2 . .	37.05	33.69	35.13	30.00	28.42	26.58	28.38	31.72	30.00	37.45
34		न०स०–1 . .	46.17	44.99	45.94	38.00	36.19	32.56	38.05	38.19	40.71	43.99
35	90—95	संयुक्त . .	46.85	45.27	46.25	37.40	35.24	33.80	37.15	39.56	38.16	46.01
36		न०स०–2 . .	47.30	45.40	46.94	37.00	33.89	35.90	36.28	40.35	36.11	46.22
37		न०स०–1 . .	206.56	100.80	206.56	226.00	234.25	194.41	228.29	200.74	324.37	331.59
38	90—100	संयुक्त . .	250.84	169.91	250.84	264.50	234.25	194.41	252.79	295.54	324.37	393.00
39		न०स०–2 . .	250.84	169.91	250.84	264.50	112.96	128.86	252.79	295.54	217.10	393.00
		मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य—अप्रैल 1952—मार्च 1953, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मूल्य—दौर 4 और 5)										
40	सभी वस्तुएं (थोक) . .		98.2	98.1	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9
41	अन्न (थोक) . . .		94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2
42	अन्न (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) . .		106.3	94.0	100.0	87.4	72.1	69.1	98.4	96.3	102.3	104.4

सारणी स 2 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार मंगुर वर्गधार, प्रतिव्यक्ति प्रति 30 दिवस कुल उपभोक्ता व्यय की उच्चतर चरम राशि रुपयों में

अखिल-भारतीय शहरी

क्रम संख्या	मंगुर वर्ग प्रतिशत	नमूना	दौर 4 अप्रैल–सितम्बर 1952	दौर 5 दिसम्बर 1952-मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953-मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954-मार्च 1955	दौर 9 मई–नवम्बर 1957	दौर 12 मार्च–अगस्त 1957	दौर 13 सितम्बर 1957-मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959-जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960-जून 1961
नमूने के लिए परिवारों की संख्या			1,059	602	1,661	556	1,844	2,074	2,836	3,308	2,066	2,552
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	जनसंख्या का	न०स०–1	5.80	4.02	4.02	4.00	4.10	4.02	4.35	4.00	4.01	4.88
2	निम्न सीमान्त	संयुक्त	5.18	4.02	4.02	4.00	4.10	4.02	4.29	4.00	4.01	4.30
3		न०स०–2	5.18	4.75	4.75	4.50	4.58	4.26	4.29	4.11	5.76	4.30
4		न०स०–1	8.91	7.65	8.12	7.09	6.59	7.29	8.15	7.67	9.27	9.82
5	0—5	संयुक्त	8.93	7.69	8.11	7.00	6.84	7.47	7.75	7.77	9.43	9.82
6		न०स०–2	9.16	7.69	8.06	6.75	7.02	7.47	7.23	7.77	9.67	9.67
7		न०स०–1	10.68	10.38	10.51	8.40	8.25	8.39	9.58	9.67	10.53	11.73
8	5—10	संयुक्त	10.57	9.22	10.06	8.57	8.47	8.60	9.27	9.69	10.84	11.60
9		न०स०–2	10.53	8.47	9.45	8.71	8.55	8.77	8.98	9.69	10.85	11.58
10		न०स०–1	13.42	12.62	13.08	10.43	10.31	11.19	12.26	11.88	13.47	14.53
11	10—20	संयुक्त	13.15	11.93	12.67	10.67	10.86	10.95	11.91	11.99	13.55	14.32
12		न०स०–2	12.45	11.83	12.14	11.33	11.32	10.65	11.51	12.04	13.68	14.26
13		न०स०–1	16.50	15.30	16.07	13.00	12.49	13.24	14.72	14.15	15.31	17.32
14	20—30	संयुक्त	15.89	15.01	15.50	13.20	13.05	12.90	14.13	14.37	15.78	17.24
15		न०स०–2	15.13	14.63	14.91	13.83	14.11	12.63	13.81	14.57	15.90	17.19
16		न०स०–1	19.64	17.86	18.93	15.67	14.10	15.47	17.16	16.66	17.99	20.34
17	30—40	संयुक्त	18.52	17.58	18.00	15.67	15.18	15.29	16.55	16.92	18.18	19.93
18		न०स०–2	17.68	17.26	17.42	15.67	17.02	15.06	16.27	17.51	18.49	19.47

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19		न०स०-1 . .	23.03	20.67	21.74	18.40	16.71	18.20	19.68	19.04	20.16	23.55
20	40—50	संयुक्त . .	22.02	20.78	21.56	18.33	18.45	17.97	19.05	19.69	20.65	22.74
21		न०स०-2 . .	20.77	21.41	20.89	18.33	20.20	17.78	18.52	20.47	21.05	21.88
22		न०स०-1 . .	27.09	26.58	26.67	22.50	19.68	22.22	22.82	22.50	23.76	26.93
23	50—60	संयुक्त . .	26.55	24.75	25.68	21.20	21.58	21.72	22.31	23.12	24.13	26.23
24		न०स०-2 . .	25.91	23.80	24.75	20.50	23.80	21.33	21.71	23.99	24.28	25.69
25		न०स०-1 . .	31.62	30.79	30.99	25.40	23.46	26.90	26.57	26.90	28.33	32.13
26	60—70	संयुक्त . .	30.89	30.64	30.79	24.75	25.76	26.68	26.28	27.58	29.02	30.91
27		न०स०-2 . .	29.55	29.88	29.61	24.25	29.64	25.89	26.00	28.05	29.59	30.28
28		न०स०-1 . .	37.84	39.59	38.63	34.17	28.60	32.64	33.37	32.29	35.40	39.78
29	70—80	संयुक्त . .	37.83	37.29	37.69	33.33	33.20	32.45	33.09	33.93	35.72	39.35
30		न०स०-2 . .	37.69	35.76	37.13	32.50	37.20	32.42	33.02	35.26	36.01	38.70
31		न०स०-1 . .	53.57	66.84	58.45	44.29	40.64	43.41	49.12	44.83	48.06	53.89
32	80—90	संयुक्त . .	50.76	55.59	52.56	45.00	45.92	43.85	47.45	47.00	48.32	53.89
33		न०स०-2 . .	49.19	45.17	48.46	46.20	53.61	45.35	45.81	48.03	49.24	53.67
34		न०स०-1 . .	79.94	101.65	87.30	59.00	52.73	54.88	63.75	60.86	64.37	74.97
35	90—95	संयुक्त . .	71.96	79.93	78.83	59.86	61.11	55.97	60.60	61.15	61.79	74.57
36		न०स०-2 . .	65.19	61.25	61.25	59.86	70.29	57.70	58.17	61.27	61.05	74.45
37		न०स०-1 . .	421.78	167.48	269.19	211.00	368.25	210.60	312.95	279.02	354.58	308.00
38	90—100	संयुक्त . .	421.78	191.45	269.19	307.00	368.25	284.97	396.99	307.69	371.44	308.00
39		न०स०-2 . .	191.91	191.45	191.91	307.00	333.92	284.97	396.99	307.69	371.44	266.09
		मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य—अप्रैल 1952—मार्च 1953, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मूल्य—दौर 4 और 5)										
40	सभी वस्तुएं (थोक) . .		98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9
41	अन्न (थोक) . . .		94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2
42	अन्न (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) .		100.2	99.8	100.0	87.2	75.2	69.5	93.3	91.7	100.0	102.2

सारणी ख 3 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिवस औसत कुल उपभोक्ता व्यय
रुपयों में

अखिल-भारतीय ग्रामीण

क्रम संख्या	भंगुर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल–सितम्बर 1957	दौर 5 दिसम्बर 1952–मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953–मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954–मार्च 1955	दौर 9 मई–नवम्बर 1955	दौर 12 मार्च–अगस्त–1957	दौर 13 सितम्बर 1957–मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959–जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960–जून 1961	नौ दौरों का औसत
	नमूने के लिए परिवारों की संख्या		2,345	1,339	3,684	1,381	1,833	1,600	7,171	6,663	7,144	3,703	(कुल) 33,179
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०स०–1	5.22	4.83	5.03	4.21	3.87	3.82	4.82	5.25	5.54	6.32	4.88
2	0–5	संयुक्त	5.23	5.11	5.17	4.31	3.95	3.89	4.83	5.07	5.73	6.28	4.93
3		न०स०–2	5.24	5.41	5.31	4.42	4.04	3.96	4.85	4.91	5.92	6.25	5.00
4		न०स०–1	7.37	6.79	7.03	6.79	5.08	5.12	6.58	7.02	7.90	8.48	6.79
5	5–10	संयुक्त	7.29	7.02	7.15	6.57	5.22	5.23	6.58	6.95	8.00	8.35	6.80
6		न०स०–2	7.21	7.36	7.28	6.35	5.35	5.36	6.56	6.86	8.09	8.26	6.82
7		न०स०–1	6.30	5.81	6.03	5.50	4.48	4.47	5.70	6.14	6.72	7.40	5.83
8	0–10	संयुक्त	6.26	6.07	6.16	5.44	4.58	4.56	5.70	6.01	6.87	7.31	5.87
9		न०स०–2	6.23	6.38	6.30	5.39	4.70	4.66	5.71	5.89	7.01	7.25	5.91
10		न०स०–1	9.72	8.82	9.27	8.24	6.39	6.47	8.20	8.78	9.70	10.50	8.53
11	10–20	संयुक्त	9.50	8.99	9.24	8.13	6.51	6.61	8.07	8.63	9.72	10.30	8.50
12		न०स०–2	9.31	9.13	9.22	8.02	6.64	6.76	7.96	8.52	9.74	10.09	8.46
13		न०स०–1	12.54	11.29	11.85	9.91	7.82	8.21	9.86	10.62	11.58	12.58	10.49
14	20–30	संयुक्त	12.13	11.34	11.71	9.83	8.07	8.37	9.78	10.40	11.46	12.45	10.42
15		न०स०–2	11.74	11.39	11.57	9.76	8.34	8.52	9.69	10.18	11.35	12.33	10.37

सारणी 3—जारी

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16		न०स०–1	14.77	13.54	14.25	11.82	9.44	9.87	11.63	12.44	13.24	14.47	12.36
17	30–40	संयुक्त	14.48	13.59	14.06	11.38	9.54	9.95	11.34	12.23	13.12	14.46	12.23
18		न०स०–2	14.14	13.65	13.89	11.11	9.59	10.01	11.11	12.03	13.00	14.45	12.12
19		न०स०–1	16.65	16.27	16.49	13.67	11.03	11.48	13.40	14.18	15.01	16.46	14.24
20	40–50	संयुक्त	16.53	15.97	16.28	13.04	11.00	11.51	13.05	14.16	14.80	16.41	14.05
21		न०स०–2	16.39	15.74	16.07	12.47	10.98	11.54	12.70	14.12	14.66	16.35	13.88
22		न०स०–1	18.82	18.16	18.47	15.35	12.73	13.51	15.31	16.31	16.84	18.77	16.20
23	50–60	संयुक्त	18.82	18.06	18.40	14.93	12.76	13.47	14.89	16.19	16.56	18.81	16.05
24		न०स०–2	18.83	17.87	18.31	14.45	12.79	13.42	14.46	16.08	16.31	18.85	15.90
25		न०स०–1	22.01	20.69	21.32	18.01	14.95	15.76	17.38	18.93	19.34	21.43	18.72
26	60–70	संयुक्त	21.88	20.54	21.22	17.57	15.13	15.91	17.17	18.69	18.91	21.43	18.58
27		न०स०–2	21.76	20.38	21.13	17.12	15.32	16.09	16.92	18.45	18.57	21.43	18.45
28		न०स०–1	26.66	24.25	25.38	21.06	17.91	18.96	20.22	22.10	23.05	24.96	22.13
29	70–80	संयुक्त	26.33	24.37	25.37	20.83	18.33	19.27	20.30	22.15	22.62	25.14	22.15
30		न०स०–2	26.04	24.55	25.36	20.59	18.78	19.55	20.38	22.20	22.26	25.33	22.19
31		न०स०–1	33.62	30.03	31.98	26.48	22.74	23.84	24.77	27.16	28.41	31.06	27.57
32	80–90	संयुक्त	32.86	29.99	31.40	26.29	23.43	23.65	25.00	27.44	27.23	31.72	27.51
33		न०स०–2	32.04	29.96	30.86	26.12	24.06	23.50	25.23	27.71	26.14	32.42	27.47
34		न०स०–1	52.88	51.28	52.18	49.33	47.07	38.77	45.35	48.15	50.51	55.72	48.79
35	90–100	संयुक्त	56.00	52.77	54.58	46.22	43.51	39.42	45.20	49.05	45.60	56.55	48.26
36		न०स०–2	59.13	54.24	56.97	43.30	40.02	40.01	45.03	49.93	40.87	57.26	47.75

37		न०स०–1	.	41.54	38.94	40.41	33.79	30.78	39.75	31.91	34.47	35.87	39.68	35.19
38	90–95	संयुक्त	.	41.81	38.56	40.52	33.58	30.65	29.85	31.81	35.08	33.87	40.92	35.13
39		न०स०–2	.	42.15	38.06	40.54	33.41	30.47	30.08	31.71	35.76	32.10	41.97	35.08
40		न०स०–1	.	64.23	63.62	63.95	64.86	63.37	47.80	58.79	61.84	65.16	71.75	62.38
41	95–100	संयुक्त	.	70.19	66.97	68.64	58.85	56.36	48.99	58.58	63.03	57.33	72.19	61.39
42		न०स०–2	.	76.11	70.43	73.41	53.20	49.56	49.94	58.35	64.09	49.64	72.56	60.43
43		न०स०–1	.	21.40	20.01	20.72	17.94	15.46	15.13	17.18	18.48	19.44	21.34	18.49
44	0–100	संयुक्त	.	21.48	20.17	20.84	17.37	15.29	15.27	17.05	18.50	18.69	21.46	18.36
45		न०स०–2	.	21.56	20.33	20.97	16.83	15.12	15.41	16.92	18.51	17.99	21.58	18.25
		मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य–अप्रैल 1952, मार्च 1953, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मूल्य दौर–4 और 5)											
46	सभी वस्तुएं (थोक)		.	98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	104.7	119.1	125.9	105.2
47	अन्न (थोक)		.	94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48	अन्न (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण)		.	106.3	94.0	100.0	87.4	72.1	69.1	98.4	96.3	102.3	104.4	92.3

सारणी सं 4 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रतिव्यक्ति प्रति 30 दिवस औसत कुल उपभोक्ता व्यय
रुपयों में

अखिल-भारतीय—शहरी

क्रम संख्या	भंगुर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल सितम्बर 1952	दौर 5 सितम्बर 1952 मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953 मार्च 1954	दौर8 जुलाई 1954 मार्च 1955	दौर 9 मई नवम्बर 1955	दौर 12 मार्च अगस्त 1957	दौर 13 सितम्बर 1957 मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959 जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960 जून 1961	नौ दौरों का औसत
	नमूने के लिए परिवारों की संख्या		1,059	602	1,661	556	1,844	2,074	2,836	3,308	2,066	2,552	(कुल) 16,897
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०स०-2 .	7.18	5.93	6.49	5.36	5.56	6.09	6.90	6.52	7.33	8.32	6.58
2	0-5	संयुक्त . .	7,33	6.14	6.65	5.61	5.70	6,13	6.38	6.53	7.71	7.96	6.61
3		न०स०-2 .	7.49	6.38	6.82	5.90	5.88	6.18	6.01	6.54	8.11	7.61	6.68
4		न०स०-1 .	9.91	9.07	9.53	7.86	7.43	8.01	8.81	8.76	9.95	10.76	8.95
5	5-10	संयुक्त . .	9.71	8.34	9.02	7.89	7.63	8.06	8.54	8.80	10.16	10.78	8.88
6		न०स०-2 .	9.52	8.06	8.70	7.94	7,83	8.15	8.22	8.84	10.36	10.79	8.86
7		न०स०-1 .	8.55	7.50	8.01	6.61	6.50	7.05	7.86	7.64	8.64	9.54	7.76
8	0-10	संयुक्त . .	8.52	7.24	7.83	6.75	6.67	7.09	7.46	7.67	8.93	9.37	7.74
9		न०स०-2 .	8.50	7.22	7.76	6.92	6.86	7.17	7.12	7.69	9.24	9.20	7.77
10		न०स०-1 .	12.22	11.41	11.79	9.48	9.32	9.82	11.02	10.71	12.07	12.92	11.00
11	10-20	संयुक्त . .	11.90	10.91	11.40	9.57	9.64	9.83	10.62	10.79	12.27	12.96	10.94
12		न०स०-2 .	11.64	10.11	11.01	9.80	10.05	9.85	10.30	10.86	12.46	12.99	10.89
13		न०स०-1 .	15.16	14.21	14.63	11.41	11.59	12.09	13.46	13.14	14.40	15.91	13.49
14	20-30	संयुक्त . .	14.45	13.69	14.12	11.92	12.03	11.82	13.02	13.23	14.66	15.86	13.41
15		न०स०-2 .	13.93	13.09	13.57	12.38	12.80	11.56	12.62	13.34	14.96	15.80	13.39

16		न०स०–1	.	17.88	16.67	17.24	14.26	13.22	14.51	15.88	15.31	16.71	18.78	15.91
17	30–40	संयुक्त	.	17.09	16.39	16.74	14.56	14.10	14.19	15.36	15.64	16.96	18.55	15.87
18		न०स०–2	.	16.37	16.07	16.22	14.82	15.26	13.85	14.86	15.98	17.17	18.39	15.36
19		न०स०–1	.	21.33	19.44	20.27	16.62	15.27	16.72	18.35	17.90	19.05	21.90	18.51
20	40–50	संयुक्त	.	20.26	19.25	19.76	16.77	16.71	16.50	17.77	18.29	19.40	21.27	18.47
21		न०स०–2	.	19.16	19.02	19.10	16.92	16.92	18.65	16.27	17.29	19.83	20.84	18.53
22		न०स०–1	.	24.49	23.09	23.94	20.04	18.13	20.32	21.17	20.68	21.67	25.19	21.64
23	50–60	संयुक्त	.	23.96	22.72	31.93	19.62	19.92	19.91	20.60	21.40	22.29	24.53	21.66
24		न०स०–2	.	23.14	22.56	40.63	19.35	21.66	19.51	19.97	22.09	22.82	23.82	21.66
25		न०स०–1	.	29.42	28.75	29.05	23.81	21.58	24.35	24.59	24.54	25.90	29.15	25.79
26	60–70	संयुक्त	.	28.64	27.77	28.26	23.07	23.86	23.82	24.21	25.28	26.33	28.41	25.68
27		न०स०–2	.	27.92	26.40	27.34	22.21	26.45	23.27	23.84	25.92	26.79	27.66	25.61
28		न०स०–1	.	34.54	34.20	34.32	28.71	25.67	29.95	29.70	29.22	31.52	35.96	31.05
29	70–80	संयुक्त	.	34.08	33.16	33.60	28.28	29.19	29.54	29.37	30.09	31.92	34.93	31.17
30		न०स०–2	.	33.48	32.24	32.84	27.74	33.42	29.08	29.06	31.08	32.26	33.86	31.36
31		न०स०–1	.	44.39	49.60	46.38	38.92	33.60	37.19	40.17	37.80	41.24	46.39	41.03
32	80-90	संयुक्त	.	43.47	43.95	43.59	38.94	38.67	37.45	39.13	39.43	41.42	45.90	40.93
33		न०स०–2	.	42.76	39.79	41.34	39.01	43.39	37.78	38.20	40.80	41.59	45.39	40.97
34		न०स०–1	.	90.66	110.65	99.99	70.46	61.28	67.04	82.84	68.38	76.27	86.24	79.31
35	90–100	संयुक्त	.	84.08	91.57	87.14	69.66	75.59	66.24	79.07	70.16	75.15	83.86	77.27
36		न०स०–2	.	77.14	67.23	72.51	68.74	88.67	65.37	75.48	71.74	74.04	81.55	74.44

सारणी सं 4—जारी

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37		न०स०–1 .	64.11	83.21	72.94	51.77	45.94	47.91	53.92	52.06	55.05	62.79	57.42
38	90–95	संयुक्त . .	59.33	65.25	62.10	52.32	52.82	49.07	52.86	53.18	54.54	62.48	55.76
39		न०स०–2 .	55.46	54.06	54.87	52.82	58.83	50.20	52.00	54.03	54.23	62.17	54.87
40		न०स०–1 .	117.21	138.09	127.04	98.15	76.62	86.17	111.76	84.71	97.49	109.68	101.21
41	95–100	संयुक्त . .	108.83	117.89	112.19	87.00	98.36	83.42	105.29	87.15	95.76	105.24	98.77
42		न०स०–2 .	98.82	80.41	90.15	84.65	118.51	80.54	98.96	89.44	93.84	100.93	94.01
43		न०स०–1 .	29.86	31.55	30.56	24.03	21.62	23.90	26.50	24.53	26.75	30.20	26.55
44	0–100	संयुक्त .	28.65	28.67	29.44	23.91	24.61	23.64	25.66	25.20	26.93	29.56	26.31
45		न०स०–2 .	27.40	25.37	28.23	23.79	27.72	23.37	24.87	25.82	27.12	28.95	26.05
		मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य-अप्रैल 1952-मार्च 1953, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मूल्य दौर–4 और 5)											
46	सभी वस्तुएं (थोक) .		98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9	105.2
47	अन्न (थोक) . .		94.9	90.0	92.9	92.8	77.4	7.33	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48	अन्न (रा०न०स०) . .		100.2	99.8	100.0	87.2	75.2	69.5	93.3	71.7	100.0	102.2	90.4

सारणी ख 5 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति कुल उपभोक्ता व्यय, शहरी क्षेत्रों के इसी प्रकार के व्यय के प्रतिशत के रूप में

अखिल–भारतीय शहरी

क्रम संख्या	भंगुर वर्ग प्रतिशत	नमूना	दौर 4 अप्रैल–सितम्बर 1952	दौर 5 दिसम्बर 1952 मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953 मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954 मार्च 1955	दौर 9 मई–नवम्बर 1955	दौर 12 मार्च–अगस्त 1957	दौर 13 सितम्बर 1957 मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959 जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960 जून 1961	नौ दौरों का औसत
नमूने के लिए परिवारों की संख्या		ग्रामीण	2,345	1,339	3,684	1,381	1,833	1,600	7,171	6,663	7,144	3,703	(कुल) 33,179
		शहरी	1,059	602	1,661	556	1,844	2,074	2,836	3,308	2,066	2,552	16,897
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०स०–1 .	72.7	81.4	77.5	78.5	69.6	62.7	69.9	80.5	75.6	76.0	74.1
2	0–5	संयुक्त .	71.4	83.2	77.7	76.8	69.3	63.5	75.7	77.6	74.3	78.9	74.5
3		न०स०–2 .	70.0	84.8	77.9	74.9	68.7	64.1	80.7	75.1	73.0	82.1	74.8
4		न०स०–1 .	74.4	74.9	73.8	86.4	68.4	63.9	74.7	80.1	79.4	78.8	75.7
5	5–10	संयुक्त . .	75.1	84.2	79.3	83.3	68.4	64.9	77.0	79.0	78.7	77.5	76.5
6		न०स०–2 .	75.7	91.3	83.7	80.0	68.3	65.8	79.8	77.6	78.1	76.6	77.0
7		न०स०–1 .	73.7	77.5	75.3	83.2	68.9	63.4	72.5	80.8	77.8	77.6	75.0
8	0–10	संयुक्त . .	73.5	83.8	78.7	80.6	68.7	64.3	76.4	78.4	76.9	78.0	75.6
9		न०स०–2 .	73.3	88.3	81.2	77.9	68.5	65.0	80.2	76.6	75.9	78.8	76.1
10		न०स०–1 .	79.5	77.3	78.6	86.9	68.6	65.9	74.4	82.0	80.4	81.3	77.4
11	10–20	संयुक्त . .	79.8	82.4	81.1	85.0	67.5	67.2	76.0	80.0	79.2	79.5	77.4
12		न०स०–2 .	80.0	90.3	83.7	81.8	66.1	68.6	77.3	78.5	78.2	77.7	77.6
13		न०स०–1 .	82.7	79.5	80.9	86.9	67.5	67.9	73.3	80.8	80.4	79.1	77.6
14	20–30	संयुक्त . .	83.9	82.8	82.9	82.5	67.1	70.8	75.1	78.6	78.2	78.5	77.5
15		न०स०–2 .	84.3	87.0	85.3	78.8	65.2	73.7	76.8	76.3	75.9	78.0	77.3

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16		न०स०–1	82.6	84.2	82.7	82.9	71.4	68.0	73.2	81.3	79.2	77.0	77.4
17	30–40	संयुक्त	84.7	82.9	84.0	78.2	67.7	70.1	73.8	78.2	77.4	78.0	76.8
18		न०स०–2	86.4	84.9	85.6	75.0	62.8	72.3	74.8	75.3	75.7	78.6	76.2
19		न०स०–1	78.1	83.7	81.4	82.3	72.2	68.7	73.0	79.2	78.8	75.2	76.8
20	40–50	संयुक्त	81.6	83.0	82.4	77.8	65.8	69.8	73.4	77.4	76.3	77.2	75.8
21		न०स०–2	85.5	82.8	84.1	73.7	58.9	70.9	73.5	75.3	73.9	78.5	74.8
22		न०स०–1	76.8	78.6	77.2	76.6	70.2	66.5	72.3	78.9	77.7	74.5	74.7
23	50–60	संयुक्त	78.5	79.5	57.5	76.1	64.1	67.7	72.3	75.7	74.3	76.7	73.9
24		न०स०–2	81.4	79.2	45.1	74.7	59.0	68.8	72.4	72.8	71.5	79.1	73.2
25		न०स०–1	74.8	72.0	73.4	75.7	69.3	64.7	70.7	77.1	74.7	73.5	72.5
26	60–70	संयुक्त	76.4	74.0	75.1	76.1	64.2	66.8	70.9	73.9	71.8	75.4	72.2
27		न०स०–2	77.9	77.2	77.3	77.1	57.9	69.1	71.0	71.2	69.3	77.5	72.0
28		न०स०–1	77.2	70.9	74.0	73.4	69.8	63.3	68.1	75.6	73.1	69.4	71.2
29	70–80	संयुक्त	77.3	73.5	75.5	73.7	62.8	65.2	69.1	73.6	70.9	72.0	70.9
30		न०स०–2	77.8	76.0	77.2	74.2	56.2	67.2	70.1	71.4	69.0	74.8	70.8
31		न०स०–1	75.7	60.5	69.0	68.0	67.7	64.1	61.7	71.9	68.9	67.0	67.3
32	80–90	संयुक्त	75.6	68.2	72.0	67.5	60.6	63.2	63.9	69.6	65.7	69.1	67.0
33		न०स०–2	74.9	75.3	74.6	67.0	55.4	62.2	66.0	67.9	62.9	71.4	67.0
34		न०स०–1	58.3	46.3	52.2	70.0	76.8	57.8	54.7	70.4	66.2	64.6	62.8
35	90–100	संयुक्त	66.6	57.6	62.6	66.4	57.6	59.5	57.2	69.9	60.7	67.4	62.5
36		न०स०–2	76.7	80.7	78.6	63.0	45.1	61.2	59.7	69.6	55.2	70.2	64.6

37		न०स०–1	.	64.8	46.8	55.4	65.3	67.0	62.1	59.2	66.2	65.2	63.2	62.2
38	90—95	संयुक्त	.	70.5	59.1	65.2	64.2	58.0	60.8	60.2	66.0	62.1	65.5	62.9
39		न०स०–2	.	76.0	70.4	73.9	63.3	51.8	59.9	61.0	66.2	59.2	67.4	63.9
40		न०स०–1	.	54.8	46.1	50.3	72.3	82.7	55.5	52.6	73.0	66.8	65.4	63.3
41	95–100	संयुक्त	.	64.5	56.8	61.2	67.6	57.3	58.7	55.6	72.3	59.9	68.6	62.4
42		न०स०–2	.	77.0	87.6	81.4	62.8	41.8	62.0	59.0	71.7	52.9	71.9	65.2
43		न०स०–1	.	71.1	63.4	67.8	74.7	71.5	63.3	64.8	75.3	72.7	70.7	69.8
44	0–100	संयुक्त	.	75.0	70.4	70.8	72.6	62.1	64.6	66.4	73.4	69.4	72.6	69.6
45		न०स०–2	.	78.7	80.1	74.3	70.7	54.5	65.9	68.0	71.7	66.3	74.5	70.0

तालिका सं 6 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रति व्यक्ति (आधार-नौ दौरों का औसत) औसत कुल उपभोक्ता व्यय का सूचकांक

(अखिल-भारतीय ग्रामीण)

क्रम संख्या	भंगुर (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल–सितम्बर 1952	दौर 5 दिसम्बर 1952–मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953–मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954–मार्च 1955	दौर 9 मई–नवम्बर 1955	दौर 12 मार्च–अगस्त 1957	दौर 13 सितम्बर 1957–मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959–जून 1960	दौर 16 जुलाई 1959–जून 1960	औसत 9 दौर
	नमूने के लिए परिवारों की संख्या		2,345	1,339	3,684	1,381	1,833	1,600	7,171	6,663	7,144	3,703	कुल 33,179
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०स०–1	107	99	103	86	79	78	99	108	114	130	100
2	0–5	संयुक्त	106	104	105	87	80	79	98	103	116	127	100
3		न०स०–2	105	108	106	88	81	79	97	98	118	125	100
4		न०स०–1	108	100	104	100	75	75	97	103	116	125	100
5	5–10	संयुक्त	107	103	105	97	77	77	97	102	118	123	100
6		न०स०–2	106	108	107	93	78	79	96	101	119	121	100
7		न०स०–1	108	100	103	94	77	77	98	105	115	271	100
8	0–10	संयुक्त	107	103	105	93	78	78	97	102	117	125	100
9		न०स०–2	105	108	107	91	79	79	97	100	119	123	100
10		न०स०–1	114	103	109	97	75	76	96	103	114	123	100
11	10–20	संयुक्त	112	106	109	96	77	78	95	102	114	121	100
12		न०स०–2	110	108	109	95	78	80	94	101	115	119	100
13		न०स०–1	120	108	113	94	75	78	94	101	110	120	100
14	20–30	संयुक्त	116	109	112	94	77	80	94	100	110	119	100
15		न०स०–2	113	110	112	94	80	82	93	98	110	119	100

16		न०स०–1	.	120	110	115	96	76	80	94	101	107	117	100
17	30–40	संयुक्त	.	118	111	115	93	78	81	93	100	107	118	100
18		न०स०–2	.	117	113	115	92	79	83	92	99	107	119	100
19		न०स०–1	.	117	114	116	96	77	81	94	100	105	116	100
20	40–50	संयुक्त	.	118	114	116	93	78	82	93	101	105	117	100
21		न०स०–2	.	118	113	116	90	79	83	92	102	106	118	100
2		न०स०–1	.	116	112	114	95	79	83	94	101	104	116	100
23	50–60	संयुक्त	.	117	112	115	93	79	84	93	101	103	117	100
24		न०स०–2	.	118	112	115	91	80	84	91	101	103	119	100
25		न०स०–1	.	118	111	114	96	80	84	93	101	103	114	100
26	60–70	संयुक्त	.	118	111	115	95	81	86	92	101	102	115	100
27		न०स०–2	.	118	110	115	93	83	87	92	100	101	116	100
28		न०स०–1	.	120	110	115	95	81	86	93	100	104	113	100
29	70–80	संयुक्त	.	119	110	115	94	83	87	92	100	102	113	100
30		न०स०–2	.	117	111	114	93	85	88	92	100	100	114	100
31		न०स०–1	.	122	109	116	96	82	86	90	99	103	113	100
32	80–90	संयुक्त	.	119	109	114	96	85	86	91	100	99	115	100
33		न०स०–2	.	117	109	112	95	88	86	92	101	95	118	100
34		न०स०–1	.	108	105	107	101	96	79	93	99	104	114	100
35	90–100	संयुक्त	.	116	109	113	96	90	82	94	102	95	117	100
36		न०स०–2	.	124	114	119	91	84	84	94	105	86	120	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37	न०स०–1	118	111	115	96	87	85	91	98	102	113	100
38 90–95	संयुक्त	119	110	115	96	87	85	91	100	96	116	100
39	न०स०–2	120	109	116	95	87	86	90	102	92	102	100
40	न०स०–1	103	102	103	104	102	77	94	99	104	115	100
41 95–100	संयुक्त	114	109	112	96	92	80	95	103	93	118	100
42	न०स०–2	126	117	121	88	82	83	97	106	82	120	100
43	न०स०–1	116	108	112	97	84	82	83	100	105	115	100
44 0–100	संयुक्त	117	110	114	95	83	83	93	101	102	117	100
45	न०स०–2	118	111	215	92	83	84	93	101	99	118	100
	मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य—अप्रैल 1952-मार्च 1953, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मूल्य–दौर 4 और 5)											
46	सभी वस्तुएं (थोक)	98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9	105.2
47	अन्न (थोक)	94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48	अन्न (रा०न०स०)	106.3	94.0	100.0	97.4	72.1	69.1	98.4	96.3	102.3	104.4	92.3

सारणी स 7 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रतिशत (आधार—नौ दौरों का औसत) औसत कुल उपभोक्ता व्यय का सूचकांक

अखिल-भारतीय शहरी

क्रम संख्या	भंगुर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल–सितम्बर 1952	दौर 5 दिसम्बर 1952–मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953–मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954–मार्च 1955	दौर 9 मई–नवम्बर 1955	दौर 12 मार्च–अगस्त 1957	दौर 13 सितम्बर 1957–मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959–जून 1959	दौर 16 जुलाई 1960–जून 1961	औसत 9 दौर
	नमूने के लिए परिवारों की संख्या		1,059	602	1,661	556	1,844	2,074	2,836	3,308	2,066	2,552	(कुल) 16,897
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०स०–2	109	90	99	81	85	93	105	99	111	126	100
2	0–5	संयुक्त	111	93	101	85	86	93	97	99	117	120	100
3		न०स०–2	112	95	102	88	88	93	90	98	121	114	100
4		न०स०–1	111	101	106	88	83	90	98	98	111	120	100
5	5–10	संयुक्त	109	94	102	89	86	91	96	99	114	121	100
6		न०स०–2	107	91	98	90	88	92	93	100	117	122	100
7		न०स०–1	110	97	103	85	84	91	101	98	111	123	100
8	0–10	संयुक्त	110	93	101	87	86	92	96	99	115	121	100
9		न०स०–2	109	93	100	89	88	92	92	99	119	118	100
10		न०स०–1	111	104	107	86	85	89	100	97	110	117	100
11	10–20	संयुक्त	109	100	104	87	88	90	97	99	112	118	100
12		न०स०–2	107	93	101	90	92	90	95	100	114	119	100
13		न०स०–1	112	105	109	85	86	90	100	97	107	118	100
14	20–30	संयुक्त	108	102	105	89	90	88	97	99	109	118	100
15		न०स०–2	104	98	101	93	96	86	94	110	112	112	100

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16		न०स०—1	112	105	108	90	83	91	100	96	105	118	100
17	30—40	संयुक्त	108	103	105	92	89	89	97	99	107	117	100
18		न०स०—2	103	101	102	93	96	87	94	101	108	116	100
19		न०स०—1	115	105	110	90	82	90	99	97	103	118	100
20	40—50	संयुक्त	110	104	107	91	90	89	96	99	105	115	100
21		न०स०—2	103	103	103	91	101	88	93	101	107	112	100
22		न०स०—1	113	107	111	93	84	94	98	96	100	116	100
23	50—60	संयुक्त	111	105	147	91	92	92	95	99	103	113	100
24		न०स०—2	107	104	188	89	100	90	92	102	105	110	100
25		न०स०—1	114	112	113	92	84	94	95	95	100	113	100
26	60—70	संयुक्त	112	108	110	90	92	93	94	98	103	111	100
27		न०स०—2	109	103	107	87	103	91	93	101	105	108	100
28		न०स०—1	111	110	111	92	83	96	96	94	102	116	100
29	80—90	संयुक्त	109	106	108	91	94	95	94	97	102	112	100
30		न०स०—2	107	103	105	88	107	93	93	99	103	108	100
31		न०स०—1	108	121	113	95	82	91	98	92	101	113	100
32	80—90	संयुक्त	106	107	106	95	94	92	96	96	101	112	100
33		न०स०—2	104	97	101	95	106	92	93	100	102	111	100
34		न०स०—1	114	140	126	89	77	85	104	86	96	109	100
35	90—100	संयुक्त	109	119	113	90	98	86	102	91	97	109	100
36		न०स०—2	104	90	97	92	119	88	101	96	99	110	100

37		न०स०–1 .	112	145	127	90	80	83	94	91	96	109	100
38	90–95	संयुक्त . .	106	117	111	94	95	88	95	95	98	112	100
39		न०स०–2 .	101	99	100	96	107	92	95	98	99	113	100
40		न०स०–1 .	116	136	126	88	76	85	110	84	96	108	100
41	50–100	संयुक्त . .	110	119	114	88	100	84	107	88	97	107	100
42		न०स०–2 .	105	86	96	90	126	86	105	95	100	107	100
43		न०स०–1 .	112	119	115	91	81	90	100	92	101	114	100
44	0–100	संयुक्त . .	109	109	112	91	94	90	98	96	102	112	100
45		न०स०–2 .	105	97	108	91	106	90	96	99	104	111	100

मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य—अप्रैल 1952–मार्च 1953, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मूल्य–दौर 4 और 5)

46	सभी वस्तुएं (थोक) .	98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9	105.2
47	अन्न (थोक) . .	94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48	अन्न (रा०स०न०) . .	100.2	99.8	100.0	87.2	75.2	69.5	93.3	91.7	100.0	102.2	90.4

तालिका 8 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार कुल उपभोक्ता व्यय का प्रतिशत भाग

अखिल-भारतीय ग्रामीण

क्रम संख्या	भंगुर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल–सितम्बर 1952	दौर 5 दिसम्बर 1952–मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953–मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954–मार्च 1955	दौर 9 मई–नवम्बर 1955	दौर 12 मार्च–अगस्त 1957	दौर 13 सितम्बर 1957–मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959–जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960 जून 1961	नौ दौरों का औसत
नमूने के लिए परिवारों की संख्या			2,345	1,339	3,684	1,381	1,833	1,600	7,171	6,663	7,144	3,703	(कुल) 33,179
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०स०–1	1.22	1.21	1.21	1.17	1.25	1.26	1.40	1.42	1.42	1.48	1.32
2	0–5	संयुक्त	1.22	1.27	1.24	1.24	1.29	1.27	1.42	1.37	1.53	1.46	1.34
3		न०स०–2	1.22	1.33	1.27	1.31	1.34	1.28	1.43	1.33	1.65	1.45	1.37
4		न०स०–1	1.72	1.70	1.70	1.89	1.64	1.69	1.92	1.90	2.03	1.99	1.83
5	5–10	संयुक्त	1.70	1.74	1.72	1.89	1.71	1.71	1.93	1.88	2.14	1.94	1.85
6		न०स०–2	1.67	1.81	1.74	1.89	1.77	1.74	1.94	1.85	2.25	1.91	1.87
7		न०स०–1	2.94	2.90	2.91	3.07	2.90	2.95	3.32	3.32	3.46	3.47	3.15
8	0–10	संयुक्त	2.91	3.01	2.96	3.13	3.00	2.99	3.35	3.25	3.67	3.41	3.19
9		न०स०–2	2.89	3.14	3.00	3.20	3.11	3.02	3.37	3.18	3.89	3.36	3.24
10		न०स०–1	4.54	4.41	4.48	4.60	4.13	4.27	4.77	4.75	4.99	4.92	4.60
11	10–20	संयुक्त	4.42	4.46	4.44	4.68	4.26	4.33	4.73	4.67	5.20	4.80	4.62
12		न०स०–2	4.32	4.49	4.40	4.76	4.39	4.39	4.70	4.60	5.42	4.68	4.64
13		न०स०–1	5.86	5.64	5.72	5.53	5.06	5.43	5.74	5.75	5.96	5.90	5.65
14	20–30	संयुक्त	5.65	5.62	5.62	5.66	5.28	5.48	5.73	5.62	6.13	5.80	5.66
15		न०स०–2	5.44	5.60	5.52	5.80	5.51	5.53	5.73	5.50	6.31	5.72	5.68

16		न०स०—1	.	6.90	6.77	6.88	6.59	6.11	6.52	6.77	6.73	6.81	6.78	6.66
17	30—40	संयुक्त	.	6.74	6.74	6.75	6.55	6.24	6.52	6.65	6.61	7.02	6.74	6.65
18		न०स०—2	.	6.56	6.71	6.62	6.60	6.34	6.50	6.57	6.50	7.22	6.70	6.63
19		न०स०—1	.	7.78	8.13	7.96	7.62	7.14	7.58	7.80	7.67	7.72	7.72	7.68
20	40—50	संयुक्त	.	7.69	7.92	7.81	7.51	7.20	7.54	7.66	7.66	7.92	7.65	7.64
21		न०स०—2	.	7.60	7.74	7.66	7.41	7.26	7.49	7.51	7.63	8.15	7.58	7.60
22		न०स०—1	.	8.80	9.07	8.91	8.56	8.24	8.93	8.91	8.83	8.67	8.80	8.75
23	50—60	संयुक्त	.	8.76	8.95	8.83	8.60	8.35	8.82	8.73	8.75	8.86	8.77	8.73
24		न०स०—2	.	8.73	8.79	8.73	8.58	8.46	8.71	8.55	8.69	9.06	8.74	8.70
25		न०स०—1	.	10.29	10.34	10.29	10.04	9.67	10.42	10.11	10.24	9.95	10.05	10.12
26	60—70	संयुक्त	.	10.19	10.18	10.18	10.12	9.90	10.42	10.07	10.11	10.12	9.99	10.12
27		न०स०—2	.	10.09	10.02	10.08	10.17	10.13	10.45	10.00	9.97	10.32	9.93	10.12
28		न०स०—1	.	12.46	12.12	12.25	11.74	11.59	12.53	11.77	11.96	11.86	11.70	11.97
29	70—80	संयुक्त	.	12.26	12.08	12.17	12.00	11.99	12.62	11.91	11.98	12.11	11.71	12.07
30		न०स०—2	.	12.08	12.08	12.10	12.24	12.42	12.69	12.05	11.99	12.37	11.74	12.18
31		न०म०—1	.	15.71	15.00	15.44	14.77	14.72	15.75	14.42	14.70	14.62	14.56	14.92
32	80—90	संयुक्त	.	15.30	14.87	15.07	15.14	15.33	15.49	14.67	14.84	14.57	14.78	15.00
33		न०स०—2	.	14.86	14.74	14.72	15.52	15.91	15.26	14.91	14.97	14.53	15.03	15.08
34		न०म०—1	.	24.72	25.62	25.18	27.50	30.46	25.62	26.40	26.06	25.98	26.12	26.50
35	90—100	संयुक्त	.	26.07	26.16	26.19	26.61	28.46	25.81	26.51	26.52	24.40	26.36	36.32
36		न०म०—2	.	27.43	26.68	27.17	25.73	26.46	25.97	26.62	26.97	22.72	26.54	26.12

(सारणी ख. 8—जारी)

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37		न०स०–1	9.71	9.73	9.75	9.42	9.96	9.83	9.29	9.33	9.23	9.30	9.53
38	90–95	संयुक्त .	9.73	9.56	9.61	9.67	10.03	9.77	9.33	9.48	9.06	9.53	9.57
39		न०स०–2	9.78	9.36	9.67	9.92	10.08	9.76	9.37	9.66	8.92	9.73	9.62
40		न०स०–1	15.01	15.90	15.43	18.08	20.50	15.79	17.11	16.73	16.76	16.82	16.97
41	95–100	संयुक्त .	16.34	16.60	16.47	16.94	18.44	16.04	17.18	17.04	15.34	16.82	16.75
42		न०स०–2	17.65	17.32	17.51	15.80	16.39	16.21	17.24	17.31	13.80	16.82	16.51
43		न०स०–1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
44	0–100	संयुक्त	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
45		न०स०–2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य–अप्रैल 1952-मार्च 1953, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मूल्य–दौर 4 और 5)											
46	सभी मदें (थोक) . .		98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9	105.2
47	अन्न (थोक) . .		94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48	अन्न (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण)		106.3	94.0	100.0	87.4	72.1	69.1	98.4	96.3	102.3	104.4	92.3

सारणी ख. 9 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार कुल उपभोक्ता व्यय का प्रतिशत भाग

अखिल-भारतीय—शहरी

क्रम संख्या	भंगुर नमूना वर्ग (प्रतिशत)		दौर 4 अप्रैल–सितम्बर 1952	दौर 5 सितम्बर 1952 मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953 मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954 मार्च 1955	दौर 9 मई–नवम्बर 1955	दौर 12 मार्च–अगस्त 1957	दौर 13 सितम्बर 1957 मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959 जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960 जून 1961	नौ दौरों का औसत
नमूने के लिए परिवारों की संख्या			1,059	602	1,661	556	1,844	2,074	2,836	3,308	2,066	2,552	(कुल) 16,897
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०स०–1	1.20	0.94	1.06	1.12	1.29	1.27	1.30	1.33	1.37	1.38	1.24
2	0–5	संयुक्त	1.28	1.07	1.13	1.17	1.16	1.30	1.24	1.30	1.43	1.35	1.26
3		न०स०–2	1.37	1.26	1.21	1.24	1.06	1.32	1.21	1.27	1.50	1.31	1.28
4		न०स०–1	1.66	1.44	1.56	1.64	1.72	1.68	1.66	1.79	1.86	1.78	1.69
5	5–10	संयुक्त	1.70	1.46	1.53	1.65	1.55	1.70	1.66	1.75	1.89	1.82	1.69
6		न०स०–2	1.74	1.59	1.54	1.67	1.41	1.74	1.65	1.71	1.91	1.86	1.70
7		न०स०–1	2.86	2.38	2.62	2.75	3.01	2.95	2.96	3.12	3.23	3.16	2.94
8	0–10	संयुक्त	2.98	2.53	2.66	2.82	2.71	3.00	2.91	3.04	3.32	3.17	2.94
9		न०स०–2	3.10	2.85	2.75	2.91	2.47	3.07	2.86	2.98	3.41	3.18	2.98
10		न०स०–1	4.09	3.62	3.86	3.95	4.31	4.11	4.16	4.37	4.51	4.28	4.15
11	10–20	संयुक्त	4.16	3.81	3.87	4.00	3.92	4.16	4.14	4.28	4.56	4.38	4.16
12		न०स०–2	4.25	3.99	3.90	4.12	3.63	4.22	4.14	4.21	4.59	4.49	4.18
13		न०म०–1	5.08	4.50	4.79	4.75	5.36	5.06	5.08	5.36	5.38	5.27	5.09
14	20–30	संयुक्त	5.05	4.77	4.80	4.99	4.89	5.00	5.07	5.25	5.44	5.36	5.09
15		न०म०–2	5.08	5.16	4.81	5.21	4.62	4.95	5.08	5.17	5.52	5.46	5.14

(सारणी क. 9 जारी)

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16		न०स०–1	5.99	5.28	5.64	5.93	6.11	6.07	5.99	6.24	6.25	6.22	6.01
17	30–40	संयुक्त	5.97	5.72	5.69	6.09	5.73	6.00	5.98	6.21	6.30	6.28	6.03
18		न०स०–2	5.97	6.33	5.75	6.23	5.51	5.93	5.97	6.19	6.33	6.35	6.09
19		न०स०–1	7.14	6.16	6.63	6 92	7.06	7.00	6.92	7.30	7.12	7.25	6.99
20	40–50	संयुक्त	7.07	6.72	6.71	7.01	6.79	6.98	6.92	7.26	7.20	7.20	7.02
21		न०स०–2	6.99	7.50	6.76	7.12	6.73	6.96	6.95	7.26	7.32	7.20	7.11
22		न०स०–1	8.20	7.32	7.83	8.34	8.39	8.50	7.99	8.43	8.10	8.34	8.18
23	50–60	संयुक्त	8.36	7.93	10.85	8.20	8.09	8.42	8.03	8.49	8.28	8.30	8.23
24		न०स०–2	8.45	8.89	14.39	8.13	7.82	8.35	8.03	8.56	8.42	8.23	8.32
25		न०स०–1	9.85	9.11	9.51	9.91	9.98	10.19	9.28	10.00	9.68	9.65	9.74
26	60–70	संयुक्त	10.00	9.69	9.60	9.65	9.57	10.08	9.44	10.03	9.78	9.61	9.76
27		न०स०–2	10.19	10.40	9.68	9.34	9.54	9.96	9.59	10.04	9.88	9.55	9.83
28		न०स०–1	11.57	10.84	11.23	11.95	11.87	12.53	12.21	11.91	11.79	11.91	11.73
29	70–80	संयुक्त	11.90	11.57	11.41	11.83	11.86	12.50	11.45	11.94	11.85	11.82	11.86
30		न०स०–2	12.22	12.71	11.63	11.66	12.06	12.44	11.68	12.04	11.90	11.70	12.04
31		न०सं०–1	14.87	15.72	15.17	16.20	15.55	15.56	15.16	15.41	15.42	15.36	15.47
32	80–90	संयुक्त	15.17	15.33	14.81	16.28	15.71	15.84	15.25	15.65	15.38	15.53	15.57
33		न०स०–2	15.60	15.68	14.64	16.40	15.65	16.17	15.36	15.80	15.34	15.68	15.74
34		न०स०–1	30.36	35.07	32.72	29.32	28.35	28.05	31.26	27.87	28.51	28.56	29.71
35	90–100	संयुक्त	29.35	31.94	29.60	29.13	30 72	28.02	30.81	27.84	27.90	28.37	29.34
36		न०स०–2	28.15	26.50	25.69	28.90	31.99	27.97	30.35	27.78	27.30	28.17	28.57

37		न०स०–1 .	10.73	13.19	11.93	10.77	10.63	10.02	10.17	10.61	10.29	10.40	10.76
38	90–95	संयुक्त . .	10.36	11.38	10.55	10.94	10.73	10.38	10.30	10.55	10.12	10.57	10.59
39		न०स०–2 .	10.12	10.65	9.72	11.10	10.61	10.74	10.45	10.46	10.00	10.74	10.54
40		न०स०–1 .	19.62	21.88	20.78	18.55	17.73	18.03	21.09	17.26	18.22	18.16	18.95
41	95–100	संयुक्त . .	19.00	20.56	19.06	18.19	19.99	17.64	20.51	17.29	17.78	17.80	18.75
42		न०स०–2 .	18.03	15.85	15.97	17.79	21.38	17.23	19.89	17.32	27.30	17.43	18.03
43		न०स०–1 .	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
44	0–100	संयुक्त . .	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
45		न०स०–2 .	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य–अप्रैल 1952-मार्च 1953, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मूल्य–दौर 4 और 5)

46	सभी वस्तुएं (थोक)	98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9	105.2
47	अन्न (थोक) .	94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48	अन्न (रा०न०स०) .	100.2	99.8	100.0	87.2	75.2	69.5	93.3	91.7	100.0	102.2	90.4

सारणी सं. 10 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार मंगुर वर्गवार कुल उपभोक्ता व्यय के (आधार—नौ दौरों का औसत) भाग का सूचकांक

(अखिल—भारतीय—ग्रामीण)

क्रम संख्या	मंगुर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल–सितम्बर 1952	दौर 5 सितम्बर 1952 मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953 मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954 मार्च 1955	दौर 9 मई–नवम्बर 1955	दौर 12 मार्च–1957	दौर 13 सितम्बर 1957 मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959 जून 1960	दौर 16 जुलाई 1959 जून 1961	नौ दौरों का औसत
	नमूने के लिये परिवारों की संख्या		2,345	1,339	3,684	1,381	1,833	1,600	7,171	6,663	7,144	3,703	(कुल) 33,179
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०स०–1	93	92	92	89	95	96	107	108	108	113	100
2	0–5	संयुक्त	91	94	92	93	96	95	106	102	114	109	100
3		न०स०–2	89	97	92	96	98	94	105	97	120	106	100
4		न०स०–1	94	93	93	103	90	92	105	104	111	109	100
5	5–10	संयुक्त	92	94	93	102	92	93	104	102	116	105	100
6		न०स०–2	89	97	93	101	95	93	104	99	120	102	100
7		न०स०–1	93	92	93	97	92	94	105	105	110	110	100
8	0–10	संयुक्त	91	94	93	98	94	94	105	102	115	107	100
9		न०स०–2	89	97	93	99	96	93	104	98	120	104	100
10		न०स०–1	99	96	97	100	90	93	104	103	109	107	100
11	10–20	संयुक्त	96	97	96	101	92	94	103	101	113	104	100
12		न०स०–2	93	97	95	103	95	95	101	99	117	101	100
13		न०स०–1	104	100	101	98	90	96	102	102	105	104	100
14	20–30	संयुक्त	100	99	99	100	93	97	101	99	108	102	100
15		न०स०–2	96	99	97	102	97	97	101	97	111	101	100

16		न०स०–1	.	104	102	103	99	92	98	102	101	102	102	100
17	30–40	संयुक्त	. .	101	101	102	99	94	98	100	100	106	101	100
18		न०स०–2	.	99	101	100	99	96	98	99	98	109	101	100
19		न०स०–1	.	101	106	104	99	93	99	102	100	100	100	100
20	40–50	संयुक्त	. .	101	104	102	98	94	99	100	100	104	100	100
21		न०स०–2	.	100	102	101	98	96	99	99	100	107	100	100
22		न०स०–1	.	100	104	102	98	94	102	102	101	99	100	100
23	50–60	संयुक्त	. .	100	103	101	98	96	101	100	100	102	100	100
24		न०स०–2	.	100	101	100	99	97	100	98	100	104	100	100
25		न०स०–1	.	102	102	102	99	96	103	100	101	98	99	100
26	60–70	संयुक्त	.	101	101	101	100	98	103	100	100	100	99	100
27		न०स०–2	.	100	99	100	100	100	103	99	99	102	98	100
28		न०स०–1	.	104	101	102	98	97	105	98	100	99	98	100
29	70–80	संयुक्त	. .	102	100	101	99	99	105	99	99	100	97	100
30		न०स०–1	.	99	99	99	100	102	104	99	98	102	96	100
31		न०स०–2	.	105	101	103	99	99	106	97	99	98	98	100
32	80–90	संयुक्त	. .	102	99	100	101	102	103	98	99	97	99	100
33		न०स०–2	.	99	98	98	103	106	101	99	99	96	100	100
34		न०स०–1	.	93	97	95	104	115	97	100	98	98	99	100
35	90–100	संयुक्त	. .	99	99	99	101	108	98	101	101	93	100	100
36		न०स०–2	.	105	102	104	98	101	99	102	103	87	102	100

(सारणी क्र. 10—जारी)

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37		न०स०—1	102	102	102	99	104	103	97	98	97	98	100
38	90—95	संयुक्त	102	100	100	101	105	102	97	99	95	100	100
39		न०स०—2	102	97	100	103	105	101	97	100	93	101	100
40		न०स०—1	88	94	91	017	121	93	101	99	99	99	100
41	95—100	संयुक्त	98	99	98	101	110	96	103	102	92	100	100
42		न०स०—2	107	105	106	96	99	98	104	105	84	102	100
43		न०स०—1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44	0—100	संयुक्त	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45		न०स०—2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य—अप्रैल 1952—मार्च 1953, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मूल्य—दौर 4 और 5)											
46		सभी वस्तुयें (थोक)	98.2	98.0	98.1	101:9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9	105.2
47		अन्न (थोक)	94.9	90.9	92.9	92:8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48		अन्न (रा०न०स०)	106.3	94.0	100.0	87.4	72.1	69.1	98.4	96.3	102.3	104.4	92.3

सारणी ख 11 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार कुल उपभोक्ता व्यय के (आधार-नौ दौरों का औसत) भाग का सूचकांक

अखिल-भारतीय शहरी

क्रम संख्या	भंगुर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल–सितम्बर 1952	दौर 5 सितम्बर 1952-मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953-मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954-मार्च 1955	दौर 9 मई–नवम्बर 1955	दौर 12 मार्च–अगस्त 1957	दौर 13 सितम्बर 1957-मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959-जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960-जून 1961	नौ दौरों का औसत
	नमूने के लिये परिवारों की संख्या		1059	602	1,661	556	1,844	2,074	2,836	3,308	2,066	2,552	कुल 16,897
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०स०–1	97	75	85	90	103	102	105	107	110	111	100
2	0–5	संयुक्त	102	85	90	93	92	103	99	103	114	107	100
3		न०स०–2	107	98	94	97	83	103	94	99	117	103	100
4		न०स०–1	98	85	92	97	102	99	98	106	110	105	100
5	5–10	संयुक्त	101	86	91	98	92	101	99	104	112	108	100
6		न०स०–2	102	94	91	98	83	103	97	101	113	110	100
7		न०स०–1	97	81	89	94	102	100	101	106	110	108	100
8	0–10	संयुक्त	101	86	90	96	92	102	99	103	113	108	100
9		न०स०–2	104	95	92	98	83	103	96	100	114	107	100
10		न०स०–1	98	87	93	95	104	99	100	105	109	103	100
11	10–20	संयुक्त	100	92	93	96	94	100	100	103	110	105	100
12		न०स०–2	102	95	93	99	87	101	99	101	110	107	100
13		न०स०–1	100	88	94	93	105	99	100	105	106	103	100
14	20–30	संयुक्त	99	94	94	98	96	98	100	103	107	105	100
15		न०स०–2	99	100	94	101	90	96	99	101	107	106	100

सारणी 11—जारी

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16		न०स०–1 .	100	88	94	99	102	101	100	104	104	103	100
17	30–40	संयुक्त . .	99	95	94	101	95	100	99	103	104	104	100
18		न०स०–2 .	98	104	94	102	90	97	98	102	104	104	100
19		न०स०–1 .	102	88	95	99	101	100	99	104	102	104	100
20	40–50	संयुक्त . .	101	96	96	100	97	99	99	103	103	103	100
21		न०स०–2 .	98	105	95	100	95	98	98	102	103	101	100
22		न०स०–1 .	100	89	96	102	103	104	98	103	99	102	100
23	50–60	संयुक्त . .	102	96	132	100	98	102	98	103	101	101	100
24		न०स०–2 .	102	107	173	98	94	100	97	103	101	99	100
25		न०स०–1 .	101	94	98	102	103	105	95	103	99	99	100
26	60–70	संयुक्त . .	102	99	98	99	98	103	97	103	100	98	100
27		न०स०–2 .	104	106	99	95	97	101	97	102	101	97	100
28		न०स०–1 .	99	97	96	102	101	107	96	102	100	102	100
29	70–80	संयुक्त . .	100	98	96	100	105	97	97	101	100	100	100
30		न०स०–2 .	101	105	97	97	100	103	97	100	99	97	100
31		न०स०–1 .	96	102	98	105	100	101	98	100	100	99	100
32	80–90	संयुक्त . .	97	98	95	105	101	102	98	100	99	100	100
33		न०स०–2 .	99	100	93	104	99	103	98	100	97	100	100
34		न०स०–1 .	102	118	110	99	95	94	105	94	96	96	100
35	90–100	संयुक्त .	100	109	101	99	105	96	105	95	95	97	100
36		न०स०–2 .	99	93	90	101	112	98	106	97	96	99	100

37		न०स०–1	.	100	123	111	100	99	93	95	99	96	97	100
38	90–95	संयुक्त	. .	98	107	100	103	101	98	97	100	96	100	100
39		न०स०–2	.	96	101	92	101	101	102	99	99	95	102	100
40		न०स०–1	.	104	115	110	98	94	95	111	91	96	96	100
41	95–100	संयुक्त	. .	101	110	102	97	107	94	109	92	95	95	100
42		न०स०–2	.	100	88	89	99	119	96	110	96	96	97	100
43		न०स०–1	.	100	190	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44	0–100	संयुक्त	. .	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45		न०स०–2	.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य–अप्रैल 1952-मार्च 1953, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मूल्य–दौर 4 और 5)

46	सभी वस्तुयें (थोक)	98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9	105.2
47	अन्न (थोक)	94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48	अन्न (रा० न० स०)	100.2	99.8	100.0	87.2	75.2	69.5	93.3	91.7	100.0	102.2	90.4

सारणी सं० 12 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रतिव्यक्ति प्रति 30 दिवस अन्न की औसत खपत-सेरों में

अखिल-भारतीय ग्रामीण

क्रम संख्या	भंगुरवर्ग (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल-सितम्बर 1952	दौर 5 सितम्बर 1952-मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953-मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954-मार्च 1955	दौर 9 मई-नवम्बर 1955	दौर 12 मार्च-अगस्त 1957	दौर 13 सितम्बर 1957-मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959-जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960-जून 1961	नौ दौरों का औसत
नमूने के किये परिवारों की संख्या			2,345	1,339	3,684	1,381	1,833	1,600	7,171	6,663	7,144	3,703	(कुल) 33,179
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		स०स०-1	9.56	8.05	9.20	10.15	7.68	8.45	7.81	9.63	9.30	9.65	8.92
2	0–5	संयुक्त	8.53	9.31	8.94	9.63	8.89	10.63	7.82	8.99	8.92	9.20	9.10
3		न०स०-2	7.50	10.51	9.06	9.12	10.79	12.69	8.02	8.25	8.73	8.83	9.38
4		न०स०-1	10.60	11.98	11.48	13.44	12.47	13.50	10.45	10.69	11.51	11.56	11.80
5	5–10	संयुक्त	10.13	11.53	10.96	14.18	13.33	13.75	10.25	10.84	11.84	11.41	11.92
6		न०स०-2	10.25	10.43	10.26	13.49	13.36	13.90	9.92	10.76	11.95	12.01	11.79
7		न०स०-1	10.08	10.01	10.34	11.79	10.07	10.98	9.13	10.16	10.40	10.60	10.36
8	0–10	संयुक्त	9.33	10.42	9.95	11.90	11.11	12.19	9.03	9.91	10.38	10.30	10.51
9		न०स०-2	8.87	10.47	9.66	11.31	12.08	13.30	8.97	9.51	10.34	10.42	10.59
10		न०स०-1	12.47	12.99	12.65	15.88	13.05	14.15	12.25	13.18	13.65	14.17	13.53
11	10–20	संयुक्त	13.41	13.16	13.28	14.83	13.71	14.14	12.32	13.51	14.31	14.52	13.77
12		न०स०-2	13.65	13.65	13.66	14.56	14.80	14.28	12.53	13.67	14.85	14.29	14.03
13		न०स०-1	12.96	14.32	14.50	14.21	14.72	16.29	13.51	16.21	16.36	15.91	14.93
14	20–30	संयुक्त	14.66	15.33	15.15	15.07	15.27	16.76	13.67	15.31	15.85	15.62	15.28
15		न०स०-2	15.75	16.43	15.96	15.00	16.09	16.82	13.64	14.86	15.63	15.51	15.52

16		न०स०–1	.	17.28	18.07	16.58	15.16	17.58	19.42	15.92	15.89	16.18	17.42	17.10
17	30–40	संयुक्त	.	16.70	18.27	17.42	15.80	18.44	18.65	15.47	15.72	16.91	18.27	17.14
18		न०स०–2	.	16.55	18.48	18.04	15.88	18.41	18.23	15.00	15.36	17.16	18.75	17.09
19		न०स०–1	.	18.01	22.22	20.22	22.61	18.71	18.57	17.19	16.76	17.23	18.06	18.82
20	40–50	संयुक्त	.	17.95	19.62	19.13	17.22	18.00	18.16	16.69	16.86	18.65	17.73	17.87
21		न०स०–2	.	18.58	19.45	18.50	16.80	17.49	17.79	16.34	17.05	19.79	17.99	17.92
22		न०स०–1	.	19.71	19.70	19.62	18.99	19.32	19.16	18.27	18.36	18.04	29.95	19.17
23	50–60	संयुक्त	.	19.64	21.65	19.98	20.63	19.13	19.64	18.59	17.99	19.00	20.23	19.61
24		न०स०–2	.	19.75	20.87	20.20	17.74	19.02	20.03	18.71	17.93	19.79	19.28	19.23
25		न०स०–1	.	20.44	20.53	22.11	18.92	19.24	21.68	19.54	19.42	20.65	20.47	20.10
26	60–70	संयुक्त	.	20.53	20.33	20.94	19.90	19.32	21.53	19.43	19.77	20.61	20.37	20.20
27		न०स०–2	.	19.94	20.02	20.35	20.98	19.28	21.56	19.53	19.77	20.98	20.42	20.28
28		न०म०–1	.	20.37	24.82	21.09	21.11	19.03	21.04	20.76	20.69	21.91	21.07	21.20
29	70–80	संयुक्त	.	21.24	23.73	22.07	20.68	19.71	21.17	19.88	20.49	21.89	20.29	21.01
30		न०स०–2	.	22.73	22.93	22.38	20.31	19.84	21.01	19.07	20.22	22.13	19.16	20.82
31		न०म०–2	.	25.59	25.88	25.39	21.09	21.94	22.39	21.45	21.35	21.91	21.09	22.52
32	80–90	संयुक्त	.	24.32	24.57	24.47	21.04	22.27	22.83	22.13	21.39	22.60	21.77	22.55
33		न०स०–2	.	22.82	23.26	23.51	20.58	23.19	23.81	22.76	21.42	23.11	22.95	22.66
34		न०स०–1	.	26.28	24.02	25.26	24.70	22.93	25.90	25.86	26.83	26.55	28.08	25.68
35	90–100	संयुक्त	.	27.29	26.38	26.75	23.87	23.15	25.39	25.86	27.49	26.87	28.01	20.03
36		न०स०–2	.	28.32	28.85	28.30	23.54	23.30	24.53	25.76	28.24	27.17	27.80	26.39

(सारणी 12—जारी)

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37		न०स०–1	24.88	25.06	25.15	24.91	23.74	25.52	24.77	24.81	24.82	27.16	25.04
38	90–95	संयुक्त	25.34	26.32	25.75	21.73	22.48	24.68	23.84	24.79	25.71	26.40	24.59
39		न०स०–2	25.32	27.62	26.23	20.89	21.23	23.04	22.51	25.07	26.51	25.17	24.15
40		न०स०–1	27.68	22.98	25.37	24.50	22.12	26.55	26.96	28.84	28.29	28.99	26.32
41	95–100	संयुक्त	29.25	26.44	27.74	26.00	23.81	26.11	27.87	30.19	28.02	29.61	27.48
42		न०स०–2	31.31	30.08	30.37	26.19	25.36	26.01	29.00	31.41	27.82	30.42	28.62
43		न०स०–1	18.32	19.26	18.78	18.55	17.66	18.96	17.39	17.89	18.29	18.77	18.34
44	0–100	संयुक्त	18.51	19.35	18.91	18.09	18.01	19.05	17.31	17.84	18.71	18.71	18.40
45		न०स०–2	18.70	19.44	19.06	17.67	18.35	19.13	17.23	17.80	19.10	18.66	18.45
		मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य–अप्रैल 1952-मार्च 1953, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मूल्य–दौर 4 और 5)											
46		सभी वस्तुयें (थोक)	98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9	105.2
47		अन्न (थोक)	94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48		अन्न (रा० न० स०)	106.3	94.0	100.0	87.4	72.1	69.1	98.4	96.3	102.3	104.4	92.3

सारणी ख 13 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिवस अन्न की औसत खपत-सेरों में

अखिल-भारतीय शहरी

क्रम संख्या	भंगुरवर्ग (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल-सितम्बर 1952	दौर 5 दिसम्बर 1952-मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953-मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954-मार्च 1955	दौर 9 मई-नवम्बर 1955	दौर 12 मार्च-अगस्त 1957	दौर 13 सितम्बर 1957-मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959 जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960-जून 1961	नौ दौरों का औसत
	नमूने के लिये परिवारों की संख्या		1,059	602	1,661	556	1,844	2,074	2,836	3,308	2,066	2,552	(कुल) 16,897
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०म०-1	8.14	6.93	7.55	9.11	9.65	13.16	9.51	9.55	9.41	11.08	9.62
2	0-5	संयुक्त	8.46	6.96	7.77	10.87	9.94	12.74	8.49	9.50	9.35	9.96	9.58
3		न०म०-2	8.91	7.14	8.05	10.35	10.39	12.22	7.92	9.43	9.73	9.08	9.46
4		न०म०-1	11.19	7.44	9.33	14.35	11.16	15.08	11.32	10.30	9.79	9.95	11.18
5	5-10	संयुक्त	11.95	9.36	9.80	12.67	11.51	13.81	10.99	10.63	10.61	10.74	11.36
6		न०म०-2	11.93	9.24	11.24	13.92	11.35	12.63	10.80	10.95	10.47	11.33	11.40
7		न०म०-1	9.67	7.19	8.44	11.73	10.41	14.12	10.42	9.93	9.60	10.51	10.40
8	0-10	संयुक्त	10.21	8.16	8.79	11.77	10.72	13.27	9.74	10.06	9.98	10.35	10.47
9		न०म०-2	10.42	8.19	9.65	12.13	10.87	12.42	9.36	10.19	10.10	10.20	10.43
10		न०म-1	11.48	10.44	10.90	11.94	12.89	13.28	12.08	11.90	11.61	11.15	11.86
11	10-20	संयुक्त	10.78	9.65	10.71	12.56	13.40	14.03	11.58	12.32	11.88	11.40	11.96
12		न०म०-2	10.89	9.98	10.61	13.25	13.65	14.19	11.64	12.66	12.50	11.70	12.27
13		न०म०-1	11.02	11.56	11.62	13.89	12.80	13.31	13.01	13.06	12.21	12.55	12.60
14	20-30	संयुक्त	10.47	11.49	11.22	13.48	12.34	14.08	13.42	13.15	12.05	12.43	12.55
15		न०म०-2	9.18	11.27	9.74	12.25	12.20	14.98	12.80	13.31	12.16	12.39	12.28

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16		न०स०–1 .	11.58	11.91	11.94	15.92	13.45	14.40	14.45	13.73	13.46	13.22	13.57
17	30–40	संयुक्त . .	10.28	11.63	10.87	15.48	14.18	14.45	13.96	13.81	13.35	12.07	13.25
18		न०स०–2 .	9.72	12.25	11.03	15.45	15.00	14.98	13.71	14.09	12.68	11.03	13.21
19		न०स०–1 .	11.48	13.93	12.31	16.19	14.84	14.89	14.17	12.78	14.16	15.13	14.18
20	40–50	संयुक्त . .	11.10	13.66	12.15	15.12	15.11	14.13	14.73	13.48	13.59	15.03	13.99
21		न०स०–2 .	10.06	12.31	11.13	14.11	14.01	13.33	14.82	13.40	13.72	14.34	13.34
22		न०स०–1 .	13.92	14.04	13.85	16.56	15.24	16.59	14.08	14.67	14.06	14.82	14.89
23	50–60	संयुक्त . .	13.30	12.25	12.83	16.20	13.98	16.12	14.08	13.76	13.49	14.16	14.15
24		न०स०–2 .	12.85	11.33	12.13	15.14	14.91	16.25	14.28	12.97	12.58	13.77	13.79
25		न०स०–1 .	13.76	13.08	13.32	14.19	14.24	15.05	14.37	14.18	13.84	14.17	1 4.10
26	60–70	संयुक्त . .	13.05	12.83	12.87	14.42	14.67	15.81	14.61	14.25	13.54	14.33	14.17
27		न०स०–2 .	12.22	11.96	12.03	14.85	13.33	16.49	15.43	14.73	13.14	14.24	14.04
28		न०स०–1 .	12.71	13.15	13.27	14.71	15.21	17.14	15.21	14.51	14.12	14.57	14.59
29	70–80	संयुक्त . .	12.45	13.56	13.07	15.45	13.96	16.35	15.28	14.70	14.29	14.53	14.51
30		न०स०–2 .	12.30	13.18	12.62	16.43	14.53	14.90	15.03	15.46	14.37	15.05	14.58
31		न०स०–1 .	12.62	14.71	13.72	13.	14.94	15.24	15.76	14.49	17.08	15.18	14.87
32	80–90	संयुक्त . .	12.57	13.99	13.13	13.25	15.23	15.60	15.44	15.45	15.53	14.66	14.63
33		न०स०–2 .	12.51	14.71	13.78	12.64	14.80	14.98	15.18	15.55	14.13	13.98	14.28
34		न०स०–1 .	17.06	17.07	16.87	15.62	15.71	18.13	16.71	15.84	15.59	16.10	16.42
35	90–100	संयुक्त . .	15.84	16.43	16.20	14.66	15.74	16.81	16.92	15.28	16.02	15.83	15.95
36		न०स०–2 .	14.57	14.46	14.33	13.89	15.64	16.59	17.03	14.99	16.40	15.58	15.46

37		न०स०–1	.	16.29	20.29	18.55	15.74	14.55	18.46	15.76	16.12	15.87	14.99	16.45
38	90–95	संयुक्त	. .	15.01	15.82	15.59	13.03	15.91	16.06	15.75	15.17	15.14	15.97	15.32
39		न०स०–2	.	13.48	13.02	12.65	10.88	15.57	15.70	15.55	14.76	14.32	16.91	14.47
40		न०स०–1	.	17.84	13.85	15.20	15.50	16.87	17.79	17.66	15.56	15.31	17.20	16.40
41	95–100	संयुक्त	. .	16.66	17.04	16.82	16.30	15.58	17.56	18.09	15.40	16.90	15.70	16.58
42		न०स०–2	.	15.65	15.90	16.01	16.91	15.70	17.49	18.51	15.23	18.47	14.25	16.46
43		न०स०–1	.	12.53	12.72	12.63	14.45	13.97	15.22	14.03	13.51	13.57	13.74	13.75
44	0–100	संयुक्त	. .	12.01	12.37	12.18	14.24	13.93	15.06	13.98	13.63	13.37	13.48	13.56
45		न०स०–2	.	11.47	11.96	11.70	14.02	13.89	14.91	13.93	13.74	13.18	13.23	13.37
		मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य–अप्रैल 1952–मार्च 1953, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण-मूल्य दौर 4 और 5)												
46		सभी वस्तुयें (थोक)		98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9	105.2
47		अन्न (थोक)		94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48		अन्न (रा० न ०स०)		100.2	99.8	100.0	87.2	75.2	69.5	93.3	91.7	100.0	102.2	90.4

सारणी सं० 14 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति अन्न की औसत खपत शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति अन्न की खपत के प्रतिशत के रूप में

अखिल-भारतीय

क्रम संख्या	भंगुरवर्ग (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल-सितम्बर 1952	दौर 5 दिसम्बर 1952-मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953-मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954-मार्च 1955	दौर 9 मई-नवम्बर 1955	दौर 12 मार्च-अगस्त 1957	दौर 13 सितम्बर 1957-मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959-जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960-जून 1961	नौ दौरों का औसत
नमूने के लिये परिवारों की संख्या		ग्रामीण	2,345	1,339	3,684	1,381	1,833	1,600	7,171	6,663	7,144	3,703	(कुल) 33,179
		शहरी	1,059	602	1,661	556	1,844	2,074	2,836	3,308	2,066	2,552	16,897
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०स०–1 .	117.4	116.2	121.9	111.4	79.6	64.2	82.1	100 8	98.8	87.1	95.3
2	0–5	संयुक्त . .	100.8	133.8	115.1	88.6	89.4	83.4	92.1	94.6	95.4	92.4	96.7
3		न०स०–2 .	84.2	147.2	112.5	88.1	103.8	103.8	101.3	87.5	89.7	97.2	110.3
4		न०स०–1 .	94.7	161.0	123.0	93.7	111.7	89.5	92.3	103.8	117.6	116.2	108.9
5	5–10	संयुक्त . .	84.8	123.2	111.8	111.9	115.8	99.6	93.3	102.0	111.6	106.2	105.4
6		न०स०–2 .	85.9	112.9	91.3	96.9	117.7	110.1	91.9	98.3	114.1	106.0	103.8
7		न०स०–1 .	104.2	139.2	122.5	100.5	96.7	77.8	87.6	102.3	108.3	100.9	101.9
8	0–10	संयुक्त . .	91.4	127.7	113.2	101.1	103.6	91.9	92.7	98.5	104.0	99.5	101.2
9		न०स०–2 .	85.1	127.8	100.1	93.2	111.1	107.1	95.8	93.3	102.4	102.2	102.0
10		न०स०–1 .	108.6	124.4	116.1	133.0	101.2	106.6	101.4	110.8	117.6	127.1	114.5
11	10–20	संयुक्त . .	124.4	136.4	124.0	118.1	102.3	100.8	106.4	109.7	120.5	127.5	116.2
12		न०स०–2 .	125.3	136.8	128.7	109.9	108.4	100.6	107.6	108.0	118.8	122.1	115.3
13		न०स०–1 .	117.6	123.9	124.8	102.3	115.0	122.4	103.8	124.1	134.0	126.0	117.7
14	20–30	संयुक्त . .	140.0	133.4	135.0	111.8	123.7	119.0	101.9	116.4	131.5	125.7	122.6
15		न०स०–2 .	171.6	145.8	163.9	122.4	131.9	112.3	106.6	111.6	128.5	125.2	128.4
16		न०स०–1 .	149.2	151.7	138.9	101.5	130.7	134.9	110.2	115.7	120 2	131.8	127.3
17	30–40	संयुक्त . .	162.5	157.1	160.3	102.1	130.0	129.1	110.8	113.8	126.7	151.4	131.5
18		न०स०–2 .	170.3	150.9	163.6	102.8	122.7	121.7	109.4	109.0	135.3	170.0	132.5

19		न०स०–1	.	156.9	159.5	164.3	139.7	126.1	124.7	121.3	131.1	121.7	119.4	133.4
20	40–50	संयुक्त	.	161.7	143.6	157.4	113.9	119.1	128.5	113.3	125.1	137.2	118.0	128.9
21		न०स०–2	.	184.7	158.0	166.2	119.1	124.8	133.5	110.3	127.2	144.2	125.5	136.4
22		न०स०–1	.	141.6	140.3	141.7	114.7	126.8	115.5	129.8	125.2	128.3	141.4	129.3
23	50–60	संयुक्त	.	147.7	176.7	155.7	127.3	136.8	121.8	132.0	130.7	140.8	142.9	139.6
24		न०स०–2	.	153.7	184.2	166.5	117.2	127.6	123.3	131.0	138.2	157.3	140.0	141.4
25		न०स०–1	.	148.6	157.0	166.0	133.3	135.1	144.1	136.0	137.0	149.2	144.5	142.8
26	60–70	संयुक्त	.	157.3	158.5	162.7	138.0	131.7	136.2	133.0	138.7	152.2	142.1	143.1
27		न०स०–2	.	163.2	167.4	169.2	141.3	144.6	130.7	126.6	134.2	159.7	143.4	145.7
28		न०स०–1	.	160.3	188.7	158.9	143.5	125.1	122.8	136.5	142.6	155.2	144.6	146.6
29	70–80	संयुक्त	.	170.6	175.0	169.2	133.9	141.2	129.5	130.1	139.4	153.2	139.6	145.8
30		न०स०–2	.	184.8	174.0	177.3	123.6	136.5	141.0	126.9	130.8	154.0	127.3	144.3
31		न०स०–1	.	202.8	175.0	185.1	153.6	146.9	146.9	136.1	147.3	128.3	138.9	152.9
32	80–90	संयुक्त	.	193.5	175.6	186.4	158.8	146.2	146.4	143.3	138.4	145.5	148.5	155.1
33		न०स०–2	.	182.4	158.1	170.6	162.8	156.7	158.9	149.9	137.8	163.6	164.2	159.4
34		न०स०–1	.	154.0	140.7	149.7	158.1	146.0	142.9	154.8	169.4	170.3	174.4	156.7
35	90–100	संयुक्त	.	172.3	160.6	165.1	162.8	147.1	151.0	152.8	179.9	167.7	176.9	163.5
36		न०स०–2	.	194.4	199.5	197.5	169.5	149.0	147.9	151.3	188.4	165.7	178.4	171.6
37		न०स०–1	.	152.7	123.5	135.6	158.3	163.2	136.8	157.2	153.9	156.4	181.2	153.7
38	90–95	संयुक्त	.	168.8	166.4	165.2	166.8	141.3	153.7	151.4	163.4	169.8	165.3	160.8
39		न०स०–2	.	187.8	212.1	207.4	192.0	136.4	146.8	144.8	169.9	185.1	148.8	169.3
40		न०स०–1	.	155.2	165.9	168.9	158.1	131.1	149.2	152.7	185.3	184.8	168.6	161.2
41	95–100	संयुक्त	.	175.6	155.2	164.9	159.5	152.8	148.7	154.1	196.0	165.8	188.6	166.3
42		न०स०–2	.	200.1	189.2	189.7	154.9	161.5	148.7	156.7	206.2	150.6	213.5	175.7
43		न०स०–1	.	146.2	151.3	148.7	128.4	126.4	124.6	123.9	132.4	134.8	136.6	133.8
44	0–100	संयुक्त	.	154.1	156.4	155.3	127.0	129.3	126.5	123.8	130.9	139.9	138.8	136.3
45		न०स०–2	.	163.0	162.5	162.9	126.0	132.1	128.3	123.7	129.5	144.9	141.0	139.0

सारणी सं० 15: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार अन्न की खपत की मात्रा का प्रतिशत भाग

अखिल भारतीय-ग्रामीण

क्रम संख्या	भंगुरवर्ग (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल-सितंबर 1952	दौर 5 दिसम्बर 1952-मार्च 1953	दौर 4 और-5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953-मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954-मार्च 1955	दौर 9 मई-नवंबर 1955	दौर 12 मार्च-अगस्त 1957	दौर 13 सितंबर 1957-मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959-जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960-जून 1961	नौ दौरों का औसत
													कुल
नमूने में लिये गये परिवारों की संख्या			2,345	1,339	3,684	1,381	1,833	1,600	7,171	6,663	7,144	3,703	33,179
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०स०-1 .	2.61	2.09	2.45	2.74	2.17	2.23	2.25	2.69	2.54	2.57	2.43
2	0-5	संयुक्त . .	2.30	2.41	2.36	2.66	2.47	2.79	2.26	2.52	2.38	2.46	2.47
3		न०स०-2 .	2.01	2.70	2.38	2.58	2.94	3.32	2.33	2.32	2.29	2.37	2.54
4		न०स०-1 .	2.89	3.11	3.06	3.62	3.53	3.56	3.01	2.99	3.15	3.08	3.22
5	5-10	संयुक्त . .	2.74	2.98	2.90	3.92	3.70	3.61	2.96	3.04	3.17	3.05	3.24
6		न०स०-2 .	2.74	2.68	2.69	3.82	3.64	3.63	2.88	3.02	3.13	3.22	3.20
7		न०स०-1 .	5.50	5.20	5.51	6.36	5.70	5.79	5.25	5.68	5.69	5.65	5.65
8	0-10	संयुक्त . .	5.04	5.39	5.26	6.58	6.17	6.40	5.22	5.56	5.55	5.50	5.71
9		न०स०-2. .	4.75	5.39	5.07	6.40	6.58	6.95	5.21	5.34	5.42	5.59	5.73
10		न०स०-1 .	6.81	6.75	6.74	8.56	7.39	7.46	7.04	7.37	7.47	7.55	7.38
11	10-20	संयुक्त . .	7.25	6.80	7.02	8.20	7.61	7.43	7.12	7.57	7.65	7.77	7.49
12		न०स०-2 .	7.30	7.02	7.17	8.24	8.07	7.46	7.27	7.68	7.78	7.61	7.61
13		न०स०-1. .	7.07	7.44	7.73	7.66	8.33	8.59	7.77	9.07	8.95	8.42	8.14
14	20-30	संयुक्त . .	7.92	7.93	8.01	8.33	8.48	8.80	7.90	8.58	8.47	8.35	8.31
15		न०स०-2 .	8.42	8.45	8.38	8.49	8.77	8.79	7.91	8.35	8.18	8.31	8.41

16		न०स०–1	.	9.43	9.38	8.83	8.71	9.95	10.24	9.16	8.88	8.85	9.28	9.32
17	30–40	संयुक्त	.	9.02	9.44	9.21	8.73	10.24	9.79	8.94	8.81	9.04	9.77	9.31
18		न०स०–2	.	8.85	9.51	9.47	8.99	10.03	9.53	8.70	8.63	8.99	10.05	9.25
19		न०स०–1	.	9.83	11.54	10.77	12.19	10.60	9.79	9.88	9.37	9.42	9.62	10.25
20	40–50	संयुक्त	.	9.70	10.14	10.11	9.52	9.99	9.53	9.64	9.45	9.97	9.48	9.71
21		न०स०–2	.	9.94	10.00	9.71	9.51	9.53	9.30	9.48	9.58	10.37	9.64	9.71
22		न०स०–1	.	10.76	10.23	10.45	10.24	10.94	10.11	10.50	10.27	9.87	11.16	10.45
23	50–60	संयुक्त	.	10.61	11.19	10.56	11.40	10.62	10.31	10.74	10.08	10.16	10.81	10.66
24		न०स०–2	.	10.56	10.73	10.60	10.04	10.37	10.47	10.86	10.07	10.36	10.34	10.42
25		न०स०–1	.	11.16	10.66	11.78	10.20	10.90	11.44	11.24	10.86	11.29	10.90	10.96
26	60–70	संयुक्त	.	11.09	10.51	11.07	11.00	10.73	11.30	11.23	11.08	11.02	10.89	10.98
27		न०स०–2	.	10.67	10.30	10.68	11.88	10.51	11.27	11.34	11.10	10.99	10.95	11.00
28		न०स०–1	.	11.12	12.89	11.23	11.38	10.78	11.10	11.94	11.57	11.98	11.23	11.55
29	70–80	संयुक्त	.	11.48	12.27	11.67	11.43	10.95	11.12	11.49	11.48	11.70	10.85	11.42
30		न०म०–2	.	12.16	11.80	11.75	11.49	10.81	10.98	11.07	11.36	11.59	10.27	11.28
31		न०म०–1	.	13.97	13.44	13.53	11.37	12.43	11.81	12.34	11.94	11.98	11.24	12.28
32	80–90	संयुक्त	.	13.14	12.70	12.94	11.63	12.37	11.99	12.79	11.99	12.08	11.63	12.26
33		न०म०–2	.	12.21	11.96	12.34	11.65	12.64	12.44	13.21	12.03	12.10	12.30	12.28
34		न०स०–1	.	14.34	12.48	13.45	13.32	12.99	13.66	14.87	15.00	14.52	14.96	14.02
35	90–100	संयुक्त	.	14.75	13.64	14.14	13.19	12.85	13.33	14.94	15.41	14.36	14.97	14.16
36		न०स०–2	.	15.15	14.84	14.85	13.32	12.70	12.82	14.95	15.87	14.23	14.90	14.31

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37		न०स०—1 .	6.79	6.51	6.70	6.71	6.72	6.66	7.12	6.94	6.79	7.23	6.83
38	90—95	संयुक्त . .	6.85	6.80	6.81	6.00	6.24	6.48	6.89	6.95	6.87	7.05	6.68
39		न०स०—2 .	6.77	7.10	6.88	5.91	5.79	6.02	6.53	7.04	6.94	6.75	6.54
40		न०स०—1 .	7.55	5.97	6.76	6.61	6.26	7.00	7.75	8.06	7.73	7.72	7.19
41	95—100	संयुक्त . .	7.90	6.83	7.33	7.19	6.61	6.85	8.05	8.46	7.49	7.91	7.48
42		न०स०—2 .	8.37	7.74	7.97	7.41	6.91	6.80	8.42	8.82	7.29	8.15	7 77
43		न०स०—1 .	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
44	0—100	संयुक्त . .	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
45		न०स०—2 .	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य—अप्रैल 1952—मार्च 1953, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मूल्य—दौर 4 और 5)											
46		सभी वस्तुएं (थोक)	98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.1	139.3	107.4	119.1	125.9	105.2
47		अन्न (थोक) .	94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48		अन्न (रा० न० स०)	106.3	94.0	100.0	87.4	72.1	69.1	98.4	96.3	102.3	104.4	92.3

सारणी सं० 16 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार अन्न की खपत की मात्रा का प्रतिशत भाग

अखिल-भारतीय—शहरी

क्रम संख्या	भंगुरवर्ग (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल-सितंबर 1952	दौर 5 दिसंबर 1952-मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953-मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954-मार्च 1955	दौर 9 मई-नवंबर 1955	दौर 12 मार्च-अगस्त 1957	दौर 13 सितंबर 1957-मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959-जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960-जून 1961	नौ दौरों का औसत
नमूने के लिए परिवारों की संख्या			1,059	602	1,661	556	1,844	2,074	2,836	3,308	2,066	2,552	(कुल) 16,897
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०स०-1	3.25	2.73	2.99	3.15	3.46	4.33	3.39	3.54	3.47	4.03	3.48
2	0-5	संयुक्त	3.52	2.81	3.19	3.82	3.57	4.23	3.04	3.49	3.50	3.69	3.52
3		न०स०-2	3.88	2.98	3.44	3.69	3.74	4.10	2.84	3.43	3.69	3.43	3.53
4		न०स०-1	4.47	2.93	3.69	4.97	3.99	4.95	4.04	3.81	3.61	3.62	4.04
5	5-10	संयुक्त	4.98	3.78	4.03	4.45	4.13	4.58	3.93	3.90	3.97	3.98	4.19
6		न०स०-2	5.20	3.86	4.80	4.97	4.08	4.23	3.88	3.99	3.97	4.28	4.27
7		न०स०-1	7.72	5.65	6.69	8.12	7.45	9.28	7.43	7.35	7.07	7.65	7.52
8	0-10	संयुक्त	8.50	6.60	7.21	8.27	7.70	8.81	6.97	7.39	7.46	7.68	7.71
9		न०स०-2	9.08	6.85	8.24	8.66	7.82	8.33	6.72	7.42	7.76	7.71	7.81
10		न०स०-1	9.16	8.21	8.64	8.27	9.23	8.73	8.62	8.81	8.55	8.11	8.63
11	10-20	संयुक्त	8.98	7.81	8.79	8.82	9.62	9.32	8.28	9.04	8.88	8.46	8.80
12		न०स०-2	9.50	8.34	9.06	9.46	9.83	9.52	8.36	9.21	9.49	8.85	9.17
13		न०स०-1	8.79	9.09	9.20	9.61	9.16	8.75	9.28	9.67	8.99	9.13	9.16
14	20-30	संयुक्त	8.73	9.29	9.21	9.47	8.85	9.35	9.60	9.65	9.01	9.23	9.24
15		न०स०-2	8.01	9.42	8.32	8.74	8.78	10.04	9.19	9.69	9.23	9.37	9.16

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16		न०स०–1 .	9.24	9.37	9.46	11.02	9.63	9.46	10.30	10.16	9.92	9.62	9.86
17	30–40	संयुक्त . .	8.56	9.41	8.93	10.87	10.18	9.59	9.99	10.14	9.99	8.96	9.74
18		न०स०–2 .	8.47	10.24	9.42	11.02	10.80	10.04	9.84	10.26	9.62	8.34	9.85
19		न०स०–1 .	9.16	10.95	9.75	11.21	10.62	9.79	10.11	9.46	10.43	11.01	10.31
20	40–50	संयुक्त .	9.24	11.05	9.97	10.62	10.84	9.38	10.54	9.89	10.16	11.15	10.32
21		न०स०–2 . .	8.77	10.29	9.51	10.07	10.08	8.94	10.64	9.76	10.41	10.84	9.98
22		न०स०–1 . .	11.11	11.04	10.97	11.46	10.91	10.91	10.04	10.86	10.36	10.78	10.83
23	50–60	संयुक्त . .	11.08	9.91	10.53	11.38	10.03	10.70	10.07	10.10	10.09	10.50	10.43
24		न०स०–2 . .	11.20	9.47	10.37	10.80	10.73	10.90	10.25	9.45	9.55	10.41	10.31
25		न०स०–1 . .	10.98	10.29	10.55	9.82	10.19	9.89	10.24	10.50	10.20	10.31	10.27
26	60–70	संयुक्त . .	10.87	10.38	10.56	10.13	10.53	10.49	10.45	10.46	10.12	10.63	10.45
27		न०स०–2 . .	10.65	10.00	10.28	10.59	9.59	11.06	11.08	10.73	9.97	10.76	10.49
28		न०स०–1 . .	10.14	10.34	10.51	10.18	10.89	11.27	10.84	10.74	10.41	10.61	10.60
29	70–80	संयुक्त . .	10.37	10.97	10.71	10.85	10.02	10.85	10.94	10.79	10.69	10.78	10.69
30		न०स०–2 . .	10.72	11.02	10.78	11.73	10.46	9.99	10.79	11.26	10.90	11.38	10.92
31		न०स०–1 . .	10.07	11.63	10.87	9.50	10.69	10.02	11.24	10.73	12.59	11.05	10.83
32	80–90	संयुक्त . .	10.47	11.31	10.78	9.30	10.93	10.35	11.05	11.34	11.61	10.68	10.80
33		न०स०–2 . .	10.91	12.30	11.77	9.02	10.65	10.05	10.90	11.32	10.72	10.57	10.71
34		न०स०–1 . .	13.62	13.42	13.36	10.81	11.24	11.91	11.91	11.73	11.49	11.72	11.98
35	90–100	संयुक्त . .	13.19	13.28	13.30	10.30	11.30	11.16	12.11	11.22	11.98	11.75	11.81
36		न०स०–2 . .	12.70	12.09	12.25	9.91	11.26	11.13	12.22	10.91	12.44	11.78	11.61

37	न०स०—1	6.50	7.98	7.35	5.45	5.21	6.07	5.62	5.97	5.85	5.46	6.01
38	90—95 संयुक्त	6.25	6.40	6.40	4.58	5.71	5.33	5.63	5.57	5.66	5.92	5.67
39	न०स०—2	5.88	5.44	5.41	3.88	5.61	5.27	5.58	5.37	5.44	6.39	5.43
40	न०स०—1	7.12	5.45	6.02	5.36	6.04	5.85	6.30	5.76	5.64	6.26	5.97
41	95—100 संयुक्त	6.94	6.89	6.91	5.72	5.59	5.83	6.47	5.65	6.32	5.82	6.14
42	न०स०—2	6.82	6.65	6.84	6.03	5.65	5.86	6.64	5.54	7.01	5.39	6.18
43	न०स०—1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
44	0—100 संयुक्त	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
45	न०स०—2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

मूल्य सूचकांक (आधार : थोक-मूल्य- अप्रैल 1952-मार्च 1953, रा० न० स० मूल्य-दौर 4 और 5)

46	सभी वस्तुएं (थोक)	98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9	105.2
47	अन्न (थोक)	94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48	अन्न (रा० न० स०)	100.2	99.8	100.0	87.2	75.2	69.5	93.3	91.7	100.0	102.2	90.4

सारणी सं० 17 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार अन्न की खपत की मात्रा (आधार—नौ दौरों का औसत) के भाग का सूचकांक

अखिल-भारतीय ग्रामीण

क्रम संख्या	भंगुरवर्ग (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल-सितंबर 1952	दौर 5 दिसंबर 1952-मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953-मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954-मार्च 1955	दौर 9 मई-नवंबर 1955	दौर 12 मार्च-अगस्त 1957	दौर 13 सितंबर 1957-मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959-जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960-जून 1961	नौ दौरों का औसत
	नमूने के लिए परिवारों की संख्या		2,345	1,339	3,684	1,381	1,833	1,600	7,171	3,663	7,144	3,703	33,179
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)
1		न०स०–4	107	86	101	112	89	92	92	111	105	106	100
2	0–5	संयुक्त	93	97	96	108	100	113	91	102	96	99	100
3		न०स०–2	79	107	94	102	116	131	92	91	90	93	100
4		न०स०–1	90	97	95	113	110	111	94	93	98	96	100
5	5–10	संयुक्त	84	92	89	121	114	111	91	94	98	94	100
6		न०स०–2	86	84	84	119	114	114	90	95	98	101	100
7		न०स०–1	97	92	98	113	101	103	93	101	101	100	100
8	0–10	संयुक्त	88	94	92	115	108	112	91	97	97	96	100
9		न०स०–2	83	94	88	112	115	121	91	93	94	97	100
10		न०स०–1	92	91	91	116	100	101	95	100	101	102	100
11	10–20	संयुक्त	97	91	94	109	102	99	95	101	102	104	100
12		न०स०–2	96	92	94	108	106	98	96	101	102	101	100
13		न०स०–1	87	91	95	94	102	106	95	111	110	103	100
14	20–30	संयुक्त	95	95	96	100	102	106	95	103	102	101	100
15		न०स०–2	101	100	101	101	104	105	94	99	97	99	100

16		न०स०–1	. .	101	101	95	93	107	110	98	95	95	100	100
17	30–40	संयुक्त	. .	97	101	99	94	110	105	96	95	97	105	100
18		न०स०–2	. .	96	103	102	97	108	103	94	93	97	109	100
19		न०स०–1	. .	96	113	105	119	103	96	96	91	92	94	100
20	40–50	संयुक्त	. .	100	104	104	98	103	98	99	97	103	98	100
21		न०स०–2	. .	102	103	100	98	98	96	98	99	107	99	100
22		न०स०–1	. .	103	98	100	98	105	97	100	98	94	107	100
23	50–60	संयुक्त	. .	100	105	99	107	100	97	101	95	95	101	100
24		न०स०–2	. .	101	103	102	96	99	100	104	97	99	99	100
25		न०स०–1	. .	102	97	107	93	99	104	103	99	103	99	100
26	60–70	संयुक्त	. .	101	96	101	100	98	103	102	101	100	99	100
27		न०स०–2	. .	97	94	97	108	96	102	103	101	100	100	100
28		न०स०–1	. .	96	112	97	99	93	96	103	100	104	97	100
29	70–80	संयुक्त	. .	101	107	102	100	96	97	101	101	103	95	100
30		न०स०–2	. .	108	105	104	102	96	97	98	101	103	91	100
31		न०स०–1	. .	114	109	110	93	101	96	100	97	98	92	100
32	80–90	संयुक्त	. .	107	104	106	95	101	98	104	98	99	95	100
33		न०स०–2	. .	99	97	100	95	103	101	108	98	99	100	100
34		न०स०–1	. .	102	89	96	95	93	97	106	107	104	107	100
35	90–100	संयुक्त	. .	104	96	100	93	91	94	106	109	101	106	100
36		न०स०–2	. .	106	104	104	93	89	90	104	111	99	104	100

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37		न०स०–1	99	95	98	98	98	98	104	102	99	106	100
38	90–95	संयुक्त	102	102	102	90	93	97	103	104	103	106	100
39		न०स०–2	104	109	105	90	88	92	100	108	106	103	100
40		न०म०–1	105	83	94	92	87	97	108	112	108	107	100
41	95–100	संयुक्त	106	91	98	96	88	92	108	113	100	106	100
42		न०म०–2	108	100	103	95	89	88	108	114	94	105	100
43		न०स०–1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44	0–100	संयुक्त	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45		न०स०–2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य–अप्रैल 1952-मार्च 1953, रा० न० स० मूल्य-दौर 4 और 5)										
46	सभी वस्तुएं (थोक)		98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9	105.2
47	अन्न (थोक)		94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48	अन्न (रा०न०स०)		106.3	94.0	100.0	87.4	72.1	69.1	98.4	96.3	102.3	104.4	92.3

सारणी ख 18 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार अन्न की खपत की मात्रा (आधार—नौ दौरों का औसत) के भाग का सूचकांक

अखिल भारतीय शहरी

क्रम संख्या	भंगुरवर्ग (प्रतिशत)	नमूना	दौर 4 अप्रैल-सितंबर 1952	दौर 5 दिसंबर 1952-मार्च 1953	दौर 4 और 5 संयुक्त	दौर 7 अक्तूबर 1953-मार्च 1954	दौर 8 जुलाई 1954-मार्च 1955	दौर 9 मई-नवंबर 1955	दौर 12 मार्च-अगस्त 1957	दौर 13 सितंबर 1957-मई 1958	दौर 15 जुलाई 1959-जून 1960	दौर 16 जुलाई 1960-जून 1961	नौ दौरों का औसत
	नमूने के लिए परिवारों की संख्या		1,059	602	1,661	556	1,844	2,074	2,836	3,308	2,066	2,552	(कुल) 16,897
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		न०स०—1	93	78	86	91	99	124	97	102	100	116	100
2	0—5	संयुक्त	100	80	91	109	101	120	86	99	99	105	100
3		न०स०—2	110	84	97	104	106	116	80	97	105	97	100
4		न०स०—1	110	72	91	123	99	123	100	94	89	90	100
5	5—10	संयुक्त	119	90	96	106	99	109	94	93	95	95	100
6		न०स०—2	122	90	112	116	96	99	91	93	93	100	100
7		न०स०—1	103	75	89	108	99	123	99	98	94	102	100
8	0—10	संयुक्त	110	86	94	107	100	114	90	96	97	100	100
9		न०स०—2	116	88	106	111	100	107	86	95	98	99	100
10		न०स०—1	106	95	100	96	107	101	100	102	99	94	100
11	10—20	संयुक्त	102	89	100	100	109	106	94	103	101	96	100
12		न०स०—2	104	91	99	103	107	104	91	100	103	96	100
13		न०स०—1	96	99	100	105	100	95	101	106	98	100	100
14	20—30	संयुक्त	94	101	100	102	96	101	104	104	97	100	100
15		न०स०—2	87	103	91	95	96	110	100	106	101	102	100

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16		न०स०-1	94	95	96	112	98	96	104	103	101	98	100
17	30-40	संयुक्त	88	97	92	112	104	98	103	104	103	92	100
18		न०स०-2	86	104	96	112	110	102	100	104	98	85	100
19		न०म०-1	89	106	95	109	103	95	98	92	101	107	100
20	40-50	संयुक्त	90	107	97	103	105	91	102	96	98	105	100
21		न०म०-2	88	103	95	101	101	90	107	98	104	109	100
22		न०म०-1	103	102	101	106	101	101	93	100	96	100	100
23	50-60	संयुक्त	106	95	101	109	96	103	97	97	97	101	100
24		न०म०-2	109	92	101	105	104	106	99	92	93	101	100
25		न०म०-1	107	100	103	96	99	96	100	102	99	100	100
26	60-70	संयुक्त	104	99	101	97	101	100	100	100	97	102	100
27		न०म०-2	102	95	98	101	91	105	106	102	95	103	100
28		न०स०-1	96	98	99	96	103	106	102	101	98	100	100
29	70-80	संयुक्त	97	103	100	101	94	101	102	101	100	101	100
30		न०स०-2	98	101	99	107	96	92	99	103	100	104	100
31		न०म०-1	93	107	100	88	99	92	104	99	116	102	100
32	80-90	संयुक्त	97	105	100	86	101	96	102	105	107	101	100
33		न०म०-2	102	115	110	84	99	94	102	106	100	99	100
34		न०म०-1	114	112	112	90	94	99	99	98	96	98	100
35	90-100	संयुक्त	112	112	113	87	96	94	103	95	101	99	100
36		न०स०-2	109	104	106	85	97	96	105	94	107	101	100

37		न०स०–1	108	133	122	91	87	101	93	99	97	91	100
38	90–95	संयुक्त	110	113	113	81	101	94	99	98	100	104	100
39		न०स०–2	108	100	100	72	103	97	103	99	100	118	100
40		न०स०–1	119	91	101	90	101	98	105	96	94	105	100
41	95–100	संयुक्त	113	112	113	93	91	95	105	92	103	95	100
42		न०स०–2	110	108	111	98	92	95	108	90	113	87	100
43		न०स०–1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44	0–100	संयुक्त	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45		न०स०–2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		मूल्य सूचकांक (आधार : थोक मूल्य-अप्रैल 1952-मार्च 1953, रा० न० स० मूल्य-दौर 4 और 5)											
46	सभी वस्तुएं (थोक)		98.2	98.0	98.1	101.9	96.1	91.2	109.3	107.4	119.1	125.9	105.2
47	अन्न (थोक)		94.9	90.9	92.9	92.8	77.4	73.3	103.0	98.7	105.6	103.2	93.3
48	अन्न (रा०न०स०)		100.2	99.8	100.0	87.2	75.2	69.5	93.3	91.7	100.0	102.2	90.4

तालिका सं 19 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के चार दौरों के अनुसार मंगुर वर्गवार प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिन विभिन्न अनाजों की खपत
सेरों में

अखिल-भारतीय ग्रामीण

क्रम संख्या	मंगुर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	चावल				गेहूं			चावल + गेहूं		
			राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर				राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर			राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1		न०म०-1	2.87	2.76	3.39	4.07	0.22	0.25	0.43	0.63	3.09	3.01
2	0—10	संयुक्त	2.60	2.81	3.23	4.18	0.21	0.46	0.41	0.51	2.81	3.27
3		न०स०-2	2.50	2.66	3.01	4.30	0.42	1.00	0.49	0.34	2.92	3.66
4		न०स०-1	3.99	3.62	5.28	6.19	0.30	0.84	0.69	1.13	4.29	4.46
5	10—20	संयुक्त	4.41	3.68	4.60	6.26	0.51	0.94	0.85	0.91	4.92	4.62
6		न०स०-2	4.43	4.31	4.31	6.34	0.51	0.70	0.87	0.74	4.94	5.01
7		न०म०-1	5.83	4.84	5.21	8.79	0.37	1.15	0.94	2.06	6.20	5.99
8	20—30	संयुक्त	6.29	5.38	5.83	7.37	0.38	1.05	1.14	1.42	6.67	6.43
9		न०स०-2	7.22	5.75	5.65	6.91	0.37	1.01	1.37	1.10	7.59	6.76
10		न०स०-1	7.96	7.02	6.92	7.39	0.95	2.54	1.35	2.73	8.91	9.56
11	30—40	संयुक्त	8.21	7.80	6.61	7.16	0.99	2.15	1.46	2.72	9.20	9.95
12		न०स०-2	8.05	8.01	7.19	6.83	1.02	1.76	1.38	2.71	9.07	9.77
13		न०स०-1	8.31	7.35	7.26	8.59	1.11	2.20	1.81	1.60	9.42	9.55
14	40—50	संयुक्त	7.97	7.55	7.31	8.01	0.88	2.15	2.12	1.86	8.85	9.70
15		न०स०-2	7.80	8.08	7.26	7.43	0.66	1.96	2.53	2.77	8.46	10.04

16		न०स०–1	.	.	10.74	9.05	8.55	9.09	0.95	2.17	2.37	2.57	11.69	11.22
17	50—60	संयुक्त	.	.	10.53	8.88	7.95	9.98	0.96	2.16	2.08	2.31	11.49	11.04
18		न०स०–2	.	.	10.30	8.90	7.53	10.38	0.96	2.06	1.77	1.97	11.26	10.96
19		न०स०–1	.	.	10.63	9.25	9.27	7.87	2.17	3.35	2.19	2.81	12.80	12.60
20	60—70	संयुक्त	.	.	9.36	9.01	9.11	8.27	2.29	3.18	2.31	2.87	11.65	12.19
21		न०स०–2	.	.	8.15	9.05	8.55	9.36	2.27	3.34	2.15	3.24	10.42	12.39
22		न०स०–1	.	.	10.84	9.83	7.98	10.23	2.54	4.48	3.22	3.75	13.38	14.31
23	70—80	संयुक्त	.	.	11.00	10.05	8.96	9.97	2.31	4.57	2.91	3.63	13.31	14.62
24		न०स०–2	.	.	11.52	10.07	9.96	8.41	1.88	4.09	3.03	3.51	13.40	14.16
25		न०स०–1	.	.	11.37	11.05	9.81	7.70	3.75	4.34	3.28	5.31	15.12	15.39
26	80—90	संयुक्त	.	.	12.14	11.38	10.20	9.58	2.63	4.79	3.33	4.50	14.77	16.17
27		न०स०–2	.	.	12.66	11.55	10.89	10.24	2.03	5.68	3.47	3.60	14.69	17.23
28		न०स०–1	.	.	13.37	14.79	12.70	10.46	4.35	5.36	8.21	7.54	17.72	20.19
29	90—100	संयुक्त	.	.	14.42	12.86	12.04	11.41	3.96	5.86	7.69	7.06	18.38	18.72
30		न०स०–2	.	.	15.29	10.88	10.97	12.36	3.47	6.31	7.05	5.84	18.76	17.19
31		न०स०–1	.	.	8.59	7.96	7.64	8.04	1.67	2.67	2.45	3.01	10.26	10·63
32	0—100	संयुक्त	.	.	8.69	7.94	7.58	8.22	1.51	2.73	2.43	2.78	10.20	10. 67
33		न०स०–2	.	.	8.79	7.93	7.53	8.26	1.36	2.79	2.41	2.58	10.15	10.72

क्रम संख्या	अगुर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	चावल + गेहूं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर			मोटे अनाज राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर			कुल अनाज राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर			
(0)	(2)	(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1		न०स०–1 . .	3.82	4.70	6.41	8.02	6.48	5.70	9.50	11.03	10.30	10.40
2	0—10	संयुक्त . .	3.64	4.69	7.57	8.80	6.19	5.69	10.38	12.07	9.83	10.30
3		न०स०–2 . .	3.50	4.64	8.77	9.58	5.81	5.70	11.69	13.24	9.31	10.34
4		न०स०–1 . .	5.97	7.32	8.42	9.00	7.48	6.33	12.71	13.46	13.45	13.65
5	10—20	संयुक्त . .	5.45	7.17	8.74	9.09	7.97	7.14	13.66	13.71	13.42	14.31
6		न०स०–2 .	5.18	7.08	9.57	8.81	8.13	7.77	14.51	13.82	13.31	14.85
7		न०स०–1 . .	6.15	10.85	8.73	10.38	8.84	5.51	14.93	16.37	14.99	16.36
8	20—30	संयुक्त . .	6.97	8.79	8.53	10.20	7.74	7.06	15.20	16.63	14.71	15.85
9		न०स०–2 . .	7.02	8.01	8.33	9.87	7.61	7.62	15.92	16.63	14.63	15.63
10		न०स०–1 . .	8.27	10.12	8.38	9.60	7.51	6.06	17.29	19.16	15.78	16.18
11	30—40	संयुक्त . .	8.07	9.88	9.14	8.61	7.60	7.03	18.34	18.56	15.67	16.91
12		न०स०–2 . .	8.57	9.54	9.60	8.20	6.87	7.62	18.67	17.97	15.44	17.16
13		न०स०–1 . .	9.07	10.19	8.88	8.26	7.63	7.04	18.30	17.81	16.70	17.23
14	40—50	संयुक्त . .	9.43	9.87	9.00	8.06	7.52	8.78	17.85	17.76	16.95	18.65
15		न०स०–2 . .	9.79	10.20	8.78	7.89	7.46	9.59	7.24	17.93	17.25	19.79

16		न०स०–1	.	.	10.92	11.66	7.18	7.80	7.88	6.38	18.87	19.02	18.80	18.04
17	50—60	संयुक्त	.	.	10.03	12.29	7.13	8.31	8.08	6.71	18.62	19.35	18.11	19.00
18		न०स०–2	.	.	9.30	12.35	7.14	8.68	8.30	7.44	18.40	19.64	17.60	19.79
19		न०स०–1	.	.	11.46	10.68	6.56	8.80	7.48	9.97	19.36	21.40	18.94	20.65
20	60—70	संयुक्त	.	.	11.42	11.14	7.68	9.13	7.71	9.47	19.13	21.52	19.13	20.61
21		न०स०–2	.	.	10.70	12.60	9.28	9.24	8.64	8.38	19.70	21.63	19.34	20.98
22		न०स०–1	.	.	11.20	13.98	6.04	6.75	9.20	7.93	19.42	21.06	20.40	21.91
23	70—80	संयुक्त	.	.	11.87	13.60	6.46	6.50	8.55	8.29	19.77	21.12	20.42	21.89
24		न०स०–2	.	.	12.99	11.92	6.18	6.62	7.05	10.21	19.58	20.78	20.04	22.13
25		न०स०–1	.	.	13.09	13.01	6.43	6.95	9.28	8.90	21.55	22.34	22.37	21.91
26	80—90	संयुक्त	.	.	13.53	14.08	7.54	6.36	7.98	8.52	22.31	22.53	21.51	22.60
27		न०स०–2	.	.	14.36	13.84	8.48	6.45	6.94	9.27	23.17	23.08	21.30	23.11
28		न०स०–1	.	.	20.91	18.00	5.39	5.62	7.65	8.55	23.11	25.77	28.56	26.55
29	90—100	संयुक्त	.	.	19.73	18.47	4.77	6.68	8.12	8.40	23.15	25 40	27.85	26.87
30		न०स०–2	.	.	18.02	18.20	4.44	7.29	8.61	8.97	23.20	23.48	26.63	27.17
31		न०स०–1	.	.	10.09	11.05	7.25	8.11	7.94	7.24	17.51	18.74	18.03	18.29
32	0—100	संयुक्त	.	.	10.01	10.00	7.66	8.19	7.75	7.71	17.86	18.96	17.76	18.71
33		न०स०–2	.	.	9.94	11.84	8.06	8.26	7.55	8.26	18.21	18.98	17.49	19.10

सारणी सं० 20 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के चार दौरों के अनुसार विभिन्न भंगुर वर्गों की अनाज की खपत में चावल, गेहूं, चावल + गेहूं और मोटे अनाजों का प्रतिशत अनुपात

(अखिल भारतीय—ग्रामीण)

क्रम संख्या	भंगुर वर्ग प्रतिशत	नमूना	चावल				चावल + गेहूं		मोटे अनाज	
			राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर	
							गेहूं			
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1		न०स०–1	30.21	25.02	32.91	39.13	2.32	2.27	4.17	6.06
2	0–10	संयुक्त	25.05	23.28	32.86	40.27	2.02	3.81	4.17	4.91
3		न०स०–2	21.39	20.09	32.33	41.58	3.59	7.55	5.26	3.29
4		न०स०–1	31.39	26.89	39.26	45.35	2.36	6.24	5.13	8.28
5	10–20	संयुक्त	32.29	26.84	34.28	43.75	3.73	6.86	6.33	6.36
6		न०स०–2	30.53	31.19	32.38	42.70	3.51	5.06	6.54	4.98
7		न०स०–1	39.05	29.57	34.76	53.73	2.48	7.02	6.27	12.59
8	20–30	संयुक्त	41.38	32.35	39.63	46.50	2.50	6.31	7.75	8.96
9		न०स०–2	45.35	34.58	38.62	44.21	2.32	6.07	9.36	7.04
10		न०स०–1	46.04	36.64	43.85	45.68	5.49	13.26	8.56	16.87
11	30–40	संयुक्त	44.77	42.03	42.18	42.34	5.40	11.58	9.32	16.09
12		न०स०–2	43.12	44.58	46.57	39.80	5.46	9.79	8.94	15.79
13		न०स०–1	45.41	41.27	43.47	49.85	6.07	12.35	10.84	9.29
14	40–50	संयुक्त	44.65	42.51	43.13	42.95	4.93	12.11	12.51	9.97
15		न०स०–2	45.24	45.06	42.09	37.54	3.83	10.93	14.67	14.00

16		न०स०–1 . .	56.92	47.58	45.48	50.39	5.03	11.41	12.61	14.24
17	50–60	संयुक्त . .	56.55	45.89	43.90	52.53	5.16	11.16	11.48	12.16
18		न०स०–2 . .	55.98	45.32	42.78	42.45	5.22	10.49	10.06	9.96
19		न०स०–1 . .	54.91	43.23	48.94	38.11	11.21	15.65	11.56	13.61
20	60–70	संयुक्त . .	48.42	41.87	47.62	40.13	11.85	14.78	12.08	13.92
21		न०स०–2 . .	41.37	41.84	44.21	44.62	11.52	15.44	11.12	15.44
22		न०स०–1 . .	55.82	46.68	39.12	46.69	13.08	21.27	15.78	17.12
23	70–80	संयुक्त . .	55.64	47.58	43.88	45.55	11.68	21.64	14.25	16.58
24		न०स०–2 . .	58.84	48.46	49.70	38.00	9.60	19.68	15.12	15.86
25		न०स०–1 . .	52.76	49.46	43.85	35.14	17.40	19.43	14.66	24.24
26	80–90	संयुक्त . .	54.42	50.51	47.42	42.39	11.79	21.26	15.48	19.91
27		न०स०–2 . .	54.64	48.78	51.13	44.31	8.76	23.99	16.29	15.58
28		न०स०–1 . .	57.85	57.39	44.47	39.40	18.82	20.80	28.75	28.40
29	90–100	संयुक्त . .	62.29	50.63	43.23	42.46	17.11	23.07	27.61	26.28
30		न०स०–2 . .	65.90	44.44	41.20	45.49	14.96	25.78	26.47	21.49
31		न०स०–1 . .	49.06	42.48	42.37	43.96	9.54	14.25	13.59	16.46
32	0–100	संयुक्त . .	48.66	42.10	42.68	43.93	8.45	14.48	13.68	14.86
33		न०स०–2 . .	48.27	41.78	43.05	43.24	7.47	14.70	13.78	13.51

क्रम संख्या	अंकुर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	चावल+गेहूं					मोटे अनाज		
			राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर					राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		
(0)	(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1		न०स०-1	32.53	27.29	37.08	45.19	67.47	72.71	62.92	54.81
2	0-10	संयुक्त	27.07	27.09	37.03	45.18	72.93	72.91	62.97	54.82
3		न०स०-2	24.98	27.64	37.59	44.87	75.02	72.36	62.41	55.13
4		न०स०-1	33.75	33.13	44.39	53.63	66.25	66.87	55.61	46.37
5	10—20	संयुक्त	36.02	33.70	40.61	50.11	63.98	66.30	59.39	49.89
6		न०स०-2	34.04	36.25	38.92	47.68	65.96	63.75	61.08	52.32
7		न०स०-1	41.53	36.59	41.03	66.32	58.47	63.41	58.97	33.68
8	20—30	संयुक्त	43.88	38.66	47.38	55.46	55.12	61.34	52.62	44.54
9		न०स०-2	47.67	40.65	47.98	51.25	52.33	59.35	52.02	48.75
10		न०स०-1	51.53	49.90	52.41	62.55	48.47	50.10	47.59	37.45
11	30—40	संयुक्त	50.17	53.61	51.50	58.43	49.83	46.39	48.50	41.57
12		न०स०-2	48.58	54.37	55.51	55.59	51.42	45.63	44.49	44.41
13		न०स०-1	51.48	53.62	54.31	59.14	48.52	46.38	45.69	40.86
14	40—50	संयुक्त	49.58	54.62	55.64	52.92	50.42	45.38	44.36	47.08
15		न०स०-2	49.07	55.99	56.76	51.54	50.93	44.01	43.24	48.46

16		न०स०–1	.	.	61.95	58.99	58.09	64.63	38.05	41.01	41.91	35.37
17	50—60	संयुक्त	.	.	61.71	57.05	55.38	64.69	38.29	42.95	44.62	35.31
18		न०स०–2	.	.	61.20	55.81	52.84	62.41	38.80	44.19	47.16	37.59
19		न०स०–1	.	.	66.12	58.88	60.50	51.72	33.88	41.12	39.50	48.28
20	60—70	संयुक्त	.	.	60.27	56.65	59.70	54.05	39.73	43.35	40.30	45.95
21		न०स०–2	.	.	52.89	57.28	55.33	60.06	47.11	42.72	44.67	39.94
22		न०स०–1	.	.	68.90	67.95	54.90	63.81	31.10	32.05	45.10	36.19
23	70—80	संयुक्त	.	.	67.32	69.22	58.13	62.13	32.68	30.78	41.87	37.87
24		न०स०–2	.	.	68.44	68.14	64.82	53.86	31.56	31.86	35.18	46.14
25		न०स०–1	.	.	70.16	68.89	58.51	59.38	29.84	31.11	41.49	40.62
26	80—90	संयुक्त	.	.	66.21	71.77	62.90	62.30	33.79	28.23	37.10	37.70
27		न०स०–2	.	.	63.40	72.77	67.42	59.89	36.60	27.23	32.58	40.11
28		न०स०–1	.	.	76.67	78.19	73.22	67.80	23.33	21.81	26.78	32.20
29	90—100	संयुक्त	.	.	79.40	73.70	70.84	68.74	20.60	26.30	29.16	31.26
30		न०स०–2	.	.	80.86	70.22	67.67	66.98	19.14	29.78	32.33	33.02
31		न०स०–1	.	.	58.60	56.73	55.96	60.42	41.40	43.27	44.04	39.58
32	0—100	संयुक्त	.	.	57.11	56.56	56.36	58.79	42.89	43.42	43.64	41.21
33		न०स०–2	.	.	55.74	56.48	56.83	56.75	44.26	43.52	43.17	43.25

सारणी सं 21 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के चार दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के अनुमानित मूल्यों के सूचकांक (आठवें दौर के अनुमानित मूल्य = 100)

(अखिल-भारतीय ग्रामीण)

क्रम संख्या	भंगुर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	चावल				गेहूं			
			राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणका दौर				राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर			
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	0—10	न०स०—1	100	120	147	153	100	69	86	114
2		संयुक्त	100	100	133	148	100	78	101	116
3		न०स०—2	100	86	122	135	100	93	137	127
4	10—20	न०स०—1	100	100	131	137	100	67	95	102
5		संयुक्त	100	103	138	138	100	85	112	129
6		न०स०—2	100	97	139	141	100	100	112	134
7	20—30	न०स०—1	100	106	148	118	100	61	87	96
8		संयुक्त	100	100	141	135	100	75	100	110
9		न०स०—2	100	113	152	155	100	94	114	123
10	30—40	न०स०—1	100	97	138	162	100	91	122	128
11		संयुक्त	100	110	155	171	100	86	111	100
12		न०स०—2	100	103	145	158	100	82	100	71
13	40—50	न०स०—1	100	121	148	167	100	106	124	133
14		संयुक्त	100	114	143	151	100	100	118	129
15		न०स०—2	100	103	134	132	100	94	108	122

16		न०स०—1	100	121	153	156	100	86	114	119
17	50—60	संयुक्त	100	111	142	147	100	91	124	133
18		न०स०—2	100	103	132	134	100	93	137	153
19		न०स०—1	100	100	135	132	100	103	148	155
20	60—70	संयुक्त	100	100	133	138	100	94	124	142
21		न०स०—2	100	103	138	146	100	89	108	122
22		न०स०—1	100	105	142	137	100	79	124	116
23	70—80	संयुक्त	100	105	139	132	100	81	122	119
24		न०स०—2	100	105	139	147	100	84	111	116
25		न०स०—1	100	108	141	141	100	89	117	126
26	80—90	संयुक्त	100	105	140	120	100	92	119	125
27		न०स०—2	100	105	140	142	100	89	119	122
28		न०स०—1	100	107	129	144	100	83	90	110
29	90—100	संयुक्त	100	102	137	141	100	77	91	105
30		न०स०—2	100	100	146	139	100	73	91	102
31		न०स०—1	100	108	138	141	100	86	114	122
32	0—100	संयुक्त	100	105	141	141	100	86	111	119
33		न०स०—2	100	100	137	139	100	84	108	113

सारणी सं० 21—जारी

क्रम संख्या	अंतर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	मोटे अनाज — राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर				कुल अनाज — राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर			
(0)	(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1		न०स०–1 . .	100	106	159	200	100	105	150	182
2	0—10	संयुक्त . .	100	100	165	200	100	95	155	182
3		न०स०–2 . .	100	89	161	189	100	91	159	186
4		न०स०–1 . .	100	77	123	150	100	113	138	158
5	10—20	संयुक्त . .	100	90	145	165	100	92	140	160
6		न०स०–2 . .	100	111	167	183	100	104	157	170
7		न०स०–1 . .	100	90	152	210	100	92	146	158
8	20—30	संयुक्त . .	100	95	148	176	100	93	144	156
9		न०स०–2 . .	100	83	129	146	100	96	141	152
10		न०स०–1 .	100	87	135	135	100	93	139	157
11	30—40	संयुक्त . .	100	91	141	164	100	100	144	159
12		न०स०–2 . .	100	100	148	190	100	104	148	159
13		न०स०–1 . .	100	87	135	143	100	107	143	161
14	40—50	संयुक्त . .	100	87	135	143	100	103	138	148
15		न०स०–2 . .	100	95	136	150	100	100	137	137

16		न०स०—1	. .	100	80	128	140	100	100	135	145
17	50—60	संयुक्त	. .	100	80	124	128	100	94	128	141
18		न०स०—2	. .	100	83	129	133	100	94	125	134
19		न०स०—1	. .	100	87	139	152	100	91	133	130
20	60—70	संयुक्त	. .	100	87	143	148	100	97	139	142
21		न०स० 2	. .	100	83	139	152	100	94	132	145
22		न०स०—1	. .	100	86	155	150	100	94	133	133
23	70—80	संयुक्त	. .	100	91	143	174	100	94	130	136
24		न०स०—2	. .	100	92	128	144	100	97	129	132
25		न०स०—1	. .	100	105	155	100	168	103	133	136
26	80—90	संयुक्त	. .	100	92	132	176	100	102	132	135
27		न०स०—2	. .	100	88	128	156	100	100	135	141
28		न०स०—1	. .	100	85	119	123	100	97	113	121
29	90—100	संयुक्त	. .	100	77	119	142	100	89	116	126
30		न०स०—2	. .	100	69	107	148	100	85	118	128
31		न०स०—1	. .	100	91	141	159	100	97	132	142
32	0—100	संयुक्त	. .	100	91	141	164	100	97	132	142
33		न०स०—2	. .	100	91	141	164	100	94	135	142

सारणी सं 22 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दो दौरों के अनुसार भंगुर वर्ग वार प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिन विभिन्न अनाजों की खपत सेरों में

अखिल-भारतीय शहरी

क्रम संख्या	भंगुर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	चावल		गेहूं		मोटे अनाज		कुल अनाज			
			राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर			
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1		न०स०–1	3.93	2.52	1.69	2.53	5.62	5.05	4.50	4.55	10.12	9.60
2	0—10	संयुक्त	3.82	3.26	1.32	2.98	5.14	6.24	5.34	3.74	10.48	9.98
3		न०स०–2	3.93	3.70	0.79	3.41	4.72	7.11	5.99	2.99	10.71	10.10
4		न०स०–1	5.68	4.40	2.42	4.11	8.10	8.51	4.78	3.10	12.88	11.61
5	10—20	संयुक्त	6.63	4.40	2.18	3.14	8.81	7.54	4.52	4.34	13.33	11.88
6		न०स०–2	6.40	4.39	2.14	1.99	8.54	6.38	5.19	6.12	13.73	12.50
7		न०स०–1	7.91	4.73	2.21	3.62	10.12	8.35	2.74	3.86	12.86	12.21
8	20—30	संयुक्त	6.85	4.77	1.95	3.07	8.80	7.84	3.58	4.21	12.38	12.05
9		न०स०–2	6.42	4.81	1.55	2.18	7.97	6.99	4.18	5.17	12.15	12.16
10		न०स०–1	8.25	6.80	2.26	3.95	10.51	10.75	2.87	2.71	13.38	13.46
11	30—40	संयुक्त	7.31	5.65	2.95	3.60	10.26	9.25	3.81	4.10	14.07	13.35
12		न०स०–2	6.45	4.76	2.46	3.54	8.91	8.30	5.93	4.38	14.84	12.68
13		न०स०–1	7.90	6.87	4.61	3.28	12.51	10.15	2.17	4.01	14.68	14.16
14	40—50	संयुक्त	7.93	6.60	3.59	3.97	11.52	11.57	3.56	3.02	15.08	13.59
15		न०स०–2	8.12	6.33	2.49	4.86	10.61	11.19	3.49	2.53	14.10	13.72

16		न०स०—1	9.00	6.45	3.75	3.97	12.95	10.42	2.51	3.64	15.26	14.06
17	50—60	संयुक्त	8.62	6.45	2.70	3.99	11.32	10.44	2.73	3.05	14.05	13.49
18		न०स०—2	7.36	6.45	3.38	4.01	10.74	10.46	4.08	2.12	14.82	12.58
19		न०स०—1	8.58	6.88	3.55	4.65	12.13	11.53	2.06	2.31	14.19	13.84
20	60—70	संयुक्त	7.86	6.96	4.32	4.63	12.18	11.59	2.45	1.95	14.63	13.54
21		न०स०—2	8.33	7.25	3.54	4.27	11.87	11.52	1.52	1.62	13.39	13.14
22		न०स०—1	8.62	6.85	4.68	4.19	13.30	11.04	2.03	3.08	15.33	14.12
23	70—80	संयुक्त	7.74	6.76	4.36	4.94	12.10	11.30	2.01	2.99	14.11	14.29
24		न०स०—2	7.09	6.47	5.35	4.90	12.44	11.37	2.02	3.00	14.46	14.37
25		न०स०—1	7.74	7.22	5.61	5.96	13.35	13.18	1.74	3.90	15.09	17.08
26	80—90	संयुक्त	8.72	7.47	4.91	5.69	13.63	13.16	1.54	2.37	15.17	15.53
27		न०स०—2	9.36	7.78	4.05	5.48	13.41	13.26	1.38	0.87	14.79	14.13
28		न०स०—1	8.80	7.55	5.60	5.72	14.40	13.27	1.25	2.32	15.65	15.59
29	90—100	संयुक्त	8.97	7.48	5.21	7.06	14.18	14.54	1.52	1.46	15.70	16.02
30		न०स०—2	8.95	7.40	4.74	7.80	13.69	15.20	1.88	1.20	15.57	16.40
31		न०स०—1	7.64	6.03	3.64	4.20	11.28	10.23	2.66	3.34	13.94	13.57
32	0—100	संयुक्त	7.45	5.98	3.35	4.27	10.80	10.25	3.10	3.12	13.90	13.37
33		न०स०—2	7.24	5.93	3.05	4.24	10.29	10.17	3.57	3.01	13.86	13.18

20—1 Plan. Cmo./70

सारणी सं. 33 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दो दौरों के अनुसार विभिन्न मंगुर वर्गों की जनसंख्या की खपत में चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का अनुपात

अखिल-भारतीय ग्रामीण

क्रम संख्या	मंगुर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	चावल		गेहूं		चावल गेहूं		मोटे अनाज	
			राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1		न०स०–1 . .	38.83	26.25	16.70	26.35	55.53	52.60	44.47	47.40
2	0—10	संयुक्त . .	36.45	32.67	12.60	29.85	49.05	62.53	50.95	37.47
3		न०स०–2 . .	36.69	36.64	7.38	33.76	44.07	70.40	55.93	29.60
4		न०स०–1 . .	44.10	37.90	18.79	35.40	62.99	73.30	37.11	26.70
5	10—20	संयुक्त . .	49.74	37.04	16.35	26.43	66.09	63.47	33.91	36.53
6		न०स०–2 . .	46.61	35.12	15.59	15.92	62.20	51.04	37.80	48.96
7		न०स०–1 . .	61.51	38.74	17.19	29.65	78.70	68.39	21.30	31.61
8	20–30	संयुक्त . .	55.33	39.58	15.75	25.48	71.08	65.06	28.92	34.94
9		न०स०–2 . .	52.84	39.55	12.76	17.93	65.60	57.48	34.40	42.52
10		न०स०–1 . .	61.66	50.52	16.89	29.35	78.55	79.87	21.45	20.13
11	30—40	संयुक्त . .	51.95	42.32	20.97	26.97	72.92	69.29	27.08	30.71
12		न०स०–2 . .	43.46	37.54	16.58	27.92	60.04	65.46	39.96	34.54
13		न०स०–1 . .	53.82	48.52	31.40	23.16	85.22	71.68	14.78	28.32
14	40—50	संयुक्त . .	52.59	48.57	23.81	29.21	76.40	77.78	23.60	22.22
15		न०स०–2 . .	57.59	46.14	17.66	35.42	75.25	81.56	24.75	18.44

16		न०स०–1	.	.	58.98	45.87	24.57	28.24	83.55	74.11	16.45	25.89
17	50—60	संयुक्त	.	.	61.35	47.81	19.22	29.58	80.57	77.39	19.43	22.61
18		न०स०–2	.	.	99.66	51.27	22.81	31.88	72.47	83.15	27.53	16.85
19		न०स०–1	.	.	60.46	49.71	25.02	33.60	85.48	83.31	14.52	16.65
20	60—70	संयुक्त	.	.	53.73	51.40	29.53	34.20	83.16	85.60	16.74	14.40
21		न०स०–2	.	.	62.21	55.17	26.44	32.50	88.65	87.67	11.35	12.38
22		न०स०–1	.	.	56.23	48.51	30.53	29.68	86.76	78.19	13.24	21.81
23	70—80	संयुक्त	.	.	54.85	47.31	30.90	31.77	85.75	79.08	14.25	20.92
24		न०स०–2	.	.	49.03	45.02	37.00	34.10	86.03	79.12	13.97	20.88
25		न०स०–1	.	.	51.29	42.27	37.18	34.90	88.47	77.17	11.53	22.83
26	80—90	संयुक्त	.	.	57.48	48.10	32.37	36.64	89.85	84.74	10.15	15.26
27		न०स०–2	.	.	63.29	55.06	27.38	38.78	90.67	93.84	9.33	6.16
28		न०स०–1	.	.	56.23	48.43	35.78	36.69	92.01	85.12	7.99	14.88
29	90—100	संयुक्त	.	.	57.13	46.69	33.19	44.07	90.32	90.76	9.68	9.24
30		न०स०–2	.	.	57.48	45.12	30.44	47.56	87.92	92.68	12.03	7.32
31		न०स०–1	.	.	54.81	44.44	26.11	30.95	80.92	75.39	19.08	24.61
32	0—100	संयुक्त	.	.	53.60	44.72	24.10	31.94	77.70	76.66	22.30	23.34
33		न०स०–2	.	.	52.24	44.99	22.01	32.17	74.25	77.17	25.75	22.84

सारणी ख नमूना 24 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दो दौरों के अनुसार अंगुरवर्गवार चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के अनुमानित मूल्यों के सूचकांक
(आठवें दौर के अनुमानित मूल्य = 100)

अखिल-भारतीय शहरी

क्रम संख्या	अंगुर वर्ग (प्रतिशत)	नमूना	चावल		गेहूं		मोटे अनाज		कुल अनाज	
			राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का दौर	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1		न०स०-1 . .	100	162	100	117	100	142	100	139
2	0—10	संयुक्त . .	100	141	100	117	100	161	100	147
3		न०स०-2 . .	100	129	100	114	100	186	100	150
4		न०स०-1 . .	100	150	100	108	100	148	100	139
5	10—20	संयुक्त . .	100	145	100	114	100	146	100	132
6		न०स०-2 . .	100	156	100	124	100	145	100	136
7		न०स०-1 . .	100	140	100	113	100	154	100	113
8	20—30	संयुक्त . .	100	152	100	116	100	141	100	133
9		न०स०-2 . .	100	145	100	107	100	136	100	129
10		न०स०-1 . .	100	154	100	110	100	74	100	127
11	30—40	संयुक्त . .	100	154	100	110	100	142	100	137
12		न०स०-2 . .	100	139	100	119	100	186	100	144
13		न०स०-1 . .	100	153	100	110	100	148	100	136
14	40—50	संयुक्त . .	100	138	100	118	100	150	100	135
15		न०स०-2 . .	100	128	100	124	100	157	100	128

16		न०स०—1	.	.	100	150	100	113	100	120	100	130
17	50—60	संयुक्त	.	.	100	141	100	113	100	161	100	131
18		न०स०—2	.	.	100	136	100	121	100	171	100	142
19		न०स०—1	.	.	100	144	100	107	100	152	100	130
20	60—70	संयुक्त	.	.	100	143	100	107	100	167	100	132
21		न०स०—2	.	.	100	140	100	115	100	162	100	134
22		न०स०—1	.	.	100	150	100	112	100	143	100	132
23	70—80	संयुक्त	.	.	100	148	100	120	100	133	100	132
24		न०स०—2	.	.	100	148	100	126	100	131	100	132
25		न०स०—1	.	.	100	141	100	115	100	140	100	127
26	80—90	संयुक्त	.	.	100	130	100	115	100	192	100	129
27		न०स०—2	.	.	100	123	100	117	100	307	100	130
28		न०स०—1	.	.	100	135	100	111	100	162	100	124
29	90—100	संयुक्त	.	.	100	134	100	109	100	214	100	126
30		न०स०—2	.	.	100	137	100	113	100	179	100	128
31		न०स०—1	.	.	100	149	100	112	100	138	100	132
32	0—100	संयुक्त	.	.	100	144	100	112	100	152	100	134
33		न०स०—2	.	.	100	140	100	118	100	158	100	133

चार्टों की सूची

टी—2.1 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार, प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिवस अन्न की खपत की मात्रा सेरों में : अखिल-भारतीय ग्रामीण

टी—2.2 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार, प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिवस अन्न की खपत की मात्रा सेरों में : अखिल-भारतीय शहरी

टी—2.3 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार अन्न की वास्तविक खपत का प्रतिशत भाग: अखिल-भारतीय ग्रामीण

टी—2.4 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौ दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार अन्न की वास्तविक खपत का प्रतिशत भाग: अखिल-भारतीय शहरी

टी—3.1 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के चार दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिवस चावल और गेहूं की संयुक्त खपत की मात्रा सेरों में : अखिल-भारतीय ग्रामीण

टी—3.2 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के चार दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार अन्न की कुल खपत में चावल और गेहूं की संयुक्त मात्रा का प्रतिशत भाग : अखिल-भारतीय ग्रामीण

टी—3.3 : कम मूल्यों वाली अवधि (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दौर 8 और 9) तथा अधिक मूल्यों वाली अवधि (13 और 15) के दौरान भंगुर वर्गवार कुल अन्न की खपत में चावल और गेहूं की संयुक्त मात्रा का प्रतिशत भाग : अखिल-भारतीय ग्रामीण

टी—3.4 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दो दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार प्रति व्यक्ति प्रति 30 दिवस चावल और गेहूं की संयुक्त खपत सेरो में : अखिल-भारतीय शहरी

टी—3.5 : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दौरों के अनुसार भंगुर वर्गवार कुल अन्न की खपत में संयुक्त रूप से चावल और गेहूं की खपत की प्रतिशत मात्रा : अखिल-भारतीय शहरी

GIPN—S8—1 Plan. Com/70—21-5-70—2000.

T—2.1

Quantity of Cereals Consumed in Seers Per Person Per 30 Days by Fractile Groups for Nine Rounds of the National Sample Survey

(Combined Estimates only) All India Rural

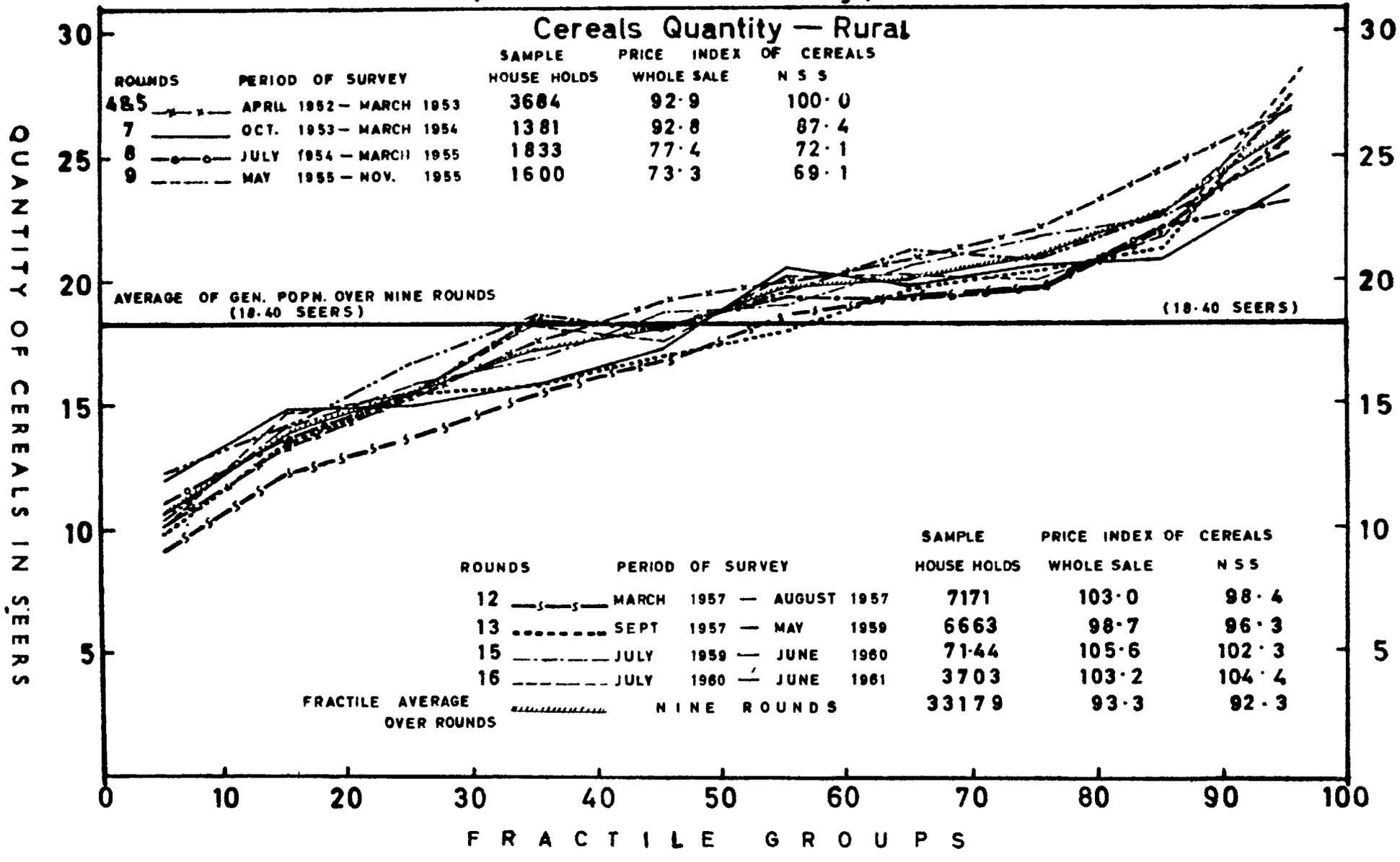

Quantity of Cereals Consumed in Seers Per Person Per 30 Days by Fractile Groups for Nine Rounds of the National Sample Survey

(Combined Estimates only) All India Urban

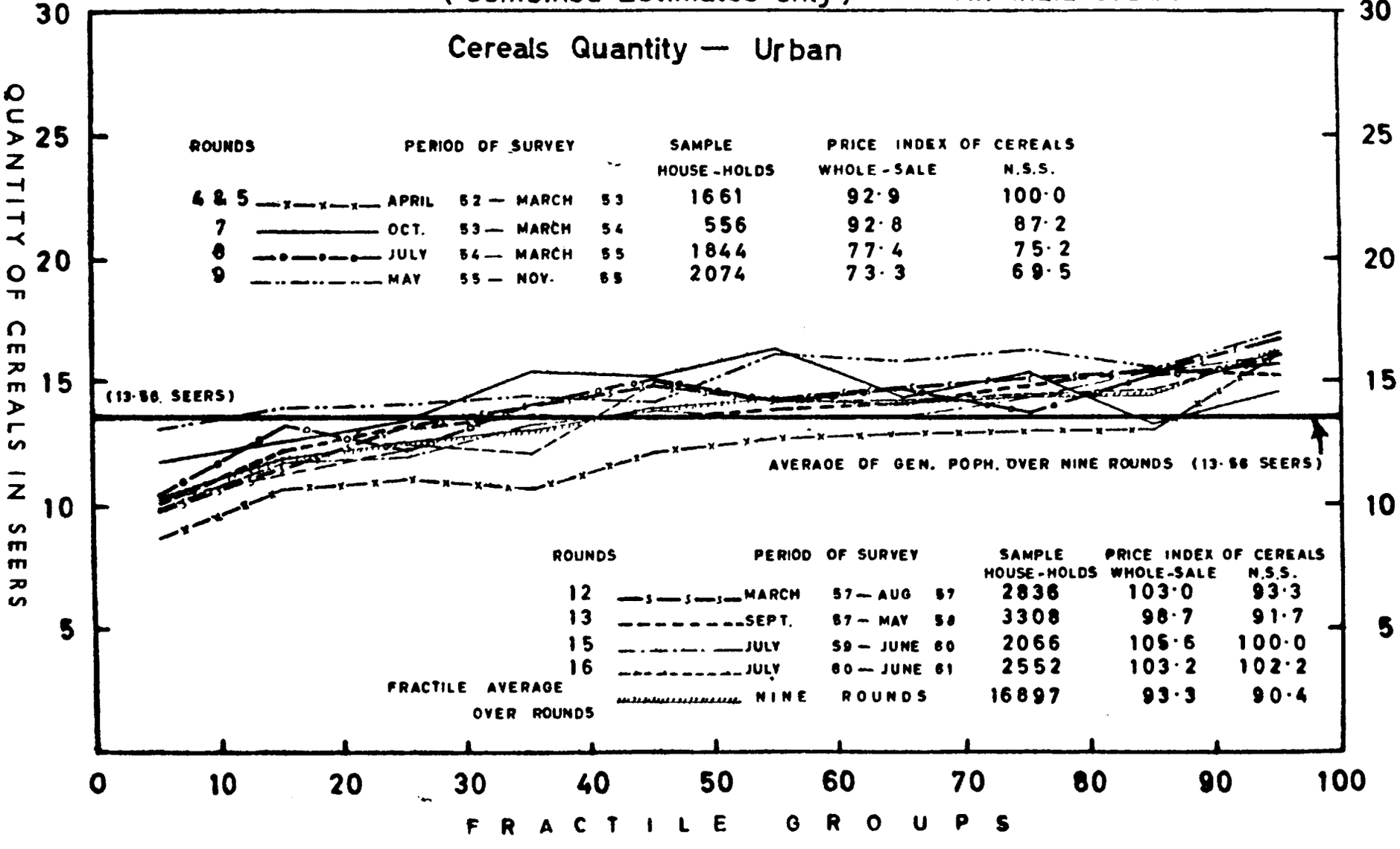

ROUNDS	PERIOD OF SURVEY			SAMPLE HOUSE-HOLDS	PRICE INDEX OF CEREALS WHOLE-SALE	PRICE INDEX OF CEREALS N.S.S.
4 & 5	APRIL	52 — MARCH	53	1661	92·9	100·0
7	OCT.	53 — MARCH	54	556	92·8	87·2
8	JULY	54 — MARCH	55	1844	77·4	75·2
9	MAY	55 — NOV.	55	2074	73·3	69·5

ROUNDS	PERIOD OF SURVEY			SAMPLE HOUSE-HOLDS	PRICE INDEX OF CEREALS WHOLE-SALE	PRICE INDEX OF CEREALS N.S.S.
12	MARCH	57 — AUG	57	2836	103·0	93·3
13	SEPT.	57 — MAY	58	3308	98·7	91·7
15	JULY	59 — JUNE	60	2066	105·6	100·0
16	JULY	60 — JUNE	61	2552	103·2	102·2
	NINE	ROUNDS		16897	93·3	90·4

T-2.3

Percent Share of Physical Consumption of Cereals by Fractile Groups For Nine Rounds of the National Sample Survey: All India Rural

(Combined Estimates Only)

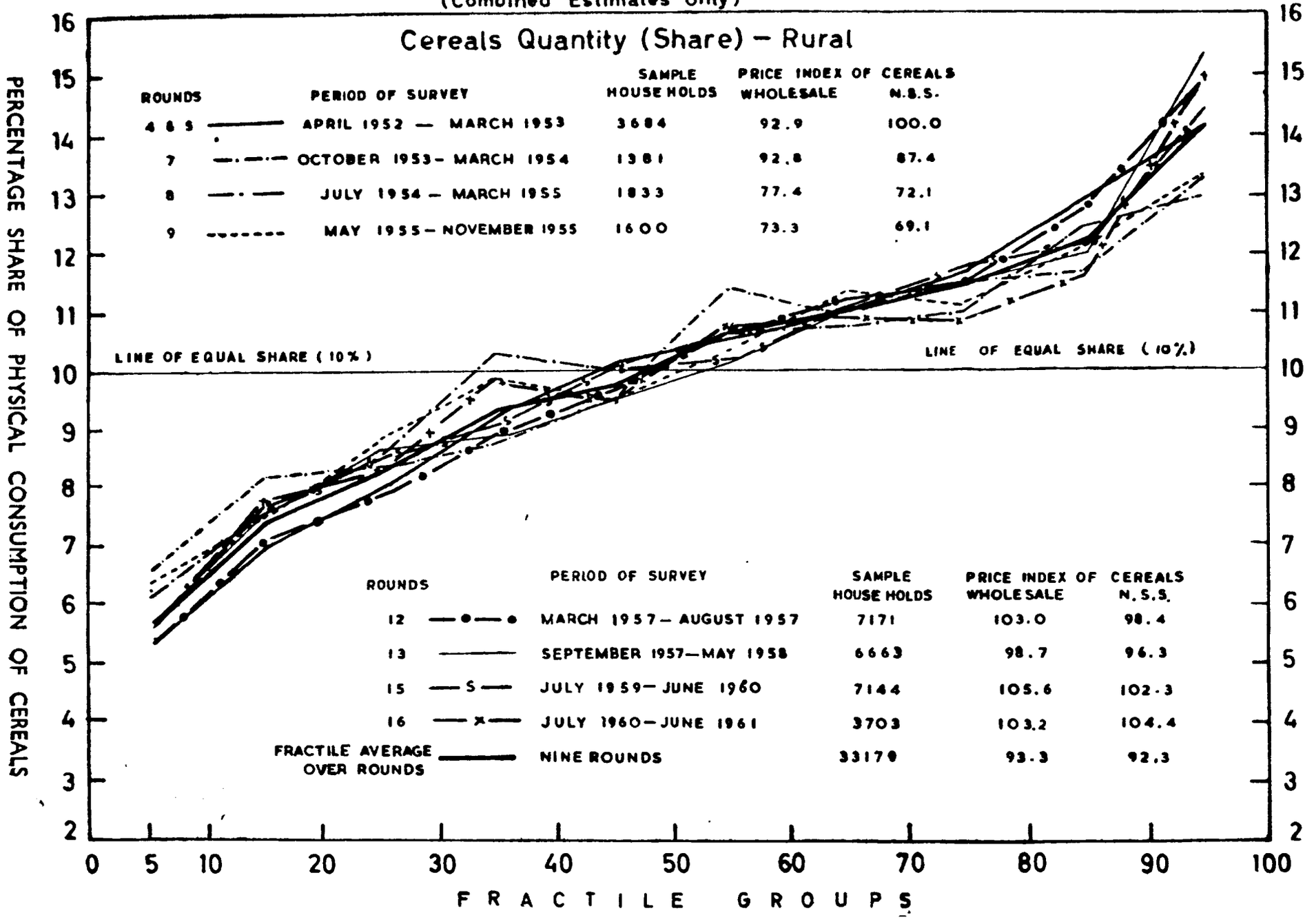

Percent Share of Physical Consumption of Cereals by Fractile Groups For Nine Rounds of the National Sample Survey: All India Urban

T–2.4

(Combined Estimates Only)

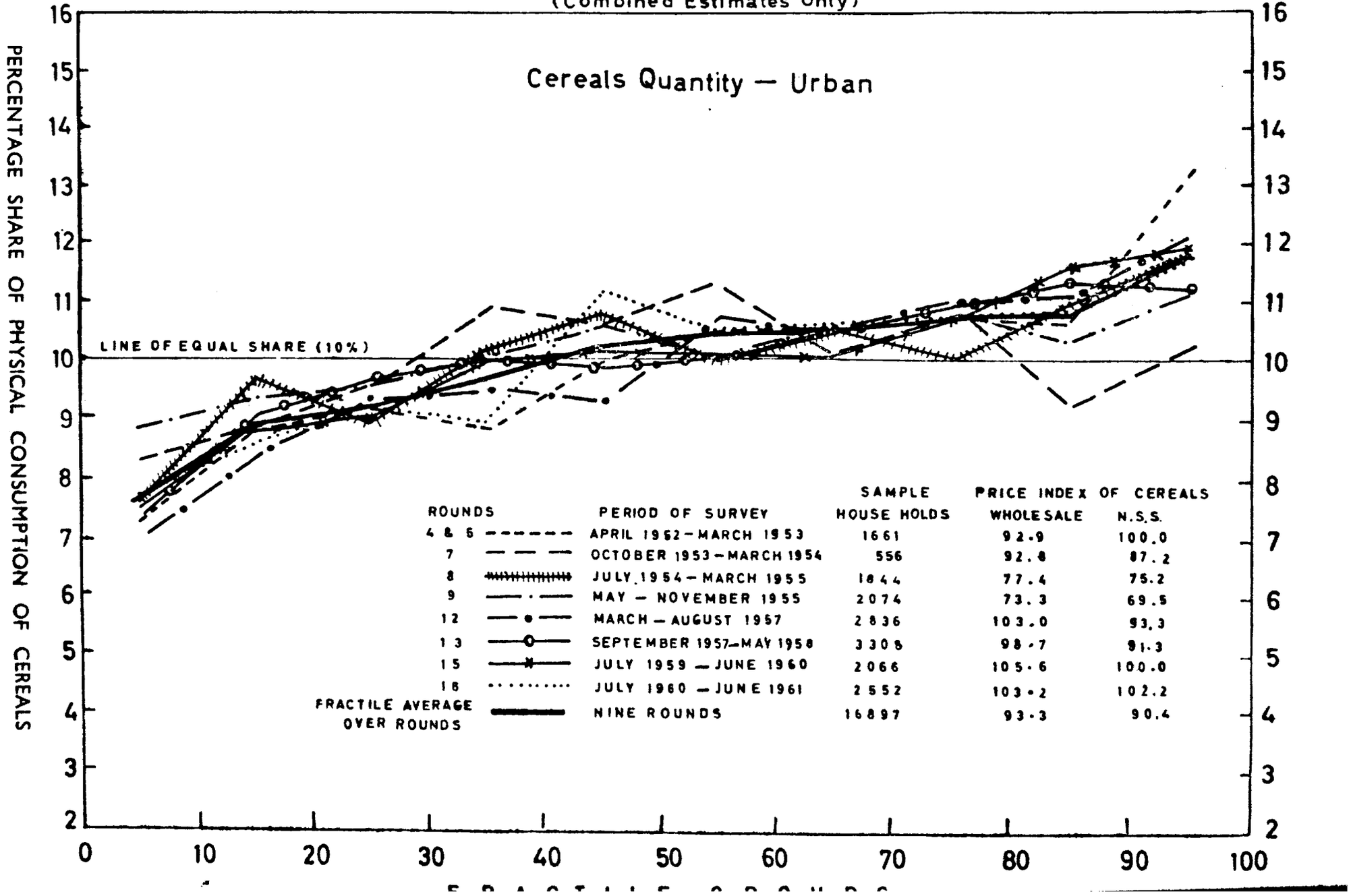

ROUNDS	PERIOD OF SURVEY	SAMPLE HOUSE HOLDS	PRICE INDEX OF CEREALS WHOLESALE	N.S.S.
4 & 6	APRIL 1952 – MARCH 1953	1661	92·9	100.0
7	OCTOBER 1953 – MARCH 1954	556	92.8	87.2
8	JULY 1954 – MARCH 1955	1844	77.4	75.2
9	MAY – NOVEMBER 1955	2074	73.3	69.5
12	MARCH – AUGUST 1957	2836	103.0	93.3
13	SEPTEMBER 1957 – MAY 1958	3308	98·7	91·3
15	JULY 1959 – JUNE 1960	2066	105·6	100.0
16	JULY 1960 – JUNE 1961	2552	103·2	102.2
FRACTILE AVERAGE OVER ROUNDS	NINE ROUNDS	16897	93·3	90.4

Quantity of Rice plus Wheat consumed in Seers per person per 30 Days by Fractile Groups for Four Rounds of the National Sample Survey.

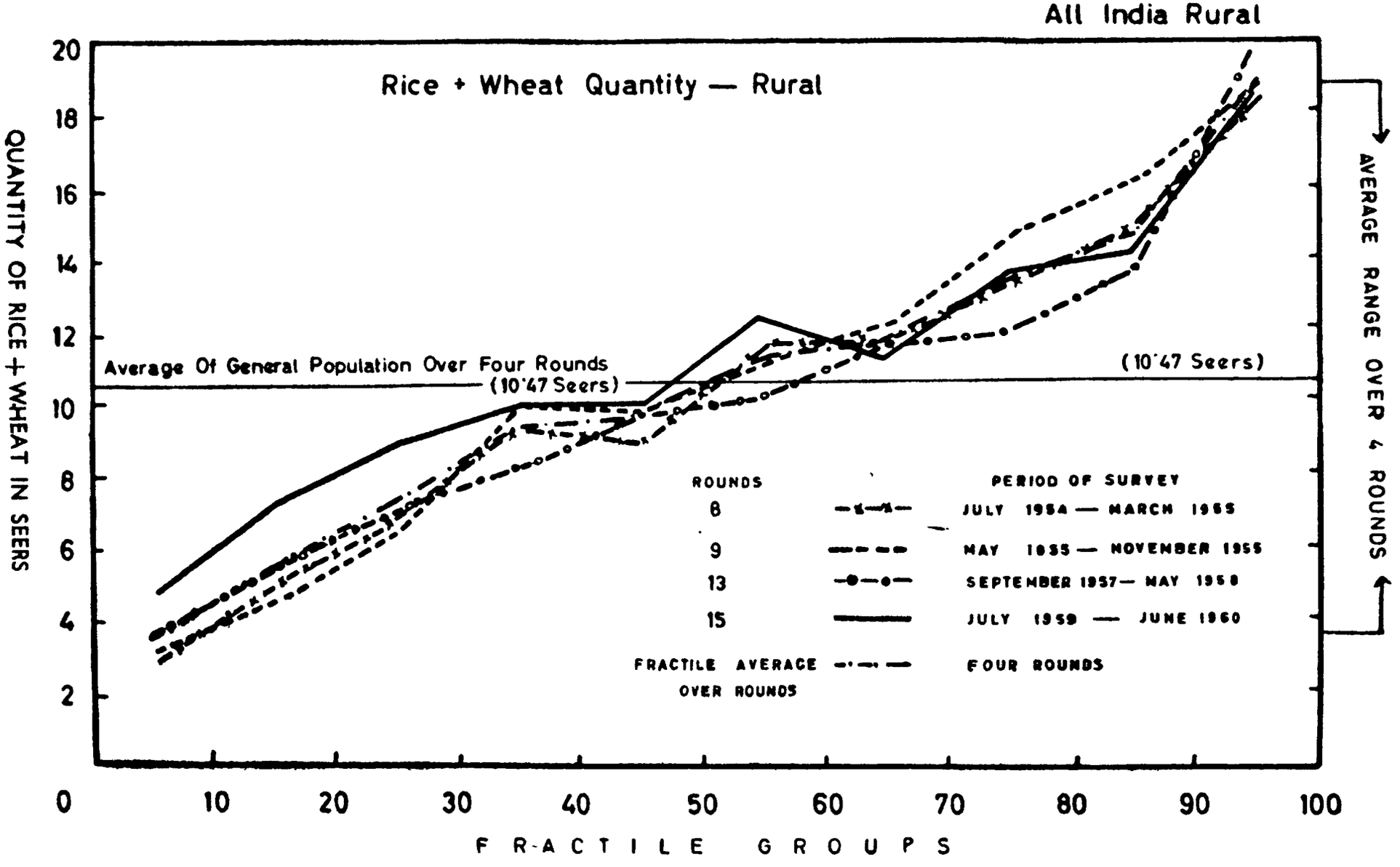

Percent Share of quantity of Rice plus Wheat in Cereal-Basket by Fractile Groups for Four Rounds of the National Sample Survey.

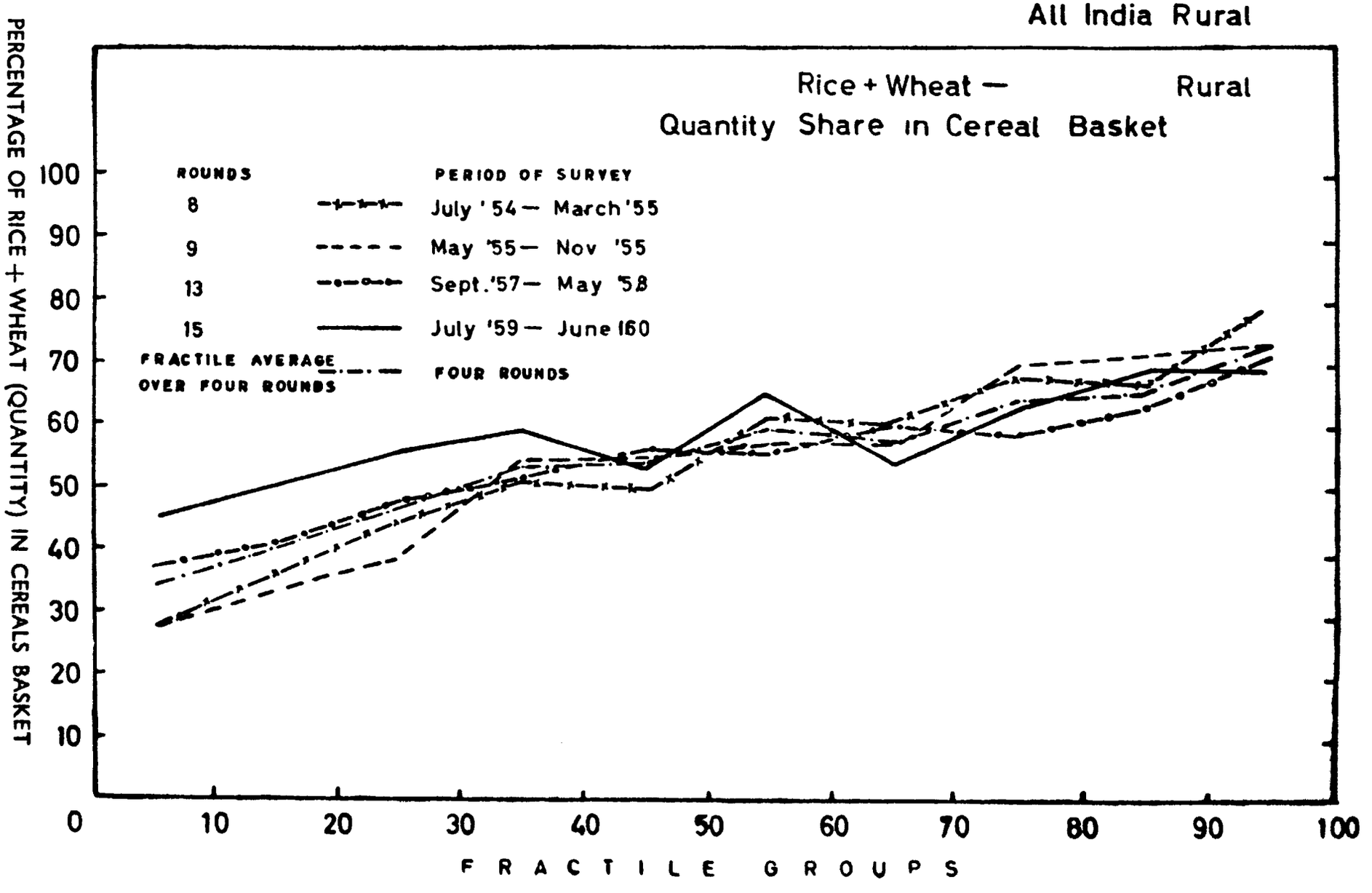

Percent Share of Quantity of Rice plus Wheat in Cereal Basket by Fractile Groups during Periods of low Prices (8th & 9th Rounds of NSS) and high Prices (13th & 15th Rounds of NSS)

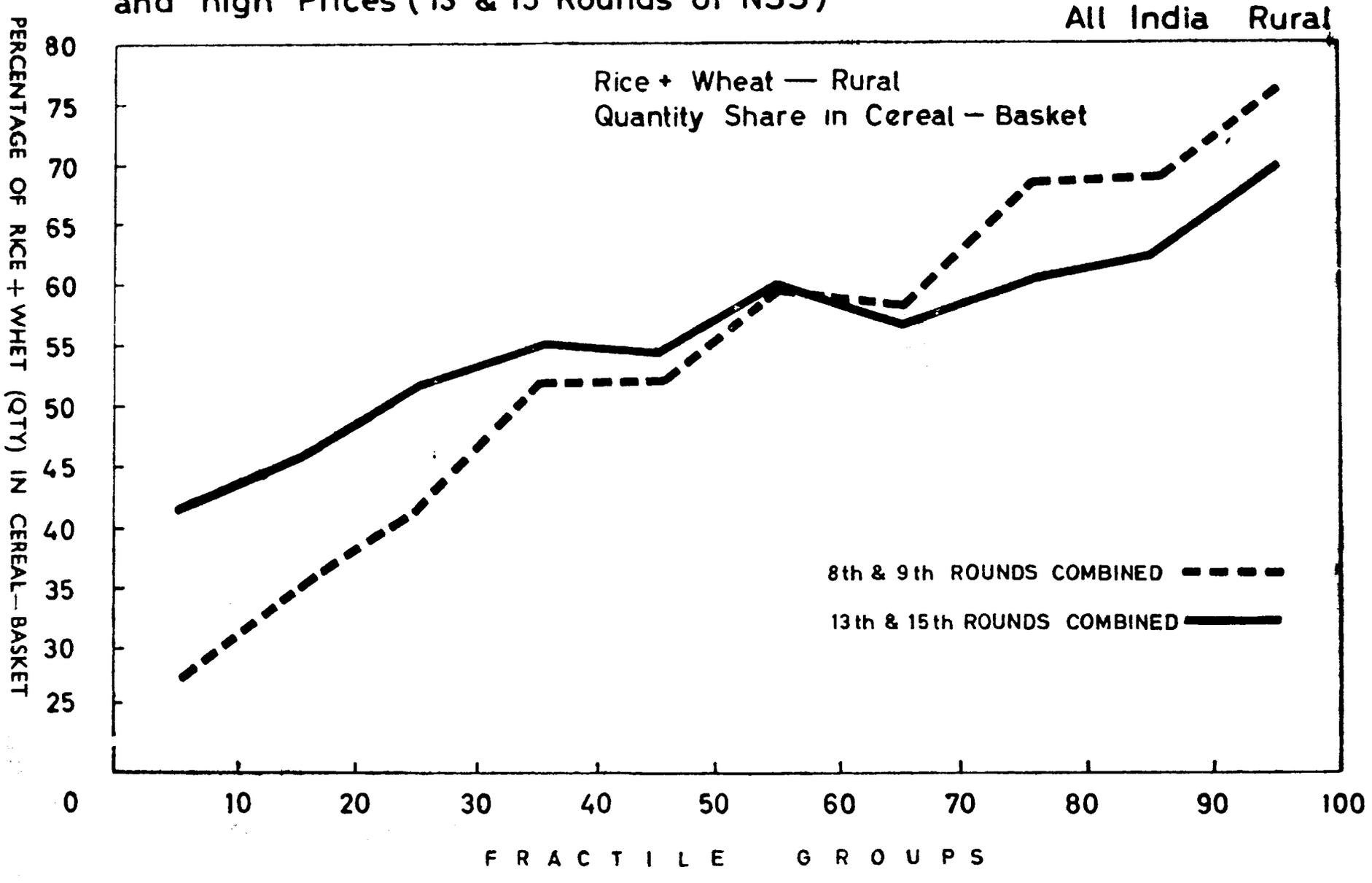

Quantity of Rice plus Wheat consumed in Seers per Person per 30 Days by Fractile Groups for Two Rounds of the National Sample Survey

All India Urban

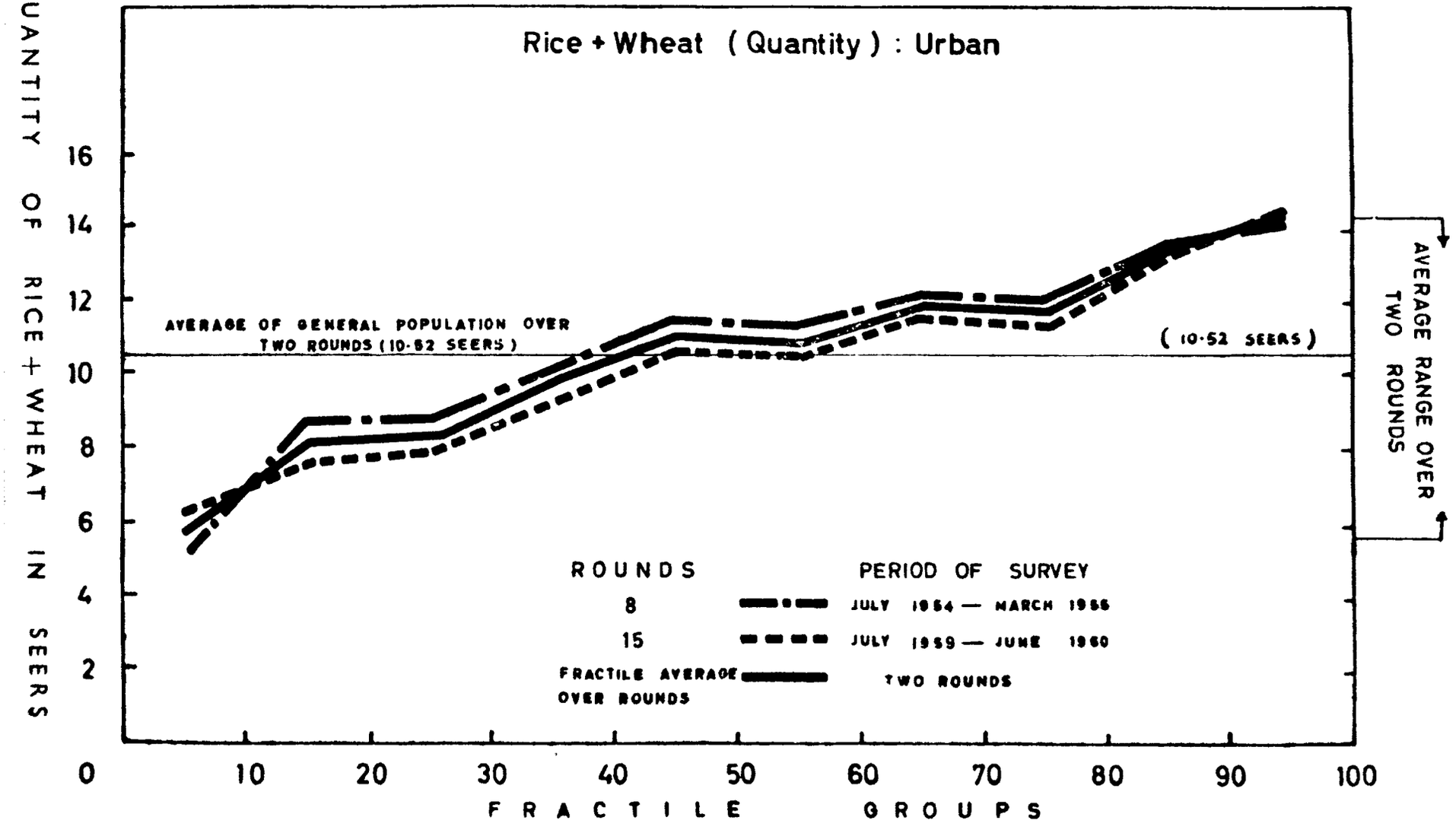

Percent Share of Quantity of Rice plus Wheat in Cereal Basket by Fractile Groups for Two Rounds of the National Sample Survey

All India Urban